जुलाई 2024

मासिक करंट अफेयर्स

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं (IAS/PCS) के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन

PATRIOTIC IAS

PAIDLEYGANJ ROAD, KV Tower, GORAKHPUR

9971932488

Free ओपन टेस्ट (IAS+PCS)

Date: 17 अगस्त & 24 August 2024

समय: 02:30 PM से 04:30 PM

Syllabus: करंट अफेयर्स (जून + जुलाई 2024)

माध्यम: हिंदी + अंग्रेजी

Patriotic IAS, 3rd Floor, KV Tower,
Paidleyganj Road, Gorakhpur
9971932488

अनुक्रमणिका (INDEX)

इतिहास **पेज नं.**

1. **वास्तुकला**
   - 1.1 राज्यसभा के हॉलों का नाम बदलना 6
   - 1.2 संगमेश्वर मंदिर 6
   - 1.3 मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैलम 7
   - 1.4 नालन्दा का खोया गौरव 8
   - 1.5 एमपी का भोजशाला परिसर 8
   - 1.6 जगन्नाथ मंदिर पुरी 10
   - 1.7 हम्पी 11
2. **शास्त्रीय भाषा** **12**
3. **ऐतिहासिक व्यक्तित्व**
   - 3.1 ज्ञानेश्वर महाराज 13
   - 3.2 संत नामदेव 13
   - 3.3 संत एकनाथ 13
   - 3.4 संत तुकाराम 14
4. **परमार वंश** **15**

समाज

1. **महिला मुद्दे**
   - 1.1 महिला रोजगार 16
   - 1.2 शिक्षा में लैंगिक अंतर 18
   - 1.3 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण पाने की हकदार 19
2. **जाति और समुदाय**
   - 2.1 जाति जनगणना 20
   - 2.2. निषाद समुदाय का मामला 23
3. **शिक्षा**
   - 3.1 एकलव्य विद्यालयों में केन्द्रीकृत भर्ती का मुद्दा 24
4. **संक्षिप्त समाचार**
   - 4.1. LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मामले 25
   - 4.2. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 25
   - 4.3. सुप्रीम कोर्ट: पुरुषों को अपनी पत्नियों को सशक्त बनाने के लिए धन साझा करना चाहिए 25
   - 4.4. क्या भारत में अंधविश्वास के खिलाफ कानून हैं 26

भूगोल

1. **भूकंप** **28**
2. **झीलें/जलाशय/बांध**
   - 2.1. पैंगोंग त्सो 30
   - 2.2. लाल बहादुर शास्त्री जलाशय 30
   - 2.3. कृष्णराज सागर बांध 31
   - 2.4. पोलावरम सिंचाई परियोजना 31
3. **नदियों**
   - 3.1. बागमती नदी 32

Patriotic IAS

3.2. भारत में नदी प्रणालियाँ 32

राजनीति

1. मौलिक अधिकार

1.1. सही सूचना का अधिकार 35
1.2. आरक्षण 35
1.3. उपजाति आरक्षण की समस्या 36
1.4. आध्यात्मिक अभिविन्यास, धार्मिक प्रथाएँ और न्यायालय 38

2. संवैधानिक/सांविधिक/गैर-संवैधानिक निकाय

2.1. वित्त आयोग 38
2.2. भारत के अटॉर्नी जनरल 39
2.3. यूपीएससी 40

3. संघीय संरचना

3.1. राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार है 42
3.2. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण 44
3.3. कावेरी नदी जल विवाद 45
3.4. महाराष्ट्र सुरक्षा विधेयक 46
3.5. शत्रु संपत्ति की समस्या 47

4. न्यायतंत्र

4.1. न्यायालय की अवमानना 48
4.2. फिल्मों में विकलांगता के चित्रण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 49
4.3. ग्राम न्यायालय 49
4.4. कॉलेजियम प्रणाली 50

5. संसद

5.1. संसद में विलोपन शक्तियां 53
5.2. लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 54
5.3. दलबदल विरोधी कानून 56

शासन

1. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन 58
2. केरल का चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 59
3. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 60
4. एफसीआरए 2010 61
5. सीबीआई का क्षेत्राधिकार 62
6. डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा 64
7. आईएएस परिवीक्षार्थियों के लिए नियम 65
8. उचित आवास और विकलांगता अधिकार 65

9. सरकारी योजनाएँ

9.1. समर्थ्य 67
9.2. स्वाधार गृह 67
9.3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 68
9.4. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 68

Patriotic IAS

9.5. मिशन वात्सल्य 69
9.6. मिशन शक्ति 69

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. भारत-रूस संबंध 71
2. रूसी सेना में भारतीय 72
3. ईरान: सीमित लोकतंत्र 73
4. भारत-म्यांमार संबंध 73
5. चीन: झिंजियांग में स्वतंत्रता और नियंत्रण 75
6. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/समूह/संस्थाएं/सहयोग
6.1. आईएनएसटीसी 78
6.2. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन 79
6.3. क्वाड और ब्रिक्स 79
6.4. सीटो 80
6.5. सेन्टो 81
6.6. शांगरी-ला संवाद 81
6.7. एससीओ 83
6.8. एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 84
6.9. न्यू डेवलपमेंट बैंक 85
6.10. बिम्सटेक 85
6.11. सार्क 85

अर्थव्यवस्था

1. बैंकिंग
1.1. भारतीय बैंक संघ 86
1.2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 86
1.3. लघु वित्त बैंक 86
2. आधारभूत संरचना
2.1. शहरी परिवर्तन रणनीतियाँ 88
2.2. रेलवे सुरक्षा पर धीमी प्रगति 89
2.3. स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि का विस्तार 88
3. रोज़गार
3.1. कर्नाटक गिग वर्कर्स के लिए विधेयक 90
3.2. नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सीखने के साथ कौशल बढ़ाना 92
3.3. गिग-वर्कर्स का विनियमन 93
4. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
4.1. कट-उपरांत फसल-हानि 93
4.2. वनस्पति प्रोटीन 95
4.3. घरेलू व्यय पर पीडीएस का प्रभाव 96
5. राजकोषीय नीति
5.1. एक ऐसा बजट जो स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देता है 96
5.2. मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई 98
5.3. आदर्श कौशल ऋण योजना 98

Patriotic IAS

6. मिश्रित

6.1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 99
6.2. विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक 100
6.3. सकल स्थायी पूंजी निर्माण 100
6.4. सकल पूंजी निर्माण 100
6.5. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 101
6.6. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 101
6.7. संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर 102

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

1.1. वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो और ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ा 103
1.2. डायसन स्फीयर: एक ऊर्जा भक्षक 104
1.3. इसरो की समस्या 105

2. रोग और वायरस

2.1. अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस 106
2.2. ज़ीका वायरस 106
2.3. डेंगू के मामलों में वृद्धि 107
2.4. चांदीपुरा वायरस 108
2.5. निपाह वायरस 108
2.6. एमपीओएक्स 109

3. मिश्रित

3.1. तीन कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई 109
3.2. पायथन प्रोटीन विकल्प 110
3.3. मानव कान की संरचना 110
3.4. खनिज सुरक्षा साझेदारी 111
3.5. भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज 112
3.6. पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी 112
3.7. ग्राफीन एक सरल आश्चर्य 115
3.8. पुनर्योजी ब्रेकिंग 116
3.9. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 116
3.10. ग्रामीण मोबाइल कनेक्टिविटी 117

पर्यावरण

1. राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य

1.1. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य 121
1.2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 123
1.3. बन्नी घास का मैदान 123

2. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास

2.1. उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य 124
2.2. राजस्थान जनजातियों द्वारा टिकाऊ समाधान 124
2.3. सीपीसीबी ने प्लास्टिक अपशिष्ट व्यापार व्यवस्था की जांच की 125
2.4. दिल्ली में पेड़ों की कटाई के लिए कानून 125

Patriotic IAS

2.5. भारत का पांच वर्षीय जलवायु एजेंडा 126
2.6. दिल्ली में वृक्षारोपण योजना का मुद्दा 127

3. समाचार में प्रजातियाँ

3.1. कुदाल-दांतेदार व्हेल 127
3.2. ओलिव रिडले समुद्री कछुआ 128
3.3. डॉगफ़िश शार्क 128
3.4. गढ़ियाल 128

4. जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण संगठन/संस्थान

4.1. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 129
4.2. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 129
4.3. आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन 130
4.4. हरित विकास संधि 130
4.5. वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन 130
4.6. स्टेल्थ फ्रिगेट – तुशील और तमाल 131
4.7. आईएनएस टेग 132
4.8. हल्का टैंक ज़ोरावर 133
4.9. बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 133

आंतरिक सुरक्षा

1. ऑपरेशन सर्प विनाश 135
2. इनर लाइन परमिट 135
3. धन शोधन निवारण अधिनियम 136
4. अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम 137
5. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 141
6. अग्निपथ योजना 143
7. छत्तीसगढ़ में माओवादी 145
8. जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद बढ़ रहा है 145

नीति

1. डीप स्टेट और विकीलीक्स 147
2. क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन के जीवन से सीखें 148

पीसीएस विशेष

1. मैसूर की कैप्टन सुप्रीता सियाचिन में पहली महिला अधिकारी बनीं 150
2. कीर्ति चक्र: भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार 150
3. लोगों को बचाने के लिए 'असाधारण बहादुरी' पुरस्कार जीता
4. सैन फर्नांडो केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला जहाज बन गया 150
5. केरल में जन्मे सोजन जोसेफ ने ब्रिटिश संसद की सीट जीती 151
6. चीन का चांग'ई 6 जांच यान 151
7. इलैयाराजा एल्बम दिव्या पशुराम रिहा
8. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे 152
9. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: योग की शक्ति का जश्न 152

Patriotic IAS

इतिहास

1. वास्तुकला:

1.1. राष्ट्रपति भवन के हॉल का नाम बदलना :

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो हॉलों का नाम बदल दिया है ।
- दरबार हॉल को अब गणतंत्र मंडप (गणतंत्र हॉल) कहा जाता है, ताकि औपनिवेशिक शब्द "दरबार" के बजाय गणतंत्र की अवधारणा को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके।
- अशोक हॉल का नाम अब अशोक मंडप है। अशोक नाम दुख से मुक्ति का प्रतीक है और **सम्राट अशोक का संदर्भ देता है, जो एकता और शांति का प्रतीक है** ।
- नाम बदलने का उद्देश्य अंग्रेजीकरण के निशानों को हटाना तथा शब्दों से जुड़े प्रमुख मूल्यों को कायम रखना है।
- अशोक हॉल का उपयोग **विदेशी देशों के मिशन प्रमुखों द्वारा अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत करने के लिए** तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राजकीय भोज के आरंभ होने से पहले यात्रा पर आए हुए तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए औपचारिक परिचय स्थल के रूप में किया जाता है।
- **दरबार हॉल का उपयोग नागरिक और रक्षा अलंकरण समारोहों के आयोजन के लिए किया जाता है,** जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति प्राप्तकर्ताओं को प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करते हैं।
- नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिपरिषद में नए सदस्यों के शामिल होने तथा भारत के मुख्य न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह सभी दरबार हॉल में आयोजित किए जाते हैं।
- दरबार हॉल का उपयोग वर्ष 1977 में **भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद** के निधन के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी किया गया था।
- राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय गुंबद के ठीक नीचे स्थित इस समारोह कक्ष में तीन तरफ से प्रवेश किया जा सकता है, सामने के प्रांगण की सीढ़ियों से होकर छह मीटर ऊंचे सागौन के दरवाजे से और दरबार हॉल के दोनों ओर स्थित जुड़वां राख-ग्रे संगमरमर की सीढ़ियों से।

1.2. संगमेश्वर मंदिर:

- **जगह:** नांदयाल जिला, आंध्र प्रदेश, भारत, मुचुमार्री के पास , कृष्णा और भवानसी नदियों के संगम पर, श्रीशैलम जलाशय के तट पर।
- **जलमग्नता:** 1981 में निर्मित श्रीशैलम बांध के कारण मंदिर वर्ष के कुछ समय के लिए जलमग्न रहता है। यह पहली बार 2003 में सतह पर आया था और जल स्तर कम होने के बाद लगभग 4 महीने तक दिखाई देता है।
- **ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व:**
- **देवता:** यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें संगमेश्वरम नामक एक लकड़ी का लिंगम स्थापित है , जिसके बारे में माना जाता है कि इसे पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज ने श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर की यात्रा के बाद स्थापित किया था।
- **संगम:** मंदिर सात नदियों के संगम पर स्थित है: कृष्णा, भावनासी और पांच अन्य - वेणी, तुंगा, भद्रा, भीमरथी और मालापहारिणी । इस संगम को धार्मिक पवित्रता का स्थल माना जाता है।

- **महत्व:** सप्त नदी संगमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर को श्रीशैलम का उत्तर-पश्चिमी प्रवेशद्वार माना जाता है, जो बारह ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। यह एक पवित्र तीर्थस्थल है जिसका अपना महत्व है।
- **स्थापत्य शैली और आध्यात्मिक महत्व** :
- **नागर प्रभाव** : मंदिर की स्थापत्य शैली नागर (उत्तर भारतीय) परंपरा से मेल खाती है, जो निर्माण काल के दौरान प्रचलित प्रभावों को दर्शाती है।
- **पवित्र संगम : मंदिर का मूल स्थान बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता था। यह कृष्णा और** भवानसी नदियों के संगम पर स्थित था , जो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाने वाला एक पूजनीय मिलन स्थल है।
- **प्रारंभिक उल्लेख और निर्माण (7वीं-8वीं शताब्दी ई.):**
- **अनुमानित अवधि** : ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी ई. में हुआ था।
- **चालुक्य राजवंश : इस निर्माण का श्रेय चालुक्य राजवंश** के शासक को दिया जाता है **, संभवतः पुलकेशी द्वितीय (609-642 ई.) को, जो** दक्षिण भारत में अपने शासनकाल के दौरान थे।
- **स्थापत्य शैली** : मंदिर चालुक्य युग के दौरान प्रचलित स्थापत्य शैली को दर्शाता है, जिसकी विशेषता नागर (उत्तर भारतीय) प्रभाव है।

सुलभता और भक्ति:

- **दृश्यता:** मंदिर आमतौर पर हर साल लगभग 8 महीने पानी में डूबा रहता है और केवल शेष 4 महीनों के दौरान ही दिखाई देता है। दृश्यता अवधि के दौरान, इसमें काफी कठिनाई से प्रवेश किया जा सकता है।
- **भक्त:** मंदिर के दर्शन के महीनों में हजारों भक्त आते हैं, जो क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाओं में इसके महत्व को दर्शाता है। मंदिर का अनोखा स्थान और समय-समय पर इसका प्रकट होना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करता है।

1.3. <u>मल्लिकार्जुन मंदिर, श्रीशैलम:</u>

आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ इसके प्रमुख पहलुओं का विवरण दिया गया है:

इतिहास और महत्व:

- **प्राचीन उत्पत्ति:** यद्यपि निर्माण की सटीक तारीख अज्ञात है, ऐतिहासिक अनुमानों के अनुसार इसका निर्माण दूसरी और 12वीं शताब्दी ई. के बीच हुआ था।
- **शिव और शक्ति:** इस मंदिर में भगवान शिव को मल्लिकार्जुन (जिसका अर्थ है " अर्धनारीश्वर के भगवान ") और उनकी पत्नी पार्वती को ब्रह्मरम्बा के रूप में स्थापित किया गया है ।
- **ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ :** मल्लिकार्जुन बारह पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के उग्र पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीशैलम भी 18 शक्ति पीठों में से एक है , जो शिव की पत्नी सती की दिव्य स्त्री ऊर्जा से जुड़ा है। शिव और शक्ति के प्रतीकवाद का यह संगम मंदिर को अत्यधिक महत्व देता है।

वास्तुकला प्रतिभा:

- **द्रविड़ शैली:** मंदिर परिसर में द्रविड़ वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें ऊंचे गोपुरम (प्रवेश द्वार), जटिल नक्काशीदार स्तंभ और मंडप (हॉल) शामिल हैं।
- **मूर्तिकला की भव्यता:** मंदिर की दीवारें और स्तंभ विभिन्न देवताओं, पौराणिक दृश्यों और पुष्प आकृति को दर्शाती उत्कृष्ट मूर्तियों से सुसज्जित हैं।
- **आध्यात्मिक महत्व:** मंदिर परिसर में विष्णु, गणेश और सुब्रमण्य सहित अन्य हिंदू देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं।

तीर्थयात्रा और परंपराएँ:

- **पवित्र धाम:** श्रीशैलम भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जो पूरे वर्ष हजारों भक्तों को आकर्षित करता है।
- **महा शिवरात्रि:** महा शिवरात्रि का वार्षिक त्यौहार तीर्थयात्रा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय है, जिसमें भव्य समारोह और विशेष पूजा-अनुष्ठान होते हैं।
- **आध्यात्मिक अभ्यास:** भक्त मंदिर परिसर के चारों ओर पवित्र परिक्रमा (प्रदक्षिणा) करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं।

अतिरिक्त टिप्पणी:

- यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य दिखाई देता है।
- पास में ही कृष्णा नदी बहती है, जो मंदिर की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाती है।
- मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी है जिसमें मंदिर के इतिहास और धार्मिक महत्व से संबंधित कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं।

मल्लिकार्जुन मंदिर भारत की समृद्ध विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। यह लाखों भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक और सांत्वना का स्रोत बना हुआ है।

1.4. नालंदा का खोया गौरव:

Of a gilded past and the future: Nalanda's lost glory and new-found ambitions

Writers with the help of Chinese pilgrim Hiuen Tsang's account and other research have traced the rise and fall of an ancient seat of learning going back to the Gupta dynasty. Nalanda, a revered Buddhist site, which had been destroyed, was rediscovered in the 19th century

GS Paper I: History

Ziya Us Salam

"Nalanda is not just a name, it is an identity. Nalanda is the root, it is the mantra. Nalanda is the proclamation of the truth that knowledge cannot be destroyed even though books burn in a fire." Prime Minister Narendra Modi's words at the inauguration of the new Nalanda University campus at Rajgir recently and his "golden age" references made us go back to the history books.

Established by emperor Kumaragupta-I of the Gupta dynasty around 427 AD, Nalanda, a centre for learning, carved out its own niche with the support of the Pala kings, and later the monks of Nalanda, who were patronised by the Pithipatis of Bodh Gaya. Nalanda was way ahead of its times, a sacred spot for the spiritually inclined.

Aryabhata on the rolls

At one time, Nalanda's faculty included some of the most highly regarded names in Hinayana as well as Mahayana Buddhism; the latter sect started much after Hinayana but flourished for long, touching with its spirit Tibet, China, Japan and much of southeast Asia. The names of those associated with Nalanda read like a roll call of brilliance, even genius. Included in the list were Aryabhata, Harsha, Dharmapala, Nagarjuna, Dharmakirti, Asanga, Vasubandhu, Chandrakirti and Silabhadra. Hiuen Tsang, of course, spent five years here during the reign of Harshavardhan in the 7th century, and wrote in detail about Nalanda's meticulous approach in enrolling students, including rigorous admission tests.

Its glory got an affirmative nod in the *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives*, edited by Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti with a foreword by Romila Thapar. They write: "It is well known Nalanda gained the celebrated status of a Buddhist site after Alexander Cunningham identified it with Bargon, based on the travel notes of Xuan Zang (Hiuen Tsang) followed by epigraphic records recovered from the site. This Chinese pilgrim left a detailed account of the monastic organisation." Prof. Thapar herself wrote of its global repute in *A History of India*, widely regarded as a must-read for students of ancient and early medieval India, "It is on record that a king of Sumatra requested a Pala king's permission to endow a monastery at Nalanda. The ties between the Buddhists in eastern India and southeast Asia were strengthened at this time."

Khalji raids, and a denial

Yet Nalanda has not been without its share of controversies. Several historians have recorded that Nalanda was ransacked by Bakhtiyar Khalji around 1200 AD and its treasure of books reduced to ashes. In *History of Medieval India*, Satish Chandra writes: "A Khalji officer, Bakhtiyar Khalji, whose uncle had fought the battle of Tarain, had been appointed in charge of some of the areas beyond Banaras. He had taken advantage of this to make frequent raids into Bihar....During these raids, he had attacked and destroyed some of the famous Buddhist monasteries of Bihar, Nalanda and Vikramshila, which had no protector left."

Noted historian Mohammad Habib, while not referring to Nalanda's possible destruction directly, wrote in *Studies in Medieval Indian Polity and Culture: The Delhi Sultanate and Its Times*, about Bakhtiyar's raids in Bihar. Elucidating about the fall of Indian kingdoms one after the other to the Ghurid army, Habib wrote, "Bakhtiyar, an adventurer from Khilj, who had been twice declared unfit for enrolment in the army as a common soldier, harassed and conquered Bihar and about one-half of Bengal."

Such assertions were probably based on the writings of Minhaj-i-Siraj who wrote in Tabaqat-i-Nasiri, "He (Bakhtiyar Khalji) used to carry his depradations into those parts and that country until he organised an attack upon the fortified city of Bihar....He advanced to the gateway of the fortress of Bihar with two hundred horsemen in defensive armour, and suddenly attacked the place."

Rediscovering Nalanda

Illustrious historian D.N. Jha, however, contested such claims. He argued in *Against the Grain: Notes on Identity, Intolerance and History*, one of his last works, "The fortified monastery which Bakhtiyar captured was known as Audand-Bihar or Odandapura-vihara." It was not Nalanda, claimed Jha. He felt that Minhaj did not refer to Nalanda at all in his writings.

Minhaj spoke instead of the ransacking of the fort of Bihar or Hisar-i-Bihar, he argued. "Bakhtiyar did not go to Nalanda. It escaped the main fury of the Muslim conquest because it lay not on the main route from Delhi to Bengal but needed a separate expedition." Bakhtiyar instead probably proceeded from Biharsharif to Nadia in Bengal.

Fellow historian Namit Arora reasoned in *Indians: A Brief History of Civilization*, "By the time of the Turko-Persian invasions, most Buddhist sites had already been abandoned, destroyed, or converted into Brahminical sites across much of India. Buddhist artifacts and texts were wiped out and Buddhism vanished from India's public memory.... Only in the 19th century did Indians rediscover Nalanda."

With the opening of the Rajgir campus, scholars hope Nalanda will regain its glory.

For the discerning, Nalanda continues to be an open book. You read, you interpret, you conclude. As Oscar Wilde said: The word is nothing; interpretation is everything.

1.5. MP भोजशाला परिसर:

- मध्य Pradesh में स्थित धार एक मध्ययुगीन गोलाकार शहर और मालवा की राजधानी थी, जो 10वीं शताब्दी में परमार वंश के अधीन थी।
- 18वीं शताब्दी में पोवारों की मराठा राजधानी बन गयी ।
- **सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्र :**
- धार शिक्षा, पांडुलिपि संकलन और पशु व्यापार के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था।

- यह शहर धातुकर्म गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसका संकेत इसके नाम धारानगर (तलवारों का शहर) और धार लौह स्तंभ की उपस्थिति से मिलता है।
- **राजनीतिक अशांति और इस्लामी प्रभाव:**
- धार में यादवों, सोलंकी और परमारों के बीच संघर्ष हुआ , जिसके परिणामस्वरूप कई लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुईं।
- 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में मालवा अंततः दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया।
- **कमाल मौला मस्जिद:**
- 1331 ई. से पहले निर्मित, यह मंदिर मूलतः एक चिश्ती सूफी संत कमाल-अल-दीन से जुड़ा है।
- 1392 के इस्लामी शिलालेख में दिलावर द्वारा मरम्मत का उल्लेख है ख़ान , जो विभिन्न शासकों के अधीन चल रहे उपयोग और रखरखाव को दर्शाता है।
- **वास्तुकला विशेषताएँ:**
- मस्जिद में 11वीं और 12वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर के खंभे लगे हैं, जिन्हें छत की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक के ऊपर एक रखा गया है।
- ट्रैबिट गुंबदों को अजमेर और दिल्ली के कुतुब परिसर के समान जटिल डिजाइनों से सजाया गया है।
- इसमें संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों के साथ पत्थर के पैनल हैं, जो संभवतः एक संग्रहालय के समान मध्ययुगीन प्रदर्शन के रूप में एकत्रित किए गए हैं।
- **सांस्कृतिक महत्व:**
- ऐतिहासिक रूप से इसे भोज शाला या राजा भोज स्कूल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो शिक्षा और विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाता है।
- सरस्वती प्रतिमा नहीं मिली, लेकिन अम्बिका की एक जैन प्रतिमा मिली, जिसे मूलतः सरस्वती समझ लिया गया था ।
- **कानूनी एवं समकालीन संदर्भ:**
- 2024 में होने वाली हालिया कानूनी कार्यवाही का उद्देश्य परिसर की प्रकृति को स्पष्ट करना है, जो इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में चल रही बहस को दर्शाता है।
- धार राज्य के दीवान ने 1935 में इसे मस्जिद घोषित कर दिया था, लेकिन हालिया अदालती मामले ने इसके चरित्र को और अधिक रहस्यमय बनाने का प्रयास किया है।

Patriotic IAS

Existing structure at M.P.'s Bhojshala complex was built using remains of temple: ASI

GS Paper I: History

Ishita Mishra
Mehul Malpani
NEW DELHI

The existing structure at the Bhojshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh was constructed using the remains of a temple that existed earlier at the site, said the Archaeological Survey of India (ASI) in its scientific survey report, which was submitted to the Indore Bench of the Madhya Pradesh High Court on Monday.

The court had in March asked the ASI to undertake a scientific survey of the Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque complex.

The ASI said that based on the survey, conducted over a period of three months using technologies such as ground-penetrating radar and from archaeological remains studied during the investigation, the pre-existing structure "can be dated to the Paramara [dynasty] period".

Security personnel stand guard outside the Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque.

"Art and architecture of the pillars and pilasters in colonnades suggest that they were originally part of a temple. For their reuse in the existing structure, figures of deities and humans carved on them were mutilated," the ASI report, a copy of which is with *The Hindu*, stated.

The survey found images of Hindu deities such as Ganesha, Brahma with his consorts, Narasimha, Bhairava and other human and animal figures in the existing structure. "As human and animal figures are not permitted in mosque, at many places, such images have been chiselled out or defaced...," the ASI said.

The ASI report also said that inscriptions in Sanskrit and Prakrit were found at the site. The report quoted an inscription on the gateway to the tomb of Abdullah Shah Changal at Dhar which had said that the temple "was violently converted" into a mosque.

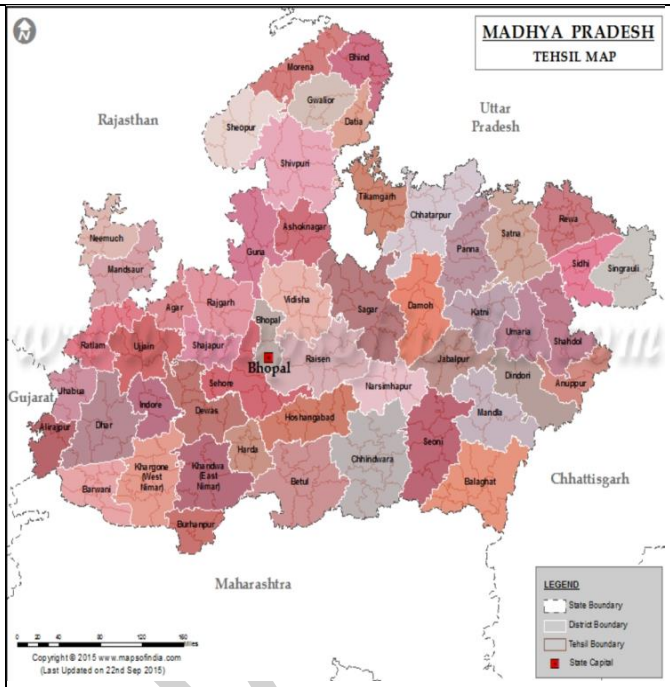

1.6. जगन्नाथ मंदिर पुरी

- **अभिलेखों** के अनुसार , **अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने** पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था।
- वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण **दसवीं शताब्दी के बाद** परिसर में पहले से मौजूद मंदिरों के स्थान पर किया गया था, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर का नहीं।
- पुनर्निर्माण का कार्य **अनंतवर्मन द्वारा शुरू किया गया था चोडगंगा , पूर्वी गंग राजवंश** का पहला राजा था ।
- मंदिर के कई अनुष्ठान **ओडियना तंत्र और शबरी तंत्र पर आधारित हैं, जो क्रमशः तांत्रिक बौद्ध धर्म** और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुए हैं ।
- स्थानीय किंवदंतियां इन मूर्तियों को आदिवासी जनजातियों से जोड़ती हैं, तथा दैतापति (सेवक) दावा करते हैं कि वे आदिवासियों के वंशज हैं।
- यह मंदिर **108 अभिमान मंदिरों में से एक है। वैष्णव परंपरा का क्षेत्रम** ।
- यह मंदिर अपनी **वार्षिक रथ यात्रा** , या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जहां तीन प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सुसज्जित रथों (मंदिर कारों) पर खींचा जाता है।
- यह पूजा **भील सबर आदिवासी पुजारियों के** साथ-साथ अन्य समुदायों के पुजारियों द्वारा की जाती है।

Chariot Details	Jagannath	Balabhadra	Subhadra [hide]
Name of Chariot	Nandighosha (ନନ୍ଦିଘୋଷ)	Taladhwaja (ତାଳଧ୍ୱଜ)	Darpadalana (ଦର୍ପଦଳନ)
Alternates name of Chariot	Garudadhwaja, Kapidhwaja	Langaladhwaja	Devadalana, Padmadhwaja
Image			
Number of wheels	16	14	12

- अधिकांश हिंदू मंदिरों में पत्थर और धातु की मूर्तियों के विपरीत, **जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी है और हर 12 या 19 साल में औपचारिक रूप से उसकी सटीक प्रतिकृति स्थापित कर दी जाती है** ।
- मंदिर का पुनर्निर्माण **अनंतवर्मन ने करवाया था। चोडगंगा** , पूर्वी गंग राजवंश के राजा, 10वीं शताब्दी ई. में।
- इसका **वर्णन इस प्रकार है** उनके वंशज नरसिंहदेव द्वितीय और मातृ पक्ष से राजेंद्र चोल का **केंदुपटना ताम्र-पत्र शिलालेख ।**
- अनंतवर्मन मूलतः शैव थे और 1112 ई. में उत्कल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद वे वैष्णव बन गये।
- 1134-1135 ई. के एक शिलालेख में मंदिर के लिए उनके दान का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि मंदिर का निर्माण 1112 ई. के बाद शुरू हुआ होगा।

1.7. धरोहर वाले स्थान:

हम्पी

- यह है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत के कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित एक मनोरम ऐतिहासिक शहर है। यह कभी भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।

आरंभिक इतिहास:

- हम्पी की स्थापना 14वीं शताब्दी (1336 ई.) में **संगमा राजवंश द्वारा की गई थी** , जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
- **सलुवा , तुलुवा और अरविदु राजवंशों** के शासन में यह शहर तेजी से विकसित हुआ और व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
- 16वीं शताब्दी में अपने चरम पर हम्पी विश्व के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध शहरों में से एक था, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 500,000 से अधिक थी।

विजयनगर साम्राज्य का पतन :

- **1565 में, विजयनगर साम्राज्य को तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम सल्तनतों के गठबंधन द्वारा पराजित किया गया था** ।
- हम्पी को लूट लिया गया और उसकी जनसंख्या नष्ट कर दी गई।
- शहर को छोड़ दिया गया और वह खंडहर में तब्दील हो गया।

वास्तुकला वैभव

- हम्पी वास्तुकला के चमत्कारों का खजाना है, जो विजयनगर वास्तुकला की चमक को दर्शाता है। **विरुपाक्ष मंदिर:** भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर, यह पूजा का एक सक्रिय स्थान है।
- **विट्ठल मंदिर:** अपनी जटिल पत्थर की नक्काशी और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है।
- **कमल महल:** जटिल नक्काशी और कमल के आकार के तालाब वाला एक आश्चर्यजनक महल परिसर।

हजारा राम मंदिर: उत्कृष्ट मूर्तियों से सुसज्जित एक शाही मंदिर परिसर

हम्पी रथ:

- भारत में तीन प्रसिद्ध पत्थर रथों में से एक; अन्य दो **कोणार्क (ओडिशा) और महाबलीपुरम (तमिलनाडु) में हैं।**
- इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने कराया था ।
- विजयनगर शासकों ने **14वीं से 17वीं शताब्दी तक शासन किया** ।
- **भगवान विष्णु के वाहन गरुड़** को समर्पित है ।

विट्ठल मंदिर:

- विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था ।
- विट्ठल को समर्पित , जिसे विजया विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- विट्ठल भगवान विष्णु का अवतार है। द्रविड़ शैली में निर्मित, विस्तृत नक्काशी से सुसज्जित।

विश्व धरोहर स्थल

- कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें मानवता के लिए अत्यंत मूल्यवान माना जाता है तथा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- उन्हें विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है, जो एक प्रतिष्ठित पदनाम है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

विश्व धरोहर स्थलों की मुख्य विशेषताएं:

- **उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य:** स्थलों में असाधारण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व होना चाहिए जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो तथा समस्त मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो।
- **विविधता:** विश्व धरोहर स्थलों में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **सांस्कृतिक विरासत:** ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल, इमारतें, शहर के केंद्र और सांस्कृतिक परिदृश्य।
  - **प्राकृतिक धरोहर:** वन, पर्वत, झीलें, समुद्र तट, रेगिस्तान और भूवैज्ञानिक संरचनाएं।
  - **मिश्रित विरासत:** सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व वाले स्थल।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विश्व धरोहर स्थलों की अवधारणा इन अमूल्य स्थानों की सुरक्षा और संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है।
- **संरक्षण संबंधी चुनौतियाँ:** कई विश्व धरोहर स्थल जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पर्यटन और शहरीकरण के कारण खतरों का सामना कर रहे हैं। यूनेस्को और साझेदार संगठन इन चुनौतियों का समाधान करने और इन स्थलों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं।

यूनेस्को की भूमिका:

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह इन स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों में देशों को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता और संरक्षण देकर, यूनेस्को और उसके सदस्य देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ये अमूल्य धरोहरें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहें।

2. शास्त्रीय भाषा (Classical Language)

- 2004 में भारत सरकार ने घोषणा की कि कुछ सख्त मानदंडों को पूरा करने वाली भाषाओं को भारत की "शास्त्रीय भाषा" का दर्जा दिया जा सकता है।
- यह पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा भाषाई विशेषज्ञ समिति के साथ मिलकर की गई थी, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं के वर्गीकरण की मांगों पर विचार करने के लिए किया गया था।

मानदंड

- 2004 में, किसी "शास्त्रीय भाषा" की प्राचीनता की अवधि के लिए अस्थायी मानदंड कम से कम 1000 वर्ष माना गया था।

- 2006 में एक प्रेस विज्ञप्ति में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी ने राज्य सभा को "शास्त्रीय भाषा" के रूप में वर्गीकरण हेतु विचार की जाने वाली भाषाओं की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के बारे में सूचित किया:
- **इसके प्रारंभिक ग्रन्थों/अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500-2000 वर्षों की अवधि की है।**
- **प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक संग्रह, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।**
- **साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए।**
- **शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है।**

फ़ायदे

- भारत सरकार के संकल्प संख्या 2-16/2004-यू.एस. (अकादमियाँ) दिनांक 1 नवम्बर 2004 के अनुसार, "शास्त्रीय भाषा" के रूप में घोषित भाषा को मिलने वाले लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- **शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।**
- **शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।**
- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाएगा कि वह कम से कम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए शास्त्रीय भाषाओं के लिए कुछ निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का सृजन करे।**

Only Sanskrit getting govt. attention, says Congress

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Congress on Tuesday said the Centre was providing "handsome" support only for Sanskrit among classical languages.

"So far, the Centre has supported only Sanskrit handsomely. That is fine. But what about the other classical Indian languages, which are not merely regional but are national languages as well?" Mr. Ramesh said in a post on X.

Taking note of *The Hindu* report on the government planning to change the criteria for classical language classification, he sought to know if the Maharashtra government would have to resubmit its application to meet the new criteria for recognition of Marathi as a classical language.

भाषा	भाषा परिवार	भाषा शाखा	सबसे प्रारंभिक सत्यापन	मान्यता तिथि
தமிழ் , *तमिल*	द्रविड़	दक्षिण द्रविड़	500 और 300 ईसा पूर्व के बीच	12 अक्टूबर 2004
		मध्य तमिल		
संस्कृतम् , *संस्कृत*	भारोपीय	इंडो-आर्यन	पहली शताब्दी ई.पू.	25 नवंबर 2005
ಕನ್ನಡ , *कन्नड़*	द्रविड़	दक्षिण द्रविड़	370 ई.	31 अक्टूबर 2008
		कन्नड़ बोलियाँ		
తెలుగు , *तेलुगु*	द्रविड़	दक्षिण-मध्य द्रविड़	400 ई.	31 अक्टूबर 2008
മലയാളം , *मलयालम*	द्रविड़	दक्षिण द्रविड़	830 ई.	23 मई 2013
ଓଡ଼ିଆ , *ओडिया*	भारोपीय	पूर्वी इंडो-आर्यन	10वीं-11वीं शताब्दी ई.	20 फ़रवरी 2014

3. ऐतिहासिक व्यक्तित्व:

३.१ ज्ञानेश्वर महाराज

- ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्हें संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत, दार्शनिक, कवि और योगी थे, जो 13वीं शताब्दी में रहते थे।
- **प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि:**
- **जन्म: संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ई. में** भारत के वर्तमान महाराष्ट्र में पैठण के पास आपेगांव नामक गाँव में हुआ था ।
- **जीवन और शिक्षाएँ**
- **साहित्यिक कृतियाँ:** संत ज्ञानेश्वर को उनकी महान कृति "ज्ञानेश्वरी" (जिसे "ज्ञानेश्वरी" या " ज्ञानेश्वरी " भी लिखा जाता है) के लिए जाना जाता है, जो मराठी गद्य में लिखी गई भगवद् गीता पर एक टिप्पणी है।
- **दर्शन:** उन्होंने भक्ति और ज्ञान के दर्शन का प्रचार किया, जिसमें सभी प्राणियों की ईश्वर के साथ एकता और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को समझने के महत्व पर बल दिया गया।
- **भक्ति आंदोलन:** ज्ञानेश्वर महाराज ने नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और अन्य भक्ति संतों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने कठोर कर्मकांडों की तुलना में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देकर आध्यात्मिकता और धार्मिक अभ्यास को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया।

3.2 संत नामदेव :

- वर्तमान हिंगोली जिले के नरसी- बामनी गांव में हुआ था।
- वह मराठी में अपने भक्ति भजनों और अभंगों (भक्ति कविता) के लिए जाने जाते हैं, जो विठोबा (भगवान कृष्ण का एक रूप) की पूजा और भक्ति और विनम्रता के महत्व पर जोर देते हैं।
- नामदेव की रचनाएँ सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जो महाराष्ट्र से परे उनके प्रभाव को उजागर करती हैं।

3.3 संत एकनाथ

- **जन्म:** एकनाथ (1533-1599 ई.) का जन्म महाराष्ट्र के पैठण में हुआ था।
- **कृतियाँ:** उन्हें उनकी साहित्यिक कृतियों जैसे " एकनाथी भागवत," भागवत पुराण पर एक मराठी भाष्य, और " एकनाथी भागवत," भगवद गीता पर एक भाष्य के लिए जाना जाता है।
- एकनाथ एक समाज सुधारक थे जिन्होंने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी और समतावाद और भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति को बढ़ावा दिया।

3.4. संत तुकाराम

- **जन्म:** तुकाराम (1608-1649 ई.) का जन्म महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू में हुआ था।
- **साहित्यिक कृतियाँ:** उन्होंने मराठी में अनेक अभंग (भक्ति गीत) रचे, जिन्हें "तुकाराम गाथा" में संकलित किया गया है, जो भगवान विट्ठल और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के प्रति उनकी गहरी भक्ति को व्यक्त करते हैं।
- **समाज सुधारक:** तुकाराम ने सामाजिक न्याय, समानता और करुणा की वकालत की, सामाजिक पाखंड की आलोचना की और अनुष्ठानिक प्रथाओं की तुलना में वास्तविक भक्ति के महत्व पर बल दिया।

4. राजवंश:

परमार राजवंश:

- परमार वंश ने 9वीं से 14वीं शताब्दी तक पश्चिम-मध्य भारत में मालवा राज्य पर शासन किया।
- वे राजपूतों के परमार वंश से संबंधित थे ।

स्थापना और प्रारंभिक शासन:

- मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के जागीरदार के रूप में ।

- गुजरात में शासक सियाका द्वारा लिखे गए सबसे पुराने शिलालेख पाए गए।

संप्रभुता की ओर आरोहण:

- **972 ई.** के आसपास , **सियाका ने** परमार संप्रभुता का दावा करते हुए, **मान्यखेता को बर्खास्त कर दिया ।**
- **धारा (वर्तमान में धार)** पर केन्द्रित मालवा, मुंजा के अधीन परमारों का मुख्य क्षेत्र बन गया।

भोज के अधीन पराकाष्ठा:

- मुंजा के भतीजे भोज ने लगभग 1055 ई. तक चित्तौड़ से कोंकण और साबरमती से विदिशा तक साम्राज्य का विस्तार किया।

राजनीतिक और सैन्य संघर्ष:

- गुजरात के चालुक्यों , कल्याणी के चालुक्यों , त्रिपुरी के कलचुरियों और जेजाकभुक्ति के चंदेलों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा ।
- धारा के बार-बार लूटे जाने के कारण राजधानी मंडप-दुर्गा (मांडू) में स्थानांतरित कर दी गई।

गिरावट और अंत:

- अंतिम ज्ञात शासक महलकदेव को 1305 ई. में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने पराजित कर मार डाला।
- अभिलेखीय साक्ष्यों से पता चलता है कि महालकदेव की मृत्यु के बाद भी परमार शासन कुछ समय तक जारी रहा ।

सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण:

- परमार वंश संस्कृत कवियों और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से भोज के अधीन।
- मुख्यतः शैव शासक जिन्होंने जैन विद्वानों को भी संरक्षण दिया

Patriotic

समाज

1. महिला मुद्दे:

1.1. महिला रोजगार पर ध्यान:

- 2024 के लोकसभा चुनावों में नौकरी पाने में कठिनाई और महंगाई प्रमुख मुद्दे होंगे (स्रोत: लोकनीति -सीएसडीएस चुनाव पूर्व सर्वेक्षण)।
- भारत रोजगार रिपोर्ट (आईईआर) 2024 से पता चला है कि बेरोजगारी दर 2% (2000, 2012) से बढ़कर 5.8% (2019) हो गई, फिर घटकर 4.1% (2022) हो गई, जिसमें समय से संबंधित अल्परोजगार 7.5% (2022) रहा।
- श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 61.6% (2000) से गिरकर 49.8% (2018) हो गई, फिर सुधरकर 55.2% (2022) हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एलएफपीआर 24.6% (2018) से बढ़कर 36.6% (2022) हो गई, और शहरी क्षेत्रों में 20.4% (2018) से लगभग 3.5% बढ़ गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष एलएफपीआर में मामूली रूप से 2% की वृद्धि हुई, तथा शहरी क्षेत्रों में यह लगभग स्थिर रही।

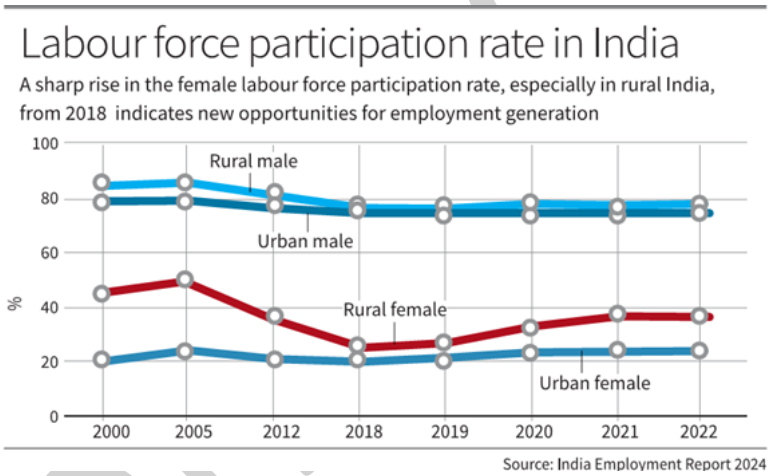

- भारत में महिला एलएफपीआर विश्व औसत 53.4% (2019) की तुलना में कम है और 38.9% (2000) से घटकर 23.3% (2018) हो गई है।
- महिला एलएफपीआर में वृद्धि, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 12% की वृद्धि (2018-2022), रोजगार सृजन की संभावना को इंगित करती है।
- महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक श्रम में अधिक संलग्न हैं (2022 में महिलाओं के लिए 36.5% बनाम पुरुषों के लिए 9.3%)।
- श्रम रोजगार में अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में 31.4% और शहरी क्षेत्रों में 8.1% है।
- उचित रणनीति के साथ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के अधिक अवसर हैं।
- आय के लिए रोजगार के विकल्प अत्यधिक लिंग आधारित हैं, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- गुजरात के भुज की झुग्गियों में किए गए अध्ययन से पता चला **महिलाएं लचीलेपन और घर से काम करने के कारण गैर-कृषि आकस्मिक श्रम की तुलना में पारंपरिक घर-आधारित कार्य (बांधनी , कढ़ाई, फॉल बीडिंग) को प्राथमिकता देती हैं।**
- **अन्य विकल्पों के अभाव के कारण 30% महिलाएं पारंपरिक व्यवसायों में ही लगी रहती हैं** ।
- शहरी क्षेत्रों में महिला एलएफपीआर में कम वृद्धि (2018-22) उचित अवसरों की कमी को दर्शाती है।
- **पूंजी तक सीमित पहुंच और व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले सामाजिक मानदंडों के कारण स्वयं का उद्यम विकसित करना कठिन है।**
- **स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और महासंघों के तहत महिलाओं को एकत्रित करने से पारंपरिक व्यवसायों में लगी महिलाओं को लाभ मिल सकता है** ।
- **स्वयं सहायता समूह नए कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और महिलाओं को बेहतर लाभ के लिए बाज़ारों से जोड़ सकते हैं** ।

- कच्छ महिला विकास संगठन (केएमवीएस) एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन है जो इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है।
- **पारंपरिक व्यवसाय स्थानीय लिंग मानदंडों के अनुरूप होते हैं और महिलाओं की व्यावहारिक आवश्यकताओं (घरेलू काम और कमाई) का समर्थन करते हैं।**
- ये व्यवसाय रणनीतिक लिंग आवश्यकताओं (प्रतिगामी मानदंडों को चुनौती देना) को पूरा नहीं करते हैं।
- घर से बाहर पेशेवर माहौल में काम करने से महिलाओं की क्षमता बढ़ सकती है और उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है।

बाजार पहुंच का महत्व

- पुरुष-प्रधान कार्यस्थलों में महिलाओं के प्रवेश से श्रम प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिसे उपेक्षित क्षेत्रों में अवसर पैदा करके टाला जा सकता है।
- ऊपरी गंगा के मैदानों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि कम प्रभावी सिंचाई स्रोतों के विस्तार से महिलाओं की मजदूरी और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ।
- ज़ियाद मौसम के दौरान नहर सिंचाई विस्तार से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई, क्योंकि पुरुषों ने कृषि में कम रुचि दिखाई।
- पश्चिम बंगाल में गैर-परंपरागत सिंचाई ने महिलाओं को खेती **, मत्स्यपालन, नर्सरी और वर्मीकंपोस्टिंग शुरू करने में सक्षम बनाया** ।
- पश्चिम बंगाल के जल उपभोक्ता संघ की महिलाओं को घर के पास काम मिलने से लाभ हुआ, जिससे पलायन कम हुआ और परिवार कल्याण में वृद्धि हुई।
- परिवार के पुरुष सदस्य हल चलाने या जाल लगाने जैसे भारी कामों में सहायता करते हैं, लेकिन महिलाएं किराये के लोगों की मदद से भी काम चला लेती हैं।
- **बाजार में संपर्क महिलाओं को सशक्त बनाता है, पुरुषों पर निर्भरता कम करता है और लैंगिक मानदंडों को दरकिनार करता है।**
- पुरुषों और महिलाओं दोनों की कमाई से परिवार की आय और कल्याण में वृद्धि होती है।
- श्रम बाजार से बाहर न किया जाए।
- घर के पास महिलाओं के काम करने से परिवार की आय और परिवार में उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।
- कोलकाता की मलिन बस्तियों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी ने कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक भेद्यता को कम किया और लचीलेपन में सुधार किया।

बेहतर कार्य वातावरण की आवश्यकता

- महिला सशक्तिकरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव के लिए घर से बाहर के कार्यों में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के लिए बेहतर कार्य वातावरण विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है।
- कार्यस्थलों पर सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं (शौचालय और क्रेच) उपलब्ध होनी चाहिए।
- सार्वजनिक नीति में लघु एवं मध्यम विनिर्माण या व्यावसायिक इकाइयों में इन सुविधाओं को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- महिला एलएफपीआर में सुधार से समग्र रोजगार और पारिवारिक आय में वृद्धि होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वजनिक नीति को संसाधनों (जल) और बाजारों (इनपुट और उपज की बिक्री) तक अधिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में बेहतर कार्यस्थल सुविधाएं अनिवार्य की जानी चाहिए।
- योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधियों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करना और सामूहिक संघों का गठन करना लाभदायक है।

- लखपति **दीदी कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये या उससे अधिक तक बढ़ाना है ,** इसका मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

1.2 शिक्षा में लैंगिक अंतर:

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 2024 की रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतर में 146 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 129वां स्थान दिया गया है।
- शिक्षा क्षेत्र में गिरावट के कारण भारत की रैंकिंग में गिरावट आई।
- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता का स्तर गिरा है।
- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन उच्च है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर का अंतर 17.2 प्रतिशत अंक है।
- शिक्षा श्रेणी में 0.964 स्कोर के साथ भारत साक्षरता दर सूचक में 124वें स्थान पर है।
- 2023 की रिपोर्ट में, भारत को शैक्षिक समानता में 1.000 का पूर्ण स्कोर प्राप्त हुआ, जो 26वें स्थान पर था।
- ट्रैक किये गये संकेतकों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में नामांकन स्तर तथा वयस्क साक्षरता दर शामिल हैं।
- विश्व आर्थिक मंच के रिकी ली ने बताया कि शैक्षिक उपलब्धि संकेतकों के आंकड़े यूनेस्को द्वारा एकत्रित किये जाते हैं तथा समय-समय पर अद्यतन किये जाते हैं।
- 2024 की रिपोर्ट में 2022 और 2023 के डेटा का उपयोग किया गया, जबकि 2023 की रिपोर्ट में 2018, 2021 और 2022 के डेटा का उपयोग किया गया।
- लिंग समानता स्कोर में परिवर्तन, संकेतकों के अनुरूप डेटा में अद्यतन को प्रतिबिंबित कर सकता है।

भारतीय आंकड़े क्या दर्शाते हैं?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल और कॉलेज नामांकन डेटा पर नज़र रखने के लिए UDISE+ और AISHE का उपयोग करता है।
- 2021-22 के लिए यूडीआईएसई+ रिपोर्ट से पता चलता है कि 13.79 करोड़ लड़के और 12.73 करोड़ लड़कियां स्कूल में नामांकित हैं, जिसमें लड़कियां स्कूली आबादी का 48% हिस्सा बनाती हैं।
- प्रीस्कूल या किंडरगार्टन में नामांकित बच्चों में 46.8% लड़कियां हैं।
- प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) में लड़कियों का नामांकन बढ़कर 47.8% हो गया है।
- उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) में लड़कियों का नामांकन बढ़कर 48.3% हो गया।
- कुछ लड़कियां मुफ्त शिक्षा समाप्त होने पर कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं।
- माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 और 10) में लड़कियों का नामांकन घटकर 47.9% रह गया है।
- उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) में लड़कियों का नामांकन 48.3% है, जो कम लिंग अंतर दर्शाता है।
- 2021-22 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट से पता चलता है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 28.5 है, जो पुरुषों के जीईआर 28.3 से थोड़ा अधिक है।
- 2014-15 से उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 32% की वृद्धि हुई है।
- यूडीआईएसई+ और एआईएसएचई से 2022-23 के लिए डेटा अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक पैकेजों का क्या प्रभाव है?

- अधिक संख्या में स्कूल बनने से नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर लड़कियों के लिए।
- स्कूलों की निकटता (1-2 किमी के भीतर) से अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों का नामांकन कराने की संभावना बढ़ जाती है।
- 90 के दशक के मध्य से स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है।

- क्षेत्रीय अंतर मौजूद हैं: गुजरात में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कम है, तथा वहां लड़कियों का नामांकन (45.2%) कम है, जबकि झारखंड (50.7%), छत्तीसगढ़ (51.2%), बिहार (50.1%) और उत्तर प्रदेश (45.4%) जैसे गरीब राज्यों में यह अनुपात कम है।
- महिला शिक्षकों की उपस्थिति से नामांकन में वृद्धि होती है; माता-पिता अपनी बेटियों को केवल पुरुष शिक्षकों वाले स्कूलों में भेजने में झिझकते हैं।
- निःशुल्क बस पास और स्कूली छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल जैसी परिवहन सुविधाओं से हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में नामांकन में सुधार हुआ है, हालांकि राजस्थान में यह प्रभाव कम रहा है।
- स्वच्छता संबंधी मुद्दे, विशेषकर यौवन के बाद, कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने का कारण बनते हैं।
- स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध है, लेकिन सफाई और रखरखाव के लिए धन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अक्सर यह काम स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाता है।

अगली चुनौती क्या है?

- कुछ राज्यों ने उच्च कक्षाओं में लिंग भेद को समाप्त कर दिया है, जिससे लड़कों के स्कूल छोड़ने की चिंता बढ़ गई है।
- पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं में 55.7% छात्राएं हैं; छत्तीसगढ़ (53.1%) और तमिलनाडु (51.2%) में भी यही प्रवृत्ति देखी गयी है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो छात्रों को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण होने से रोकता है, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।
- कक्षा 9 तक पहुंचने वाली लड़कियां आमतौर पर पढ़ाई में अधिक रुचि लेती हैं, जबकि माध्यमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण होने वाले कुछ लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- गरीब लड़कों पर जीविका कमाने का दबाव अधिक होता है, जिससे पढ़ाई छोड़ने की दर बढ़ जाती है।
- कॉलेज स्तर पर, जबकि महिलाओं की GER अधिक है, स्नातक से लेकर पीएचडी स्तर तक STEM विषयों में दाखिला लेने वाली महिलाओं की संख्या कम (42.5%) है।
- वयस्क साक्षरता एक मुद्दा बनी हुई है, जहां 64.63% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि 80.88% पुरुष साक्षर हैं (2011 की जनगणना)।
- लिंग भेद को कम करने के लिए स्कूलों में बुनियादी साक्षरता में सुधार लाने तथा ग्रामीण महिलाओं तक शिक्षा पहुंचाने की आवश्यकता है।

Divorced Muslim women entitled to maintenance under secular statute: SC

GS Paper II: Vulnerable Section

KR NEW DELHI

The Supreme Court on Wednesday held that divorced Muslim women are entitled to maintenance under the "secular" Section 125 of the Code of Criminal Procedure.

The court agreed with *amicus curiae*, senior advocate Gaurav Agrawal, that a remedy under the secular statutory provision of Section 125 of the Cr.PC cannot be foreclosed for divorced Muslim women by virtue of enactment of a personal law remedy under the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986. A divorced Muslim woman is entitled to all rights of maintenance available to other equally situated women in the country.

A separate but concurring judgment by a two-judge Bench of Justices B.V. Nagarathna and Augustine Goerge Masih came on an appeal filed by a Muslim man challenging a Telangana High Court decision upholding though modifying a Family Court order allowing his wife, whom he had divorced via *triple talaq*, interim maintenance under Section 125 of CrPC.

Mohd. Abdul Samad, in his appeal, said his wife had to exclusively take recourse under the 1986 Act rather than Section 125 CrPC. He had argued that the 1986 Act was a special law and overrode the CrPC provision. He contended that a divorced Muslim woman's application for maintenance under Section 125 was not maintainable.

Besides, the court pointed out that Section 3 of the 1986 Act requires a man to provide for a "reasonable and fair provision of maintenance" to his divorced Muslim wife only during the *iddat* period. Once the *iddat* period expires, the personal law obligation to maintain the divorced Muslim woman ceases. On the other hand, Section 125 mandates a husband to provide monthly maintenance to his divorced wife, irrespective of her faith. "Any divorced wife who has not remarried is entitled to maintenance by her ex-husband who has sufficient means but has neglected or refused to maintain her," Justice Nagarathna pointed out.

Children's maintenance

Further, the 1986 Act holds a Muslim man liable to pay his divorced wife maintenance for their children for only a period of two years from birth. Whereas Section 125 requires a husband to pay for their children till they attain the age of majority.

Justice Masih, in his opinion, said Section 125 manifested the constitutional commitment towards special measures to ensure a life of dignity for women at all stages of their lives, irrespective of their faith.

Harmonious

He observed that Section 125 and the 1986 Act were not at loggerheads with each other. The 1986 Act did not extinguish the right of a divorced Muslim woman to seek maintenance under Section 125. The choice is left to the Muslim woman to apply for maintenance either under Section 125 or the 1986 Act. If a Muslim woman is unable to maintain herself, she could apply for maintenance under Section 125. If, on the other hand, she is able to take care of herself financially, she could very well seek maintenance under the 1986 Act till the expiry of the *iddat* period. Courts have to give both laws a harmonious and purposive interpretation, Justice Masih observed.

The choice is left to the Muslim woman to apply for maintenance either under Section 125 or the 1986 Act. Courts have to give both laws a harmonious and purposive interpretation

AUGUSTINE GOERGE MASIH
Supreme Court Judge

'Men should share funds to empower their wives'

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Justice B.V. Nagarathna of the Supreme Court, in an order on Wednesday, said men should share their financial resources with their 'homemaker' wives who did not have an independent source of income, to empower them. The judge made the observations in a separate opinion upholding a divorced Muslim women's right to maintenance.

FULL REPORT
» PAGE 5

1.3. धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण पाने की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार हैं।
- न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल से सहमति व्यक्त की कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के बावजूद, धारा 125 सीआरपीसी का धर्मनिरपेक्ष प्रावधान तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता है।
- इस फैसले का मतलब है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को देश की अन्य महिलाओं के समान भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह निर्णय एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर आया, जिसमें उसकी तलाकशुदा पत्नी को धारा 125 सीआरपीसी के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने की अनुमति दी गई थी।
- उस व्यक्ति ने तर्क दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के स्थान पर 1986 अधिनियम का प्रयोग किया जाना चाहिए, तथा दावा किया कि 1986 अधिनियम सीआरपीसी पर हावी है।
- 1986 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक पुरुष को अपनी तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को केवल **इद्दत अवधि के दौरान ही भरण-पोषण प्रदान करना आवश्यक है** ।
- धारा 125 सीआरपीसी के अनुसार पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, तब तक मासिक भरण-पोषण देना अनिवार्य है, जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती।
- कोई भी तलाकशुदा पत्नी, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने की हकदार है, यदि उसके पास पर्याप्त साधन हैं, लेकिन उसने उसकी उपेक्षा की है या भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया है।
- 1986 के अधिनियम के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति को अपने बच्चों के जन्म के बाद केवल दो वर्ष तक ही भरण-पोषण का खर्च उठाना होता है, जबकि सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार बच्चों के वयस्क होने तक भरण-पोषण का खर्च उठाना होता है।
- जस्टिस मसीह ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी और 1986 अधिनियम में कोई विरोधाभास नहीं है। मुस्लिम महिला को धारा 125 सीआरपीसी या 1986 अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया है।

" इद्दत " अवधि एक प्रतीक्षा अवधि को संदर्भित करती है जिसे एक मुस्लिम महिला को अपने विवाह के विघटन के बाद पालन करना चाहिए, चाहे वह तलाक (तलाक), उसके पति की मृत्यु या विवाह रद्द होने के कारण हो। यह आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि और संक्रमण की अवधि है।

1. **उद्देश्य** : इद्दत अवधि कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पिछली शादी के परिणामस्वरूप कोई गर्भधारण न हो, भावनात्मक समायोजन के लिए समय प्रदान करना, और किसी भी संभावित सुलह का निर्धारण करना।
2. **अवधि :** इद्दत अवधि की लंबाई परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती है:
   - **तलाक (तलाक)** : आमतौर पर, यह तीन मासिक धर्म चक्रों (लगभग तीन चंद्र महीने) तक चलता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भावस्था नहीं है।
   - **पति की मृत्यु** : यह चार चन्द्र मास और दस दिन तक रहता है।
   - **निरस्तीकरण या अन्य मामले** : विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अवधि भिन्न हो सकती है।
3. **इद्दत के दौरान** :
   - महिला को अपने घर में रहना होगा तथा गैर-महरम (रक्त या विवाह से गैर-सम्बन्धी) पुरुषों के साथ मेलजोल या बातचीत से दूर रहना होगा।
   - यदि आवश्यक हो तो वह शोक मनाने की प्रथाओं का पालन करती है।

- यह आत्मचिंतन और नई स्थिति के साथ समायोजन का समय है।

2. जाति और समुदाय:

2.1 जाति जनगणना का मामला:

जनगणना अधिनियम, 1948 में संशोधन करके जाति के आधार पर गणना को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, न कि इसे संघ कार्यकारिणी की मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस तरह के डेटा को नियमित जनगणना के हिस्से के रूप में एकत्र किया जा सकता है, जिसमें प्रश्नावली में कुछ प्रासंगिक प्रश्न जोड़े जा सकते हैं

Do You Know?

World Population Day

- **11th July**
- **Theme 2024 – "Empowering Youth for a Sustainable Future"**

- पीटर ड्रकर ने इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं के प्रबंधन के लिए डेटा को मापना महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक समूहों (जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, विकलांगता) के विरुद्ध ऐतिहासिक भेदभाव के लिए प्रभावी नीति निर्माण हेतु समूह पहचान के आधार पर डेटा एकत्र करना आवश्यक है।
- जर्मनी की जनगणना में लोगों की गणना नस्ल के आधार पर नहीं की जाती है, जिससे अश्वेत लोगों को नुकसान होता है, जिसके कारण 2020 में एफ्रोजेनस सर्वेक्षण में व्यापक रूप से अश्वेत विरोधी नस्लवाद देखने को मिला।
- गणना की मांग आम तौर पर भेदभाव के शिकार लोगों की ओर से आती है और निहित स्वार्थ वाले लोग इसका विरोध करते हैं।
- भारत में जाति जनगणना सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक कारणों से महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक: जाति एक प्रमुख सामाजिक संरचना बनी हुई है, जो विवाह पद्धति, आवासीय पृथक्करण और राजनीतिक विकल्पों में स्पष्ट दिखाई देती है।
- कानूनी: आरक्षण सहित सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए विस्तृत जातिवार आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसका समर्थन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से हो।
- प्रशासनिक: डेटा गलत जाति समावेशन/बहिष्करण से बचने और आरक्षित श्रेणी की गतिशीलता को प्रबंधित करने में मदद करता है।
- नैतिक: डेटा की कमी से कुछ अभिजात वर्ग को लाभ होता है, जिससे उन्हें संसाधनों और शक्ति के अनुपातहीन हिस्से पर नियंत्रण करने का मौका मिलता है।
- ब्रिटिश भारत की जनगणना (1881-1931) में सभी जातियों को शामिल किया गया था; स्वतंत्रता के बाद (1951) केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना की गई।
- 1961 में भारत सरकार ने राज्यों को ओबीसी सूची के लिए अपने स्वयं के सर्वेक्षण आयोजित करने की सलाह दी।
- उस समय केन्द्र और उसके उपक्रमों में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं था।

जाति जनगणना के खिलाफ तर्क

- कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह **सामाजिक रूप से विभाजनकारी है**, लेकिन भारत में सामाजिक विभाजन हज़ारों सालों से मौजूद है। 1951 से अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती करने से संघर्ष नहीं हुआ है। भारत में पहले से ही धर्म, भाषा और क्षेत्र की गणना की जाती है, जो समान रूप से विभाजनकारी हैं।
- अन्य लोगों का दावा है कि यह प्रशासनिक दुःस्वप्न है, लेकिन नस्ल के विपरीत, जाति की पहचान स्पष्ट है। सरकार ने सफलतापूर्वक एससी और एसटी की गणना की है, इसलिए अन्य जातियों की गणना करना, जो ज़्यादातर राज्य-विशिष्ट हैं, समस्याजनक नहीं होना चाहिए।

- चिंता है कि इससे आरक्षण की मांग बढ़ेगी। हालांकि, जाति-वार डेटा मनमानी मांगों को रोकने में मदद करेगा और वस्तुनिष्ठ नीति निर्माण की अनुमति देगा। सरकारें लचीले, अक्सर राजनीति से प्रेरित, निर्णय लेने के लिए अस्पष्ट डेटा को प्राथमिकता देती हैं।

जनगणना में ओबीसी को शामिल करने का मामला

- संविधान शिक्षा (अनुच्छेद 15(4)) और सार्वजनिक रोजगार (अनुच्छेद 16(4)) में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देता है।
- मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी को केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों में आरक्षण मिला।
- इंद्रा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी सूची को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए।
- ओबीसी को सांसदों और विधायकों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन 73वें और 74वें संशोधन (1993) के बाद, उन्हें पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण प्राप्त है।
- इसके लिए ओबीसी की जातिवार, क्षेत्रवार जनगणना के आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन सरकार ने किसी भी जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं की है।
- जब राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का प्रयास किया, तो जाति-वार आंकड़ों के अभाव के कारण अदालतों ने आरक्षण पर रोक लगा दी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुभवजन्य आंकड़ों के अभाव के बावजूद 2022 में उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा।
- जनगणना में उच्च जातियों सहित सभी जातियों की गणना की जानी चाहिए, जैसा कि 1931 तक होता रहा था।
- जनगणना एक संघीय विषय है, लेकिन सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 राज्यों और स्थानीय निकायों को आंकड़े एकत्र करने की अनुमति देता है।
- 2010 में संसद ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन SECC-2011 खराब डिजाइन और कार्यान्वयन के कारण विफल हो गई।
- SECC-2011 का संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नहीं किया गया था और इसमें प्रश्नावली के डिजाइन और निष्पादन में समस्याएं थीं।
- 2023 में बिहार का जाति सर्वेक्षण अधिक सफल रहा, जिसमें जाति नामों की एक विशिष्ट सूची का उपयोग किया गया।
- 2010 के प्रस्ताव के बावजूद, केंद्र सरकार ने 2021 में घोषणा की कि वह अगली जनगणना में जाति को शामिल नहीं करेगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 की जनगणना में ओबीसी की गणना करने की महाराष्ट्र की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि पिछले फैसलों में जातिगत आंकड़ों की आवश्यकता का समर्थन किया गया था।

आगे का रास्ता क्या है?

- जाति गणना को अनिवार्य बनाने के लिए जनगणना अधिनियम, 1948 में संशोधन किया जाना चाहिए।
- जाति को जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित नियमित जनगणना का हिस्सा होना चाहिए।
- सरकार को प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट जातियों की एक मसौदा सूची तैयार करने के लिए समाजशास्त्रीय/मानवशास्त्रीय विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए।
- इस मसौदा सूची को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक सुझावों और टिप्पणियों के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- अंतिम सूची प्रगणकों को दी जानी चाहिए।
- प्रश्नावली में उपजाति, जाति, बड़े जाति समूह और जाति उपनाम के बारे में पूछा जाना चाहिए।
- इन विवरणों से पहले से लोड किए गए इंटरनेट-सक्षम हैंड-हेल्ड उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे गणनाकर्ता की भूमिका सही विकल्प के चयन तक सीमित हो जाएगी।

- इच्छुक राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय से उसके 2021 के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करना चाहिए।
- 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण और बिना किसी अनुभवजन्य डेटा के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना अतार्किक है।
- अगली जनगणना में जाति गणना अवश्य शामिल होनी चाहिए।

आपकी जानकारी के लिए (FYI):

- **पिछले वर्ष भारत, चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया।**
- भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है, जिसके 2064 में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, तथा 2100 तक 1.53 बिलियन पर स्थिर हो जाने का अनुमान है।
- उच्च संख्या के बावजूद, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो रही है, कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर रही है।
- 15-19 और 20-24 वर्ष की युवा महिलाओं में परिवार नियोजन सेवाओं की मांग सबसे अधिक है।
- उच्च अपूर्ण आवश्यकताओं में योगदान देने वाले कारकों में कम शिक्षित क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह, परिवार नियोजन चर्चाओं के लिए सीमित एजेंसी, तथा गर्भनिरोधक से पहले प्रजनन क्षमता साबित करने के पक्ष में सामाजिक मानदंड शामिल हैं।
- विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं में किशोरावस्था में गर्भधारण की दर बढ़ रही है, तथा अविवाहित युवकों में यौन क्रियाकलापों को स्वीकार करने में सामाजिक अनिच्छा के कारण यह समस्या और जटिल हो गई है।
- भारत में व्यापक यौन शिक्षा का अभाव गलत धारणाओं को बढ़ावा देता है और गर्भनिरोधकों तक पहुंच को बाधित करता है।
- युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील यौन शिक्षा और व्यापक गर्भनिरोधक विकल्पों की तत्काल आवश्यकता है।
- गर्भनिरोधक से संबंधित विकल्पों को सशक्त बनाने में महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण बनी हुई है

2.2. निषाद समुदाय:

चर्चा में क्यों?

- ईबीसी के रूप में वर्गीकृत निषाद समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं का समर्थन किया है, जो हाल के चुनावों में भारत ब्लॉक की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय ने 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाई है और सपा-कांग्रेस गठबंधन और राहुल गांधी की पहल के साथ खड़ा हुआ है।
- निषादों के बीच भारतीय संविधान के प्रति उल्लेखनीय जुड़ाव देखा गया , जो संवैधानिक मूल्यों पर राहुल गांधी के भाषणों से प्रभावित था।

राजनीतिक इतिहास और प्रभाव :

- ऐतिहासिक रूप से, बिहार में निषाद समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित था, जिसमें जय नारायण निषाद और रामकरण सहनी जैसे छिटपुट उदाहरण शामिल हैं।
- 2014 से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने बिहार में निषाद वोटों की संख्या को देखते हुए उन्हें एकजुट करने का लक्ष्य रखा है।
- 2024 के चुनाव में भाजपा को मुजा जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में निषाद वोट हासिल होंगे पुर , जहां वे एक प्रमुख जाति के रूप में उभर रहे हैं।

चुनौतियाँ एवं राजनीतिक रणनीति :

- निषाद समुदाय में संगठनात्मक ताकत के बावजूद वीआईपी को मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- मुजाहिद्दीन से राज भूषण चौधरी को पार्टी में शामिल किया मोदी 3.0 कैबिनेट में निषादों के समर्थन को मजबूत करने पर उनका फोकस दर्शाता है ।

निषादों के मुख्य मुद्दे :

- **अधिकार और प्रतिनिधित्व** : उत्तर प्रदेश में निषाद शासन में बेहतर प्रतिनिधित्व के साथ-साथ नदियों और नदी उत्पादों पर अधिकार की मांग कर रहे हैं।
- **आर्थिक मुद्दे** : रेत खनन, मछली पकड़ना और नाव संचालन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आय स्रोत हैं, जिससे अधिकारों को लेकर अधिकारियों के साथ संघर्ष होता है।
- **राजनीतिक लामबंदी :** बांसवार गांव में रेत खनन को लेकर हुई झड़प जैसी घटनाओं के कारण राजनीतिक दलों ने समुदाय से विशेष वादे किए, जैसे सहकारी समितियां बनाना और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

आकांक्षाएं एवं मांगें :

- निषाद बिहार में अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं और सर्वेक्षणों और नृवंशविज्ञान अध्ययनों के माध्यम से अपने सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर कर रहे हैं।
- संजय निषाद और प्रियंका गांधी जैसे राजनीतिक नेताओं ने समुदाय की मांगों का समर्थन किया है तथा आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया है।

3. शिक्षा:

3.1 एकलव्य विद्यालयों में केंद्रीकृत भर्ती से सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं:

- **केंद्रीकृत भर्ती:** जनजातीय आवासीय विद्यालयों (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ईएमआरएस) के लिए

Centralised hiring leads to cultural barriers in Eklavya schools

GS Paper I: Society

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

The recent centralisation of recruitment for tribal residential schools across the country, which introduced Hindi competency as a mandatory requirement, has resulted in a flood of requests for transfers.

The large numbers of staff recruited from the Hindi-speaking States are protesting postings to the Eklavya Model Residential Schools (EMRS) located in southern States, where the language, food and culture are unfamiliar to them.

Though Central government officials point out that the willingness to be posted anywhere in the country was part of the requirement for those applying for jobs, the bigger worry may be the impact on tribal students being taught by teachers who are unfamiliar with the local language and culture.

Until last year, staff recruitment for the Ministry of Tribal Affairs' flagship Eklavya schools was done by the State authorities.

In the 2023 Budget Session of Parliament, however, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the responsibility was being shifted to the National Education Society for Tribal Students (NESTS), which has now been given the task of staffing 38,000 positions in over 400 Eklavya schools across the country.

Staff shortage

Officials said the centralisation of recruitment was meant to address a severe shortage of teachers in the EMRS system, and to standardise recruitment rules across States, which had earlier used varying criteria and applied reservation quotas as per their State legislation.

Officials said the centralisation of hiring was meant to address a severe shortage of teachers in the EMRS system. FILE PHOTO

The examination for this centralised recruitment process – the 2023 EMRS Staff Selection Examination – was entrusted with the National Testing Agency, now beleaguered by several scandals.

The examination was for the first round of 4,000 vacant teaching and non-teaching positions across the Eklavya schools.

In June, NESTS said that 303 principals and 707 junior secretariat assistants had been selected, along with thousands of other teaching and non-teaching positions.

However, given the new requirement of Hindi competency, a large number of selected candidates hail from Hindi-speaking States, many of whom now want transfers from their postings.

Transfer policy

NESTS has been forced to post a notification on its website, saying, "At present, no request for change of place of posting is being considered."

Government sources said that NESTS will soon roll out a transfer policy, which is likely to be modelled on similar policy for the Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNV)and Kendriya Vidyalayas (KV).

They added that there was "nothing unusual" about the requirement of basic Hindi language competency as this is mandatory for JNV and KV recruitment as well.

Unlike in KVs, however, where students hail from across the country as they are often family members of Central government employees, most tribal students in Eklavya schools would benefit from teachers who understand their local cultural contexts.

"The issue is that for EMRSs especially, teachers and school staff being hired from within their local communities is the obvious way to go ahead. These communities have very specific contexts under which learning can be made conducive and it would naturally help to have teachers who understand that context," said Aparna Choudhary, a social worker who runs the Delhi-based Karta Initiative, which has worked with JNVs and EMRSs.

भर्ती को केंद्रीकृत कर दिया गया है, जिसमें हिंदी दक्षता की अनिवार्य आवश्यकता लागू की गई है।

स्थानांतरण नीति

- **नेस्ट्स अधिसूचना:** नेस्ट्स ने अपनी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में तैनाती के स्थान में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।
- **स्थानांतरण नीति:** NESTS जल्द ही स्थानांतरण नीति शुरू करने की योजना बना रहा है, जो संभवतः जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) और केंद्रीय विद्यालयों में लागू समान नीतियों के आधार पर बनाई जाएगी। विद्यालय (के.वी.)।

- **हिंदी दक्षता की आवश्यकता:** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में भर्ती के लिए बुनियादी हिंदी भाषा दक्षता अनिवार्य है, जो जेएनवी और केवी में आवश्यकताओं के समान है।
- **सांस्कृतिक संदर्भ:** केन्द्रीय विद्यालयों के विपरीत, जहां छात्र विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, ईएमआरएस मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों को सेवा प्रदान करते हैं, जो अपने स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों से परिचित शिक्षकों से लाभान्वित होते हैं।
- **स्थानीय समुदाय की भागीदारी:** ईएमआरएस छात्रों के विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए स्थानीय समुदायों के भीतर से शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को नियुक्त करने का एक मजबूत तर्क है।

4. संक्षिप्त समाचार:

4.1 LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मामले:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014):

- इस निर्णय में "तीसरे लिंग" या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता दी गई।
- न्यायालय ने उन व्यक्तियों के लिंग की पहचान स्वयं करने के अधिकार को स्वीकार किया जो स्वयं को पुरुष या महिला नहीं मानते।
- इसने सरकार को ट्रांसजेंडर पहचान को कानूनी मान्यता प्रदान करने और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

नवतेज जौहर बनाम भारत संघ (2018):

- कौशल बनाम एनएजेड फाउंडेशन (2013) के पहले के फैसले को चुनौती देने वाली एक सुधारात्मक याचिका शामिल थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को बरकरार रखा गया था, जो सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में धारा 377 को इस हद तक निरस्त कर दिया कि यह समलैंगिकता को अपराध मानती थी।
- इस निर्णय ने LGBTQ व्यक्तियों के लिए समानता और सम्मान के अधिकार को मान्यता दी तथा अधिक स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया।

अंजलि गुरु संजना जान बनाम भारत संघ (2022):

- इस मामले ने परिवार की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें समलैंगिक जोड़ों और विचित्र संबंधों को भी शामिल कर दिया।
- इस निर्णय का उत्तराधिकार अधिकार, संपत्ति अधिकार तथा अन्य पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा जहां पारिवारिक स्थिति पर विचार किया जाता है।

"समलैंगिक विवाह याचिका मामला" या "समलैंगिक विवाह वैधीकरण याचिका मामला":

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विशेष विवाह अधिनियम को संशोधित करने का अधिकार उसके पास नहीं है तथा यह जिम्मेदारी विधायिका की है।

4.2. चिकित्सीय गर्भपात (एमटीपी) अधिनियम, 1971

- **उद्देश्य** : एमटीपी अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और असुरक्षित गर्भपात को रोकने के लिए गर्भपात सेवाओं तक सुरक्षित और कानूनी पहुंच प्रदान करना है।
- **कानूनी ढांचा** : यह कुछ परिस्थितियों में एक निर्दिष्ट गर्भावधि सीमा तक गर्भपात की अनुमति देता है, जिसे 2021 में संशोधित करके कुछ शर्तों के तहत ऊपरी सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया था, जैसे कि जब गर्भवती

महिला के जीवन या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, या इस बात का पर्याप्त जोखिम हो कि यदि बच्चा पैदा होता है, तो वह शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से ग्रस्त होगा।

- **एमटीपी के लिए शर्तें** : अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि पंजीकृत अस्पतालों या क्लीनिकों में पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) द्वारा गर्भपात किया जा सकता है। इसमें 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की राय और 20 से 24 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
- **संरक्षण और विनियमन** : एमटीपी अधिनियम अपने प्रावधानों के अनुसार गर्भपात करने वाले डॉक्टरों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और इसका उद्देश्य गर्भपात चाहने वाली महिलाओं के शोषण को रोकना है।
- **संशोधन और अद्यतन** : पिछले कुछ वर्षों में, बदलती चिकित्सा पद्धतियों और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एमटीपी अधिनियम में संशोधन किया गया है, जैसे कानूनी गर्भपात के लिए गर्भावधि सीमा बढ़ाना और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना।

4.3. सुप्रीम कोर्ट: पुरुषों को अपनी पत्नियों को सशक्त बनाने के लिए धन साझा करना चाहिए:

- सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने विवाहित भारतीय पुरुषों के लिए अपनी गृहिणी पत्नियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनके पास स्वतंत्र आय का अभाव है।
- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण ऐसी पत्नियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने उन पुरुषों की प्रशंसा की जो अपनी पत्नियों के व्यक्तिगत खर्चों का वहन करते हैं, तथा वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त बैंक खाते या एटीएम कार्ड का सुझाव दिया।
- उन्होंने आर्थिक रूप से स्वतंत्र विवाहित महिलाओं और व्यक्तिगत खर्चों के लिए पूरी तरह अपने पतियों पर निर्भर रहने वाली गृहणियों के बीच अंतर बताया।
- कई गृहणियां अपने पति या परिवार से निजी खर्चों के लिए कहने से बचने के लिए घरेलू बजट से पैसा बचाती हैं, जो उनकी वित्तीय निर्भरता को दर्शाता है।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कई पतियों को यह एहसास नहीं होता कि उनकी घरेलू काम करने वाली पत्नियां वित्तीय रूप से कितनी परेशान हैं, क्योंकि वे न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी उन पर निर्भर हैं।
- उन्होंने गृहणियों द्वारा अपने पतियों और परिवार से मांगी जाने वाली भावनात्मक सुरक्षा पर जोर दिया, जो घरों में हमेशा पूरी नहीं हो पाती।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने वैवाहिक घरों में अपने निवास की सुरक्षा के संबंध में विवाहित महिलाओं की भेद्यता का भी उल्लेख किया।
- उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मजबूत परिवार और समाज एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं, तथा उन्होंने ऐसी सहायता प्रणालियों की वकालत की जो गृहणियों को सशक्त बनाती हैं और उनके योगदान का सम्मान करती हैं।

Patriotic IAS

4.4. क्या भारत में अंधविश्वास के खिलाफ कानून है?

Does India have enough laws to combat superstition?

GS Paper I: Society

Alok Prasanna Kumar

Co-Founder and Lead of Vidhi Karnataka

Avinash Patil

President of the Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti

PARLEY

The recent stampede at a religious congregation in Hathras, Uttar Pradesh, resulting in more than 120 deaths, has reignited the debate on whether India has adequate legislation to address exploitative religious and superstitious practices. Experts have advocated for a national law akin to existing legislation in Maharashtra and Karnataka to effectively address superstition, black magic, witch-hunting, and other inhuman practices. Does India have enough laws to combat superstitious practices? Avinash Patil and Alok Prasanna Kumar discuss the question in a conversation moderated by **Aaratrika Bhaumik**. Edited excerpts:

Is there a need for a national anti-superstition law or are the existing State laws and criminal law provisions adequate?

Avinash Patil: For the last two decades, my organisation has been demanding the enactment of a central law to combat superstitious practices. The existing criminal law statutes do not have any dedicated provisions targeting such practices. As a result, police authorities are often reluctant to register cases against the fraudulent activities of godmen. While the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, exists, it contains numerous loopholes. Therefore, a law, modelled on the Maharashtra and Karnataka State laws, must be implemented nationwide.

Alok Prasanna: If we were to take the example of the Karnataka law, a common criticism is its broad definitions of 'evil practices'. This ambiguity can make it difficult to distinguish religious beliefs from superstitions. For instance, is making donations to one's church or temple exploitative and thus an evil practice? State governments are often more attuned to the needs and traditions of the local population. Given India's diversity, a national law might impose sweeping generalisations that could inadvertently empower already dominant communities. Thus, State-specific laws are preferable because they can better accommodate local practices and realities.

A common criticism against the State laws is that they employ expansive and vague definitions, allowing enforcing authorities subjective and potentially discriminatory powers. Do you share these concerns?

Alok Prasanna: There will never be one commonly acceptable definition of what a superstition is. For me, it is about instilling a sense of fear and being forced to undertake degrading practices. Take, for example, the *snana* ritual in Karnataka where Dalits are made to roll over the leftover food eaten by Brahmins to attain *punya*. There should, however, be more restrictive definitions to curb any misuse by linking the practice to some specific harm caused to the concerned individual. Nonetheless, there will always be scope for grey areas, which we have to be open to debating.

Relatives mourn the death of stampede victims in Hathras district, Uttar Pradesh. REUTERS

Avinash Patil: Following the enactment of a national legislation, individual States can introduce specific amendments addressing local concerns to enhance the law's effectiveness. These amendments can also include additional clauses to refine and narrow down definitions.

Mr. Patil, based on your experience, what are the challenges in implementing these laws at the grassroots level?

Avinash Patil: There is an acute lack of sensitisation when it comes to law-enforcement agencies. Police officers are often constrained by cultural sensibilities and biases which prevent them from addressing these issues with a scientific bent of mind. Significant effort is required to persuade the police to file FIRs in such cases, and even when they do, investigations are often compromised by political influence, leading to low conviction rates. Moreover, caste discrimination is a facet of superstitious beliefs that often goes unnoticed. This underscores the importance of conducting training programmes for all echelons of the police force since they are typically the first responders.

> There is an acute lack of sensitisation when it comes to law-enforcement agencies. Police officers are often constrained by cultural sensibilities and biases which prevent them from addressing these issues with a scientific bent of mind.
>
> AVINASH PATIL

Mr. Kumar, many oppose such laws due to their potential conflict with the fundamental right to profess one's religion under Article 25 of the Constitution. How can we strike a balance between protecting the public interest and ensuring that these laws withstand constitutional scrutiny?

Alok Prasanna: Article 25 permits reasonable restrictions on the grounds of public order, morality, and health. Justice Arnould's opinion in the Maharaja Libel case before the Bombay High Court encapsulates this wonderfully - "that what is morally wrong cannot be theologically right". So, you cannot say that your religious belief permits you to do something that is morally unconscionable. Thus, practices that are inherently exploitative will also fall foul of other fundamental rights, including the right to life and the protection against untouchability.

Is it important for these laws to prioritise restorative measures instead of just being punitive in nature? For instance, studies have shown that victims of witch-hunting in States such as Jharkhand, Chhattisgarh, and Maharashtra frequently endure social ostracisation, which severely limits their access to essential resources and services.

Avinash Patil: Yes, the laws must focus on restorative justice. However, there is a notable lack of political resolve when it comes to implementing social security measures for victims of such crimes. Witch-hunting persists as a serious problem in tribal districts, where women from socially and economically disadvantaged communities are often targeted. Despite tribal communities constituting about 8% of India's population, dedicated welfare schemes for victims of witch-hunting are conspicuously absent. To address this disparity, comprehensive training programmes are essential for key stakeholders such as public health workers, schoolteachers, and district magistrates. This would enable them to effectively support and provide redress for victims seeking assistance. Additionally, establishing a victim compensation fund is essential to meet the immediate and long-term needs of victims affected by such practices.

Alok Prasanna: Even though the Constitution has come into existence, we still have a very colonial state. Authorities are adept at arresting and prosecuting individuals when instructed, but they often struggle when tasked with providing restorative justice. Ideally, implementing such mechanisms would require a fundamental rethinking of how the Indian state operates. It is also important to ensure that these laws are not weaponised against the Adivasi communities. At the core of many issues related to witch-hunting are property disputes. There is a prevalent fear that women inheriting property may contravene community norms, so a conspiracy is hatched to attack them.

Are laws enough to curb superstitions? What more can be done especially since cultural sensibilities tend to pose a significant hurdle in framing or implementing such laws?

Alok Prasanna: There is an interesting phenomenon unfolding across the country where people are increasingly retreating into the arms of godmen, spanning across religions. It is important to reflect on why people no longer feel a sense of protection from the state or their own community, prompting them to seek refuge in blind faith. Consider the case of Bhole Baba, a former police constable who claims to be the voice of some divine being. His congregation attracted not just a small group, but lakhs of people. This suggests a larger societal issue beyond isolated incidents of misguided faith. I think that is what worries me more and we must investigate what is the deeper cause.

Avinash Patil: Many people believe that such superstitious beliefs are for their own good, which enables godmen to deceive them. There is a widespread tendency to seek solace in spirituality at the cost of rationality. It is crucial to move beyond this mindset and embrace scientific temperament in our daily lives. We have forgotten to question, which reflects a failure of our education system and state institutions. It is high time that state authorities abide by their constitutional duty to promote rational thinking and scientific practices.

To listen to the full interview
Scan the code or go to the link
www.thehindu.com

भूगोल

1. भूकंप:

भारत महाराष्ट्र में 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है?

महाराष्ट्र के कराड में बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (बीजीआरएल) एक विशेष संस्थान है, जिसे भारत के वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया है। बी.जी.आर.एल. के तहत, इसका उद्देश्य पृथ्वी की पपड़ी को ड्रिल करना और वैज्ञानिक अवलोकन करना है, ताकि कोयना-वार्ना क्षेत्र में जलाशय-प्रेरित भूकंपों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया जा सके।

- वैज्ञानिक यह अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप कब और कहां आएगा, विशेषकर टेक्टोनिक प्लेटों के अंदरूनी भाग में आने वाले छोटे भूकंप।
- रिक्टर पैमाने पर 7.5 से अधिक तीव्रता वाले प्लेट सीमाओं पर बड़े भूकंपों से बुनियादी ढांचे को भारी क्षति होती है और जान-माल की हानि होती है।
- महासागरों में होने वाली ये भूकंपीय घटनाएं सुनामी को भी जन्म दे सकती हैं।
- वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग में पृथ्वी की पपड़ी की गहरी परतों का अध्ययन करने के लिए रणनीतिक रूप से बोरहोल खोदना शामिल है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत महाराष्ट्र के कराड में बोरहोल भूभौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (बीजीआरएल) भारत का वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम संचालित करती है।
- बीजीआरएल का लक्ष्य महाराष्ट्र के कोयना-वारना क्षेत्र में जलाशय से उत्पन्न भूकंपों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी की सतह में 6 किलोमीटर गहराई तक ड्रिलिंग करना है।
- 1962 में कोयना बांध के निर्माण के बाद से कोयना क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहे हैं।
- बीजीआरएल ने कोयना में 3 किलोमीटर गहरा पायलट बोरहोल पूरा कर लिया है और इसका लक्ष्य भूकंप तंत्र और संबंधित घटनाओं की समझ बढ़ाने के लिए 6 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचना है।

क्या आप जानते हैं?

मर्कोली और रिक्टर पैमाने के बीच अंतर:

- मर्कोली और रिक्टर पैमाने भूकंपीय गतिविधि के प्रभावों को मापते हैं।
- रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है, जो भूकंप की ताकत को दर्शाता है।
- मर्कोली पैमाना किसी निश्चित स्थान पर भूकंप के भौतिक प्रभाव को मापता है।
- उदाहरण: रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता वाले भूकंप को मध्यम तीव्रता का माना जाता है।
- हालाँकि, उसी भूकंप को मर्कोली पैमाने पर VIII के रूप में दर्ज किया जा सकता है, जो बड़े भौतिक नुकसान का संकेत देता है।
- पैमानों के बीच अंतर उन क्षेत्रों में हो सकता है जहां इमारतें कम लचीली हैं।
- एक ही तीव्रता के भूकंप का स्थान के आधार पर अलग-अलग भौतिक प्रभाव हो सकता है।

गहरे ड्रिलिंग मिशन के लाभ

- भूकंपों का अध्ययन करना जटिल है क्योंकि उनकी प्रकृति अप्रत्याशित होती है तथा सतह-स्तरीय अवलोकन सीमित होते हैं।
- कोयना क्षेत्र में आने वाले भूकंप मानसून और मानसून के बाद की अवधि में कोयना बांध पर पानी भरने और उतारने के समय आते हैं, जिससे भूकंप तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है।
- वैज्ञानिक रूप से ड्रिल किए गए बोरहोल पृथ्वी की सतह के अंदर प्रत्यक्ष प्रयोग और अवलोकन की अनुमति देते हैं।
- ये बोरहोल फॉल्ट लाइनों, भूकंपीय व्यवहार की निगरानी करते हैं , तथा भूपर्पटी की संरचना और संरचना पर सटीक डेटा प्रदान करते हैं।

- वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग सतह-आधारित मॉडलों के सत्यापन में सहायता करती है तथा भू-खतरों और भू-संसाधनों की समझ को बढ़ाती है।
- वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग में निवेश से भूकंप विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जिसमें ड्रिलिंग उपकरण, सेंसर और डेटा विश्लेषण तकनीक शामिल हैं।
- चुनौतियों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई तक ड्रिलिंग करने की उच्च लागत, तकनीकी जटिलता और कठोर परिस्थितियां (गर्मी, दबाव) शामिल हैं।
- चुनौतियों के बावजूद, पृथ्वी-विज्ञान अनुसंधान के विस्तार और भूकंप तथा जलवायु अंतर्क्रिया जैसी घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग आवश्यक है।

ड्रिलिंग तकनीक क्या है?

- कोयना पायलट बोरहोल सतह पर लगभग 0.45 मीटर चौड़ा है और लगभग 3 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है ।
- इसमें मड रोटरी ड्रिलिंग और एयर हैमरिंग तकनीक को मिलाकर हाइब्रिड ड्रिलिंग रणनीति अपनाई जाती है।
- मड रोटरी ड्रिलिंग में, हीरे से जड़े ड्रिल बिट के साथ एक स्टील ड्रिलिंग रॉड घूमती है और घर्षण के कारण गर्मी पैदा करती है। ड्रिलिंग मड का उपयोग बिट को ठंडा करने, ड्रिल को लुब्रिकेट करने और चट्टान की कटिंग को सतह पर लाने के लिए किया जाता है।
- एयर हैमरिंग में संपीड़ित हवा को ड्रिलिंग रॉड के माध्यम से धकेला जाता है, जिससे बोरहोल गहरा हो जाता है और कटिंग बाहर निकल जाती है।
- ऑपरेटर चट्टान के प्रकार, दरारें, जल क्षेत्र और नमूना संग्रह आवश्यकताओं जैसे कारकों के आधार पर तकनीकों का चयन करते हैं।
- डाउनहोल माप में भौतिक और रासायनिक गुण जैसे तापमान, घनत्व, विद्युत चालकता, ध्वनि वेग, छिद्रयता और रेडियोधर्मिता शामिल हैं।
- जैसे-जैसे गहराई 3 किमी से बढ़कर 6 किमी के लक्ष्य की ओर बढ़ती है, उपकरण और क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया जाना चाहिए।
- चुनौतियों में टूटी चट्टानों में ड्रिलिंग, संभावित उपकरण जाम, तथा भारी ग्रेनाइट कोर नमूनों का प्रबंधन शामिल है।
- सीमित पहुंच और गहरी ड्रिलिंग की तकनीकी मांगों के कारण समस्या निवारण जटिल है।
- मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, 3 किमी बोरहोल के लिए 6-8 महीने तक तथा अधिक गहराई पर ड्रिलिंग के लिए अधिक समय तक निरंतर ऑन-साइट संचालन के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता होती है।

वैज्ञानिकों ने क्या पाया है?

- कोयना में पायलट ड्रिलिंग मिशन सफल रहा, जिससे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक जानकारियां सामने आईं।
- इसने 65 मिलियन वर्ष पुराने डेक्कन ट्रैप लावा प्रवाह और 2,500-2,700 मिलियन वर्ष पुराने ग्रेनाइट बेसमेंट चट्टानों की खोज की।
- नीचे की ओर माप से चट्टान के गुणों, तरल पदार्थों और गैसों की रासायनिक संरचना, तापमान, तनाव व्यवस्था और फ्रैक्चर अभिविन्यास पर नया डेटा उपलब्ध हुआ।
- ध्वनिक और सूक्ष्म-प्रतिरोधकता तकनीकों का उपयोग करके बोरहोल दीवार की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां ली गईं, जिससे वैश्विक स्तर पर उपयोगी डेटा की पुष्टि हुई।
- हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रयोगों ने चट्टानों में तनाव व्यवस्था को मापा, जो बार-बार आने वाले भूकंपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
- 3 किमी. की गहराई पर पानी पाया गया, जो संभवतः उल्कापात या वर्षा से उत्पन्न हुआ था, जो गहरे रिसाव और परिसंचरण का संकेत देता है।

- कोयना क्षेत्र को गंभीर रूप से तनावग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जहां मामूली तनाव परिवर्तन से भी छोटे भूकंप आ सकते हैं।
- भविष्य की योजनाओं में 110-130 डिग्री सेल्सियस के अनुमानित तापमान का पता लगाने के लिए गहराई से ड्रिलिंग करना तथा उपयुक्त उपकरण और सेंसर डिजाइन करना शामिल है।
- कोयना से प्राप्त नमूनों और डेटा का उपयोग भारत भर में 20 से अधिक अनुसंधान समूहों द्वारा विभिन्न अध्ययनों के लिए किया जा रहा है, जिनमें चट्टान घर्षण गुण और चरम वातावरण में सूक्ष्मजीवी जीवन शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक शोधकर्ता भी कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी परियोजनाओं के लिए कोयना के नमूनों में रुचि रखते हैं, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग और ज्ञान में वृद्धि होगी।

2. झीलें/जलाशय/बांध:

२.१. पैंगोंग त्सो

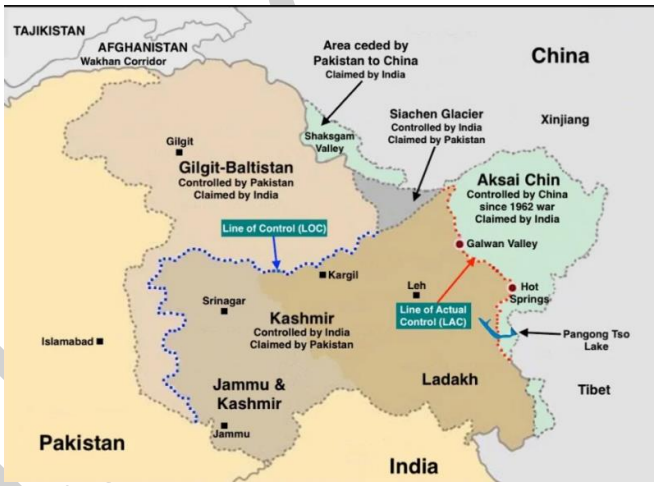

- यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली झील है, जो भारत से लेकर पश्चिमी तिब्बत तक फैली हुई है, जो चीन द्वारा प्रशासित है।
- **पैंगोंग झील अवलोकन:**
- **स्थान:** लद्दाख में स्थित, पैंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जो लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
- **भौगोलिक वितरण:** लगभग 160 किमी तक फैली पैंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत में है, जबकि शेष दो तिहाई हिस्सा चीन में है।
- **नाम उत्पत्ति:** "पैंगोंग त्सो" नाम तिब्बती भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है "उच्च घास का मैदान झील"।
- **प्राकृतिक सौन्दर्य:** शुष्क पर्वतों से घिरी इस झील का नीला पानी इसके आसपास के वातावरण से बिल्कुल विपरीत है।
- **रंग भिन्नताएं:** अपने बदलते रंगों के लिए प्रसिद्ध, पैंगोंग झील अलग-अलग समय पर नीली, हरी और लाल दिखाई दे सकती है।
- **सर्दियों के दौरान:** खारे पानी के बावजूद झील पूरी तरह से जम जाती है। यह एक भूमि-बंद बेसिन है जो सिंधु नदी बेसिन से एक छोटी ऊँची चोटी द्वारा अलग है, लेकिन माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में यह सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा था।

२.२. लाल बहादुर शास्त्री जलाशय:

- इसे **आमतौर पर अलमट्टी बांध के रूप में जाना जाता है, यह उत्तर कर्नाटक में कृष्णा नदी** पर स्थित एक महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना है ।
- जुलाई 2005 में बनकर तैयार हुआ यह जलाशय ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए मुख्य जलाशय के रूप में कार्य करता है।
- **प्रमुख विशेषताऐं**
- **नदी:** कृष्णा नदी
- **जगह:** अलमट्टी , निदगुंडी , बीजापुर जिला, कर्नाटक
- **ऊंचाई:** 160 मीटर (मूलतः), बढ़ाकर 524 मीटर एमएसएल किया गया
- **लंबाई:** 1565.15 फीट

- **जलग्रहण क्षेत्र:** 33,375 वर्ग किलोमीटर
- **भंडारण क्षमता:** 200 टीएमसी (ऊंचाई बढ़ाने के बाद)
- **विद्युत उत्पादन:** 290 मेगावाट (55 मेगावाट x 5 जनरेटर + 15 मेगावाट जनरेटर)
- **वार्षिक विद्युत उत्पादन:** 560 MU (या GWh)
- **ऑपरेटर:** कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- **उद्देश्य:**
- अलमाटी बांध के प्राथमिक उद्देश्य हैं:
- **सिंचाई: कर्नाटक के बागलकोट, कलबुर्गी,** यादगीर और रायचूर जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना।
- **जलविद्युत उत्पादन:** क्षेत्र के लिए बिजली का उत्पादन करना।
- **महत्व:**
- अलमाटी बांध इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसने सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके और बिजली पैदा करके ग्रामीण समुदायों के जीवन को बदल दिया है ।
- यह जलाशय जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है तथा गर्मियों के दौरान प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करता है।
- **चुनौतियाँ:**
- अलमट्टी बांध का निर्माण जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर-राज्यीय विवाद का विषय था।
- इन विवादों के कारण परियोजना को विलंब और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **अतिरिक्त जानकारी:**
- बांध का नाम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया था।
- यह जलाशय अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए जाना जाता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है।
- गर्मियों के दौरान बांध के बैकवाटर में कई प्रवासी पक्षी आते हैं।

2.3. कृष्ण राजा सागर (केआरएस) बांध:

- कृष्ण राज सागर (केआरएस) एक झील और उसे बनाने वाला बांध है।
- यह मंदिर भारत के **कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर की बस्ती** के निकट स्थित है ।
- गुरुत्वाकर्षण बांध सुरकी मोर्टार से बना है।
- मांड्या जिले में **कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम** के नीचे स्थित है ।
- **मैसूर के महाराज कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ द्वारा निर्मित** ।
- राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद अकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया।

२.४. पोलावरम सिंचाई परियोजना

पोलावरम सिंचाई परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन एक बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना है।

- कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में लगभग 23 लाख हेक्टेयर (2.3 मिलियन हेक्टेयर) भूमि को सिंचाई जल उपलब्ध कराना, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार लाना और सूखे से बचाव करना है।
- 960 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत उत्पन्न करना, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में योगदान देना तथा बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- बेहतर बाढ़ प्रबंधन के लिए गोदावरी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना तथा नीचे की ओर बाढ़ को कम करना।

फ़ायदे:

- **सिंचाई:** इस परियोजना का उद्देश्य कृषि भूमि के विशाल क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।
- **जलविद्युत:** परियोजना से स्वच्छ जलविद्युत उत्पन्न होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलेगा तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।
- **बाढ़ नियंत्रण:** गोदावरी नदी के प्रवाह के बेहतर प्रबंधन का उद्देश्य बाढ़ के जोखिम को कम करना और निचले क्षेत्रों को विनाश से बचाना है।
- **पेयजल आपूर्ति:** परियोजना का उद्देश्य आसपास के जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना भी है।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** इस परियोजना से निर्माण और संचालन के दौरान रोजगार सृजन, क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा तथा प्रभावित समुदायों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

3. नदियाँ:

3.1 बागमती नदी:

- नेपाल के हिमालय से बिहार में बहने वाली बागमती नदी का जलस्तर इस समय बहुत अधिक है।
- बागमती नदी बिहार के कई जिलों से होकर बहती है: दरभंगा, सीतामढी, शिवहर , मुजफ्फरपुर और खगड़िया , समस्तीपुर में कमला नदी में मिलने से पहले ।

New Course

- बागमती नदी पहले सीधे गंगा में मिलती थी, लेकिन इसका नया मार्ग बाढ़ की समस्या पैदा कर रहा है।
- बागमती नदी में सबसे भयंकर बाढ़ 1994 में आई थी और यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।
- बिहार सरकार इस जारी मुद्दे का समाधान चाहती है।
- बिहार नेपाल से सीमा पार नदी प्रणालियों के कारण आने वाली वार्षिक बाढ़ को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का आग्रह कर रहा है।
- नेपाल, भूटान और बांग्लादेश कई सीमा पार नदियों का जल साझा करते हैं जो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों को प्रभावित करती हैं।

PatrioticIAS

3.2. भारत में नदी प्रणालियाँ:

भारतीय नदी प्रणालियों का वर्गीकरण:

- **हिमालयी नदियाँ:** हिमालय से निकलने वाली और उत्तरी मैदानों से होकर बहने वाली।
- **प्रायद्वीपीय नदियाँ:** मुख्य रूप से पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में या पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं।

प्रमुख हिमालयी नदी प्रणालियाँ:

- **सिंधु नदी प्रणाली:**
  - इसका उद्गम तिब्बत में **मानसरोवर झील के पास होता है** ।
  - यह नदी पश्चिम की ओर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होकर बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
  - Tributaries: Zanskar, Nubra, Shyok, Hunza, Sutlej, Ravi, Beas, Chenab, Jhelum.
- **Ganga (Ganges) River System:**
  - Originates from the **Gangotri glaciers**.

- Main source: **Bhagirathi, which joins Alaknanda at Devprayag to form the Ganga**.
- Tributaries: Yamuna, Son (right bank); Gomti, Ghaghara, Gandak, Kosi (left bank).
- Flows through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Bihar, and West Bengal to the Bay of Bengal.

- **Yamuna River System:**
  - Originates from Yamunotri.
  - यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर बहती है; तथा दिल्ली, मथुरा और आगरा से होकर गुजरती है।
  - सहायक नदियाँ: टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा, केन।
  - इलाहाबाद में गंगा से मिलती है।
- **ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली:**
  - **तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर (त्सांगपो नदी)** से निकलती है **मानसरोवर झील**
  - अरुणाचल प्रदेश (दिहांग नदी) से भारत में प्रवेश करती है।
  - यह नदी असम से होकर बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
  - सहायक नदियाँ: दिबांग , लोहित, केनुला ।

प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियाँ:

- **महानदी:**
  - Originates in the Sihava mountains, Chhattisgarh.
  - Flows through Odisha, and cities like Sambalpur, Cuttack, and Banki.
- **Godavari:**
  - Originates at Triambakeshwar, Maharashtra.
  - Flows through Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Puducherry.
  - Tributaries: Pravara, Indravati, Maner, Sabri.
  - Known as Dakshina Ganga.
- **Krishna:**
  - Originates from Mahabaleshwar, Maharashtra.
  - Flows through Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh.
  - Tributaries: Ghataprabha, Malaprabha, Bhima, Tungabhadra.
- **कावेरी:**
  - कोगाडू , कर्नाटक (ब्रह्मगिरी पहाड़ी) से होता है ।
  - यह नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर बहती है और पुडुचेरी को छूती है।
  - सहायक नदियाँ: हेमावती, मोयारी , शिम्शा , अर्कावती , होन्नुहोल , काबिनी, भवानी, नोयिल , अमरावती।
- **नर्मदा:**
  - अमरकंटक, मध्य प्रदेश से निकलती है।
  - यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है।
- **ताप्ती:**
  - नर्मदा के समानांतर बहती है।
  - सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है तथा महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है।
  - सहायक नदियाँ: पूर्णा, गिरना , पंझरा ।
  - यह नदी खम्भात की खाड़ी में गिरती है।

Patriotic IAS

राजनीति (POLITY)

1. मौलिक अधिकार:

1.1. सही सूचना का अधिकार:

- केंद्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में **तथ्य-जांच इकाई (एफसीयू) के गठन का बचाव किया।**
- सरकार ने तर्क दिया कि **सही जानकारी जानने** और गुमराह न होने का अधिकार **अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है।**
- स्टैंड-अप कलाकार कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगज़ीन ने **2023 आईटी संशोधन नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी** ।
- ये नियम एफसीयू को केन्द्र सरकार से संबंधित फर्जी या भ्रामक सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने की मांग करने की अनुमति देते हैं।
- न्यायमूर्ति ए.एस. चांदुरकर एक खंडपीठ द्वारा दिए गए विभाजित फैसले के बाद मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि **एफसीयू गलत सूचना को रोकता है** और गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए सबसे कम प्रतिबंधात्मक तरीका है।

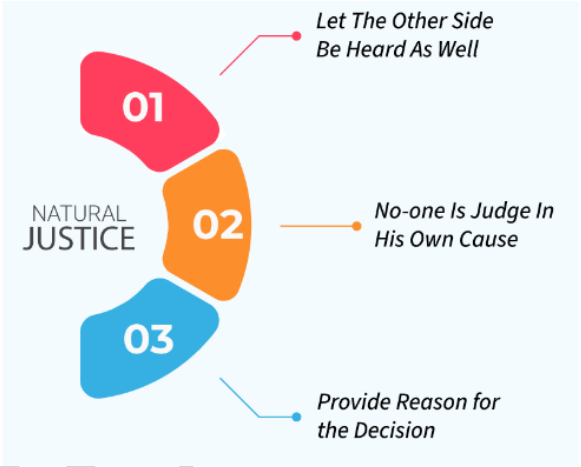

- उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां भी तथ्य-जांच इकाइयां रखती हैं, जो सटीक जानकारी प्रदान करने में सरकार की भूमिका को उचित ठहराती है।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह **संशोधन सरकार को अभियोजक, न्यायाधीश और जल्लाद के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता** है और मुक्त अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- श्री मेहता ने 'चिलिंग इफेक्ट' के तर्क का खंडन करते हुए कहा कि एफसीयू सरकार द्वारा झूठ को उजागर करने का एक व्यवस्थित तरीका है तथा इसका अंतिम निर्णायक न्यायालय है।

1.2. आरक्षण:

- कर्नाटक **राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024 का उद्देश्य** निजी क्षेत्र में **कन्नड़ लोगों के लिए** आरक्षण प्रदान करना है ।
- व्यापारिक नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों की नाराजगी के कारण विधेयक को स्थगित कर दिया गया है।
- इसे मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है लेकिन अभी तक इसे विधानसभा में पेश नहीं किया गया है।
- सरकार ने आगे बढ़ने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श का वादा किया।
- ऐसे कोटा की वैधता और संवैधानिकता संदेह में है, क्योंकि अन्यत्र इसी प्रकार के कदमों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- विधेयक में प्रस्ताव है कि कारखानों, उद्योगों या प्रतिष्ठानों को **प्रबंधकीय पदों पर 50% और गैर-प्रबंधकीय पदों पर 70% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा** ।
- '**स्थानीय उम्मीदवार**' की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो कर्नाटक में जन्मा हो, कम से कम 15 वर्षों से वहां निवास कर रहा हो, तथा जो कन्नड़ पढ़, लिख और बोल सकता हो।

- जिन अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा में माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- यदि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो प्रतिष्ठानों के पास स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन वर्ष का समय होता है।
- प्रतिष्ठान मानदंडों में छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रबंधकीय भूमिकाओं के लिए यह छूट 25% से कम नहीं होनी चाहिए तथा गैर-प्रबंधकीय भूमिकाओं के लिए यह छूट 50% से कम नहीं होनी चाहिए।
- उद्योग जगत की चिंता यह है कि विधेयक से कंपनियां राज्य से बाहर चली जाएंगी और विदेशी निवेश प्रभावित होगा।
- **नैसकॉम ने कहा कि यह विधेयक उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा** , नौकरियों को प्रभावित करेगा तथा कर्नाटक के वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड को नुकसान पहुंचाएगा।
- कई उद्योग प्रतिनिधि इस विधेयक को प्रतिगामी और अदूरदर्शी मानते हैं।

अन्य राज्यों में इसी प्रकार के कानून के बारे में क्या कहना है?

- **आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड** ने स्थानीय निवासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण हेतु कानून प्रस्तावित किये हैं।
- **आंध्र प्रदेश के 2019 अधिनियम का** उद्देश्य उद्योगों और परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करना था, जिसमें उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर प्रशिक्षण के लिए तीन साल की अवधि शामिल थी। इस अधिनियम को वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और इसे दृढ़ता से लागू नहीं किया जा रहा है।
- **हरियाणा के 2020 के अधिनियम** , जिसमें निजी क्षेत्र में ₹30,000 प्रति माह तक के वेतन वाली नौकरियों के लिए 75% आरक्षण प्रदान किया गया था, को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। न्यायालय ने पाया कि अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिससे "कृत्रिम दीवारें" बनती हैं।
- **झारखंड के 2022 के विधेयक का उद्देश्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण देना था,** लेकिन राज्यपाल ने संभावित असंवैधानिकता के कारण इसे वापस कर दिया। राज्यपाल की चिंताओं के बावजूद दिसंबर 2023 में विधेयक को फिर से अधिनियमित किया गया।

कौन से संवैधानिक मुद्दे उठते हैं?

- निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने से संबंधित समस्याएं निम्नलिखित हैं:
  - निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
  - राज्य विधानसभाओं के पास रोजगार के लिए आवासीय मानदंड निर्धारित करने का अधिकार नहीं है।
  - जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव से मुक्ति की संवैधानिक गारंटी।
  - कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का मौलिक अधिकार।
- **अनुच्छेद 16** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है तथा नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 16(3)** संसद को सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास की आवश्यकता वाले कानून बनाने की अनुमति देता है। केवल संसद ही ऐसे कानून बना सकती है, राज्य विधानसभाएँ नहीं **(अनुच्छेद 35(ए))।**
- स्थानीय कोटा नागरिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता **(अनुच्छेद 19(1)(डी))** और किसी भी राज्य में निवास करने और बसने के उनके अधिकार **(अनुच्छेद 19(1)(ई)) को प्रभावित कर सकता है।**
- काम पर रखने के विकल्पों पर प्रतिबंध किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है **(अनुच्छेद 19(1)(जी))।**

1.3. उप-जाति आरक्षण से जुड़ी समस्याएं:

- सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उप-जाति आरक्षण पर विचार कर रहा है।
- निर्णयों को कानूनी और शैक्षणिक औचित्य की आवश्यकता होती है।
- उप-जाति आरक्षण का शैक्षणिक आधार कमजोर है।
- सरकार तीन नीतिगत साधनों का उपयोग करती है:
    - जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा।
    - विधायिका, सार्वजनिक नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण।
    - भूमि, व्यवसाय और शिक्षा जैसी पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व में सुधार के उपाय।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अछूतों को समान अधिकार, रोजगार और शिक्षा से वंचित करने के कारण इन उपायों को उचित ठहराया।
- ये उपाय समग्र रूप से अछूतों के अलगाव और पीड़ा को संबोधित करते हैं, न कि विशिष्ट उप-जातियों को।
- कानूनी सुरक्षा, आरक्षण और आर्थिक/शैक्षणिक सशक्तिकरण एक दूसरे के पूरक हैं, स्थानापन्न नहीं।
- विधायिका, नौकरियों और शिक्षा में उचित हिस्सेदारी के लिए अकेले कानूनी सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं।
- आरक्षण वर्तमान में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपायों का पूरक है।
- कानूनी सुरक्षा और आरक्षण अतीत में संपत्ति, रोजगार और शिक्षा से वंचित किए जाने की समस्या का समाधान नहीं करते।
- पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व में सुधार, अछूत युवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आरक्षण नीति का पूरक है।
- सामाजिक समूह पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अछूतों के लिए विधायिका, सार्वजनिक नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता है।
- आर्थिक सशक्तिकरण नीतियों को उन अछूत व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनके पास आय अर्जित करने वाली पूंजीगत संपत्ति और शिक्षा का अभाव है।
- उप-जाति आरक्षण पर किसी भी निर्णय में इन प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए।
- समर्थकों का तर्क है कि कुछ उप-जातियों को अन्य की तुलना में अधिक लाभ मिलता है, इसलिए पिछड़ी उप-जातियों के लिए अलग कोटा होना चाहिए।
- नौकरियों में कम हिस्सेदारी अन्य उप-जातियों द्वारा भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि कम शिक्षा और पूंजीगत परिसंपत्तियों की कमी के कारण हो सकती है।
- नौकरी और शिक्षा में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों और उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शिक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिनके पास इनकी कमी है।
- पूंजी स्वामित्व और शिक्षा में सुधार के बिना, उप-जाति आरक्षण से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि समृद्ध वर्ग को बढ़त मिलती रहेगी।
- अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए अनुसार आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण, कम पूंजी स्वामित्व और शिक्षा के साथ उप-जाति आरक्षण से बेहतर विकल्प है।
- भेदभाव वाले समूहों के लिए कानूनी समाधानों में आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं पर विचार किया जाना चाहिए।
- नौकरियों में कुछ अनुसूचित जाति उप-जातियों के कम प्रतिनिधित्व की सीमा को समझने की आवश्यकता है।
- यदि कम प्रतिनिधित्व अन्य उप-जातियों द्वारा भेदभाव के कारण है, तो उप-जाति आरक्षण को उचित ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि, कम प्रतिनिधित्व का कारण भेदभाव नहीं बल्कि कम आय और शिक्षा है।
- आय और शिक्षा में सुधार के लिए व्यक्ति-केंद्रित नीति, नौकरी में आरक्षण के प्रभावी उपयोग को सक्षम करने के लिए बेहतर है।

- कानूनी प्राधिकारियों को उप-जातियों के बारे में अकादमिक औचित्य और तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।
- इसके बिना, उप-जाति आरक्षण समस्या का प्रभावी समाधान नहीं कर सकेगा तथा व्यापक मांग पैदा हो सकती है।
- ऐसा परिदृश्य एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के अंतर्गत अनेक उप-जातियों वाले जाति समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित कर सकता है।

1.4. आध्यात्मिक अभिविन्यास, धार्मिक प्रथाएँ और न्यायालय:

- मुख्य न्यायाधीश लैथमैन ने 1943 में एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवाज़ विटनेसेस इंक बनाम कॉमनवेल्थ मामले में टिप्पणी की थी कि जो एक व्यक्ति के लिए धर्म है, वह दूसरे के लिए अंधविश्वास है।
- धर्म मानव समाज का केन्द्रीय तत्व रहा है, जिसमें धार्मिकता में वृद्धि और आध्यात्मिकता में गिरावट आई है।
- अंगप्रदक्षिणम की धार्मिक प्रथा की अनुमति दी , जिसमें बचे हुए भोजन को केले के पत्तों पर लपेटना शामिल है।
- इस आदेश ने न्यायमूर्ति एस. मणिकुमार के 2015 के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दलितों और गैर-ब्राह्मणों से जुड़े जातिगत भेदभाव के आरोपों के कारण इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी।
- न्यायमूर्ति मणिकुमार ने अपना निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश पर आधारित किया था, जिसमें कर्नाटक में दलितों से जुड़े 500 वर्ष पुराने इसी प्रकार के अनुष्ठान पर रोक लगा दी गई थी।
- न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा कि 2015 के मामले में मंदिर के ट्रस्टियों की बात नहीं सुनी गई थी और चूंकि सभी जातियों के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए कोई जातिगत भेदभाव नहीं हुआ।

बहस का पुनरुद्धार

- इस आदेश ने धर्म को परिभाषित करने, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का निर्धारण करने तथा ऐसे निर्धारणों में न्यायिक सुसंगति पर बहस छेड़ दी है।
- न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि पी. नवीन कुमार की अंगप्रदक्षिणा की प्रथा **अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता)** के तहत संरक्षित है । **अनुच्छेद 21 (गोपनीयता का अधिकार), और अनुच्छेद 19(1)(डी) (आवागमन की स्वतंत्रता)।**
- न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने इसी तरह के मामलों के विपरीत, साक्ष्य की सख्त जांच के बिना ही अंगप्रदक्षिणम को एक स्थापित धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता दे दी।
- उन्होंने इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि क्या यह हिंदू धर्म का अनिवार्य और अभिन्न अंग है या केवल एक अंधविश्वास है।
- कृष्ण यजुर्वेद और भविष्यपुराण में इस प्रथा को महान बताया गया है , लेकिन सभी महान कार्य अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं नहीं हैं।

आवश्यक प्रथाओं का विषय

- भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर अन्य मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है, तथा सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता को इसके अधीन रखता है, तथा राज्य को सामाजिक सुधार लागू करने की अनुमति देता है।
- न्यायालयों ने धार्मिक स्वतंत्रता को आवश्यक धार्मिक प्रथाओं तक सीमित कर दिया है तथा 47 में से केवल 7 मामलों में ही ऐसी दलीलें स्वीकार की हैं।
- न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा अंगप्रदक्षिणम की अनुमति देने के निर्णय का गहन मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से संभावित स्वास्थ्य खतरों और सार्वजनिक समारोह में गोपनीयता के अधिकार की प्रयोज्यता के संबंध में।
- न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तर्क दिया कि सार्वजनिक रूप से गोपनीयता नष्ट नहीं होती है और उन्होंने आध्यात्मिक अभिविन्यास को गोपनीयता के अधिकार से जोड़ा।

- **श्री शिरुर मठ (1954) में , सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 25** धार्मिक विश्वासों और उनकी बाहरी अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, और धर्म के आवश्यक हिस्सों को धर्म के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
- समय के साथ, न्यायालय आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को परिभाषित करने में असंगत हो गया और अपनी स्वयं की तर्कसंगतता को प्रस्तुत किया, जैसा कि **दरगाह समिति , अजमेर (1961) मामले में देखा गया** , जिसने आवश्यक प्रथाओं तक सुरक्षा को सीमित कर दिया और अंधविश्वासों को बाहर रखा।
- प्रश्न यह उठता है कि अंगप्रदक्षिणम का मूल्यांकन इन मानदंडों के आधार पर क्यों नहीं किया गया।
- **गांव बत्तीस शिरला की ग्रामसभा (2014)** में अदालत ने फैसला सुनाया कि नागपंचमी के दौरान जीवित कोबरा को पकड़ना और उसकी पूजा करना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, क्योंकि इसका सामान्य धर्मशास्त्र में उल्लेख नहीं है ।
- मामले में **केरल उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम पुलिसकर्मी की** दाढ़ी बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के बजाय अनुभवजन्य साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था, और कहा गया था कि यह एक नेक कार्य है, लेकिन इस्लाम में अनिवार्य नहीं है।
- आचार्य **जगदीश्वरानंद अवधूत (2004) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने** कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि तांडव नृत्य आनंद मार्गी धर्म के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह प्रथा आनंद मार्गी धर्म की स्थापना के बाद अपनाई गई थी।
- जगदीश्वरानंद मामले में अदालत का तर्क अवधूत का तात्पर्य है कि जब धर्म की स्थापना हुई थी, तब धार्मिक प्रथाएं अवश्य ही अस्तित्व में रही होंगी, जिससे समय के साथ धार्मिक प्रथाएं स्थिर हो गईं।
- मामले में **सर्वोच्च न्यायालय ने माना** कि इस्लाम में नमाज़ पढ़ना आवश्यक है, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ना आवश्यक नहीं है, जब तक कि मस्जिद का कोई विशेष धार्मिक महत्व न हो, जबकि इस्लाम में सामूहिक नमाज़ का विशेष महत्व है।

संविधान सर्वोच्च है

- भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यदि वे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत हों।
- भारत में धर्म नहीं, बल्कि संविधान का शासन होना चाहिए।
- केवल संविधान द्वारा प्रदत धार्मिक स्वतंत्रता ही प्रदान की जानी चाहिए।

2. संवैधानिक/सांविधिक/गैर-संवैधानिक निकाय:

2.1. वित्त आयोग:

वित्त आयोग की रूपरेखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दी गई है:

संघटन

- **नियुक्ति:** वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

- **सदस्य:** इसमें एक **अध्यक्ष और** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चार अन्य सदस्य होते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट

What is on the agenda for the 16th Finance Commission?

How do other countries devolve funds to their local governments? Why is the Census significant?

GS Paper II: Constitutional Body

GS Paper III: Taxation

The story so far:

The 16th Finance Commission (FC) has begun its work, established under Article 280 of the Indian Constitution, primarily focusing on the devolution of the consolidated fund. Since the 73rd and 74th constitutional amendments, local bodies have gained significant recognition within the federal system. These amendments introduced sub-clauses 280 (3) (bb) and (c), which mandate the FC to recommend measures to augment State consolidated funds for supporting panchayats and municipalities.

What about cities?

The National Commission on Urbanisation in the mid-80s described cities as "engines of growth." Although this view is somewhat narrow, the reality is that cities contribute around 66% of India's GDP and about 90% of total government revenues. Cities, thus, are an important spatial zone for the overall development of the country. However, our economic scale is insufficient to meet rising needs. The World Bank estimates that $840 billion is needed for basic urban infrastructure in the next decade.

Despite the efforts of five commissions since the 11th Finance Commission, financial devolution to cities remain inadequate. The fiscal health of municipalities is poor, affecting both city productivity and quality of life. Rapid urbanisation without appropriate fiscal action has adverse effects on development. Intergovernmental transfers (IGTs) to Urban Local Bodies (ULBs) in India are about 0.5% of GDP, much lower than the 2-5% typical of other developing nations. For instance, South Africa allocates 2.6%, Mexico 1.6%, the Philippines 2.5%, and Brazil 5.1% of their GDPs to their cities. Although IGTs make up about 40% of ULBs' total revenue, issues persist regarding their predictability, earmarking for vulnerable groups, and horizontal equity. IGTs are crucial for ULBs, given their financial state and the need for stable support until their own revenues improve.

What about the taxation system?

The introduction of the Goods and Service Tax (GST) has reduced ULBs' tax revenue (excluding property tax) from about 23% in 2012-13 to around 9% in 2017-18. IGTs from States to ULBs are very low, with State Finance Commissions recommending only about 7% of States' own revenue in 2018-19. Increasing the quantum of IGTs as a percentage of GDP is necessary. Despite the 74th constitutional amendment's aim to financially strengthen ULBs, progress over three decades has fallen short.

The 13th Finance Commission observed that "parallel agencies and bodies are emasculating local governments both financially and operationally." Local governments require support from Union and State governments through funds, functionaries, and technical aid. However, the growth of parallel agencies has distorted local governments' roles. Programs like the Member of Parliament Local Area Development Scheme and the Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme exacerbate this issue, distorting the federal structure.

How important is the Census?

In the absence of the 2021 Census, reliance on 2011 data is inadequate for evidence-based fiscal devolution. India has approximately 4,000 statutory towns and an equal number of Census towns, with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban. These figures must be captured by the 16th FC, including the significant migration to Tier-2 and 3 cities.

Thus, the 15th FC's nine guiding principles require a revisit. Not all of them but reference to enhancement in property tax collection in tandem to the State's GST; maintenance of accounts; resource allocation for mitigating pollution; focus on primary health care, solid waste management, drinking water, etc., deserve attention. The 16th FC must consider India's urbanisation dynamism and ensure IGTs to urban areas are at least doubled. A McKinsey Global Institute report warns that if India continues investing in urban infrastructure at current rates, urban infrastructure will fall short, leading to water supply issues and untreated sewage.

Author is former Deputy Mayor, Shimla, and Member, Kerala Urban Commission.

THE GIST

- Despite the efforts of five commissions since the 11th Finance Commission, financial devolution to cities remain inadequate. The fiscal health of municipalities is poor, affecting both city productivity and quality of life.
- The 13th Finance Commission observed that "parallel agencies and bodies are emasculating local governments both financially and operationally."
- The 16th FC must consider India's urbanisation dynamism and ensure IGTs to urban areas are at least doubled.

अवधि के लिए कार्य करते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं।

- **योग्यता और चयन:** संसद आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया निर्धारित करती है। अध्यक्ष आम तौर पर सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है, जबकि अन्य सदस्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है:
    - न्यायपालिका (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता)
    - वित्त एवं सरकारी खाते
    - वित्तीय प्रशासन
    - अर्थशास्त्र

कार्य

- **कर आय का वितरण:** शुद्ध कर आय को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित करने की सिफारिश करना। यह राज्यों के बीच इन हिस्सों के आवंटन पर भी सलाह देता है।
- **सहायता अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों का निर्धारण करना। इन अनुदानों का उद्देश्य राज्य के वित्त का समर्थन करना है।
- **स्थानीय निकायों के संसाधन:** राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों पर सलाह देना। यह राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है।
- **अन्य मामले:** राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए किसी भी अतिरिक्त मुद्दे पर विचार करना, जो सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

15वें वित्त आयोग के नौ मार्गदर्शक सिद्धांत:

- **समानता:** राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना, उनकी संबंधित आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए।

- **दक्षता:** राजकोषीय अनुशासन, व्यय के युक्तिकरण और प्रभावी शासन प्रथाओं को प्रोत्साहित करके संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।
- **संतुलन:** क्षेत्रीय असमानताओं पर उचित विचार करते हुए राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं और अलग-अलग राज्यों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना।
- **स्थिरता:** दीर्घकालिक आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संघ और राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय स्थिरता की स्थिरता सुनिश्चित करना।
- **अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय समानता:** न केवल राज्यों के बीच बल्कि राज्यों के भीतर भी असमानताओं को दूर करना, विशेष रूप से क्षेत्रों और समुदायों में समान विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- **मुख्य प्रतिबद्धताएं और राजकोषीय संघवाद:** राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों को कायम रखना और मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करना।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय हस्तांतरण, संसाधनों के आवंटन और धन के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- **सुधारों को प्रोत्साहित करना:** सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, राजस्व जुटाने और शासन जैसे क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **समावेशिता:** यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों के आवंटन और वित्तीय हस्तांतरण से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले, जिसमें हाशिए पर पड़े और वंचित समूह भी शामिल हैं।

2.2. भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76):

- भारत का महान्यायवादी वह व्यक्ति होता है जिसे भारत के **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ।**
- इस पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को **भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए** , जिसका अर्थ है कि उनके पास व्यापक कानूनी ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

कर्तव्यों और जिम्मेदारियों :

- महान्यायवादी का मुख्य कर्तव्य **भारत सरकार को** विभिन्न मामलों पर कानूनी सलाह प्रदान करना है।
- वे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कार्य भी करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, वे भारत के संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा उन्हें दिए गए विशिष्ट कार्य भी करते हैं।

न्यायालयों में प्राधिकार :

- अटॉर्नी जनरल को देश भर की **सभी अदालतों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।** इसका मतलब है कि वे भारत की किसी भी अदालत में सरकार की ओर से कानूनी मामलों पर बहस कर सकते हैं।

कार्यकाल एवं पारिश्रमिक :

- अटॉर्नी जनरल **राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर कार्य करते हैं** , जिसका अर्थ है कि उन्हें राष्ट्रपति के विवेकानुसार पद से हटाया जा सकता है।
- उन्हें **अपनी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है।**

2.3. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी):

- स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, शक्तियां **अनुच्छेद 315-323 में परिभाषित हैं** ।
- अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं - ग्रुप ए और बी में भर्ती के लिए जिम्मेदार।
- पदोन्नति और अनुशासन संबंधी मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- **संरचना और नियुक्ति:**
- इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
- आयोग की सदस्य संख्या **(अध्यक्ष सहित 9-11 सदस्य)** राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

- इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्यों ने केन्द्र या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा की हो।
- राष्ट्रपति, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करता है।
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

3. संघीय संरचना:

3.1. राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार है:

- मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संसद खनिज युक्त भूमि और खदानों पर कर लगाने की राज्य विधानसभाओं की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती।
- यह निर्णय संघवाद और राज्यों की कल्याण एवं विकास के लिए राजस्व जुटाने की क्षमता का समर्थन करता है।
- न्यायालय ने पाया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, राज्यों को खनन भूमि पर कर लगाने संबंधी कानून बनाने से प्रतिबंधित नहीं करता है।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है, बल्कि खनिज अधिकारों के लिए एक संविदात्मक भुगतान है।
- यह निर्णय विभिन्न राज्य सरकारों और कंपनियों से जुड़ी अपीलों पर आया, जो इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड और तमिलनाडु के बीच विवाद से उत्पन्न हुई थी।
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य विधानसभाओं की कर लगाने की शक्ति संविधान में अनुच्छेद 246 और राज्य सूची की प्रविष्टि 49 पर आधारित है।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि प्रविष्टि 49 के अंतर्गत कर लगाने की शक्ति में खनिज युक्त भूमि शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है।
- केंद्र ने तर्क दिया कि राज्य सूची की प्रविष्टि 50, संसद को एमएमडीआर अधिनियम जैसे कानूनों के माध्यम से खनिज अधिकारों से संबंधित करों पर सीमाएं लगाने की अनुमति देती है।
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 50 और 49 अलग-अलग विषयों को संबोधित करती हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं।
- खनिज विकास से संबंधित एमएमडीआर अधिनियम, प्रविष्टि 49 के अंतर्गत खनन भूमि पर राज्य कराधान को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इस तरह के प्रभाव की अनुमति देने वाला कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
- प्रविष्टि 50 कोई अपवाद नहीं बनाती है; खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों के पास है, जबकि संसद की शक्ति संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत विकास को विनियमित करने तक सीमित है।
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि संसद खनिज अधिकारों पर कर लगाने के लिए अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि यह शक्ति राज्यों के लिए सूची II में विशेष रूप से उल्लिखित है।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि एमएमडीआर अधिनियम, विशेषकर इसका प्रावधान, जो केंद्र को खनिज विनियमन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, राज्यों के कर लगाने के अधिकार को सीमित करता है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम खनन गतिविधियों के विनियमन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को संबोधित करते हुए व्यवस्थित तरीके से खनिजों का विकास सुनिश्चित होता है।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957:

- **उद्देश्य** :
  - भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करना।
  - खनिज संसाधनों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विकास सुनिश्चित करना।
- **खनन पट्टे का अनुदान** :
  - यह अधिनियम खनिजों के लिए सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
  - इसमें इन परमिटों और लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और शर्तें निर्धारित की गई हैं।
- **केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भूमिका** :
  - खनिज विकास के लिए नीतियां बनाने और दिशानिर्देश जारी करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
  - राज्य सरकारें मुख्य रूप से अपने क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें पट्टे और लाइसेंस प्रदान करना भी शामिल है।
- **रॉयल्टी और कर** :
  - इस अधिनियम में खदानों से निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी और कर लगाने का प्रावधान है।
  - इसमें रॉयल्टी की दरें और उनके संग्रहण का तरीका निर्धारित किया गया है।
- **गौण खनिजों का विनियमन** :
  - लघु खनिज, जैसे भवन निर्माण हेतु पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी आदि का विनियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
  - यह अधिनियम राज्य सरकारों को गौण खनिजों के लिए अपने नियम बनाने में लचीलापन प्रदान करता है।
- **पर्यावरण एवं सामाजिक सरोकार** :
  - यह अधिनियम खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय करने का निर्देश देता है।
  - इसमें खनन कम्पनियों से विस्थापित समुदायों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं को क्रियान्वित करने की अपेक्षा की गई है।
- **दंड और अपराध** :
  - इस अधिनियम में अवैध खनन गतिविधियों और इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
  - इसमें अवैध रूप से खनन किये गये खनिजों को जब्त करने का प्रावधान है।
- **संशोधन और पुनरीक्षण** :
  - उभरती चुनौतियों से निपटने और नियामक ढांचे में सुधार के लिए अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है।
  - महत्वपूर्ण संशोधनों में खनिज संसाधनों के नीलामी आधारित आवंटन तथा टिकाऊ खनन पर्यावरण के लिए प्रावधान शामिल हैं।

हालिया संशोधन और परिवर्तन:

1. **एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015** :
   - पारदर्शिता लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए खनन पट्टों का नीलामी आधारित आवंटन शुरू किया गया।
   - स्थानीय समुदायों पर खनन के प्रभाव को दूर करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की गई।
2. **एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021** :
   - कुछ खनिजों की खोज और खनन की अनुमति दी गई।
   - खनिज रियायत हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

3.2. केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण:

- 2015-16 से, केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण कम कर दिया है, जबकि चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व का हिस्सा बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने 41% (या जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करते हुए 42%) की सिफारिश जारी रखी।
- राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता 2015-16 में ₹1.95 लाख करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹1.65 लाख करोड़ हो गई।
- केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व 2015-16 और 2023-24 के बीच ₹14.6 लाख करोड़ से दोगुना होकर ₹33.6 लाख करोड़ हो गया।
- संघीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी भी दोगुनी हो गई, लेकिन धीमी दर से, जो इसी अवधि में ₹5.1 लाख करोड़ से बढ़कर ₹10.2 लाख करोड़ हो गई।
- उपकर और अधिभार से प्राप्त राजस्व में कटौती के कारण सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 48.2% से घटकर 35.32% हो गई।
- उपकर और अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2015-16 में 5.9% (₹85,638 करोड़) से बढ़कर 2023-24 में 10.8% (₹3.63 लाख करोड़) हो गया।
- उपकर और अधिभार के माध्यम से एकत्रित इन निधियों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझा किए बिना, विशिष्ट क्षेत्रीय योजनाओं के लिए किया जाता है।
- वित्तीय हस्तांतरण में यह कमी तथा उपकर और अधिभार संग्रह में वृद्धि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और राज्य-विशिष्ट विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।

सार्वजनिक व्यय का अधिक केन्द्रीकरण

- केंद्रीय कर राजस्व से राज्यों को कम वित्तीय हस्तांतरण या अपर्याप्त वृद्धि के कारण केंद्र सरकार के पास अधिक विवेकाधीन निधि उपलब्ध हो जाती है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं (सीएसईसी योजनाएं) संघ से राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण हैं।
- सी.एस.एस. में केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक वित्तपोषण शामिल है, जबकि राज्य अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हैं।
- 2015-16 और 2023-24 के बीच, सी.एस.एस. आवंटन ₹2.04 लाख करोड़ से बढ़कर ₹4.76 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 59 योजनाएं शामिल हैं।
- राज्यों को सी.एस.एस. अनुदान प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी, जिससे वित्तीय संसाधनों में अंतर-राज्यीय समानता प्रभावित होगी।
- धनी राज्य इन प्रतिबद्धताओं को स्वतंत्र रूप से वहन कर सकते हैं, जबकि कम धनी राज्य उधार लेकर देयताओं को बढ़ा सकते हैं।
- सी.एस.ई.सी. योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और 700 से अधिक योजनाओं के लिए इसे 2015-16 में ₹5.21 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 में ₹14.68 लाख करोड़ कर दिया गया है।
- इन योजनाओं को सीधे केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तथा 2023-24 में राज्यों को केवल 60,942 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।
- सी.एस.ई.सी. योजनाओं के लिए संयुक्त आवंटन ₹19.4 लाख करोड़ था, जिसमें से केवल ₹4.25 लाख करोड़ राज्यों को हस्तांतरित किया गया, जिससे संभावित रूप से विशिष्ट राज्यों या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संसाधन आवंटन में कमी आई।

संघीय-विरोधी वित्तीय नीतियों की गुंजाइश

- सी.एस.एस. और सी.सेक योजनाएं गैर-वैधानिक हस्तांतरण हैं, जो कानूनी प्रावधानों या वित्त आयोग के फार्मूले द्वारा अनिवार्य नहीं हैं।

- ये योजनाएं सकल कर राजस्व का 12.6% हिस्सा हैं और ये अनुदान से जुड़ी हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें विशिष्ट आवंटित योजनाओं पर ही खर्च किया जाना चाहिए।
- 2023-24 में, वैधानिक और गैर-वैधानिक अनुदानों सहित कुल वित्तीय हस्तांतरण सकल कर राजस्व का 47.9% होगा।
- गैर-सांविधिक अनुदान सार्वजनिक व्यय संबंधी निर्णयों में राज्यों के लचीलेपन को प्रतिबंधित करते हैं।
- केंद्र सरकार सकल कर राजस्व का 50% से अधिक अपने पास रखती है तथा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% राजकोषीय घाटा उठाती है, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति उसके पास केंद्रित हो जाती है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने संघीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखी, जबकि पहले 42% की सिफारिश की गई थी।
- राज्यों की हिस्सेदारी कम करने के लिए केंद्र सरकार के तर्क भविष्य में वित्त आयोग की चर्चाओं में जारी रह सकते हैं, जिससे सहकारी संघवाद की चिंताएं प्रभावित हो सकती हैं।

3.3. कावेरी नदी जल विवाद

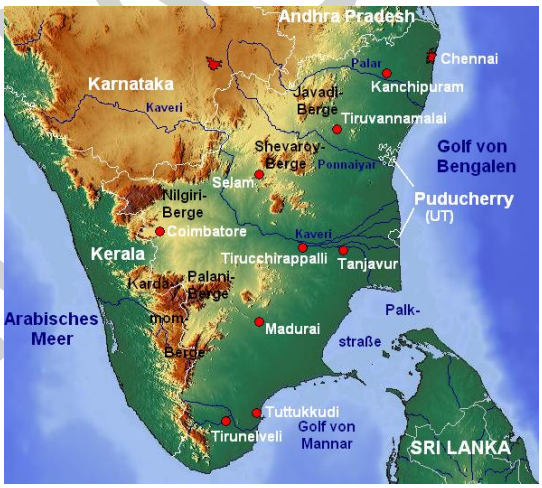

कावेरी नदी जल विवाद भारतीय राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ-साथ केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद है। कर्नाटक से निकलने वाली और तमिलनाडु से होकर बहने वाली यह नदी सिंचाई और पीने के पानी के लिए इन राज्यों की अलग-अलग ज़रूरतों और मांगों के कारण विवाद का विषय रही है।

विवाद की प्रमुख घटनाएँ और पहलू:

1. **मूल और प्रारंभिक विवाद** : यह विवाद 1892 और 1924 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान किए गए समझौतों से शुरू हुआ, जिसके तहत राज्यों के बीच पानी का आवंटन किया गया था। 1956 में अपने पुनर्गठन के बाद कर्नाटक ने इन समझौतों को अनुचित माना।
2. **स्वतंत्रता के बाद के घटनाक्रम** : स्वतंत्रता के बाद, कर्नाटक के साथ विवाद उत्पन्न हो गया, जिसने अपने कृषि विस्तार के लिए पानी के बड़े हिस्से की मांग की। तमिलनाडु, जिसकी स्थापित कृषि कावेरी पर बहुत अधिक निर्भर थी, ने मौजूदा आवंटन में बदलाव का विरोध किया।
3. **न्यायाधिकरण और अंतरिम आदेश** : 1990 में भारत सरकार ने विवाद का निपटारा करने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। न्यायाधिकरण ने 1991 में एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु को एक निश्चित मात्रा में पानी जारी करने का आदेश दिया गया, जिसके कारण कर्नाटक में काफी विरोध हुआ।
4. **अंतिम निर्णय** : न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय 2007 में आया, जिसमें प्रत्येक राज्य को पानी का विशिष्ट हिस्सा आवंटित किया गया। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ने समीक्षा याचिकाएँ दायर कीं, जिससे आगे की कानूनी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं।
5. **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप** : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एक फैसला सुनाया, जिसमें न्यायाधिकरण के फैसले में थोड़ा संशोधन किया गया और तमिलनाडु के हिस्से को कम करते हुए कर्नाटक का हिस्सा बढ़ा दिया गया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को कावेरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में एक जल निकाय बनाने का भी निर्देश दिया।

3.4. महाराष्ट्र सुरक्षा विधेयक:

इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (एमएसपीएस) अधिनियम राज्य को संदिग्ध संगठनों को 'गैरकानूनी' घोषित करने की अनुमति देता है तथा इसमें चार अपराधों का उल्लेख किया गया है।
- एमएसपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में किसी गैरकानूनी संगठन की सदस्यता, ऐसे संगठनों के लिए धन जुटाना, उनके प्रबंधन में सहायता करना या उनका प्रबंधन करना, तथा गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देना या उनकी योजना बनाना शामिल है।
- एमएसपीएस अधिनियम के तहत दो से सात वर्ष तक कारावास और 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एमएसपीएस अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे 'कठोर' बताया तथा तर्क दिया कि मौजूदा कानून नक्सलवाद से निपटने के लिए पर्याप्त हैं ।
- चव्हाण ने सरकार पर केन्द्र सरकार के दबाव के चलते जल्दबाजी में विधेयक पेश करने का आरोप लगाया तथा इसे विरोध प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास बताया।
- उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग होने के साथ ही एमएसपीएस अधिनियम समाप्त हो जाएगा और कहा कि यदि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्ता में लौटती है तो वे इस कानून को दोबारा लागू नहीं करेंगे।

What does Maharashtra's Public Security Bill stipulate?

What are the concerns? Which other States have enacted laws to curb Naxalism in urban areas?

GS Paper II: Polity

Abhinay Deshpande

The story so far:

On July 11, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led MahaYuti government tabled the Maharashtra Special Public Security (MSPS) Act, 2024, aimed at curbing the 'menace of Naxalism' in urban areas. The provisions of the proposed Bill, which allows the State to declare any organisation as 'unlawful' with offences categorised as cognisable and non-bailable, has raised concerns and is being dubbed the 'urban naxal' law. The Maoist-hit States of Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh and Odisha have already implemented Public Security Acts to prevent unlawful activities.

Why was the Bill proposed?

According to Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, who tabled the Bill in the State Assembly, Naxalism is not limited to rural areas, but is increasing in urban areas through frontal organisations. These active frontal organisations of Naxal groups give constant and effective support in terms of logistics and safe refuge to its armed cadre, he said. Citing 'safe houses and urban dens of the Maoist network in the cities of Maharashtra,' the senior BJP leader said such unlawful groups 'propagate their ideology of armed rebellion against the constitutional mandate and disrupt public order in the State. He further stated that unlawful activities of such frontal organisations need to be controlled through effective legal means and that existing laws are ineffective to tackle the issue.

"In the absence of a similar law - which is in force in AP, Telangana, Chhattisgarh and Odisha - such organisations are active in Maharashtra. Therefore, the government considers it expedient to enact a special law for more effective prevention of unlawful activities," said Mr. Fadnavis, who is also the guardian minister of the Naxal-affected Gadchiroli bordering Chhattisgarh and Telangana.

How different is it from the UAPA?

The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) is invoked in cases related to Naxalism and terrorism. This law empowers the state to classify organisations as 'unlawful associations.' Both the laws are almost the same. However, in the MSPS Act, an advisory board of three persons who are or have been qualified to be appointed as judges of the High Court shall oversee the confirmation process, while under UAPA, a tribunal led by a High Court judge verifies the State's declaration.

In addition to the UAPA, the State also enforces the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (MCOCA) to address perceived extreme situations involving individuals labelled as 'urban Naxals'. If the proposed legislation is passed, it would allow the State police and security agencies to arrest individuals without a warrant and often without informing them of the charges. All offences under this Act would be cognisable and non-bailable.

What are its key provisions?

The MSPS Act empowers the State to designate any suspected 'organisation' as an 'unlawful organisation' and outlines four offences for which a person may be penalised – (i) being a member of an unlawful organisation, (ii) being a member and raises funds for an unlawful organisation or harbours any member of the unlawful organisation, (iii) whoever manages or assists in the management of an unlawful organisation, or promotes or assists in promoting a meeting, and (iv) whoever commits or abets or attempts to commit or plans to commit any unlawful activity. These offences carry sentences ranging from two to seven years, along with fines between ₹2 lakh and ₹5 lakh.

What is the stance of the Opposition?

Former Chief Minister Prithviraj Chavan has criticised the measure as 'draconian,' arguing that existing laws are sufficient to address the Naxal issue. "By introducing the bill in the Assembly first instead of the Council, the government clearly shows a lack of interest, while Delhi (Union government) is pressuring them to act. This is simply an attempt to suppress protests....We already have laws with the necessary provisions; why introduce another? This is a 'draconian' measure, and we strongly oppose it," he stated. Mr. Chavan also noted that the Bill would automatically lapse with the dissolution of the Assembly, asserting that if the Maha Vikas Aghadi (MVA) returns to power, it would not reintroduce the Bill.

THE GIST

- On July 11, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led MahaYuti government tabled the Maharashtra Special Public Security (MSPS) Act, 2024, aimed at curbing the 'menace of Naxalism' in urban areas.
- According to Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, Naxalism is not limited to rural areas, but is increasing in urban areas through frontal organisations. These active frontal organisations of Naxal groups give constant and effective support in terms of logistics and safe refuge to its armed cadre, he said.
- Former Chief Minister Prithviraj Chavan has criticised the measure as 'draconian,' arguing that existing laws are sufficient to address the issue.

3.5. शत्रु संपत्ति:

When a home is 'enemy property'

The Indian government has begun to auction properties belonging to erstwhile citizens of the country who now hold Pakistani and Chinese passports. Uttar Pradesh has the maximum number of estates classified as 'enemy properties'. **Mayank Kumar** explores the Lucknow cityscape to understand the real estate challenges

Faisal Azim Abbasi, 48, is worried for himself and his joint family of eight. He has been getting notices to sign an 11-month license agreement with the Custodian of Enemy Property for India (CEPI), a department under the Ministry of Home Affairs, formed after the Indo-Pak war of 1965 and the two Indo-China wars in 1962 and 1967.

Abbasi has known no other home other than the single-storey, 800-square-foot space in Lucknow's Maulviganj. The house, popularly known as Zareef Manzil or Lal Kothi, has been inhabited by his family for four generations.

"My grandfather took the property on rent from the Raja of Mahmudabad in the late 1930s," says Abbasi. They paid ₹16 and 8 annas (50 paise). In 1957, the erstwhile raja moved to Pakistan and took citizenship there.

Abbasi is among hundreds of residents across India who occupy 'Enemy Properties', declared thus after the Enemy Property Act, 1968, came into being. The Act enabled the state to regulate and appropriate real estate belonging to those who had left India and got citizenship of countries it has gone to war with: Pakistan and China.

Now, the Union government has begun to e-auction many of the 12,611 properties across the country, out of which 126 belong to Chinese citizens. Uttar Pradesh has the maximum number, at 6,041, followed by West Bengal at 4,354. Lucknow itself has 361 such properties, with 105 occupied, the highest in U.P. and all in disrepair. Shamli district has 482, Sitapur 378, Muzaffarnagar has 274, and Budaun 250, besides the others.

These 'enemy properties' could be "any property that belongs to, is held or managed on behalf of an enemy, an enemy subject, or an enemy firm". The word "enemy" signifies any country that has committed an act of aggression or declared war against the Union of India, and "property" is immovable assets and all negotiable instruments such as shares, debentures, and other commerce.

Family dynamics

Abbasi's grandfather, Matloob Alam, signed the original lease and the family was told on September 24, 1966, via a letter from the then Sub-Divisional Magistrate (SDO), Lucknow, S.S. Nigam that the building they lived in had become 'enemy property', and was owned by the state. "I, SDO Lucknow hereby direct Shri Matloob Alam, the occupant of the property, to pay monthly rent, dues etc. to Tehsildar Lucknow with immediate effect," the letter had said.

> The proposed arrangement is only for 11 months, and it adds that on the expiry of this period or an earlier termination, the licensee shall hand over the property to the licensor, which is CEPI. It is frightening.
>
> **MOHAMMAD HAIDER RIZVI**
> Lawyer, who is fighting the legal battle of tenants occupying 'enemy properties'

Thereafter, the rent was paid to the CEPI. The amount was increased to ₹22.28 in 1972 and further increased to ₹312 in April 2013.

However, Abbasi claims that the rent has not been collected by the CEPI since December 2016. "Where will we go from here? If they sell it to us at a reasonable rate, we will take it," he says. He considers ₹50 lakh a reasonable sum to buy the property. Alternatively, he is ready to pay five times what he is paying on rent if the lease is renewed.

Over the years, the Enemy Property Act has seen several amendments, with the most significant and recent being The Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017. It expanded the meaning of the term "enemy subject", and "enemy firm" to include the legal heir and successor of an 'enemy', whether a citizen of India or a citizen of a country which is not an enemy; and the succeeding firm of an 'enemy firm', irrespective of the nationality of its members. The Act also made it clear that once a property is declared 'enemy property', it remains so. The amendment nullified a Supreme Court judgment which ruled in favour of Mohammed Amir Mohammad Khan, son of the erstwhile Raja of Mahmudabad.

Though the erstwhile Raja of Mahmudabad took Pakistani citizenship, Amir stayed behind as an Indian citizen, and asserted claims over various properties that were originally in his family's name. After a prolonged legal struggle of over three decades, the Supreme Court ruled in his favour in 2005, declaring him the rightful owner, even though they have been declared 'enemy properties'. Amir was a two-time MLA in the Uttar Pradesh State Assembly in the 1980s from the Congress party and died in October 2023 at the age of 80.

The most well-known among these properties is the three-storeyed Butler Palace, built on the banks of the Gomti river in the 1910s. The palace was originally constructed in a mix of Indo-Mughal and Rajasthani styles as the official residence of the commissioner of Avadh, Harcourt Butler, in Lucknow. It has remained empty since the 1960s, and has been branded 'haunted', by the Lucknavis – either by ghosts of the past or addicts of the present.

It is now missing its best brass bit and anything of value. Sometime in September-October 2023, the Lucknow Development Authority (LDA) began refurbishing it as a tourist attraction

Halwasiya Market, situated in the older part of Lucknow, Hazratganj. SANDEEP SAXENA

after receiving a no-objection certificate from the CEPI.

Another prime property is Halwasiya market in Lucknow's Hazratganj, the older part of the city, where real estate prices start at approximately ₹15,000 per square foot, if the buyer is lucky enough to get a place.

Sued from many sides

Like Abbasi, many shopkeepers received notices for a fresh lease and licence agreement for the 'enemy property' they were occupying, but no one has signed one with CEPI until now. The occupants proposed a long-term lease for at least a decade, which was not accepted by CEPI.

Ali Khan Mahmudabad, the next in line from the family, is still fighting for various properties in the Supreme Court. He declined to comment on the matter since it is sub judice. Niraj Gupta, who has been his lawyer since 2003, says, "The Supreme Court has maintained the status quo related to our petition challenging the Act and its amendment provisions. The government cannot sell, auction, or create third-party rights on our properties." Ali is an associate professor in a private university and a member of the Samajwadi Party.

Mohammad Haider Rizvi, a Lucknow-based lawyer who is fighting the legal battle of tenants occupying enemy properties, says many of his clients have been living as tenants for 70-80 years. They are all nervous after receiving renewed agreements.

"Now, the proposed arrangement is only for 11 months, and it adds that on the expiry of this period or an earlier termination, the licensee shall hand over the property to the licensor, which is

> Where will we go from here? If they sell it to us at a reasonable rate, we will take it.
>
> **FAISAL AZIM ABBASI**
> A resident of an 'enemy property'

CEPI. It is frightening," he says.

In 2020, the Union government set up a Group of Ministers led by Home Minister Amit Shah to monitor the disposal of 'enemy properties'.

The value of the earlier 9,000 surveyed 'enemy properties' across the country was estimated to be ₹1 lakh crore. Later, over 3,000 such properties were identified, taking the numbers above 12,000.

The guidelines for the disposal of enemy properties stipulate that if the property is valued below ₹1 crore, the custodian must offer the occupant the choice of purchase. If they refuse, the property will be e-auctioned.

Those valued at over ₹1 crore but less than ₹100 crore will be disposed of by the CEPI through e-auction or through a rate determined by the Enemy Property Disposal Committee, unless the Central government chooses to retain it.

All auctions take place through the Metal Scrap Trade Corporation Limited, a Central public sector undertaking. In 2023, the Central government earned over ₹3,400 crore from the disposal of movable 'enemy properties', like shares and gold.

In U.P., 79 enemy properties identified as agricultural land, each valuing less than ₹1 crore were auctioned across Muzaffarnagar, Sultanpur, and Amroha districts till March 2024.

"A person interested in buying these properties can visit the site and talk to the local *tehsildar* to check documents before going ahead with the e-auction," says Kamlesh Verma, a Home Ministry official who is the supervisor for such properties in Sonbhadra district.

Before the process of the disposing of such properties began, the U.P. government, on the directions of the Home Ministry, conducted surveys of the properties to free them of legal hindrances and set their value, so they could be auctioned off. Roughly half of such properties are without any legal hindrance.

"Our role was to help in surveying the properties and send notices to encroachers. The rest is done by the CEPI," says Saurav Singh, Sub-Divisional Magistrate (SDM), Malihabad, Lucknow.

3.6. विशेष पैकेज की समस्या

- संघ स्तर पर गठबंधन की राजनीति महत्वपूर्ण रूप से वापस आ गयी है।
- भाजपा संसदीय बहुमत के लिए बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) और आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी पर निर्भर है।
- यह स्थिति 2014 और 2019 से भिन्न है जब एकदलीय सरकारें सत्ता में थीं।
- एक-दलीय बहुमत के खत्म होने के साथ ही, राज्य-विशिष्ट विवेकाधीन अनुदान या 'विशेष पैकेज' की मांग सार्वजनिक चर्चाओं में फिर से उभर आई है।
- गठबंधन साझेदार एकात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने तथा एकल-दलीय प्रभुत्व को नियंत्रित करने का काम कर सकते हैं।
- एक परिकल्पना यह बताती है कि संघ स्तर पर एकदलीय प्रभुत्व संघीय प्रवृत्तियों को कम करता है, जबकि गठबंधन सरकारें उन्हें बढ़ाती हैं।
- एक स्वस्थ संघीय ढांचे को विकसित करने के लिए, राजकोषीय सीमाएं, कर निर्धारण और अनुदान आधार पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ होने चाहिए।
- विविधतापूर्ण देश में संघीय व्यवस्था असममित हो सकती है, लेकिन इसका समाधान संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करें।
- संविधान में विशिष्ट राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रावधान है (अनुच्छेद 371ए से एच तथा पूर्व में जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370)।
- विशेष पैकेज विवेकाधीन होते हैं और अक्सर राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की सौदेबाजी शक्ति के परिणामस्वरूप होते हैं।

- अनुच्छेद 282 के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले ये पैकेज अतिरिक्त अनुदान हैं तथा हमेशा आवश्यकता पर आधारित नहीं होते।
- यह विवेकाधीन दृष्टिकोण राजकोषीय संघवाद और समान संसाधन वितरण के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।
- राज्यों की धन संबंधी मांगों को वित्त आयोग के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए, जिसका गठन अनुच्छेद 280 और 275 के अनुसार कर वितरण और अनुदान की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल में किया जाता है।
- 16वें वित्त आयोग को पक्षपातपूर्ण राजनीतिक कारणों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- जब एक ही पार्टी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन करती है, तो उसे 'डबल इंजन सरकार' कहा जाता है, लेकिन अब गठबंधन सहयोगी अपनी अलग मांगें रख रहे हैं।
- यद्यपि अलग-अलग राज्यों को विशेष पैकेज की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
- इन घटनाक्रमों ने संघ और राज्यों के बीच राजनीतिक और राजकोषीय संबंधों को प्रभावित किया है।

संघीय प्रवृत्तियाँ

- संविधान को अर्ध-संघीय ढांचे वाला बताया गया है।
- सीएच एलेक्जेंड्रोविच ने तर्क दिया कि आपातकाल को छोड़कर, संविधान संघीय स्वरूप ग्रहण करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की राजनीति को उभयचर बताया है, जो अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल के आधार पर एकात्मक या संघीय चरित्र ग्रहण करती है (राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1977)।
- प्रचलित राजनीतिक वातावरण संघीय प्रवृत्तियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- यह परिकल्पना कि संघीय प्रवृत्तियाँ एक दलीय प्रभुत्व के आधार पर पनपती या मुरझाती हैं, का परीक्षण किया जा सकता है।
- संघवाद की मजबूती निर्धारित करने में राजकोषीय वितरण महत्वपूर्ण है।
- हाल ही में कुछ राज्यों ने संघीय करों के विभाज्य पूल में अपनी घटती हिस्सेदारी के बारे में चिंता जताई है।
- कर वितरण फार्मूला आधारित है और राज्यों और केंद्र के हितों में संतुलन बनाना 16वें वित्त आयोग का कार्य है।
- कर वितरण की तुलना में अनुदान वितरण में अधिक विवेकाधिकार होता है।
- वित्त आयोग मुख्य रूप से सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान की सिफारिश करता है, जब तक कि संसद अन्यथा कानून न बना दे।
- अनुच्छेद 282 के तहत राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से लगभग चार गुना अधिक हैं।
- राज्य-आधारित दलों द्वारा मांगे गए विशेष पैकेजों से राष्ट्रीय संसाधनों को अन्य राज्यों से हटाया जा सकता है, जिससे राजकोषीय संघवाद कमजोर हो सकता है।
- यदि ऐसा ही चलता रहा तो संघीय प्रवृत्तियाँ पनपने के बजाय मुरझा जाएंगी, क्योंकि एक-दलीय प्रभुत्व खत्म हो जाएगा।

4. न्यायपालिका:

4.1. भारत में न्यायालय की अवमानना

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19(2)** : जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसमें न्यायालय की अवमानना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में से एक के रूप में शामिल किया गया था।
- **अनुच्छेद 129** : सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 215** : उच्च न्यायालयों को समान शक्तियां प्रदान करता है।

वैधानिक समर्थन

- **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971** : भारत में न्यायालय की अवमानना की अवधारणा को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

न्यायालय की अवमानना के प्रकार

1. **सिविल अवमानना** :
   - किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना, या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।
2. **आपराधिक अवमानना** :
   - किसी भी मामले का प्रकाशन या कोई ऐसा कार्य करना जो:
     - किसी भी न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना या उसके अधिकार को कम करना।
     - किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
     - किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में बाधा डालना।

अपवाद

- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष एवं सटीक रिपोर्टिंग न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी।
- किसी मामले की सुनवाई और निपटारे के बाद न्यायिक आदेश के गुण-दोष पर निष्पक्ष आलोचना को भी अवमानना नहीं माना जाता है।

सज़ा

- **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971** : इसमें निम्नलिखित दंड का प्रावधान है:
  - छह महीने तक का कारावास।
  - 2,000 रुपये तक का जुर्माना।
  - अथवा दोनों।

2006 में संशोधन

- बचाव के तौर पर "सत्य और सद्भावना" को पेश किया गया।
- इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय केवल तभी दण्ड दे सकता है जब व्यक्ति का कार्य न्याय की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से हस्तक्षेप करता हो, या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो।

उदाहरण:

सिविल अवमानना

- **महाराष्ट्र राजनीतिक संकट (2022)** : महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता कार्यवाही के संबंध में अदालत के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए महाराष्ट्र अध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया, जो जानबूझकर अवज्ञा के माध्यम से नागरिक अवमानना का एक उदाहरण प्रदर्शित करता है।

आपराधिक अवमानना

- **जस्टिस कर्णन केस (2017)** : कलकत्ता हाई कोर्ट के **जस्टिस सीएस कर्णन को** जजों और न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी। उनके कार्यों को अदालत को बदनाम करने और न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाला माना गया था।

4.2. फिल्मों में विकलांगता के चित्रण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनों का उचित ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है?

- 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आंखे पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर फैसला सुनाया था। मिचोली पर विकलांग लोगों के अपमानजनक चित्रण के लिए आरोप लगाया गया है ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्मों और वृत्तचित्रों सहित दृश्य मीडिया में दिव्यांगजनों के प्रति रूढ़िबद्धता और भेदभाव को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
- दिव्यांगजनों की गरिमा और पहचान पर पड़ने वाले कलंक और भेदभाव को रोकने तथा उनके प्रभाव को पहचानने पर केंद्रित है ।
- दिशानिर्देशों में "अपंग" और "अस्थि-विकलांग" जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना शामिल है, जो नकारात्मक आत्म-छवि को बढ़ावा देते हैं और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
- न्यायालय ने दृश्य मीडिया और फिल्मों में दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िबद्ध चित्रण को समाप्त करने का आह्वान किया तथा दिव्यांगता का मजाक उड़ाने के बजाय उनका सटीक चित्रण करने को कहा।
- ऐसी भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए जो विकलांगता को व्यक्तिगत बनाती हो तथा अक्षम करने वाली सामाजिक बाधाओं, जैसे "पीड़ित", "पीड़ित" और "पीड़ित" को नजरअंदाज करती हो।
- रचनाकारों को "हमारे बारे में कुछ भी नहीं, हमारे बिना कुछ भी नहीं" के सिद्धांत का पालन करना चाहिए तथा दृश्य मीडिया सामग्री के निर्माण और मूल्यांकन में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए।

वे कौन से कानून हैं जो विकलांगता अधिकार प्रदान करते हैं?

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2017 ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया।
- विकलांगता अधिकारों को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनों में राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम (1999), भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (1992) और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) शामिल हैं।
- दिल्ली स्थित वकील शशांक पांडे बताते हैं कि विकलांगता अधिकारों के लिए दो मुख्य मॉडल हैं: चिकित्सा और सामाजिक।
- मानवाधिकार मॉडल, सामाजिक मॉडल का ही विकास है और इस बात पर बल देता है कि विकलांग व्यक्ति समाज का हिस्सा हैं तथा उन्हें भी अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं।
- मानवाधिकार मॉडल पर सर्वोच्च न्यायालय का जोर सरकार और निजी पक्षों के लिए विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना अनिवार्य बनाता है।
- मानवाधिकार मॉडल विकलांग व्यक्तियों को सभी पर लागू होने वाले सभी मानवाधिकार सिद्धांतों का दावा करने की अनुमति देता है, लेकिन यह अमूर्त है और इसे लागू करना कठिन है।
- सर्वोच्च न्यायालय का ढांचा केवल दृश्य मीडिया पर केंद्रित है तथा बेहतर संवेदनशीलता के लिए इसे सभी विभागों तक विस्तारित किया जा सकता था।
- विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच के वी. मुरलीधरन ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन कहा कि 2016 के कानून का उचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
- विकलांग लोगों को अभी भी दान की वस्तु के रूप में देखा जाता है, और 'दिव्यांग' जैसे शब्द संरक्षणात्मक मानसिकता को मजबूत करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिल्मों में रचनात्मक स्वतंत्रता में उपहास, रूढ़िवादिता, गलत प्रस्तुति या हाशिए पर पड़े समुदायों का अपमान शामिल नहीं होना चाहिए।
- अदालत ने फिल्म के उद्देश्य और समग्र संदेश पर विचार करने के महत्व पर बल दिया।
- सम्मानजनक और सटीक चित्रण के लिए विकलांगता वकालत समूहों के साथ सहयोग आवश्यक है।
- लेखकों, निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं, ताकि सार्वजनिक धारणाओं और विकलांग व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों पर चित्रण के प्रभाव पर जोर दिया जा सके।

4.3. ग्राम न्यायालय

- यह ग्राम न्यायालय है, जो भारत की न्यायिक प्रणाली की अनूठी विशेषता है, जिसे जमीनी स्तर पर सुलभ और किफायती न्याय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन न्यायालयों की स्थापना उच्च न्यायालयों तक पहुँचने में ग्रामीण आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई थी।

- न्याय तक त्वरित एवं आसान पहुंच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय अदालतें।
- **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008** के तहत स्थापित ।
- अपने अधिकार क्षेत्र में मोबाइल न्यायालय के रूप में कार्य करना।
- **न्यायाधिकारी** : ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को न्यायाधिकारी कहा जाता है , जिसका चयन विशिष्ट योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है।

मुख्य विवरण:

- 22 दिसंबर 2008 को संसद द्वारा पारित, तथा 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी।
- उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा स्थापित।
- कुल 476 अधिसूचित; 10 राज्यों में 257 कार्यरत हैं।

उद्देश्य:

- औपचारिक न्यायिक प्रणाली में बाधाओं का सामना करने वाले ग्रामीण लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान करना।

चुनौतियाँ:

- महान उद्देश्यों के बावजूद, ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और कम सार्वजनिक जागरूकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

उद्देश्य:

- **न्याय तक पहुंच** : ग्रामीण आबादी को उनके दरवाजे पर न्याय उपलब्ध कराना।
- **किफायती न्याय** : कम लागत पर न्याय प्रदान करना, जिससे वकीलों की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- **मामलों का शीघ्र निपटान** : मामलों का छह माह के भीतर निपटान किया जाएगा।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा दें** : मध्यस्थता, सुलह और पंचनिर्णय को प्रोत्साहित करें।
- **ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना** : कानूनी उपायों तक पहुंच प्रदान कर ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाना।
- **कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करें** : ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता बढ़ाएं।

4.4. कॉलेजियम प्रणाली:

- यह प्रणाली भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सहित सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह को उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में सिफारिशें करने का अधिकार देती है।
- कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना तीन ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से की गई थी, जिन्हें तीन न्यायाधीशों के मामले के रूप में जाना जाता है।

तीन न्यायाधीशों के मामलों के माध्यम से विकास:

1. **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981)** :
   - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के **अनुच्छेद 124 और 217 में "परामर्श" शब्द का अर्थ "सहमति" नहीं है।**
   - भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे।
   - न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को अंतिम अधिकार दे दिया।
2. **द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)** :

- इस निर्णय ने प्रथम न्यायाधीश मामले के निर्णय को निरस्त कर दिया।
- इसने यह निर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा।
- इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता दी।

3. **तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)** :
   - इस मामले ने कॉलेजियम प्रणाली को और स्पष्ट कर दिया।
   - मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना होगा।
   - यदि दो न्यायाधीश विपरीत राय देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।

Can't ask for Collegium's reasons for rejecting candidates, says HC

GS Paper II: Judiciary (Collegium System)

T
N

The Delhi High Court has held that reasons for rejection of recommendations for appointment of High Court judges by the Supreme Court Collegium cannot be made public as it will be "detrimental to the interests of the people concerned" and will stifle the appointment process.

The court made the observation while dismissing an appeal challenging an order that had rejected a petition seeking a direction to the Supreme Court Collegium to provide detailed reasons while refusing to accept recommendations for such appointments.

The Bench said the appointment of a judge to a High Court or the Supreme Court is an "integrated, consultative and non-adversarial process" which cannot be challenged in a court except on the ground of want of consultation with the named constitutional functionaries or lack of any condition of eligibility in case of an appointment or a transfer being made without the recommendation of the Chief Justice of India.

"Further, publication of reasons for rejection will be detrimental to the interests and standing of people whose names have been recommended by the High Courts, as the Collegium deliberates and decides on the basis of information which is private to the individual being considered. Such information, if made public, will have the effect of stifling the appointment process," a Bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela said.

The court said the single judge Bench has correctly noted that this court cannot sit in appeal over the subjective satisfaction of the Supreme Court Collegium.

कॉलेजियम की संरचना:

- **सर्वोच्च न्यायालय** : सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं ।
- **उच्च न्यायालय** : उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ उस उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं ।

कॉलेजियम के कार्य:

1. **न्यायाधीशों की नियुक्ति** : कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है।
2. **न्यायाधीशों का स्थानांतरण** : यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश करता है।
3. **न्यायाधीशों की पदोन्नति** : कॉलेजियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश करता है।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाएँ:

- **पारदर्शिता का अभाव** : इस प्रणाली की आलोचना इसकी अपारदर्शी कार्यप्रणाली और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी के लिए की गई है।
- **जवाबदेही** : इसमें जवाबदेही बहुत कम है, क्योंकि कॉलेजियम के निर्णय जांच के दायरे में नहीं आते।
- **व्यक्तिपरकता** : आलोचकों का तर्क है कि कॉलेजियम प्रणाली व्यक्तिपरक हो सकती है और इससे पक्षपात और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिल सकता है।
- **कोई औपचारिक दिशा-निर्देश नहीं** : किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कोई औपचारिक दिशा-निर्देश नहीं हैं, जिसके कारण मनमाने निर्णय लिए जाते हैं।

सुधार के प्रयास:

- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** : 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और NJAC अधिनियम, 2014 का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को NJAC से बदलना था, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के

सदस्य शामिल थे। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJAC को रद्द कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया।

5. संसद :

5.1. संसद में विलोपन शक्तियां :

एक सांसद के खिलाफ टिप्पणी के बारे में क्या कहना है?

- लोकसभा का नियम 353 सांसदों को अग्रिम सूचना के साथ आरोप लगाने की अनुमति देता है, जिससे संबंधित मंत्री द्वारा तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए जांच की जा सके।
- जो आरोप अपमानजनक या दोषारोपणपूर्ण नहीं हैं, वे नियम 353 के दायरे में नहीं आते।
- संसदीय जवाबदेही के तहत सांसदों को मंत्रियों से सवाल पूछने और उनके आचरण की आलोचना करने का अधिकार है।
- टिप्पणियों का निष्कासन राज्य सभा में नियम 261 तथा लोक सभा में नियम 380 और 381 द्वारा नियंत्रित होता है।
- अध्यक्षगण संसदीय अभिलेखों से अपमानजनक, अशिष्ट, असंसदीय या अशोभनीय शब्दों को हटा सकते हैं।
- हटाई गई टिप्पणियों को तारांकित करके तथा फुटनोट लगाकर चिह्नित किया जाता है, जिसमें लिखा होता है 'अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया' या 'रिकॉर्ड नहीं किया गया'।
- टिप्पणियों को हटाने के बावजूद, लाइव प्रसारण और सोशल मीडिया पर साझा करने के माध्यम से डिजिटल पहुंच, टिप्पणियों को हटाने की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है।

On expunction powers in Parliament

Why did the Opposition engage in a war of words with the government over expunging certain remarks? What is the process to expunge remarks in Parliament? Can a member of the Lok Sabha direct a remark against a Minister? What do the various rules state?

GS Paper: Parliament
EXPLAINER

Sumeda

The story so far:

The first special session of the 18th Lok Sabha witnessed heated discussions, with the Opposition clashing with the government over a range of issues, ultimately concluding with a war of words over the expunction of the remarks of the leaders of Opposition in both Houses. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar removed portions of Leader of Opposition (LoP) Mallikarjun Kharge's speech, which was critical of Prime Minister Narendra Modi and the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Meanwhile, in the Lower House, parts of Rahul Gandhi's remarks on the PM and the BJP were expunged from the records on the orders of Speaker Om Birla, sparking allegations of different yardsticks being applied for different MPs.

When are remarks expunged?

Parliament maintains a verbatim record of everything that is spoken and takes place during proceedings. While Article 105 of the Constitution confers certain privileges and freedom of speech in Parliament on MPs, it is subject to other provisions of the Constitution and the rules of the House. On the orders of the presiding officer, that is, the Chairman in the Upper House and the Speaker in the Lower House, words, phrases and expressions which are deemed "defamatory, indecent, unparliamentary or undignified" are deleted or expunged from records. For this purpose, the Lok Sabha Secretariat maintains a comprehensive list of 'unparliamentary' words and expressions.

The rules of parliamentary etiquette, which are laid out to ensure discipline and decorum in the Rajya Sabha, say, "When the Chair holds that a particular word or expression is unparliamentary, it should be immediately withdrawn without any attempt to raise any debate over it. Words or expressions held to be unparliamentary and ordered to be expunged by the Chair are omitted from the printed debates."

War of words: Leader Of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge speaks in the House. ANI

There have been recorded instances where the scope of expunction has been broadened. Speakers, at their discretion, have ordered the expunction of words deemed prejudicial to national interest or detrimental to maintaining friendly relations with a foreign State, derogatory to dignitaries, likely to offend national sentiments or affect the religious susceptibilities of a section of community, likely to discredit the Army, not in good taste or otherwise objectionable or likely to bring the House into ridicule or lower the dignity of the Chair, the House or the members, authors M. N. Kaul and S. L. Shakdher note in their book *Practice and Procedure of Parliament*. For instance, Prime Minister Jawaharlal Nehru once objected when a member referred to the President of Pakistan while asking a supplementary question about the international situation. Mr. Nehru said it would "not be proper" for the Head of a foreign state to be mentioned in the language the member had used. The objectionable words were then expunged.

Members must withdraw objectionable remarks deemed irrelevant to the debate upon the Chair's request and failure to comply may lead to expunction. Similarly, quoting from an unreferenced document or speaking after being asked to desist can result in an expunction.

What about remarks against an MP?

If an MP makes an allegation against their colleague or an outsider, Rule 353 of the Lok Sabha outlines the procedural framework to be followed. "The Rule does not prohibit the making of any allegation. The only requirement is advance notice, on receipt of which the Minister concerned will conduct an inquiry into the allegation and come up with the facts when the MP makes the allegation in the House," former Lok Sabha Secretary General P.D.T. Achary says. If the allegation is neither defamatory nor incriminatory, the above rule would not apply, he adds.

"The rule does not obviously apply to an allegation against a Minister in the government. Since the Council of Ministers is accountable to Parliament, the Members of the House have the right to question Ministers and make imputations against their conduct as Ministers," Mr. Achary adds.

How do officers expunge remarks?

The Chairman and Speaker are vested with the power to order the expunction of remarks under Rule 261, and Rule 380 and 381 of the Rules of Procedure of the Rajya Sabha and Lok Sabha, respectively.

Rule 261 states, "If the Chairman is of opinion that a word or words have or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the Council." The Lower House has a similar provision.

The expunged portions are marked by asterisks with an explanatory footnote stating 'expunged as ordered by the Chair.' If the Chair directs that nothing will go on record during a member's speech or interruption, footnote 'not recorded' is inserted. A comprehensive list of words and phrases is circulated to media outlets at the end of the day's proceedings. Once expunged, these words or phrases cease to exist on the official record. However, the relevance of the practice of expunging remarks has lately come into question, in a digital age where expunged content remains accessible due to the live telecast of proceedings and wider circulation of screenshots and videos on social media.

THE GIST

Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar removed portions of Mallikarjun Kharge's speech, which was critical of Prime Minister Narendra Modi and the RSS. Meanwhile, in the Lower House, parts of Rahul Gandhi's remarks on the PM and the BJP were expunged from the records on the orders of Speaker Om Birla.

The Chairman and Speaker are vested with the power to order the expunction of remarks under Rule 261, and Rule 380 and 381 of the Rules of Procedure of the Rajya Sabha and Lok Sabha, respectively.

However, the relevance of the practice of expunging remarks has lately come into question, in a digital age where expunged content remains accessible due to the live telecast of proceedings and wider circulation of screenshots and videos on social media.

5.2. लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व:

- **पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है:**
  - पहली लोकसभा (1952) में 489 सांसदों में से 22 महिलाएं (4.5%) थीं।
  - 17वीं लोकसभा (2019) तक 543 सांसदों में से महिलाओं की संख्या बढ़कर 78 (14.4%) हो गयी।
  - 18वीं लोकसभा (2024) में 543 में से 74 महिला सांसद (13.6%) हैं।
- **2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच तुलना:**
  - भाजपा ने महिला उम्मीदवारों के लिए टिकटों का अनुपात 2019 में 12.6% से बढ़ाकर 2024 में 15.7% कर दिया।
  - कांग्रेस ने 2024 में 41 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा (2019 के समान), कम सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण 12.3% हिस्सेदारी बनाए रखी।
  - तृणमूल कांग्रेस ने 2019 में अपनी महिला उम्मीदवारों की संख्या 23 से घटाकर 2024 में 12 कर दी।
- महिला उम्मीदवारों के बीच भाजपा की सफलता दर अधिक उम्मीदवार मैदान में उतारने के बावजूद 2019 में 74.6% से घटकर 2024 में 44.9% हो जाएगी।
- कांग्रेस में महिला उम्मीदवारों की सफलता दर 2019 में 11.5% से बढ़कर 2024 में 18.8% हो गई, जिसमें 13 महिलाएँ निर्वाचित हुईं।
- 2024 में तृणमूल कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों में सफलता दर 91.6% थी, जिसमें 12 में से 11 निर्वाचित हुईं।
- 2024 में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशियों में सफलता दर 35.7% थी, जिसमें 14 में से 5 निर्वाचित हुईं।
- 2019 में तृणमूल कांग्रेस में 40.9% महिला सांसद थीं, जो 2024 में घटकर 37.9% हो गईं, जो सभी दलों में सबसे अधिक है।
- 2024 में भाजपा की महिला सांसदों की संख्या 12.9% होगी, जो 2019 में 13.5% थी।
- 2024 में कांग्रेस की महिला सांसदों की संख्या 13.1% होगी, जो 2019 के 13.5% के आंकड़े से थोड़ा कम है।
- **महिलाओं के मतदान पैटर्न विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थे:**
  - पश्चिम बंगाल: 53% महिला मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया, जिससे पार्टी को जीत मिली।
  - कर्नाटक: 52% महिला मतदाताओं ने भाजपा/एनडीए की तुलना में कांग्रेस को प्राथमिकता दी।
  - बिहार: 50% महिला मतदाताओं ने एनडीए का समर्थन किया, जबकि 37% ने इंडिया ब्लॉक का समर्थन किया।
  - हरियाणा: 49% महिला मतदाताओं ने कांग्रेस/भारत का समर्थन किया, जबकि 42% ने भाजपा/एनडीए का समर्थन किया।
  - मध्य प्रदेश: 60% महिला मतदाताओं ने भाजपा को चुना, जबकि 34% ने कांग्रेस को चुना।
  - दिल्ली: 57% महिला मतदाताओं ने भाजपा को चुना, जबकि 41% ने भारत को चुना।
  - राजस्थान: 55% महिला मतदाताओं ने भाजपा को चुना, जबकि 39% ने कांग्रेस को चुना।
  - उत्तर प्रदेश और तेलंगाना: थोड़ा पसंदीदा भारत ब्लॉक।
  - महाराष्ट्र: एनडीए को थोड़ा फायदा।

क्या आप जानते हैं?

अनुच्छेद 171: विधान परिषदों की संरचना

- विधान परिषद की सदस्य संख्या राज्य विधान सभा की सदस्य संख्या की **एक तिहाई तक हो सकती है।**
- ताकत **40 से कम नहीं होनी चाहिए** .
- एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और संसद द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा।
- एक-बारहवें सदस्यों का चुनाव भारत के किसी विश्वविद्यालय से कम से कम तीन वर्ष के स्नातक, या संसद द्वारा निर्दिष्ट समान योग्यता वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा।

- एक-बारहवें सदस्यों का चुनाव माध्यमिक विद्यालय और उससे ऊपर के स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों से अध्यापन कर रहे शिक्षकों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, या जैसा संसद द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
- एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे।
- शेष एक-छठा सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। उन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सहकारी आंदोलन (राज्यसभा के लिए सहकारी आंदोलन का उल्लेख नहीं किया गया है) में विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए।

5.3. दलबदल विरोधी कानून:

चर्चा में क्यों - झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने दो विधायकों लोबिन हेम्ब्रोम (झामुमो) और जेपी पटेल (भाजपा) को दलबदल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जो 26 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा। अयोग्यता **दलबदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत थी।**

- किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा या कर्तव्यों का परित्याग करना "दल-बदल" कहलाता है।
- संसद के सभी सांसद और राज्य विधानसभाओं के विधायक और विधान पार्षद दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आते हैं।
- दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य पद के लाभ या अन्य कारणों से विधायकों के दलबदल को रोकना है।
- दलबदल विरोधी कानून के पीछे का विचार राज्य और केंद्र स्तर पर सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- **दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के आधार:**
- **किसी राजनीतिक दल के सदस्यों के लिए:**
- यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
- यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल द्वारा निलंबित/निष्कासित किया जाता है तो यह दलबदल का आधार नहीं होगा।
- यदि कोई व्यक्ति पार्टी के व्हिप के विपरीत मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
- व्हिप एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों को मतदान करने या मतदान से दूर रहने का निर्देश देने के लिए किया जाता है।
- **स्वतंत्र सदस्यों के लिए:**
- यदि स्वतंत्र सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- **मनोनीत सदस्यों के लिए:**
- यदि मनोनीत सदस्य यदि वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं तो वे उस राजनीतिक दल का हिस्सा बने रहेंगे।
- यदि मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं, लेकिन नामांकन के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- **दलबदल विरोधी कानून से छूट:**
- यह कुछ मामलों में पीठासीन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है:
- यदि पीठासीन अधिकारी, निर्वाचित होने से ठीक पहले अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देता है, तथा अपने कार्यकाल के दौरान उस पार्टी में पुनः शामिल नहीं होता है या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होता है।
- यदि पीठासीन अधिकारी पद छोड़ने के बाद पुनः उस राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है जिससे वह जुड़ा था।
- राजनीतिक दलों के विलय के मामले में छूट:
- **91वें संविधान संशोधन अधिनियम में** यह प्रावधान किया गया कि यदि सदन में **किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य** किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो यह दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत अपवाद होगा।

- सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य के दलबदल पर निर्णय लेता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।

किहोतो होलोहोन बनाम ज़ाचिल्हू मामला:

- इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- अदालत ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकना और संसदीय कार्यवाही में धनबल की भूमिका को कम करना है।
- केंद्र और राज्य में सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करता है और इसलिए इसे संविधान के अन्य प्रावधानों के अपवाद के रूप में माना जा सकता है।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **सदन के पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं हो सकता** और वह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
- अदालत ने **अनुच्छेद 7 को न केवल न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन करने के आधार पर अवैध ठहराया, बल्कि इसलिए भी कि ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 386(2) के प्रावधान के अंतर्गत आता है और इसके लिए राज्य विधानमंडल के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है** ।
- दलबदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
- **दलबदल विरोधी कानून के पक्ष में तर्क :**
  - स्थिरता सुनिश्चित करता है.
  - यह खरीद-फरोख्त को रोकता है।
  - पार्टी के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करता है।
  - पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देता है।
  - संभावित भ्रष्टाचार को कम करता है.
- **दलबदल विरोधी कानून के खिलाफ तर्क:**
  - विधायकों की स्वतंत्रता ख़त्म हो गई है।
  - यह विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।
  - विधायक राजनीतिक दल की कठपुतली मात्र बन जाते हैं।
  - यह उच्च कमान संस्कृति को बढ़ावा देता है।
  - यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत को कमजोर करता है।

अभ्यास के लिए:

प्रश्नः भारत में दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

(यूपीएससी 2022)

1. कानून में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
2. कानून में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी दलबदल मामले पर निर्णय दे सके।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(ए) केवल 1

(बी) केवल 2

(ग) 1 व 2 दोनों

(घ) न तो 1 न ही 2

क्या आप जानते हैं?

कैबिनेट समिति	की अध्यक्षता में हुई
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति	प्रधान मंत्री

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति	**प्रधान मंत्री**
संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति	**रक्षा मंत्री**
राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति	**प्रधान मंत्री**
निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति	**प्रधान मंत्री**
कौशल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति	**प्रधान मंत्री**
आवास पर कैबिनेट समिति	**ग्रह मंत्री**

शासन (Governance)

1. क्या शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाया जाना चाहिए?

Should education be brought back to the State list?

When was the subject added to the concurrent list? How do other countries govern education?

GS II: Education

Rangarajan. R

The story so far:

The NEET-UG exam has been embroiled in controversies over the award of grace marks, allegation of paper leaks and other irregularities. The government also cancelled the UGC-NET exam after it was held, while the CSIR-NET and NEET-PG exams have been postponed.

What is the historical background?

The Government of India Act, 1935 during the British rule created a federal structure for the first time in our polity. The legislative subjects were distributed between the federal legislature (present day Union) and provinces (present day States). Education which is an important public good was kept under the provincial list. After independence, this continued and education was part of the 'State list' under the distribution of powers.

However, during the Emergency, the Congress party constituted the Swaran Singh Committee to provide recommendations for amendments to the Constitution. One of the recommendations of this committee was to place 'education' in the concurrent list in order to evolve all-India policies on the subject. This was implemented through the 42nd constitutional amendment (1976) by shifting 'education' from the State list to the concurrent list. There was no detailed rationale that was provided for this switch and the amendment was ratified by various States without adequate debate.

The Janata Party government led by Morarji Desai that came to power after Emergency passed the 44th constitutional amendment (1978) to reverse many of the controversial changes made through the 42nd amendment. One of these amendments that was passed in the Lok Sabha but not in the Rajya Sabha was to bring back 'education' to the State list.

What are international practices?

In the U.S., State and local governments set the overall educational standards, mandate standardised tests and supervise colleges and universities. The federal education department's functions primarily include policies for financial aid, focussing on key educational issues and ensuring equal access. In Canada, education is completely managed by the provinces. In Germany, the constitution vests legislative powers for education with landers (equivalent of States). In South Africa, on the other hand, education is governed by two national departments for school and higher education. The provinces of the country have their own education departments for implementing policies of the national departments and dealing with local issues.

What can be the way forward?

The arguments in favour of 'education' in the concurrent list include a uniform education policy, improvement in standards and synergy between Centre and States. However, considering the vast diversity of the country, a 'one size fits all' approach is neither feasible nor desirable. Further, as per the report on 'Analysis of Budgeted expenditure on Education' prepared by the Ministry of Education in 2022, out of the total revenue expenditure by education departments in our country estimated at ₹6.25 lakh crore (2020-21), 15% is spent by the Centre while 85% is spent by the States. Even if expenditure by all other departments on education and training are considered, the share works out to 24% and 76% respectively.

The arguments against restoring 'education' to State list include corruption coupled with lack of professionalism. The recent issues surrounding the NEET and NTA have however displayed that centralisation does not necessarily mean that these issues would vanish.

Considering the need for autonomy in view of the lion's share of the expenditure being borne by the States, there needs to be a productive discussion towards moving 'education' back to the State list. This would enable them to frame tailor-made policies for syllabus, testing and admissions for higher education including professional courses like medicine and engineering. Regulatory mechanisms for higher education can continue to be governed by central institutions like the National Medical Commission, University Grants Commission and All India Council for Technical Education.

Rangarajan. R is a former IAS officer and author of 'Polity Simplified'. Views expressed are personal.

THE GIST

- The Government of India Act, 1935 during the British rule created a federal structure for the first time in our polity.
- During the Emergency, the Congress party constituted the Swaran Singh Committee to provide recommendations for amendments to the Constitution. One of the recommendations of this committee was to place 'education' in the concurrent list.
- Considering the need for autonomy in view of the lion's share of the expenditure being borne by the States, there needs to be a discussion towards moving 'education' back to the State list.

2. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन:

No Indian industry presence in Board of National Research Foundation

GS Paper III: S&T

[redacted]

NEW DELHI

The Executive and Governing Boards of the Anusandhan National Research Foundation (ANRF) – a high-level body conceived to give strategic direction to scientific research in India – has no representation from Indian industry, suggests a perusal of the list of members made public by the Ministry of Science and Technology (MoST) earlier this week.

There is also no presence of State universities, which the ANRF had said would be among the major beneficiaries of the new structure.

The absence of Indian industry is glaring as the ANRF Act, passed in August 2023, was expected to galvanise research by having close to ₹36,000 crore or 70% of its five-year outlay of ₹50,000 crore from "non-government sources, industry & philanthropists, from domestic as well as outside sources".

Science Minister Jitendra Singh had said this in discussions surrounding the passage of the Bill in Parliament last year.

Appoint members

To this end, the text of the Act specifically empowered the President of the Governing Board – in this case the Prime Minister of India – to nominate or appoint up to "...five members from business organisation or industry", into the Board.

The 15-member Governing Board, as notified by the MoST, however, has only one industrialist – Romesh Wadhwani, an American billionaire of Indian origin and former CEO and chairperson of the Symphony Technology Group. There are two other Americans with Indian roots – Manjul Bhargava, Professor, Princeton University, U.S.; and Subra Suresh, Professor at Large, Brown University and former head of the U.S. National Research Foundation, from which the ANRF draws inspiration.

The foundation seeks to promote basic research in science and engineering.

Only two universities are represented in the Body by the Directors of the Indian Institute of Science, and the Tata Institute of Fundamental Research.

Ajay Sood, Principal Scientific Adviser to the Union government, is the Member Secretary of the governing body, with the rest of the members being the Ministers of Science, and Education, and the Secretaries of the departments under the MoST.

The ANRF replaces the Science and Engineering Research Board (SERB), established in 2008.

The ANRF is a significant reform in that it proposes a more expansive definition of research, which includes science, engineering, Information Technology, Liberal Arts, Social Sciences, and the Humanities – the ANRF Board has among its members Raghuvendra Tanwar, Chair, Indian Council of Historical Research.

3. केरल का चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम:

- **एफवाईयूजीपी** : केरल के उच्च शिक्षा संस्थानों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **शुभारंभ :** डिजिटल कौशल और ज्ञान अर्थव्यवस्था भागीदारी को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा शुरू किया गया।
- **कार्यान्वयन** : 2024-25 के लिए केरल, कालीकट, कन्नूर और महात्मा गांधी विश्वविद्यालयों के संबद्ध कॉलेजों में लागू किया जाएगा।
- **कार्यक्रम संरचना** : अंतःविषयक अध्ययन विकल्पों के साथ लचीले पाठ्यक्रम की अनुमति देता है।
- **संस्थागत भागीदारी** : कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, तथा थुंचत एझुथचन मलयालम विश्वविद्यालय यह कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।
- **लचीलापन** : छात्र अपने विषय चुन सकते हैं, सेमेस्टर-वार शैक्षणिक भार समायोजित कर सकते हैं, तथा आवश्यकतानुसार संस्थान या शिक्षण पद्धति बदल सकते हैं।

मार्ग के विकल्प क्या हैं?

- केरल ने 1 जुलाई को चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूजीपी) शुरू किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल को बढ़ाना और छात्रों को ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है।
- एफवाईयूजीपी को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए केरल, कालीकट, कन्नूर और महात्मा गांधी विश्वविद्यालयों के संबद्ध कॉलेजों में लागू किया गया।
- कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चार वर्ष के निकास विकल्प के साथ एकीकृत पांच वर्षीय कार्यक्रम प्रदान करते हैं।
- श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी , और थुंचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय भी FYUGP प्रदान करते हैं।
- इसकी विशेषताओं में छात्र-केंद्रित पाठ्यक्रम शामिल है, जिसमें विषयों के चयन और सीखने की गति में लचीलापन है।
- यह छात्रों को विषय और संस्थान बदलने की अनुमति देता है, तथा ऑफलाइन, दूरस्थ, ऑनलाइन और हाइब्रिड जैसे वैकल्पिक शिक्षण मोड प्रदान करता है।
- इसमें तीन वर्षीय स्नातक डिग्री, चार वर्षीय स्नातक ऑनर्स डिग्री, तथा शोध स्ट्रीम के साथ ऑनर्स डिग्री शामिल हैं।
- विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि एकतरफा तरीके से शुरू की गई इस नीति से मौजूदा कला और विज्ञान पाठ्यक्रम समाप्त हो सकते हैं।
- आलोचनाओं में गहन विषय अध्ययन की कमी और परिसरों में बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चिंताएं शामिल हैं।
- नये कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण के बारे में शिक्षकों की चिंता

4. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी):

- भारत का राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), जिसे पहले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के नाम से जाना जाता था, 1997 में शुरू की गई एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है।
- इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से 2025 तक भारत में तपेदिक (टीबी) को समाप्त करना है।
- यह कार्यक्रम देश भर में निःशुल्क टीबी निदान और उपचार सेवाएं प्रदान करता है, तथा "रोकथाम, पता लगाना, उपचार और निर्माण" रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **एनटीईपी के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:**

- **नामित माइक्रोस्कोपी केंद्र (डीएमसी)** : ये केंद्र टीबी के निदान के लिए ज़िएल- नील्सन धुंधलापन के साथ थूक स्मीयर माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। उच्च निदान सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रोगियों से दो थूक के नमूनों का परीक्षण किया जाता है।
- **रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब** : कार्ट्रिज-आधारित न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (CBNAAT) और ट्रूनेट का उपयोग करते हुए , ये लैब तेजी से टीबी का निदान करते हैं और रिफैम्पिसिन प्रतिरोध का पता लगाते हैं। पूरे भारत में लगभग 1200 CBNAAT और 200 ट्रूनेट लैब हैं।
- **संस्कृति और औषधि संवेदनशीलता परीक्षण प्रयोगशालाएं (सीएंडडीएसटी)** : ये प्रयोगशालाएं दवा प्रतिरोध के परीक्षण के लिए लाइन प्रोब परख और तरल और ठोस संस्कृति जैसे उन्नत परीक्षण प्रदान करती हैं।
- **उपचार सेवाएँ** : यह कार्यक्रम कई एंटी-टीबी दवाओं के साथ मानकीकृत उपचार व्यवस्था प्रदान करता है। नए मामलों में पहली पंक्ति की दवाओं का छह महीने का उपचार दिया जाता है, जबकि दवा प्रतिरोधी मामलों का इलाज 13 दवाओं के विभिन्न संयोजनों से किया जाता है।
- एनटीईपी में निजी क्षेत्र में उपचार चाहने वाले टीबी रोगियों की महत्वपूर्ण संख्या को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी शामिल है। हालांकि, निजी प्रदाताओं के बीच एनटीईपी प्रोटोकॉल का पालन परिवर्तनशील है, जिससे उपचार की स्थिरता और गुणवत्ता के साथ समस्याएं होती हैं। परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र में टीबी विरोधी उपचार व्यवस्था को नियमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नियुक्ति:

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक **डॉ. सौम्या स्वामीनाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है** ।
- वह राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के लिए निःशुल्क आधार पर **यह भूमिका निभाएंगी।**
- डॉ. स्वामीनाथन चेन्नई में रहेंगी, जहां वह कृषि और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का नेतृत्व करेंगी।
- प्रधान सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका में एनटीईपी लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति पर तकनीकी सलाह प्रदान करना और अनुसंधान रणनीतियों पर सलाह देना शामिल है।

गोरखपुर में पहली बार
दैनिक करेंट अफेयर्स Offline (फेस टू फेस) Class
हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध
दैनिक प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
दैनिक मुख्य अभ्यास प्रश्न
शुल्क: 1500 रुपये प्रति माह
वन टू वन मेंटरिंग
Daily Class Notes
Address: पैडलीगंज रोड, राजबंशी अस्पताल के पास,
संपर्क नंबर: 9971932488

5. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए)

- **उद्देश्य:** कुछ व्यक्तियों, संगठनों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करना तथा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होने पर ऐसे योगदान को प्रतिबंधित करना।
- **पूर्ववर्ती:** 1976 अधिनियम की कमियों को ठीक किया गया।
- **द्वारा पारित:**
  - राज्य सभा: 19 अगस्त 2010
  - लोकसभा: 27 अगस्त 2010
- **स्वीकृति:** 26 सितम्बर 2010
- **प्रारंभ:** 1 मई 2011

संशोधन:

- **2020 संशोधन:**
  - गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया।
  - एनजीओ पदाधिकारियों के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य।
  - सरकार विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए "संक्षिप्त जांच" कर सकती है।
  - पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा है।
  - 21 सितंबर 2020 को लोकसभा और 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।
- **2022 संशोधन:**
  - विदेशी निधियों की तिमाही घोषणा की आवश्यकता वाले प्रावधान को हटा दिया गया।
  - अब मंत्रालय या संगठन की वेबसाइट पर वार्षिक ऑडिटेड बैलेंस शीट दाखिल करना आवश्यक होगा।

विवाद:

- **एनजीओ प्रभाव:** खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेशी वित्त पोषण वाले कुछ एनजीओ विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है।
- **शैक्षिक संस्थान:** जेएनयू, आईआईटी-कानपुर और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थानों का पंजीकरण उचित एफसीआरए खाते न रखने के कारण रद्द कर दिया गया था, बाद में जामिया के लिए इसे बहाल कर दिया गया।
- **ग्रीनपीस इंडिया:**
  - विकास गतिविधियों में बाधा डालने और अमेरिका आधारित सौर ऊर्जा उपकरणों को बढ़ावा देने के कारण एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
  - राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और बढ़ते प्रभाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप।
- **तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ:** कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना।
- **कम्पैशन इंटरनेशनल:** धार्मिक रूपांतरण को प्रोत्साहित करने के आरोपों के बीच विदेशी फंडिंग की अनुमति न मिलने के कारण बंद।
- **एमनेस्टी इंटरनेशनल:** 2020 के संशोधन के बाद भारत सरकार द्वारा वित्तीय रोक के कारण भारत में परिचालन बंद कर दिया गया।

NGO working on rights issues loses FCRA registration

Ministry tells CACIM that cancellation is due to incorrect filings of returns in 2018 and 2019; Centre for Financial Accountability is one of its projects

GS Paper II: Governance: NGOs

NEW DELHI

The Union Home Ministry on Wednesday cancelled the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) registration of the parent entity of the non-profit Centre for Financial Accountability (CFA), which monitors and critically analyses the role of financial institutions and their impact on development, human rights, and the environment.

In a recent report, the CFA had highlighted how additional projects sanctioned in a Special Economic Zone operated by the Adani Group in the Kutch region of Gujarat "will compound environmental hazards and increase health risks for the people while further polluting the environment and accelerating degradation of the ecology".

In December 2023, the CFA organised an online meeting with the All-India Bank Officers Confederation to discuss the issues faced by public sector banks and the road ahead.

Speaking with *The Hindu*, Joe Athialy, Executive Director, CFA said they were yet to receive the orders cancelling the FCRA registration of CACIM (India Institute for Critical Action Centre in Movement), but they had been informed online. CFA is one of the projects of CACIM.

"We have been told that the cancellation is due to the incorrect filings [of return] of financial years 2018 and 2019. This may be just an excuse, as they had all the years to ask us to rectify the mistakes. We certainly believe that the work we did has contributed to this action," Mr. Athialy said. He said the government wanted to throttle the organisations that were critical of its work.

"We are not going to get bogged down by such actions. We will continue our work. We recognise that the government wanted to throttle our work. We will find innovative ways to carry forward our work, which includes domestic donations. There is a life beyond FCRA," he said.

Earlier in January, the Ministry cancelled the FCRA registration of Centre for Policy Research (CPR), a leading public policy research institution in New Delhi.

Since 2015, the FCRA registration of more than 16,000 NGOs have been cancelled on account of "violation." As on Wednesday, there were 15,946 FCRA-registered NGOs active in the country. The FCRA registration of nearly 6,000 NGOs had ceased to operate from January 1, 2022 as the Ministry either refused to renew their application or the NGOs did not apply for renewal.

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ:

- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:** जिनेवा में 2017 की सहकर्मी समीक्षा के दौरान एफसीआरए अधिनियम की मनमानी के लिए अमेरिका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों की आलोचना का सामना करना पड़ा।
- **एफसीआरए रिश्वत घोटाले:**
- **सीबीआई छापे:** मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वतखोरी में शामिल एफसीआरए अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ शुरू किए गए।

6. सीबीआई का क्षेत्राधिकार:

- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस अधिकार को बरकरार रखा, जिसके तहत वह केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। केंद्र सरकार ने 16 नवंबर, 2018 को सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया है।
- **प्रारंभिक आपत्तियाँ:** केंद्र ने तर्क दिया कि उसे मुकदमे में प्रतिवादी नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह सीबीआई को नियंत्रित नहीं करता है, उसका दावा है कि यह एक स्वतंत्र एजेंसी है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया।
- **डीएसपीई अधिनियम, 1946:** न्यायालय ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के प्रावधानों की जांच की, जो सीबीआई को नियंत्रित करता है, और निष्कर्ष निकाला कि सीबीआई पर शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और अधीक्षण भारत सरकार के पास निहित हैं।
- **कार्रवाई का कारण:** न्यायालय ने पाया कि पश्चिम बंगाल के मुकदमे में संवैधानिक अतिक्रमण के बारे में वैध चिंताएं उठाई गई हैं और निर्णय लिया कि मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर पूर्ण सुनवाई के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तथा अगली सुनवाई 13 अगस्त के लिए निर्धारित की गई है।
- **सामान्य सहमति:** डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत, राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच शुरू करने के लिए सीबीआई को सहमति देनी होगी, विशेष रूप से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में, जो राज्य के विषय हैं।
- **सामान्य सहमति का निरसन:** 2015 से छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने अपनी सामान्य सहमति को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई सीबीआई को संबंधित राज्य सरकारों से विशेष अनुमति के बिना नई जांच शुरू करने से रोकती है।
- **विवाद:** राज्यों का आरोप है कि केंद्र राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करता है, जिसके कारण राज्य के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है।
- **प्रभाव:** सामान्य सहमति के बिना, इन राज्यों में नए मामलों की जांच करने की सीबीआई की क्षमता गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाएगी, तथा प्रत्येक मामले के लिए उसे राज्य सरकारों से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर मामले में क्या आरोप लगाया गया है ?

- **पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मूल मुकदमा:** अगस्त 2021 में, पश्चिम बंगाल ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक मूल मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में तर्क दिया गया कि 2018 में सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद राज्य में सीबीआई की भागीदारी सहित केंद्र सरकार की कार्रवाइयों ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है।
- **मुकदमे का आधार:** पश्चिम बंगाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद, एजेंसी ने राज्य में नए मामले दर्ज करना जारी रखा, जिनकी कुल संख्या 12 हो गई। राज्य ने इसे "संवैधानिक अतिक्रमण" माना और इन मामलों को रद्द करने तथा सीबीआई पर कोई भी नया मामला दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग की।

- **अनुच्छेद 131 क्षेत्राधिकार:** संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 131 के तहत किसी मुकदमे को बनाए रखने के लिए, इसमें संघ और एक या अधिक राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण विवाद शामिल होना चाहिए।
- **न्यायिक मिसालें:** कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) और राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ (1977) जैसे पिछले मामलों में , सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सिद्धांतों को कायम रखने और संघीय अतिक्रमण के खिलाफ राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 131 की व्यापक व्याख्या पर जोर दिया था।
- **केंद्र सरकार का बचाव :** सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि अनुच्छेद 131 के तहत 'राज्य' न होने के कारण सीबीआई को ऐसे विवादों में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने शुरू में दावा किया कि सीबीआई केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से काम करती है।
- **सीबीआई की संघीय प्राधिकरण पर निर्भरता:** प्रारंभिक दलीलों के बावजूद, तुषार मेहता ने स्वीकार किया कि सीबीआई डीएसपीई अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार से स्पष्ट प्राधिकरण के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती है, जो कुछ हद तक नियंत्रण का संकेत देता है।
- **राज्य की संप्रभुता के लिए तर्क:** वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह मामला सीबीआई की परिचालन स्वतंत्रता से परे है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या एजेंसी राज्य द्वारा सहमति वापस लेने की अवहेलना कर सकती है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि एक बार जब राज्य द्वारा सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई के पास उस राज्य के भीतर काम करने का अधिकार नहीं रह जाता है।

फैसले में क्या कहा गया?

- **डीएसपीई अधिनियम पर न्यायालय की टिप्पणियां:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार के पास सीबीआई पर महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें इसका गठन, इसके द्वारा जांचे जाने वाले अपराधों के प्रकार और इसका प्रशासन शामिल है।
  - इसने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर, जहां केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी है, अन्य सभी मामलों में डीएसपीई का अधीक्षण डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार केंद्र सरकार के पास रहता है।
  - डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है, जिससे एजेंसी की गतिविधियों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका मजबूत होती है।
- **स्वतंत्रता बनाम प्रशासनिक नियंत्रण:**
  - जांच करने में सीबीआई की परिचालन स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने जोर देकर कहा कि यह स्वायत्तता केंद्र सरकार में निहित प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण को कम नहीं करती है।
  - इसने सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को खारिज कर दिया कि सीबीआई केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करती है।
- **फैसले के निहितार्थ:**
  - जिन राज्यों ने अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है, वहां सीबीआई को जांच की अनुमति देने से केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, विशेषकर इसलिए क्योंकि संविधान के तहत पुलिसिंग राज्य का विषय है।
  - सीबीआई को ऐसी शक्तियां प्रदान करने से इसकी शक्तियां राज्य पुलिस बलों के बराबर हो जाएंगी, जिससे संघीय सिद्धांतों और राज्य की स्वायत्तता से समझौता हो सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की स्वायत्तता पर उसकी टिप्पणियां प्रारंभिक आपत्तियों को दूर करने के लिए की गई थीं तथा यह पश्चिम बंगाल के मुकदमे के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करतीं।

- **व्यापक कानूनी संदर्भ:**
  - पश्चिम बंगाल के मुकदमे पर अंतिम निर्णय, केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच क्षेत्राधिकार और संघवाद को लेकर विवादों से जुड़े इसी तरह के लंबित मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
  - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय से जुड़ा एक अन्य मामला विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में चल रही कानूनी चुनौतियों को रेखांकित करता है।

7. डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा:

What is the draft Digital Competition Bill?

How is an ex-post framework different from an ex-ante framework? Why does the draft Bill encourage an ex-ante competition regulation? What framework does the European Union follow? What are systemically significant digital enterprises?

GS Paper II: Governance

Trishee Goyal

The story so far:

In February 2023, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) constituted a Committee on Digital Competition Law (CDCL) to examine the need for a separate law on competition in digital markets. The CDCL deliberated on the issue for a year and came to the conclusion that there was a need to supplement the current ex-post framework under the Competition Act, 2002 with an ex-ante framework. It laid out this ex-ante framework in the draft Digital Competition Bill.

What is an ex-ante framework?

The Competition Act, 2002 is the primary legislation concerned for preventing practices that have an adverse effect on competition. It establishes the Competition Commission of India (CCI) as the national competition regulator. As with competition law in all other jurisdictions, the Competition Act, 2002 is based on an ex-post framework. This means that the CCI can use its powers of enforcement only after the anti-competitive conduct has occurred.

In the case of digital markets, the CDCL has advocated for an ex-ante competition regulation. This means that they want the CCI's enforcement powers to be supplemented such that it allows it to pre-empt and prevent digital enterprises from indulging in anti-competitive conduct in the first place.

Ex-ante competition regulation is unusual. The European Union is the only jurisdiction where a comprehensive ex-ante competition framework, under the Digital Markets Act, is currently in force. The CDCL agrees with this approach because of the unique characteristics of digital markets. First, digital enterprises enjoy economies of scale and economies of scope, that is, reduction in cost of production per unit as the number of units increase and reduction in total costs of production with increase in number of services respectively. This propels them to grow rather quickly as compared to players in the traditional market. Second, this growth is aided by network effects – utility of the digital services increases with the increase in the number of users.

ISTOCKPHOTO

In this context, given that markets can tip relatively quickly and irreversibly in favour of the incumbents, it was found that the extant framework provided for a time consuming process, allowing offending actors to escape timely scrutiny. Therefore, the CDCL has advocated for preventative obligations to supplement the ex-post facto enforcement framework.

What is the draft's basic framework?

The draft Bill follows the template of the EU's Digital Markets Act. It does not intend to regulate all digital enterprises, and places obligations only on those that are "dominant" in digital market segments. At present, the draft Bill identifies ten 'core digital services' such as online search engines, social networking services, video sharing platform services etc. The draft Bill prescribes certain quantitative standards for the CCI to identify dominance of digital enterprises. These are based on the 'significant financial strength' test which looks at financial parameters and 'significant spread' test based on the number of users in India. Even if the digital enterprise does not meet quantitative standards, the CCI may designate an entity as a "systemically significant digital enterprise (SSDE)" based on qualitative standards.

The primary obligation of SSDEs is to not indulge in anti-competitive practices. These require the SSDE to operate in a fair, non-discriminatory and transparent manner with its users. The draft Bill prohibits SSDEs from favouring its own products on its platform over those of third parties (self-preferencing); restricting availability of third party applications and not allowing users to change default settings; restricting businesses users of the service from directly communicating with their end users (anti-steering) and tying or bundling of non-essential services to the service being demanded by the user. SSDEs also cannot cross utilise user data collected from the core digital service for another service and non-public data of users cannot be used to give unfair advantage to the SSDE's own service.

What has been the response?

The overriding sentiment towards the draft Bill has been one of opposition. First, there is considerable scepticism on how well an ex-ante model of regulation will work. This stems in part from the fact that it seems to be transposed from the EU to India without taking into account differentiating factors between the two jurisdictions and the lack of evidence of it actually working well there. This is compounded by concerns of its potential negative effects on investments for start-ups in India and that they might be deterred to scale up to prevent meeting quantitative thresholds. Studies have also shown that restrictions on tying and bundling and data usage would negatively impact MSMEs that have come to rely significantly on big tech to reduce operational costs and enhance customer outreach.

Interestingly, a group of Indian start-ups have supported the draft Bill arguing that it would address concerns against monopolistic practices by big tech. However, they have argued for a revision of financial and user based thresholds citing concerns that it may lead to domestic start-ups being brought within the regulatory net.

The writer is a technology policy consultant.

THE GIST

- In February 2023, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) constituted a Committee on Digital Competition Law (CDCL) to examine the need for a separate law on competition in digital markets.
- In the case of digital markets, the CDCL has advocated for an ex-ante competition regulation. This means that they want the CCI's enforcement powers to be supplemented such that it allows it to pre-empt and prevent digital enterprises from indulging in anti-competitive conduct in the first place.
- The overriding sentiment towards the draft Bill has been one of opposition. First, there is considerable scepticism on how well an ex-ante model of regulation will work. This stems in part from the fact that it seems to be transposed from the EU to India without taking into account differentiating factors between the two jurisdictions.

8. IAS प्रोबेशनर के लिए नियम:

परीक्षा का आयोजन कौन करता है? अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है?

- यूपीएससी ने 19 जुलाई को परिवीक्षा पर 2022 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया और सिविल सेवा परीक्षा-2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
- सुश्री खेडकर ने कथित तौर पर अपनी पहचान बदलकर धोखाधड़ी से अनुमत सीमा से अधिक प्रयास किए।
- सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद सुश्री खेडकर को पुणे से महाराष्ट्र के वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया था।
- उन्होंने कथित तौर पर विशेष सुविधाओं की मांग की, जिनकी वह हकदार नहीं थीं, जैसे अलग कार्यालय, घर, कार और स्टाफ।
- सेवानिवृत्त नौकरशाह की बेटी सुश्री खेडकर ने कथित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उनकी उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरणों की पुष्टि के लिए एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया।
- समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 2023 में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने नोट किया कि सुश्री खेडकर ने दिल्ली के एम्स में एक मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी विकलांगता साबित करने के लिए छह मेडिकल परीक्षाओं में भाग नहीं लिया था।
- कैट के आदेश में कहा गया है कि उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- इसके बावजूद, सुश्री खेडकर को 2022 में फिर से परीक्षा देने के बाद सेवाओं में शामिल किया गया और उन्हें एक अलग श्रेणी के तहत पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण लाभ प्राप्त हुआ।
- सुश्री खेडकर ने फर्जी पहचान के आधार पर 12 बार सिविल सेवा परीक्षा दी।
- सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 32 वर्ष की आयु तक छह प्रयास, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को क्रमशः 35 और 42 वर्ष की आयु तक नौ प्रयास तथा एससी/एसटी अभ्यर्थियों को 37 वर्ष की आयु तक असीमित प्रयास की अनुमति है।

दस्तावेजों की जांच कैसे की जाती है?

- यूपीएससी केंद्र सरकार के लिए परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित करता है तथा विभिन्न सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है।
- अभ्यर्थियों को एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए अपने आरक्षण दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- यूपीएससी प्रारंभ में इन दस्तावेजों की जांच करता है।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद सभी अभ्यर्थियों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा जांच से गुजरना पड़ता है।
- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को एम्स, दिल्ली में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा।
- इसके बाद फाइलें डीओपीटी को भेजी जाती हैं, जो कोटा के आधार पर सेवाएं आवंटित करता है।
- परिवीक्षा अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- परिवीक्षा से सेवा में आमेलन के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन किया जाता है।
- परिवीक्षा महज एक औपचारिकता नहीं है।
- परिवीक्षा के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई में सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है।
- यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, अयोग्य पाया जाता है, सेवा के लिए अनुपयुक्त है, अध्ययन या कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, या उसके मन और चरित्र में आवश्यक गुणों का अभाव है, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है।

9. उचित आवास और विकलांगता अधिकार:

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 उचित समायोजन (आरए) को विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने वाले समायोजन के रूप में परिभाषित करता है।
- आर.ए. में रैम्प का निर्माण, सहायक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना, नौकरी की आवश्यकताओं का पुनर्गठन, तथा कार्यस्थल नीतियों में संशोधन करना शामिल हो सकता है।
- यदि संस्थाएं यह साबित कर सकें कि इससे उन पर अनुचित बोझ पड़ेगा तो उन्हें आर.ए. से छूट दी जाएगी।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरपीडी) अनुचित बोझ निर्धारित करने के लिए कारक प्रदान करता है।
- भारतीय संस्थाएं आरए की लागत वहन करने में अनिच्छुक हैं, तथा अक्सर वास्तविक कठिनाई के बजाय तात्कालिकता के लिए अनावश्यक बोझ का हवाला देती हैं।

- पूर्वाग्रह और लागत संबंधी चिंताएं उपयोगितावादी दृष्टिकोण को जन्म देती हैं, जिससे दिव्यांगजनों के अधिकारों से समझौता होता है।
- दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुचित बोझ के लिए एक समान कानूनी मानक की आवश्यकता है।
- इस मानक के अनुपालन के लिए यह आवश्यक है कि संस्थाएं आर.ए. को लाभकारी निवेश के रूप में देखें।
- भारत का संविधान राज्य को समानता के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए बाध्य करता है, तथा दिव्यांगजनों के लिए सुलभ संस्थानों की आवश्यकता बताता है ।
- राज्य को सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जो दिव्यांगजनों के लिए आवास को अनिवार्य और प्रोत्साहित करे ।

एक मॉडल जिसे क्रियान्वित किया जा सकता है

- अधिकांश अनुरोधित आर.ए. की कम लागत के बारे में संस्थाओं को संवेदनशील बनाएं।
- आर.ए. के लिए संस्थाओं को लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करें, जैसे कटौती, सब्सिडी या कर क्रेडिट।
- संसाधनों की कमी के कारण वास्तविक कठिनाई का प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं के साथ आर.ए. की लागत साझा करें।
- दिव्यांगजनों के प्रति असुविधा और कलंक को कम कर सकता है तथा संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ा सकता है।
- यह मॉडल आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करके व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 86 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के योगदान से दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष के निर्माण पर प्रकाश डाला गया है ।
- आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के नियम 42 में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय निधि का उपयोग करने का आदेश दिया गया है ।
- राष्ट्रीय कोष का अभी भी कम उपयोग हो रहा है, इसका दायरा सीमित है तथा कवरेज भी कम है।
- राष्ट्रीय कोष में धन का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना तथा मौजूदा धन का अनुकूलतम उपयोग करना।
- प्रत्येक वार्षिक बजट में राष्ट्रीय कोष को एक अलग लाइन मद के रूप में नामित करें तथा इसके वितरण के लिए नियम बनाएं।

कल्याणकारी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना

- संस्थाओं को अपने संसाधन घाटे का आकलन करना चाहिए, जो उन्हें आर.ए. प्राप्त करने से रोक रहा है, तथा प्राप्त होने वाले किसी भी प्रोत्साहन पर विचार करना चाहिए।
- कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कोष के शासी निकाय को अनुरोध प्रस्तुत करें।
- अनुरोधों में वित्तीय संसाधनों, बाह्य वित्तपोषण तक पहुंच, तथा वैकल्पिक, लागत प्रभावी आर.ए. की कमी का विवरण शामिल होना चाहिए।
- राष्ट्रीय कोष का निर्दिष्ट प्राधिकारी संसाधन-घाटे के दावों की पुष्टि के लिए तथ्य-खोजी जांच करेगा।
- शासी निकाय, अनुरोधित आर.ए. की आनुपातिकता का आकलन करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय से परामर्श करता है।
- प्रोत्साहन एवं लागत-साझाकरण मॉडल का उद्देश्य है:
    - दिव्यांगजनों को समायोजित करने में संस्थानों की अनिच्छा को कम करना ।
    - नये और उभरते संस्थानों के लिए सकारात्मक बाज़ार परिणाम प्रदान करना।
    - सुनिश्चित करें कि संस्थाएं आरए लागतों से बचने से पहले 'अनुचित बोझ' की एक समान कानूनी सीमा को पूरा करें।

10. सरकारी योजनाएँ:

10.1 सामर्थ्य:

उद्देश्य: सामर्थ्य एक व्यापक योजना है जो महिला सशक्तिकरण के लिए कई मौजूदा योजनाओं को समाहित करती है। यह आश्रय, आय सृजन, कौशल विकास और समग्र कल्याण के लिए व्यापक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

सामर्थ्य के घटक:

- **उज्ज्वला:** गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली पात्र महिलाओं को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, जिससे स्वच्छ और स्वस्थ खाना पकाने के माहौल को बढ़ावा मिलता है।
- **स्वाधार गृह :** घरेलू हिंसा, तस्करी की शिकार या बेघर जैसी कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को अल्पकालिक आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है।
- **कामकाजी महिला छात्रावास:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वेतन की हानि के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय क्रेच योजना (पालना):** कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए सुरक्षित डेकेयर सुविधाएं प्रदान करती है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अंतराल वित्तपोषण:** एक नया घटक जो महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित अन्य योजनाओं में महत्वपूर्ण अंतराल के लिए लचीला वित्तपोषण प्रदान करता है।

पात्रता:

- यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, हिंसा की शिकार महिलाओं और कठिन परिस्थितियों वाली महिलाओं को लक्षित करती है।

फ़ायदे:

- बेहतर जीवन स्थितियां, सुरक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच।
- वेतन हानि और बाल देखभाल आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता।
- आय सृजन के लिए कौशल विकास के अवसर।
- चुनौतियों का सामना कर रही महिलाओं के लिए कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता।

10.2. स्वाधार गृह

उद्देश्य: स्वाधार गृह समर्थ्य अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट घटक है। यह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को अल्पकालिक (3 महीने तक की अवधि, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है) आवासीय देखभाल प्रदान करता है।

पात्रता:

- कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाएं जैसे घरेलू हिंसा, मानव तस्करी की शिकार या बेघर महिलाएं।
- सामान्यतः आयु सीमा 18-60 वर्ष है, कुछ श्रेणियों के लिए अपवाद है।

फ़ायदे:

- भोजन, कपड़े और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के साथ सुरक्षित और संरक्षित आश्रय।
- आघात से उबरने में सहायता के लिए परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता।
- न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी सहायता और मार्गदर्शन।
- रोजगार क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण।

10.3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) :

उद्देश्य: पीएमएमवीवाई एक मातृत्व लाभ योजना है जिसका उद्देश्य वेतन हानि की भरपाई करना और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है।

पात्रता:

- मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (एमसीटीएस) के तहत गर्भधारण पूर्व और मातृत्व देखभाल के लिए पात्र हैं।

फ़ायदे:

- प्रसव के बाद पहले तीन महीनों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की नकद प्रोत्साहन राशि, कुल 15,000 रुपये।

10.4. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय):

उद्देश्य: यह प्रमुख कार्यक्रम बच्चों (6 वर्ष से कम), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) में कुपोषण से निपटने के लिए है। यह बेहतर पोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर केंद्रित है।

पात्रता:

- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं।
- 14-18 वर्ष की किशोर लड़कियां।

फ़ायदे:

- **पोषण सहायता:** कार्यक्रम में गर्म पका हुआ भोजन, घर ले जाने योग्य राशन और सूक्ष्म पोषक पूरकता प्रदान की जाती है।
- **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई):** यह बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय शिक्षा, खेल-आधारित शिक्षण गतिविधियां और स्वास्थ्य जांच प्रदान करता है।
- **बुनियादी ढांचे का उन्नयन:** एलईडी स्क्रीन, आरओ वाटर प्यूरीफायर, स्मार्ट लर्निंग एड्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी (जहां उपलब्ध हो) जैसी बेहतर सुविधाओं के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन।
- **जागरूकता अभियान:** यह कार्यक्रम पोषण, स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।

10.5. मिशन वात्सल्य (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय):

उद्देश्य: यह मिशन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बच्चों की भलाई, सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसमें संस्थानों में रहने वाले बच्चे, देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चे (CICP) और कमज़ोर बच्चे शामिल हैं।

पात्रता:

- अनाथालयों, आश्रय गृहों और अवलोकन गृहों सहित बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) में रहने वाले बच्चे।
- देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीआईसीपी) जैसे परित्यक्त बच्चे, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण के शिकार बच्चे।
- विभिन्न जोखिमों या अभावों का सामना कर रहे कमजोर बच्चे।

फ़ायदे:

- **बेहतर देखभाल और संरक्षण:** मिशन का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे में सुधार, और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके सीसीआई में प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता को मजबूत करना है।
- **बाल ट्रैकिंग प्रणाली:** इसका उद्देश्य गुमशुदा बच्चों के लिए एक मजबूत ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना है।
- **पालन-पोषण देखभाल के लिए समर्थन:** यह मिशन कमजोर बच्चों के लिए वैकल्पिक देखभाल के विकल्प के रूप में पालन-पोषण देखभाल को बढ़ावा देता है।
- **जीवन कौशल विकास:** यह बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण से लैस करने पर केंद्रित है।

10.6. मिशन शक्ति (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय):

उद्देश्य: यह मिशन आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह महिलाओं के लिए उद्यमशीलता, नेतृत्व कौशल और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

पात्रता:

- सभी आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाएं, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)।

फ़ायदे:

- **कौशल विकास और उद्यमिता:** मिशन शक्ति महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने और चलाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **वित्तीय समावेशन:** यह महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देता है।
- **नेतृत्व विकास:** मिशन नेतृत्व प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है।
- **अभिसरण:** यह समग्र महिला विकास के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. भारत रूस संबंध:

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूस यात्रा, जो उनके तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, ने अमेरिका और यूरोप में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर दी हैं।
- मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी भरे स्वागत की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने आलोचना की तथा अमेरिकी अधिकारियों ने असंतोष व्यक्त किया।
- भारत ने विदेश नीति में अपनी "पसंद की स्वतंत्रता" पर जोर दिया है, तथा यह आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि उसका व्यापक दृष्टिकोण नहीं बदला है।
- यूक्रेन संघर्ष के दो वर्ष बाद मोदी की यात्रा का समय उल्लेखनीय है, विशेषकर इसलिए क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2022 और 2023 में होने वाले भारत-रूस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था।
- मोदी के पहले के सार्वजनिक वक्तव्यों, जैसे कि "यह युग युद्ध का नहीं है", से संघर्ष के प्रति सतर्कतापूर्ण रुख का संकेत मिलता है।
- यूक्रेन संघर्ष की प्रकृति बदल गई है: रूस को आरंभ में महत्वपूर्ण असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिनमें असफल आक्रमण, यूक्रेनी प्रतिरोध को कम आंकना, तथा भारी क्षति शामिल है।
- वर्तमान में, रूस पूर्वी यूक्रेन में अपने क्षेत्रीय लाभ को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में है, जिसे उसने संवैधानिक परिवर्तनों के माध्यम से मजबूत किया है।
- पश्चिमी देश अब स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन (जून 2024) के बाद शांति प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं।
- भारत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सबसे संभावित परिणाम एक रुका हुआ संघर्ष ही है, जिसमें किसी भी परिवर्तन के लिए यूक्रेन द्वारा महत्वपूर्ण वृद्धि तथा उसके पश्चिमी सहयोगियों से अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी।
- भारत को अमेरिकी नेतृत्व में संभावित परिवर्तन के साथ वाशिंगटन के रुख में बदलाव की आशंका है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कीव के प्रति कम प्रतिबद्ध और मास्को के प्रति कम विरोधी हो सकते हैं।
- मोदी की रूस यात्रा इस विश्वास को प्रतिबिंबित करती है कि रूस ने संघर्ष के सबसे बुरे दौर को झेल लिया है और वार्षिक शिखर सम्मेलनों में व्यवधान डालना द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा।
- भारत-रूस संयुक्त वक्तव्य के शब्दों में संघर्ष को "यूक्रेन में" के बजाय "यूक्रेन के आसपास" बताया गया है, जो रूसी दावों को सूक्ष्मता से स्वीकार करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांति प्रस्तावों के प्रति भारत की सराहना रूसी रुख के साथ कुछ हद तक तालमेल का संकेत देती है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की आलोचना करने से परहेज किया है, जिसमें हाल ही में 11 जुलाई 2024 को युद्ध विराम प्रस्ताव के संबंध में मतदान भी शामिल है।

Patriotic IAS

- यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत और कुछ मानवीय सहायता के बावजूद, भारत ने अन्य यूक्रेनी अनुरोधों पर हिचकिचाहट दिखाई है, जैसे कि भारतीय कंपनियों को बुनियादी ढांचे और चिकित्सा आवश्यकताओं में सहायता करने की अनुमति देना।

'India and Russia have doubled rupee-rouble payments in 2024'

According to figures shared by Russia's state-controlled Sberbank, the number of transactions has also increased; despite Western sanctions, businessmen push for Indian manufacturers to look towards Moscow and counter China's inroads

GS Paper II: international Relations

S
N

India and Russia have doubled their payments in national currencies (rupee-rouble) since last year despite sanctions by the U.S. and European Union, says Russia's state-controlled and largest bank, Sberbank, that handles a majority of payments for Indian exports to Russi. Rupee deposits by Indian corporates have also increased multifold in 2024.

According to figures shared by Sberbank, in January-June 2024, the volume of payments processed doubled from the January-June 2023 amount, and the number of transactions Sberbank handled increased by 80% in the first half of 2024.

While Sberbank has operated branches in India since 2010, sanctions were imposed by the U.S. in the immediate aftermath of Russia's invasion of Ukraine in February 2022, and then by the European Union in July 2022.

The surge may rise further after Prime Minister Narendra Modi's visit to Moscow last week, economists and Indian businessmen working in Russia hope, warning that in the absence of the Indian rupee, Chinese businesses and the yuan would continue to benefit from the "vacuum" created by the exit of Western companies.

"We are witnessing an increase in trust towards the rupee from our clients. Today, not only have rupee-denominated current accounts become a reality, but also rupee deposits, which businesses are showing great interest in. Since the beginning of the year, the volume of corporate deposits in rupees has increased sixfold," a Sberbank spokesperson told *The Hindu* in response to queries about potential growth areas, adding that the rupee is now "easily convertible" in Russia, and that Sberbank hopes to serve as a "Sherpa" for more businesses given the

Boost to trade: Sberbank says it is witnessing an increase in trust towards the Indian rupee from its clients. REUTERS

$100 billion trade target by 2030 set by Mr. Modi and Russian President Vladimir Putin during talks.

"Prime Minister Modi's journey to Moscow was very important because it was the first visit at a time when economic cooperation between the two countries has come to a qualitatively new level," said Lydia Kulik, Head of India Studies at the SKOLKOVO Institute for Emerging Market Studies, at Moscow School of Management. "Secure payment mechanisms, insurance and logistics are among the most important areas to focus on," she added, listing auto and aviation components, chemicals, microelectronics, consumer electronics, machinery, medical devices and agricultural products as sectors in which Indian companies should consider exporting to Russia.

According to a growing number of Indian businessmen now based in Russia, the government must move quickly as China has taken more advantage of the sanctions to fill the space vacated by nearly all Western brands, and already has bilateral trade of $240 billion, which is more evenly balanced. At present, even Indian companies are being forced to consider payments in the Chinese yuan, they say.

"I think sanctions have created new opportunities, and China has gained a lot compared to India. Of course, the Indian government has been very positive about [trade with Russia], but somehow it has not been achieved on the same scale as China," explained Sukrit Sharan, a St. Petersburg-based board member of a joint venture between International Institute for Advanced Aerospace Technologies (IIAAT) and Indian firm Millennium Aerodynamics that produces "hybrid aeroboats". "Indian businesses should come and venture into the market, they should fill up the Russian market with Indian products for which there is a vacuum in the region," he said.

रूस को चीन से दूर रखना

- शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए अस्ताना की यात्रा रद्द करने के तुरंत बाद मोदी की मास्को यात्रा , चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अपेक्षा पुतिन से मिलने की उनकी प्राथमिकता को उजागर करती है।
- यह कदम पश्चिमी देशों द्वारा चीन से रूस के प्रति समर्थन कम करने के आह्वान के विपरीत है, न कि इसके विपरीत।
-

- भारत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों के साथ अपनी साझेदारी के बावजूद, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता देता है।
- AUKUS के गठन और विभिन्न क्षेत्रीय साझेदारों को शामिल करने सहित बिडेन प्रशासन की कार्रवाइयों ने नई दिल्ली में कुछ लोगों को सतर्क कर दिया है।
- रणनीतिक इकाई के रूप में क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका) के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जताने में भारत की हिचकिचाहट से अन्य क्षेत्रीय समूहों की तुलना में इसकी प्रभावशीलता सीमित होने का खतरा है।

- रूस की यात्रा भारत की सामरिक स्वायत्तता को रेखांकित करती है तथा यह याद दिलाती है कि भारत के पास अपनी विदेश नीति में अनेक विकल्प हैं।

भू-अर्थशास्त्र पर जोर

- मोदी की रूस यात्रा को भू-अर्थशास्त्र के साथ-साथ भू-राजनीति के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।
- यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बावजूद, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध जारी रहेंगे, जिससे भारत को रियायती दरों पर रूसी तेल का आयात जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी।
- भारत-रूस व्यापार, जो पहले लगभग 5 बिलियन-10 बिलियन डॉलर था, पिछले साल बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गया और 2024 की शुरुआत में 20% की वृद्धि होगी।
- तेल आयात के लिए नए भुगतान तंत्र के बिना यह वृद्धि टिकाऊ नहीं है, जिसका समाधान मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन में 2030 तक व्यापार पर संयुक्त विजन वक्तव्य के साथ किया गया।
- शिखर सम्मेलन में रूस से ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने तथा चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे के माध्यम से व्यापार बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत और रूस आपसी निवेश की मांग कर रहे हैं, जिनमें पिछले सौदों में रोसनेफ्ट द्वारा नायरा एनर्जी का 23 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण तथा रूसी तेल क्षेत्रों में भारतीय निवेश शामिल हैं।
- अमेरिका और यूरोप ने इन लेन-देन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है तथा प्रसंस्कृत रूसी तेल को "भारतीय उत्पाद" के रूप में स्वीकार किया है।
- उत्तरी सागर व्यापार मार्ग में भारत की रुचि रणनीतिक है, क्योंकि वह नए संपर्क विकल्पों की तलाश कर रहा है, विशेष रूप से ईरान के नेतृत्व वाली परियोजनाओं पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए।
- विविधीकरण के कारण सैन्य हार्डवेयर आयात में कमी तथा रूस का यूक्रेन पर ध्यान केन्द्रित करने से, ये भू-आर्थिक रणनीतियाँ भारत को रूस के साथ अपने संबंधों में नई बढ़त प्रदान करती हैं।
- मॉस्को यात्रा भविष्य की संभावित अनिश्चितताओं के बावजूद भारत-रूस संबंधों को मजबूत करने की मोदी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

2. व्यापार असंतुलन, रूसी सेना में भारतीयों की उपस्थिति प्रवासी समुदाय के लिए प्रमुख चिंता का विषय

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान मास्को में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय प्रवासी सदस्य भी शामिल होंगे।
- यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न मुद्दे चर्चा में हावी रहेंगे, जिनमें व्यापार असंतुलन, भुगतान संबंधी मुद्दे और रूसी सेना में भारतीयों की चिंताएं शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम में 500 से अधिक आमंत्रित लोग शामिल होंगे, जिनमें व्यवसायी, छात्र और डॉक्टर शामिल होंगे, जिनमें से लगभग 14,000 भारतीय रूस में कार्यरत हैं और 25,000-30,000 वहां अध्ययन कर रहे हैं।
- रूस में एक गैर सरकारी संगठन के नेता रामेश्वर सिंह यूक्रेन के बाद के दौर को भारत-रूस संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन पश्चिमी कंपनियों के पीछे हटने से पैदा हुए खालीपन को देखते हुए वे भारतीय कंपनियों से आगे आने का आग्रह करते हैं।
- उन्हें उम्मीद है कि मोदी-पुतिन बैठक से रूस में मौजूदा भारतीय कंपनियों के समक्ष आ रही भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
- रूसी सेना द्वारा भर्ती किये गये तथा यूक्रेन युद्धक्षेत्र में भेजे गये भारतीयों का मुद्दा भारतीय प्रवासियों के बीच चिंता का कारण बन रहा है।
- भारत में परिवार इन व्यक्तियों को शीघ्र छुट्टी दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय पर दबाव डाल रहे हैं।
- रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने इसे सार्वजनिक चिंता के रूप में स्वीकार किया और कहा कि भारत ने रूस के साथ द्विपक्षीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है, जिसमें विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठकें भी शामिल हैं।

- प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अनुवादक के रूप में काम कर रहे बीनिश जैसे छात्रों को उम्मीद है कि भारत-रूस के सामरिक संबंध, जो हाल के वर्षों में धीमे पड़ गए हैं, मजबूत होंगे।
- छात्रों में इस बात को लेकर आशा है कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखता है और उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।

3. ईरान: सीमित लोकतंत्र:

- इब्रात संग्रहालय , ईरान के तेहरान में इमाम खुमैनी स्क्वायर के पास ऐतिहासिक पड़ोस में स्थित है जिसे कभी मैदान-ए- तूपखानेह के नाम से जाना जाता था ।
- इसका निर्माण मूलतः 1930 के दशक में जर्मन इंजीनियरों द्वारा किया गया था और यह 1979 की क्रांति तक शाह की गुप्त पुलिस SAVAK का मुख्यालय था।
- संग्रहालय में तीन मंजिला संरचना है जिसमें यातना कक्ष, अनेक कक्ष, प्रतिध्वनि गलियारे और लोहे के दरवाजे हैं।
- अंदर एक गोलाकार, छतविहीन आंतरिक प्रांगण है, जहां कैदियों की मूर्तियां लोहे की ग्रिल से लटकी हुई हैं, जो कैदियों को फांसी देने और यातना देने की पुरानी प्रथा का प्रतीक हैं।
- SAVAK इस इमारत में कैदियों को यातनाएं देता था, उनकी चीखें गलियारों में गूंजती थीं और उनकी पीड़ा प्रांगण में प्रदर्शित होती थी।
- संग्रहालय में सैकड़ों कैदियों के चित्र और नाम प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें अयातुल्ला अली खामेनेई भी शामिल हैं, जो अब ईरान के सर्वोच्च नेता हैं।

इतिहास दोहराता है

- इब्रात संग्रहालय की स्थापना 2002 में एक पूर्व जेल के भीतर की गई थी, जिसका संचालन शाह की गुप्त पुलिस SAVAK द्वारा किया जाता था।
- यह शाह की शाही तानाशाही के तहत क्रूरता और दमन को उजागर करने वाले एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है।
- यह संग्रहालय शाह के काल को दमनकारी के रूप में दर्शाने वाले शासन के चित्रण का प्रतीक है, जो इस्लामी क्रांति के मुक्ति के वादे के विपरीत है।
- क्रांति के आदर्शों के बावजूद, ईरान को इस्लामी शासन पर इसी प्रकार की दमनकारी प्रथाओं का आरोप लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है।
- हाल के वर्षों में ईरानी राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में मतदान प्रतिशत में काफी गिरावट आई है।

GS Paper II: Iran

Waiting for a reformist

Iran's theocratic state is unlikely to give space to a popular reformist

As no candidate managed to win 50% vote in the first round of Iran's snap presidential elections, the country is headed for a run-off on July 5 between the top two vote getters – reformist Masoud Pezeshkian and conservative Saeed Jalili. Mr. Pezeshkian, a surgeon and lawmaker who was the Minister of Health in the government of reformist President Mohammed Khatami, won 42.5% votes, while Mr. Jalili, Iran's former chief nuclear negotiator, got 38.8% votes. Conservative Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf finished third with 13.8% vote share. The election, which was necessitated by President Ebrahim Raisi's death in a helicopter crash in May, is taking place at a crucial time for Iran. There is much public anger amid economic hardships and heightened cultural policing. Iran is facing pressure to rein in its proxies, mainly Yemen's Houthis and Lebanon's Hezbollah, particularly after the Israel-Hamas war began. Iran is also expanding its nuclear programme, defying international pressure, and tensions with Israel rocketed in April when Tehran launched a missile attack towards the Jewish state after its embassy building in Damascus was bombed. A new President, reformist or conservative, is unlikely to change core policies, but the highest elected official in the republic can have a say on how critical policies are being implemented.

In the past, reformist politicians such as Mr. Khatami and Hassan Rouhani won huge mandates on promises of change, but did little in opening up the system that is tightly controlled by the Shia clergy. The failure to reform the system from within and alleviate the economic woes, which are a result of the western sanctions, have turned sections of the electorate apathetic. There was a time when Iran's clerical rulers would invoke the high participation of voters as a measure of popular legitimacy for the revolutionary regime, which is partly representative and fully theocratic. If the voter turnout was above 80% in 2009, it was a record low this year – 39.9% This is not a surprise. All branches of the state are under conservative control, and several reformist politicians were barred from contesting. Even if reformists win, they are constrained by unelected institutions such as the office of the Supreme Leader and the Islamic Revolutionary Guard Corps. The near-total dominance of the conservatives over the institutions and the clergy's refusal to change are hollowing out even the limited democracy that the revolution had promised. Economic hardships and repression over the Islamic code are adding fuel to the fire. Iran can take pride that it held a presidential election amidst crises. But its rulers should also take a cue from the growing dissent and falling voter interest, and be ready for political and social reforms.

- 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में, जिसे कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी ने जीता , मतदाता मतदान घटकर 48% रह गया, जो एक रिकॉर्ड निम्नतम स्तर है।
- इसके बाद हुए अचानक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रतिशत में और कमी आई और यह 39.9% हो गया, जो 2009 में 80% से भी अधिक था, जिससे शासन की वैधता और जनता में असंतोष पर सवाल उठने लगे।

एक अनोखी प्रणाली

- ईरान की राजनीतिक प्रणाली शिया मौलवियों से प्रभावित है, जिससे नियमित चुनावों के बावजूद महत्वपूर्ण राज्य मामलों पर उन्हें अंतिम अधिकार प्राप्त है।
- 1979 की क्रांति, जिसे अक्सर "इस्लामी क्रांति" कहा जाता है, में राष्ट्रवादियों, उदारवादियों, वामपंथियों और ट्रेड यूनियनवादियों सहित विविध राजनीतिक गुट शामिल थे।
- अयातुल्ला रूहोल्ला खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे तानाशाही से आजादी चाहने वाले विभिन्न असंतुष्ट समूहों का समर्थन प्राप्त था।
- प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग के खिलाफ तख्तापलट में सीआईए के समर्थन से शाह ने सत्ता को केंद्रीकृत किया और SAVAK के माध्यम से राजनीतिक विरोध को दबा दिया।
- ईरान में राजनीतिक विद्रोह के ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे 1896 में नासर अल-दीन शाह की हत्या और 1905-1911 की संवैधानिक क्रांति, ईरानियों के विद्रोह के इतिहास को रेखांकित करते हैं।
- रजा शाह पहलवी के सत्तावादी शासन और विरोध प्रदर्शनों के दमन के कारण अंततः 1979 में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया।
- खोमैनी निर्वासन से लौटे और विलायत-ए-फकीह (इस्लामी विधिवेत्ता की संरक्षकता) की अवधारणा के तहत निर्वाचित संस्थाओं को मौलवी निरीक्षण के साथ जोड़ते हुए एक इस्लामी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की।

लिपिकीय नियंत्रण

- ईरान की राजनीतिक प्रणाली में निर्वाचित और अनिर्वाचित दोनों शाखाएँ हैं, जहाँ अनिर्वाचित संस्थाओं के पास अधिक शक्ति होती है।
- निर्वाचित शाखाओं में राष्ट्रपति, संसद (मजलिस) और विशेषज्ञों की सभा शामिल हैं।
- अनिर्वाचित शाखाओं में सर्वोच्च नेता, संरक्षक परिषद और शीघ्रता परिषद शामिल हैं, जिन्हें पादरी द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- राष्ट्रपति दिन-प्रतिदिन के सरकारी मामलों का प्रबंधन करता है, लेकिन वह राज्य का प्रमुख नहीं होता है।
- सर्वोच्च नेता ईरान में राजनीतिक नेता और आध्यात्मिक मार्गदर्शक दोनों के रूप में कार्य करता है तथा ईरान में सर्वोच्च पद पर आसीन होता है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्ष तक सीमित है तथा अधिकतम दो लगातार कार्यकाल हो सकते हैं।
- चुनाव प्रक्रिया को आम तौर पर निष्पक्ष माना जाता है, हालांकि संरक्षक परिषद उम्मीदवारों की जांच करती है और महत्वपूर्ण बहुमत को अयोग्य घोषित कर सकती है।
- 290 सदस्यों वाली मजलिस कानून बनाती है, लेकिन इस्लामी सिद्धांतों के अनुपालन के लिए इसके विधेयकों को संरक्षक परिषद से पारित होना पड़ता है।
- धार्मिक और कानूनी विशेषज्ञों से बनी गार्जियन काउंसिल सर्वोच्च नेता के कार्यालय से प्रभावित होती है, चुनावों को नियंत्रित करती है और संसद पर वीटो शक्ति रखती है।

पूर्ण अधिकार

- ईरान के सर्वोच्च नेता का कार्यकाल राष्ट्रपति के विपरीत निश्चित नहीं होता।
- 1979 की क्रांति के बाद से ईरान में दो सर्वोच्च नेता हुए: खोमैनी (1989 में मृत्यु हो गई) और खामेनेई।
- 88 सदस्यीय विशेषज्ञ सभा को सर्वोच्च नेता का चुनाव करने और उसकी देखरेख का कार्य सौंपा गया है।
- सभा के लिए उम्मीदवारों की जांच गार्जियन काउंसिल द्वारा की जाती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च नेता द्वारा नियंत्रित होती है।

- निर्वाचित मजलिस और अनिर्वाचित संरक्षक परिषद के बीच विवाद की स्थिति में, सर्वोच्च नेता द्वारा नियुक्त 45-सदस्यीय समीचीनता परिषद के पास अंतिम निर्णय देने की शक्ति होती है।
- सर्वोच्च नेता ईरान की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करता है और राज्य की सभी शाखाओं पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जो इस्लामी संविधान के अनुसार मौलवी नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

सिद्धांतवादी और सुधारवादी

- ईरान का राजनीतिक परिदृश्य मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित है: सिद्धांतवादी (कट्टरपंथी) और सुधारवादी।
- प्रिंसिपलिस्ट रूढ़िवादी होते हैं और पादरी वर्ग द्वारा समर्थित होते हैं, तथा पारंपरिक मूल्यों और नीतियों की वकालत करते हैं।
- सुधारवादी व्यवस्था के भीतर से राजनीतिक और सामाजिक सुधार चाहते हैं।
- 1997 में मोहम्मद ख़ातामी का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव सुधारवादी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान बड़े बदलाव नहीं हुए।
- हसन रूहानी, एक अन्य सुधारवादी राष्ट्रपति थे, जिन्होंने इब्राहिम रईसी से पहले इस पद पर कार्य किया था , जो एक सिद्धांतवादी थे और वर्तमान राष्ट्रपति हैं।
- ईरान में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में सुधारवादी मसूद पेजेशकियन और रूढ़िवादी सईद जलीली के बीच मुकाबला हुआ।
- 1979 की क्रांति के बाद, अयातुल्ला खुमैनी ने आंतरिक असंतोष और ईरान-इराक युद्ध के बीच मौलवी शासन को मजबूत किया।
- ईरान की वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, राज्य हिंसा, आर्थिक संकट और चुनावों में जनता की घटती रुचि सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- चुनौतियों के बावजूद, ईरानी नेता शासन में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं।

4. भारत-म्यांमार संबंध:

- **जातीय सशस्त्र संगठनों (ईएओ) और म्यांमार की सैन्य जुंटा** के बीच संघर्ष से गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 जुलाई को इस संकट पर चर्चा की तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को **अपनी म्यांमार नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि:**
  a. इसका भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें शरणार्थियों का आगमन भी शामिल है।
  b. ईएओ को चीन से समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो सैन्य शासन के साथ चीन के संबंधों के विपरीत है।
  c. भारत, म्यांमार, चीन और थाईलैंड को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिरोध समूहों का नियंत्रण।
- नंदिता हक्सर ने इस बात पर जोर दिया कि अक्टूबर 2023 से, ईएओ और पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने समन्वित प्रयास किए हैं, जिसके तहत म्यांमार के 45% क्षेत्र पर उनका नियंत्रण है।
- राजीव भाटिया ने म्यांमार की बदलती स्थिति को देखते हुए नीति समीक्षा की मांग की है, जहां व्यापक विरोध के बावजूद सेना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।
- उन्होंने भारत के लक्ष्यों पर जोर दिया: द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, म्यांमार को अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति में शामिल करना, तथा भारतीय और चीनी प्रभावों में संतुलन स्थापित करना।
- जो थाईलैंड, बांग्लादेश, लाओस और संभवतः चीन जैसे पड़ोसी देशों के सामूहिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
- नंदिता हक्सर का सुझाव है कि म्यांमार की स्थिति अस्थिर है, लेकिन भारत को मानवीय सहायता प्रदान करना शुरू कर देना चाहिए, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि म्यांमार के लोगों के पास पानी, सैनिटरी नैपकिन और सर्जरी के लिए चिकित्सा सुविधाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है।

- हक्सर का मानना है कि मानवीय सहायता की पेशकश से म्यांमार के साथ भारत के संबंध बेहतर हो सकते हैं तथा संघर्ष से प्रभावित लोगों को मदद मिल सकती है।
- उन्होंने म्यांमार के लोकतंत्र आंदोलनों के लिए भारत के अतीत के समर्थन को स्वीकार किया, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय एकता सरकार जैसे समूहों के लिए परिचालन स्वतंत्रता की सीमाओं को भी रेखांकित किया।
- मानवीय सहायता प्रदान करना म्यांमार के लोगों की सहायता करने तथा बमबारी से प्रभावित गांवों के पुनर्निर्माण के लिए संभावित बातचीत के रूप में एक कम विवादास्पद हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
- राजीव भाटिया इस जटिलता की ओर ध्यान दिलाते हैं तथा म्यांमार के विभाजित शासन को स्वीकार करते हैं, जहां कुछ क्षेत्रों पर गैर-केन्द्रीय प्राधिकारियों का नियंत्रण है।
- उन्होंने भारत को म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी नेपीता के साथ बातचीत करने की सलाह दी, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि शासन संबंधी जटिलताओं के बावजूद मानवीय प्रयास आपसी हित में हैं।
- भाटिया का सुझाव है कि इस दृष्टिकोण से म्यांमार की आंतरिक शासन संबंधी संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए भारत की मानवीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।
- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने म्यांमार में एक ईसाई राज्य बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय योजना का सुझाव दिया, जिसमें संभावित विखंडन की चिंता व्यक्त की गई।
- राजीव भाटिया इन चिंताओं को बाल्कनीकरण के जोखिम का संकेत मानते हैं, जो म्यांमार के लोगों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक है।
- भारत क्षेत्रीय स्थिरता के उद्देश्य से बैंकॉक प्रक्रिया जैसी पहलों के माध्यम से म्यांमार के साथ ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 वार्ता में शामिल है।
- नंदिता हक्सर ने पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार तक फैले प्रस्तावित कुकी राज्य के बारे में चर्चाओं का उल्लेख किया है, जिसने हसीना की टिप्पणियों को प्रभावित किया है।
- उन्होंने सशस्त्र समूहों के प्रतिरोध के बीच संघीय ढांचे पर चर्चा के लिए म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) और सैन्य जुंटा के बीच बातचीत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- हक्सर ने म्यांमार के संघीय संवाद में भारत की रुचि पर बल दिया, ताकि बाल्कनीकरण को रोका जा सके, जिसका भारत पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
- राजीव भाटिया ने भारत सरकार को सलाह दी कि वह मानवीय संकटों से निपटने के लिए म्यांमार की सेना के साथ संवाद बनाए रखे।
- पड़ोसी देशों की भलाई के लिए वहां स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर बल दिया ।

5. चीन:

झिंजियांग में स्वतंत्रता और नियंत्रण

चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में 50 से ज़्यादा 'जातीय अल्पसंख्यक' रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर उइगर मुस्लिम हैं। कई सालों से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर इस समुदाय को सताने और उनकी संस्कृति को मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया जाता रहा है। राधिका संथानम ने झिंजियांग में आत्मसात और राष्ट्रवाद पर व्यापक जोर देने की रिपोर्ट दी है, जो एक तेज़ी से विकसित हो रहा प्रांत है जो देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए महत्वपूर्ण है।

- 17 जून को ईद- उल -अजहा के अवसर पर चीन के झिंजियांग के यिनिंग शहर में एक अकॉर्डियन संग्रहालय में चमकीले परिधान पहने नौ संगीतकार प्रस्तुति देते हुए।
- हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग गर्मी के बावजूद स्ट्रीट फूड, प्रदर्शन और पेय का आनंद लेते हैं।
- संगीतकार अपना परिचय जातीयता (उइगर, कजाक , मंगोलियन, उज्बेक, आदि) से देते हैं और घोषणा करते हैं, "हम सभी चीनी राष्ट्र का हिस्सा हैं।"
- झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र 56 जातीय समूहों और इस्लाम, ताओवाद, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म सहित विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का घर है।

- चीन पर इस क्षेत्र में मुख्यतः मुस्लिम जातीय समूहों, विशेषकर उइगरों के विरुद्ध मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप है।
- रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उइगरों को "हिरासत केंद्रों" में हिरासत में लिया जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन चीन इससे इनकार करता है और उन्हें "शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र" कहता है।
- 2019 में, झिंजियांग की क्षेत्रीय सरकार ने इन केंद्रों की आवश्यकता न होने पर इन्हें धीरे-धीरे बंद करने की योजना की घोषणा की थी।
- अध्ययनों का दावा है कि 1949 के बाद से शिनजियांग में हान चीनी आबादी बढ़ी है, जबकि उइगर आबादी में गिरावट आई है।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि उइगर आबादी 1953 में 3.6 मिलियन से बढ़कर 2020 में 11.6 मिलियन हो गई, जिसका आंशिक कारण चीन की एक-संतान नीति से छूट है।

धर्म का ' चीनीकरण '

- यिनिंग स्थित शांक्सी मस्जिद के इमाम मा जिरोंग ने चीन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अतिरंजित बताते हुए खारिज कर दिया।
- पारंपरिक चीनी स्थापत्य शैली में निर्मित इस मस्जिद में गुंबद और मीनारें नहीं हैं तथा अजान केवल परिसर के भीतर ही सुनाई देती है।
- मस्जिद के निर्माण में कई जातीय समुदायों को शामिल किया गया, जो चीन के साथ झिंजियांग के एकीकरण का प्रतीक है।
- झिंजियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट के इमाम अबुद राकेव तुमुन्याज धर्म के " चीनीकरण " पर जोर देते हैं, इसे चीनी समाजवाद के अनुकूल बनाते हैं।
- तुमुन्याज़ का तर्क है कि चीनी समाजवाद और इस्लाम के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि दोनों ही लोगों की खुशी को प्राथमिकता देते हैं।
- कुका मस्जिद में पारंपरिक इस्लामी विशेषताएं हैं, और इस्लामिक इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय में उइगर, अरबी और चीनी भाषाओं में कुरान मौजूद हैं ।
- झिंजियांग में सार्वजनिक शिक्षा में मानक चीनी भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, तथा उइगर या अन्य स्थानीय भाषाओं में शिक्षा नहीं दी जाती।
- एक सरकारी पुस्तिका में दावा किया गया है कि जातीय अल्पसंख्यक चीनी भाषा सीखने के प्रति उत्साहित हैं तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में जातीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है।
- शीबो भाषा में चाबुचर डेली समाचार पत्र 30,000 शीबो भाषियों के लिए सप्ताह में दो बार प्रकाशित किया जाता है , जो जातीय संस्कृतियों और भाषाओं के लिए सरकार के समर्थन को दर्शाता है।

कट्टरपंथ उन्मूलन कार्यक्रम

- मा और तुमुन्याज़ चीन में इस्लाम के पालन के लिए कानूनों और नियमों के महत्व पर बल देते हैं।
- सरकार प्रार्थना और धार्मिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र निर्धारित करती है।
- कुक्का इस्लामिक इंस्टीट्यूट में छात्र कुरान, चीनी संस्कृति और इतिहास तथा धर्म से संबंधित कानून और नियम सीखते हैं।
- झिंजियांग में आतंकवादी हमलों का इतिहास रहा है, जिसके लिए सरकार ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को दोषी ठहराती रही है।
- चीन "शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों" के माध्यम से उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करता है।
- इन केन्द्रों के पाठ्यक्रम में चीनी भाषा सीखना, कानून का अध्ययन करना और व्यावसायिक कौशल हासिल करना शामिल है।
- उइगरों ने इन केंद्रों के खिलाफ आवाज उठाई है और कुछ जातीय अल्पसंख्यक चीन छोड़कर भाग गए हैं।

- 2013 में भारत भागकर आए तीन उइगर तब से जेल में हैं और उन पर भारत का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू है।
- चीन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और आतंकवाद से निपटने के लिए इंटरनेट नियंत्रण कड़ा कर दिया है।
- झिंजियांग में सुरक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुरक्षा कड़ी है।
- तुमुन्याज़ ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म अतिवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष धार्मिकता को हतोत्साहित किया जाता है।
- झिंजियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तुमुन्याज़ इस्लाम से संबंधित पूछताछ का काम संभालते हैं।

विकास पर जोर

- कई देशों की सीमा से लगे झिंजियांग की रणनीतिक स्थिति के कारण राष्ट्रीय एकता के संदेश पर जोर दिया जाता है।
- झिंजियांग चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के लिए महत्वपूर्ण है, जो एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ती है।
- ऐतिहासिक रूप से गरीब झिंजियांग में बेहतर बुनियादी ढांचे और विभिन्न उद्योगों के साथ महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
- झिंजियांग की जीडीपी 2017 में 167.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 278.4 बिलियन डॉलर हो जाएगी।
- पर्यटन राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें उइगर संस्कृति और विरासत को उजागर करने वाले आकर्षण शामिल हैं।
- प्रोफेसर जेम्स लीबोल्ड ने "संग्रहालय शैली के बहुसंस्कृतिवाद" की अवधारणा का उल्लेख किया है, जबकि चीन का दावा है कि वह जातीय अल्पसंख्यक संस्कृति की रक्षा कर रहा है।
- बीआरआई-संबंधित परियोजनाओं में जातीय समूह की भागीदारी पर जोर, उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल गुआंगज़ौ कार मोटर कंपनी में 20% जातीय कर्मचारी।
- डिजिटल सिल्क रोड का हिस्सा झिंजियांग सॉफ्टवेयर पार्क आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता का समर्थन करता है।
- निगरानी का उपयोग स्थिरता बनाए रखने, यातायात, पशुधन और आवाजाही पर नजर रखने के लिए किया जाता है, जिसका कारण अतीत में हुए आतंकवादी प्रभाव हैं।

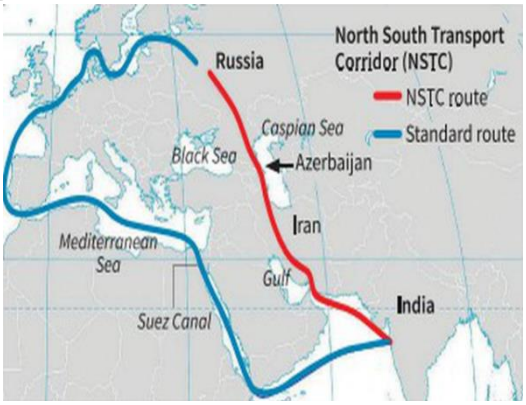

6. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/समूह/संस्था/सहयोग:

6.1 अंतर्राष्ट्रीय **उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी):**

- ईरान आईएनएसटीसी का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जो भारत, ईरान, रूस और कई मध्य एशियाई देशों को जोड़ने वाला एक बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क है।
- INSTC में मुख्य भागीदार भारत, ईरान, रूस, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ओमान हैं। क्षेत्र के अन्य देश भी विभिन्न क्षमताओं में शामिल हैं।
- इस गलियारे का उद्देश्य स्वेज नहर के पारंपरिक मार्गों को दरकिनार करके दक्षिण एशिया, ईरान और यूरोप के बीच माल की आवाजाही के लिए परिवहन समय को कम करना है।

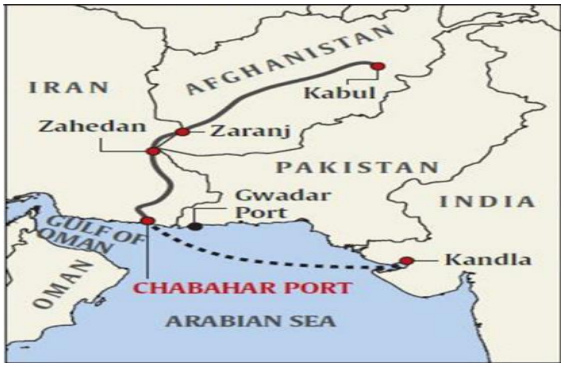

चाबहार बंदरगाह विकास:

- दक्षिण-पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह का विकास भारत और अफगानिस्तान के सहयोग से किया जा रहा है।
- यह एक रणनीतिक पारगमन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है।

बंदरगाह के विकास का उद्देश्य क्षेत्र में व्यापार और सम्पर्क को बढ़ाना है।

6.2. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम)

- 1951 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन है।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक संबद्ध संगठन के रूप में, आईओएम विश्व भर में 550 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ 171 से अधिक देशों में कार्य करता है।

मिशन और उद्देश्य

- आईओएम इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है कि मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन से प्रवासियों और समाज दोनों को लाभ होता है।
- संगठन का उद्देश्य प्रवासियों की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना, प्रवासन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और प्रवासन संकट में सहायता प्रदान करना है।
- आईओएम का कार्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, जो मानव अधिकारों और सतत विकास पर केंद्रित है।

कार्य के प्रमुख क्षेत्र

1. **प्रवासन प्रबंधन** : आईओएम सरकारों को प्रवासन प्रवाह के प्रबंधन में सहायता करता है, तथा ऐसी प्रवासन नीतियों को बढ़ावा देता है जो मानव सम्मान का सम्मान करती हैं तथा आर्थिक रूप से लाभकारी होती हैं।
2. **संकट प्रतिक्रिया** : यह संगठन प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित प्रवासियों को आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित आपातकालीन सहायता प्रदान करता है।
3. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** : आईओएम प्रवासन चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
4. **डेटा और अनुसंधान** : आईओएम प्रवासन नीतियों और प्रथाओं को सूचित करने के लिए अनुसंधान आयोजित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे सटीक डेटा और विश्लेषण पर आधारित हों।

रणनीतिक अगुआई

आईओएम प्रवासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करके सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का समर्थन करता है जो मानवीय सहायता और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ते हैं। इसकी कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **लैंगिक समानता** : प्रवासी महिलाओं के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना तथा प्रवासन प्रक्रियाओं में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन** : प्रवास पर पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव को संबोधित करना और जलवायु-प्रेरित विस्थापन के प्रबंधन के लिए रणनीति विकसित करना।
- **ज़ेनोफोबिया का मुकाबला करना** : सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना और प्रवासियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का मुकाबला करना।

संगठनात्मक संरचना

- आईओएम का नेतृत्व एक महानिदेशक और एक उप महानिदेशक करते हैं, जिन्हें रणनीति, साझेदारी, वकालत और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न कार्यालयों का समर्थन प्राप्त है।
- संगठन अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने तथा जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय एवं देशीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

भागीदारी

- आईओएम प्रवासन चुनौतियों से निपटने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न साझेदारों के साथ सहयोग करता है।

6.3. क्वाड और ब्रिक्स दोनों का महत्व:

- 10 महीने के अंतराल के बाद जापान में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अप्रभावी है तथा यूक्रेन और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है।
- रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान की धुरी प्रभाव प्राप्त कर रही है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर चीनी प्रभाव बढ़ रहा है।
- अमेरिका संयुक्त सुरक्षा पहलों और बहुपक्षीय समूहों के लिए भारत जैसे साझेदारों की तलाश कर रहा है।
- दक्षिण चीन सागर के संघर्ष क्षेत्र बने रहने के कारण आसियान देश अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं।
- क्वाड और ब्रिक्स दोनों में भारत की भागीदारी रणनीतिक चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करती है।
- भारत क्वाड के रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के समर्थन से बढ़ावा मिला है।
- अगस्त 2021 में भारत की यूएनएससी अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें हिंद-प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

क्वाड में भारत की भूमिका

- क्वाड का उद्देश्य डिजिटल, दूरसंचार, स्वास्थ्य, बिजली और अर्धचालक जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और तकनीकी-आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देना है।
- क्वाड साझेदारों, विशेषकर अमेरिका के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों से भारत को लाभ
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन द्वारा गठित AUKUS, चीन के विरुद्ध सैन्य क्षमताओं और प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।
- सुरक्षा-केंद्रित क्वाड दृष्टिकोण को पूरी तरह अपनाने में भारत की अनिच्छा सैन्य-केंद्रित AUKUS दृष्टिकोण के विपरीत है, हालांकि भारत सैन्य गठबंधन से परे क्वाड में अपनी भूमिका को महत्व देता है।
- रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्वतंत्र रुख, तथा कूटनीतिक समाधान के लिए उसका आह्वान, क्वाड में उसकी भागीदारी को कमजोर नहीं करता है।
- ब्रिक्स के साथ भारत की भागीदारी जटिल है; यद्यपि भारत ने ब्रिक्स की स्थापना में मदद की है तथा इसके बहुपक्षीय सुधार लक्ष्यों का समर्थन करता है, फिर भी वह चीन की प्रमुख भूमिका तथा पश्चिम को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स का उपयोग करने के कारण सतर्क है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जैसी ब्रिक्स पहल अग्रणी हैं, लेकिन चीन के प्रभाव के कारण भारत ब्रिक्स की स्थिति को बढ़ाने के प्रति आशंकित है।

ब्रिक्स की क्षमता

- भारत शुरू में ब्रिक्स का विस्तार करने के प्रति अनिच्छुक था, पुतिन ने भी 2018 में इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की थी।
- क्वाड की गतिविधियों और यूक्रेन की स्थिति सहित बदलती वैश्विक गतिशीलता ने रूस के रुख को बदल दिया और ब्रिक्स विस्तार पर वह चीन के साथ जुड़ गया।

- ब्राजील के नेतृत्व परिवर्तन के साथ, भारत अब ब्रिक्स के भीतर चीन के प्रभाव का विरोध करने वाला प्रमुख देश है।
- भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का विरोध करने के बजाय इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया है, तथा कई नए देश इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं।
- भारत को अपने हितों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता है और वह ब्रिक्स या क्वाड में अपनी भूमिका की उपेक्षा नहीं कर सकता।

6.4. दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO)

- **गठन** : 1954 में मनीला, फिलीपींस में स्थापित।
- **सदस्य** : ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **उद्देश्य: दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए** एक क्षेत्रीय रक्षा समझौते के रूप में बनाया गया, विशेष रूप से वियतनाम के उत्तरी वियतनामी साम्यवादी बलों के हाथों पतन के बाद। यह क्षेत्र में साम्यवादी प्रभाव के उदय के लिए शीत युद्ध की प्रतिक्रिया थी।
- **प्रमुख कार्यवाहियां:**
    - सदस्य देशों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
    - संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
    - क्षेत्र में कम्युनिस्ट गतिविधियों की निंदा की गई।
- **विघटन:** आंतरिक विवादों और बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण 1977 में इसे भंग कर दिया गया। साम्यवादी खतरे में कमी, वियतनाम युद्ध और नए क्षेत्रीय गठबंधनों के उदय ने इसके पतन में भूमिका निभाई।

6.5. केंद्रीय संधि संगठन (CENTO)

- **गठन:** 1955 में बगदाद, इराक में स्थापित।
- **सदस्य:** ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम। (संयुक्त राज्य अमेरिका इसका प्रबल समर्थक था, लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं था।)
- **उद्देश्य** : मध्य पूर्व और मध्य एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव को सीमित करना। यह वारसॉ संधि, सोवियत संघ द्वारा स्थापित साम्यवादी सैन्य गठबंधन का जवाब भी था।
- **प्रमुख कार्यवाहियां:**
    - संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
    - सोवियत गतिविधियों पर खुफिया जानकारी साझा की।
    - सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया।
- **विघटन:** आंतरिक संघर्षों, इस्लामी राष्ट्रवाद के उदय और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण 1979 में इसे भंग कर दिया गया। ईरानी क्रांति और सदस्य देशों, विशेष रूप से ईरान और इराक के बीच बढ़ते तनाव के कारण इसका अंत हो गया।

Patriotic IAS

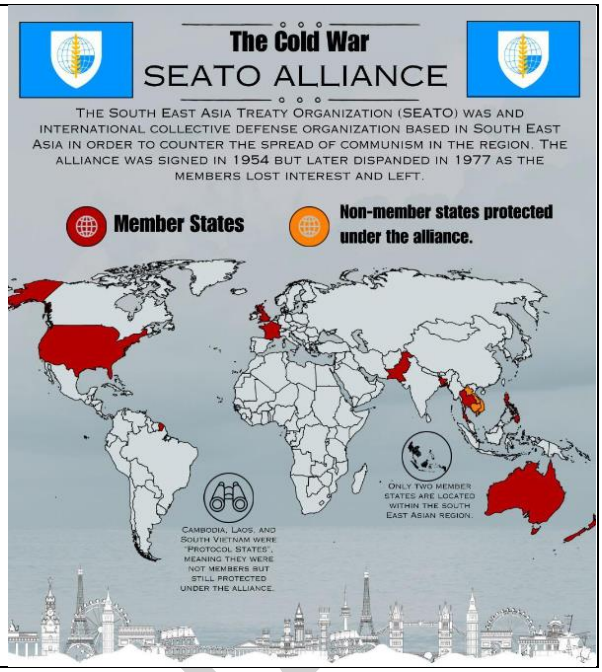

6.6. शांगरी-ला वार्ता

- शांगरी **-ला वार्ता** , जिसे आधिकारिक तौर पर **आईआईएसएस एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है** , सिंगापुर में आयोजित एक वार्षिक अंतर-सरकारी सुरक्षा मंच है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस)** द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का नाम सिंगापुर के शांगरी-ला होटल से लिया गया है, जहां 2002 में इसके उद्घाटन के बाद से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है।

उद्देश्य और लक्ष्य

इस वार्ता का उद्देश्य बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है, तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के रक्षा मंत्रियों, सैन्य प्रमुखों और नीति निर्माताओं के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच प्रदान करना है। मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- सुरक्षा चुनौतियों पर खुली चर्चा को सुविधाजनक बनाना।
- सैन्य व्यय और इरादों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और विश्वास का निर्माण करना।

प्रतिभागियों

इस फोरम में **20 से अधिक देश भाग ले रहे हैं** ।

प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल हैं:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका** : एक नियमित और प्रमुख भागीदार, जो अक्सर इस मंच का उपयोग एशिया में अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करने के लिए करता है।
- **चीन** : अक्सर अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करता है।
- **जापान** : अपनी सुरक्षा नीतियों और क्षेत्रीय चिंताओं पर ध्यान देता है।
- **भारत** : क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में अपनी भूमिका पर चर्चा।
- **आसियान सदस्य देश** : अपने-अपने दृष्टिकोण से क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत में शामिल होंगे।
- **अन्य देश** : जिनमें दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और कभी-कभी रूस भी शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताऐं

- **पूर्ण अधिवेशन** : वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान सुरक्षा मुद्दों पर मुख्य भाषण देते हैं। ये सत्र आगे की चर्चाओं के लिए आधार तैयार करते हैं।
- **विशेष सत्र और ब्रेकआउट समूह** : ये छोटी, केंद्रित बैठकें विशिष्ट सुरक्षा विषयों पर गहन चर्चा की अनुमति देती हैं।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें** : अक्सर, प्रतिभागी द्विपक्षीय रूप से या छोटे समूहों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निजी बैठकें आयोजित करते हैं।
- **नेटवर्किंग के अवसर : यह मंच** रक्षा अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने और उन्हें मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है ।

ऐतिहासिक संदर्भ

- शांगरी-ला वार्ता की शुरुआत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा तनावों, विशेष रूप से चीन के उदय, उत्तर कोरिया की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर में विभिन्न क्षेत्रीय विवादों के कारण हुई थी।
- पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हुई है, तथा इसे क्षेत्र के सुरक्षा कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है।

प्रमुख विषय और मुद्दे

1. **चीन की सैन्य भूमिका** : चर्चाएं अक्सर चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और उसके रणनीतिक इरादों के इर्द-गिर्द घूमती हैं, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में।
2. **अमेरिकी भागीदारी** : अमेरिका इस वार्ता का उपयोग क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने तथा अपनी रणनीतिक नीतियों और गठबंधनों पर चर्चा करने के लिए करता है।
3. **दक्षिण चीन सागर विवाद** : चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान से जुड़े क्षेत्रीय संघर्षों पर अक्सर बहस होती रहती है।
4. **उत्तर कोरिया का खतरा** : मंच पर उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों तथा इस खतरे को कम करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।
5. **आतंकवाद का मुकाबला** : विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर चर्चा प्रमुख विषय हैं।
6. **साइबर सुरक्षा** : साइबर युद्ध के बढ़ते खतरों के साथ, संवाद में साइबर रक्षा सहयोग के लिए रणनीतियों की खोज की जाएगी।
7. **रक्षा आधुनिकीकरण** : क्षेत्र में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और व्यय की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

उपलब्धियां और प्रभाव

यद्यपि शांगरी-ला वार्ता से कार्यान्वयन योग्य समझौते नहीं निकले, फिर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

- **नीतिगत प्रभाव** : चर्चाएं राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करती हैं।
- **राजनयिक चैनल** : यह अनौपचारिक संचार लाइनें खोलता है, जिससे कभी-कभी बड़ी राजनयिक पहलों को बढ़ावा मिलता है।
- **विश्वास निर्माण** : भाग लेने वाले देशों के बीच अधिक पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देता है।
- **सामरिक स्पष्टता** : प्रमुख सैन्य शक्तियों के सामरिक इरादों पर स्पष्टता प्रदान करती है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- **प्रमुख शक्तियों का प्रभुत्व** : कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह वार्ता मुख्य रूप से छोटे देशों की कीमत पर अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के हितों की पूर्ति करती है।
- **बयानबाजीपूर्ण परिणाम** : आलोचकों का कहना है कि चर्चाओं के परिणामस्वरूप अक्सर ठोस नीतिगत कार्रवाई या समाधान नहीं निकलता।
- **हितों में संतुलन** : मंच को भागीदार देशों के विविध और कभी-कभी विरोधाभासी हितों में संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

- **गैर-बाध्यकारी प्रकृति** : मंच की गैर-बाध्यकारी प्रकृति तत्काल सुरक्षा मुद्दों पर इसके व्यावहारिक प्रभाव को सीमित कर सकती है।

मानचित्र पर स्थान और भाग लेने वाले देश

इसमें शामिल प्रमुख देशों की सूची इस प्रकार है, तथा उनके भू-राजनीतिक संदर्भ का संक्षिप्त विवरण भी इस प्रकार है:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका** : अपने प्रभाव और गठबंधन को बनाए रखने के लिए एशिया-प्रशांत देशों के साथ संपर्क रखता है।
- **चीन** : पूर्वी एशिया में स्थित यह देश क्षेत्र की अनेक सुरक्षा चर्चाओं में केन्द्रीय भूमिका निभाता है।
- **जापान** : पर्याप्त क्षेत्रीय प्रभाव वाला एक पूर्वी एशियाई देश।
- **भारत** : एक दक्षिण एशियाई शक्ति जो क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में सक्रिय रूप से शामिल है।
- **ऑस्ट्रेलिया** : प्रशांत क्षेत्र में, एशिया-प्रशांत सुरक्षा वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल है।
- **आसियान सदस्य देश** :
    - **सिंगापुर** : मेजबान देश, रणनीतिक रूप से वैश्विक समुद्री चौराहे पर स्थित है।
- **इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस** : ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं में सीधे तौर पर शामिल हैं।

6.7. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन:

यह एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों की वार्षिक बैठक है।

स्थापना और पृष्ठभूमि

- **उत्पत्ति:** 2001 में स्थापित, SCO 1996 में गठित शंघाई फाइव से विकसित हुआ।
- **संस्थापक सदस्य: चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने** शुरू में शंघाई फाइव का गठन किया था।
- **विस्तार:** 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया, जिससे संगठन का विस्तार एससीओ तक हो गया।
- **प्रारंभिक विस्तार:** भारत और पाकिस्तान जून 2017 में इसमें शामिल हुए, जिससे एससीओ के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर आठ हो गई।
- **हालिया जोड़:** ईरान जुलाई 2023 में सदस्य बन गया।
- **हाल के सदस्य:** चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान।
- **मुख्यालय: बीजिंग चाइना**

24वीं एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक (एससीओ शिखर सम्मेलन)

- **तिथि और स्थान:** 4 जुलाई, 2024, अस्ताना, कजाकिस्तान।
- **अध्यक्षता:** कजाकिस्तान द्वारा आयोजित।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल और नेतृत्व

- **नेता:** विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

एससीओ में भारत की प्राथमिकताएं (सिक्योर विजन)

- **विजन:** प्रधानमंत्री का 'सुरक्षित' एससीओ का विजन।
- **सुरक्षित का अर्थ:**
    - **सुरक्षा:** क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाना।
    - **आर्थिक सहयोग:** आर्थिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देना।
    - **कनेक्टिविटी:** क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे में सुधार।
    - **एकता:** एससीओ सदस्य देशों के बीच एकता को मजबूत करना।
    - **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान:** संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को कायम रखना।
    - **पर्यावरण संरक्षण:** पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता।

संगठनात्मक संरचना

- **राज्य प्रमुख परिषद (एचएससी):**
  - **भूमिका:** सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था।
  - **बैठकें:** नीतियां और रणनीतिक दिशाएं निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं।
- **प्रधान सचिव:**
  - **वर्तमान अधिकारी:** झांग मिंग.
- **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस):**
  - **उद्देश्य:** आतंकवाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच प्रयासों का समन्वय करना।
- **परिचालन:** क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए एससीओ ढांचे के अंतर्गत कार्य करना।

6.8. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी):

- **गठन** : एआईआईबी की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। यह चीन द्वारा शुरू किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है।
- **सदस्यता** : एआईआईबी में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 100 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, भारत जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ के सदस्य भी शामिल हैं।
- **उद्देश्य** : एआईआईबी का प्राथमिक उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार, जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करके क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की कमी को दूर करना है। इसका उद्देश्य सतत विकास, क्षेत्रीय संपर्क और गरीबी में कमी को बढ़ावा देना है।
- **शासन व्यवस्था** : एआईआईबी एक शासन संरचना का पालन करता है, जहां मतदान के अधिकार के आधार पर इसके सदस्य देशों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। यह अपने संचालन में पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही पर जोर देता है।
- **परियोजनाएं** : एआईआईबी विभिन्न प्रकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिनमें टिकाऊ ऊर्जा पहल, शहरी विकास कार्यक्रम और एशिया भर में सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं।

6.9. न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी):

- **गठन** : एनडीबी, जिसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) द्वारा की गई थी।
- **सदस्यता** : एनडीबी का स्वामित्व इसके पांच संस्थापक सदस्यों के पास संयुक्त रूप से है, तथा प्रत्येक देश के पास बैंक की पूंजी और मतदान अधिकार में समान हिस्सा है।
- **उद्देश्य** : एनडीबी का ध्यान ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण और विकास को बढ़ावा देने पर है। इसके मुख्य फोकस क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, जल बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
- **शासन** : एनडीबी अपने सदस्य देशों के बीच समानता, लोकतंत्र और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर काम करता है। निर्णय सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किए जाते हैं जो सभी सदस्य देशों के हितों को दर्शाता है।
- **परियोजनाएँ** : एनडीबी सदस्य देशों में सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक बुनियादी ढाँचा विकास एजेंडे में योगदान देना और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।

6.10. बिम्सटेक: बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल

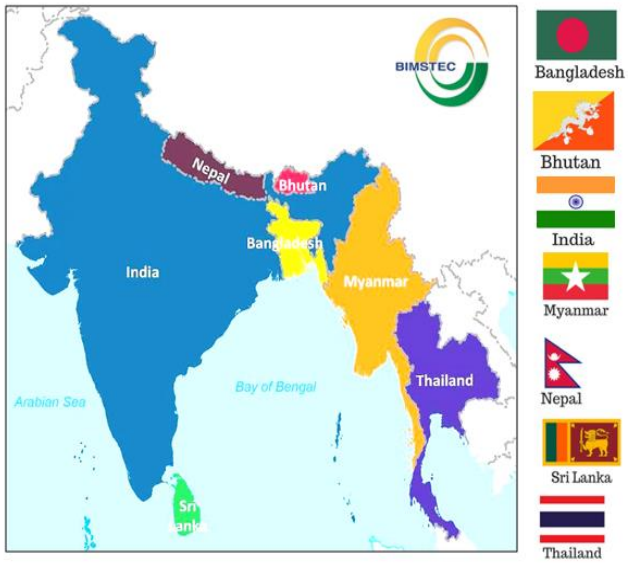

बिम्सटेक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी से लगे सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है।

- **स्थापना** : 6 जून 1997 को ढाका, बांग्लादेश में स्थापित।
- **सदस्य** : बिम्सटेक के सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं।
- बिम्सटेक का मुख्यालय **ढाका, बांग्लादेश में स्थित है** ।
- **उद्देश्य** : बिम्सटेक व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, आतंकवाद-निरोध, पर्यावरण, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **संरचना** : बिम्सटेक शिखर सम्मेलन हर दो साल में आयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रिस्तरीय बैठक होती है। संगठन का एक स्थायी सचिवालय भी है जो ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।
- **हाल की गतिविधियां** : वेबसाइट में सांस्कृतिक सहयोग और मत्स्य पालन एवं पशुधन पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूहों की हाल की बैठकों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें इन क्षेत्रों में कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

6.11. सार्क: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

सार्क एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन और दक्षिण एशिया के राज्यों का भू-राजनीतिक संघ है।

- **सदस्य देश:** इसके आठ सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- **स्थापना:** 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में स्थापित।
- **मुख्यालय:** काठमांडू, नेपाल।
- **लक्ष्य:**
  - दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
  - क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना।
  - सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने और अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना।

Patriotic IAS

अर्थव्यवस्था

1. बैंकिंग:

1.1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) बैंक

आईबीए बैंक भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य बैंकों को संदर्भित करते हैं, जिसमें भारत में संचालित बैंकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इनमें शामिल हैं:

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB):** वे बैंक जिनमें बहुलांश हिस्सेदारी सरकार के पास होती है। उदाहरणों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) शामिल हैं।
- **निजी क्षेत्र के बैंक:** ऐसे बैंक जिनमें अधिकांश हिस्सेदारी निजी शेयरधारकों के पास होती है। उदाहरणों में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं।
- **विदेशी बैंक:** भारत के बाहर निगमित लेकिन देश के भीतर परिचालन करने वाले बैंक। उदाहरणों में सिटीबैंक और एचएसबीसी शामिल हैं।
- **सहकारी बैंक:** सहकारी आधार पर संगठित बैंक और उनके सदस्यों के स्वामित्व वाले बैंक। उदाहरणों में सारस्वत बैंक और कॉसमॉस बैंक शामिल हैं।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):** ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाले बैंक, जिनका स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के पास संयुक्त रूप से होता है।

1.2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)

एनबीएफसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंक की कानूनी परिभाषा को पूरा किए बिना बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित हैं। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **प्रदान की जाने वाली सेवाएं:** ऋण, ऋण सुविधाएं, सेवानिवृत्ति योजना, हामीदारी और शेयरों में निवेश प्रदान करते हैं, लेकिन मांग पर वापसी योग्य जमा स्वीकार करने जैसी पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।
- **एनबीएफसी के प्रकार:**
    - **परिसंपत्ति वित्त कम्पनियां (एएफसी):** भौतिक परिसंपत्तियों का वित्तपोषण करती हैं।
    - **निवेश कम्पनियाँ (आई.सी.):** प्रतिभूतियों में सौदा करती हैं।
    - **ऋण कम्पनियाँ (एल.सी.):** ऋण प्रदान करती हैं।
    - **अवसंरचना वित्त कम्पनियाँ (आईएफसी):** अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त प्रदान करती हैं।
- **उदाहरण:** बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस।

1.3. लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

- **एसएफबी** एक प्रकार का बैंक है जिसे आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है ताकि समाज के वंचित और वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिसमें छोटे व्यवसाय इकाइयां, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं शामिल हैं। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- **उद्देश्य:** लघु व्यवसाय इकाइयों, छोटे एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को बचत साधन उपलब्ध कराकर तथा ऋण उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **प्रदान की जाने वाली सेवाएं:** जमा स्वीकार करना और ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
- **विनियमन:** लघु वित्त बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान विवेकपूर्ण मानदंडों और विनियमों के अधीन हैं।
- **उदाहरण:** उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक।

1.4. आईबीए बैंक, एनबीएफसी और एसएफबी के बीच अंतर

विशेषता	आईबीए बैंक	एनबीएफसी	एसएफबी
विनियमन	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा शासित	आरबीआई द्वारा विनियमित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा शासित नहीं	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित, वाणिज्यिक बैंकों के समान मानदंड
जमा स्वीकृति	सभी प्रकार की जमाराशि स्वीकार की जा सकती है	मांग जमा स्वीकार नहीं किया जा सकता	सभी प्रकार की जमाराशि स्वीकार की जा सकती है
ऋण सृजन	ऋण सृजन में संलग्न	ऋण सृजन में संलग्न	ऋण सृजन में संलग्न
सेवाएं दी गईं	बैंकिंग सेवाओं की पूरी श्रृंखला	ऋण, क्रेडिट, निवेश तक सीमित, परंतु मांग जमा नहीं	वित्तीय समावेशन पर ध्यान दें, जमा स्वीकार करें, ऋण प्रदान करें
प्राथमिक ग्राहक	आम जनता, व्यवसाय, सरकार	खुदरा ग्राहक, व्यवसाय	वंचित एवं असेवित वर्ग, लघु व्यवसाय
उदाहरण	एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक	बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक

2. आधारभूत संरचना:

2.1. शहरी परिवर्तन रणनीतियाँ:

An outlining of urban transformation strategies

GS Paper III:

Cities are home to about 50 crore people, accounting for about 36% of India's population. The urban population has been growing at a steady pace of 2% to 2.5% annually. The ever-growing pace of urbanisation in India calls for sustained investments, with a vision and determination. The maiden Budget of the new government has recognised cities as the growth hubs and offered many options and opportunities for the planned development and the growth of cities.

The issue of housing

The Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) has been under implementation since 2015 and has provided as many as 85 lakh housing units for the Economically Weaker Sections (EWS)-Middle Income Groups (MIG) categories of population, with an investment of about ₹8 lakh crore. Of this, a quarter has been provided by the central government and the remaining by the beneficiaries and State governments. The Budget has proposed to give a further push to the scheme by announcing support for the construction of another one crore such units in urban areas with an investment of ₹10 lakh crore, which will include central assistance of ₹2.2 lakh crore in the next five years, against which ₹30,171 crore has been provided in the Budget for the current year. A part of this allocation will be available to provide interest subsidy to facilitate loans at affordable rates.

The migrant population working in industries has been surviving in general in slums and yearning for a roof over their heads and a functional housing unit close to their workplaces. The Budget has announced new rental housing with dormitory-type accommodation for industrial workers. This is envisaged to be developed in public-private partnership (PPP) mode with upfront financial support under the Viability Gap Funding (VGF) scheme. This is to the extent of 20% from the central government, with the possibility of similar support from the State government.

The core infrastructure requirement for cities includes water supply, sanitation, roads and sewerage systems. Specific to the cities, the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) provides ₹8,000 crore, which, by itself, may not appear to be very substantial. However, the Finance Minister has announced the availability of the VGF window, provided that the project is taken up as a commercial venture in PPP Mode. Most cities have, over the years, got exposed to the PPP model, and it should be possible to speed up the development of such core infrastructure, where it is unavailable and upgrade it where it exists but is inadequate.

Sudhir Krishna

former Secretary, Urban Development, Government of India

State governments, their municipalities and also citizens will have to take forward the provisions outlined in the Budget

The Budget Speech also mentions a huge investment of ₹11.11 lakh crore for capex in infrastructure. While this would include highways and many other sectors, cities can also make efforts to partake a share in it. Similarly, a provision of ₹1.50 lakh crore is made available to States as an interest-free loan for infrastructure development. States could use this window also, for cities.

The Smart Cities Mission, that was launched in 2015, was provided budgetary support of ₹8,000 crore in 2023-24, which has been scaled down to ₹2,400 crore in 2024-25, to take care of the remnant commitments. However, a new window, the National Urban Digital Mission (NUDM), has been opened in this Budget, with a provision of ₹1,150 crore, with a focus on the digitisation of property and tax records and their management, with GIS mapping. These will help urban local bodies in managing their finances better, and also help property owners.

On city planning

The Budget has declared the intention of focusing on the planned development of cities. Municipalities would get the normal 'Finance Commission Grant' of ₹25,653 crore. In addition, a provision of ₹500 crore has been made for the incubation of new cities. With the development of mass rapid transit systems, cities can embark on transit-oriented development, wherein transit hubs can be surrounded by denser development without creating a traffic overload on roads. Moreover, a well-designed mobility plan can conveniently connect cities with their peri-urban areas and 'new cities'. Accordingly, the Budget has announced an enhanced focus on economic and transit planning, with the orderly development of peri-urban areas utilising town planning schemes. The Budget has also proposed encouraging electric bus systems for cities and has provided ₹1,300 crore for it. E-buses offer an economical and eco-friendly operating system, but the main challenge is their higher upfront cost. However, with this budgetary support, it should get going.

Solid waste management

Solid waste management (SWM) is perhaps the biggest challenge that most cities face today. The Budget has announced a special thrust to introduce bankable projects for SWM in collaboration with State government and financial institutions. States and municipalities can also make use of the VGF for this purpose. Cities such as Indore, Madhya Pradesh, have shown the way in making SWM a financially viable proposition.

The Street Vendors Act, 2014, was enacted by Parliament to regulate street vendors in public areas and protect their rights. It also envisaged the preparation of street-vending plans and the creation of street-vending zones, with a view to make street-vending a healthy and safe option for consumers and vendors. The Budget has proposed to develop 100 weekly '*haats*' or street food hubs in select cities. Perhaps States need not feel constrained with the number and can facilitate all cities in preparing street-vending plans and developing street vending '*haats*' in various parts of the city, according to felt needs.

While the Budget has made a slew of provisions, financial as well as procedural, to push for planned urbanisation, cities, represented by the municipalities, and guided by the respective State governments, will have to show the vision and the determination to incorporate all the resources coming not only from the Union Budget but also augmented by their own resources.

Above all, the participation of citizens would remain the bedrock for the success of any city's development strategy.

The views expressed are personal

2.2. रेलवे सुरक्षा पर धीमी प्रगति:

- कवच प्रणाली भारत के केवल 2.14% रेलमार्ग पर लागू की गई है; पिछले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है ; 46% स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में हाल की दुर्घटनाओं के बाद रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है।
- स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच और सिग्नलिंग प्रणाली अद्यतन जैसे सुरक्षा सुधारों पर प्रगति सीमित है।
- किलोमीटर रूट पर स्थापित किया गया है , जो भारत के कुल रेलवे नेटवर्क का केवल 2.14% है।
- 17 रेलवे जोन में से आठ ने मैकेनिकल सिग्नलिंग हटा दी है।
- पिछले पांच वर्षों में रेलवे में पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है, जो नई लाइनों और गेज परिवर्तन जैसी परियोजनाओं के लिए 2023-24 में 2.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
- 2022-23 तक 2,981 रेलवे स्टेशनों पर मैकेनिकल सिग्नलिंग को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग में बदल दिया जाएगा, जो कुल स्टेशनों का 40% होगा।
- 2023-24 में, 443 और स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पर स्विच हो जाएंगे, जो सभी स्टेशनों का 46% होगा।
- स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, जो रेलगाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करके टकरावों को रोकती है, को 2023-24 में 582 रूट किलोमीटर में जोड़ा गया।
- 31 मार्च 2024 तक, यह प्रणाली 4,431 मार्ग किलोमीटर या रेलवे नेटवर्क का 6.47% कवर करती है।

2.3. स्मार्ट सिटी मिशन अवधि का विस्तार:

Smart Cities Mission period extended till March 2025

GS Paper III: Infrastructure

NEW DELHI

The Centre has extended the Smart Cities Mission (SCM) under the Union Urban Development Ministry till March 31, 2025.

Under the SCM, launched in June 2015, 100 cities were chosen through a competition to be developed as smart cities. The mission envisions developing areas within selected cities in the country as model areas based on an area development plan, which is expected to have a rub-off effect on other parts of the city and nearby cities and towns.

More than 8,000 multi-sectoral projects are being developed by the 100 cities amounting to around ₹1.6 lakh crore under the SCM.

As on July 3, the 100 cities have completed 7,188 projects (90% of total projects) amounting to ₹1,44,237 crore as part of the mission.

Under the SCM, 100 cities were chosen through a competition to be developed as smart cities.

The balance 830 projects amounting to ₹19,926 crore are also in advanced stages of completion, an official statement said on Wednesday.

The mission has an allocated a budget of ₹48,000 crore for the 100 cities. As on date, ₹46,585 crore or 97% of the allocated budget has been released.

Out of these funds released to the cities, 93% have been utilised as on date.

"The mission has been getting multiple requests from some States/city government representatives to grant some more time to complete the balance 10% projects. These balance ongoing projects are in advanced stage of implementation and got delayed due to various on-ground conditions. Taking cognisance of these requests, the Government of India has extended the mission period up to March 31, 2025 to complete these balance 10% projects," the statement said.

This extension has been informed to the cities that it would be without any additional cost, beyond the already approved financial allocation under the mission.

3. रोज़गार:

3.1. गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक विधेयक:

- 29 जून को कर्नाटक ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया।
- कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला दूसरा भारतीय राज्य है, इससे पहले राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य था।
- विधेयक का उद्देश्य राज्य में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को विनियमित करना है।
- उम्मीद है कि इसे विधानसभा के मानसून सत्र में रखा जाएगा।
- मसौदे में गिग वर्कर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अनुबंध की शर्तों के आधार पर एक निश्चित दर पर काम करता है तथा निर्दिष्ट सेवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करता है।
- नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में 2029-30 तक 23.5 मिलियन गिग वर्कर होंगे।
- लगभग दो लाख गिग वर्कर स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, अर्बन कंपनी, पोर्टर, डंज़ो , अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं।
- पिछले दो दशकों में, कई प्लेटफार्मों ने भारत में गिग अर्थव्यवस्था को आकार दिया है, जिसका श्रम बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
- एग्रीगेटर्स गिग वर्कर्स को कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि 'साझेदार' के रूप में शामिल करते हैं, जिससे वे स्वतंत्र ठेकेदार बन जाते हैं।
- श्रम संरक्षण कानूनों के सुरक्षा जाल से बाहर कर देती है ।
- प्रारंभ में स्वायत्तता और लचीलेपन के अवसर के रूप में देखे जाने वाले गिग श्रमिकों को विनियामक कानूनों की अनुपस्थिति में वर्षों से कम भुगतान, मनमाने ढंग से बर्खास्तगी और अन्य शोषणकारी प्रथाओं का सामना करना पड़ा है।

विधेयक की कुछ मुख्य बातें क्या हैं ?

- कर्नाटक मसौदा विधेयक को प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिए 'अधिकार-आधारित विधेयक' के रूप में पेश किया गया है।
- यह सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में एग्रीगेटर्स पर दायित्व डालता है।
- इस मसौदे का उद्देश्य अनुचित बर्खास्तगी के विरुद्ध सुरक्षा उपाय लागू करना है।
- इसमें श्रमिकों के लिए दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रस्ताव किया गया है।
- विधेयक प्लेटफार्मों द्वारा प्रयुक्त स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता की मांग करता है।
- एग्रीगेटर और श्रमिक के बीच अनुबंध में अनुबंध समाप्ति के लिए संपूर्ण आधार सूचीबद्ध होने चाहिए।
- एग्रीगेटर्स को किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले लिखित में वैध कारण बताना होगा तथा 14 दिन पहले नोटिस देना होगा।
- मनमाने तरीके से काम से निकाले जाने की शिकायत गिग कर्मियों द्वारा की जाती रही है।
- प्लेटफॉर्म अक्सर स्वचालित प्रणालियों का उपयोग करके कर्मचारियों का पक्ष सुने बिना ही उन्हें काली सूची में डाल देते हैं या नौकरी से निकाल देते हैं।
- ये प्रणालियाँ कार्य, आय और ग्राहक फीडबैक पर नज़र रखती हैं, जो अक्सर ग्राहक के पक्ष में होती हैं ।
- मानवीय हस्तक्षेप के अभाव के कारण इस प्रणाली में शिकायत निवारण की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

मसौदे की अन्य विशेषताएं क्या हैं?

मसौदे में एग्रीगेटर्स को यह अनिवार्य किया गया है:

- कम से कम साप्ताहिक भुगतान करें।
- श्रमिकों को भुगतान कटौती के कारणों के बारे में सूचित करें।
- श्रमिकों को प्रति सप्ताह एक निश्चित संख्या में काम करने से मना करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके लिए उन्हें 'उचित कारण' बताना होगा, बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के।

मसौदे में प्रस्ताव है:

- गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष की स्थापना करना।
- श्रमिकों और एग्रीगेटर्स के बीच लेन-देन पर या कंपनी के समग्र टर्नओवर पर कल्याण शुल्क लगाया जाता है।
- कल्याण बोर्ड को केन्द्र और राज्य सरकारों के योगदान से भी वित्त पोषित किया जाएगा।
- सभी गिग श्रमिकों को पंजीकृत होना चाहिए, तथा एग्रीगेटर्स को अपना डेटाबेस सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए।
- अनुबंध सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए तथा परिवर्तनों की सूचना कर्मचारी को 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए।
- श्रमिक मौजूदा अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।
- एग्रीगेटर्स को उचित एवं सुरक्षित कार्य स्थितियां उपलब्ध करानी होंगी, यद्यपि 'उचित' की कोई परिभाषा नहीं दी गई है।

राज्य की अन्य पहल:

- राजस्थान ने राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक पेश किया, जो सितंबर में अधिनियम बन गया।
- हरियाणा सरकार गिग वर्कर्स की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड स्थापित करने जा रही है।
- तेलंगाना भी इसी प्रकार का विधेयक तैयार कर रहा है।

केंद्र सरकार की पहल:

- सामाजिक सुरक्षा पर 2020 संहिता ने फ्रीलांसरों और अल्पकालिक श्रमिकों को मान्यता दी, तथा नियोक्ताओं को नियमित कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करने का आदेश दिया।

क्या आप जानते हैं?

1. **वेतन संहिता, 2019** : वेतन संहिता में वेतन और वेतन भुगतान से संबंधित चार श्रम कानूनों को समाहित किया गया है और उन्हें तर्कसंगत बनाया गया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में परिभाषाओं, वेतन गणना विधियों और वेतन भुगतान विनियमों को मानकीकृत करता है, जिससे श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक वेतन ढांचा सुनिश्चित होता है।
2. **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020** : औद्योगिक संबंध संहिता औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियनों और रोजगार की शर्तों से संबंधित तीन कानूनों को समेकित और संशोधित करती है। इसका उद्देश्य श्रम संबंधों को सुव्यवस्थित करना, विवाद समाधान तंत्र को सरल बनाना और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।
3. **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता, 2020** : यह संहिता व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य-स्थितियों और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित 13 श्रम कानूनों को एकीकृत और तर्कसंगत बनाती है। यह श्रमिकों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सुविधाओं और सेवा की शर्तों के लिए मानक स्थापित करती है।
4. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** : सामाजिक सुरक्षा संहिता श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत और सरल बनाती है। यह श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी, बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ और अन्य कल्याणकारी उपायों के प्रावधानों सहित सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे का विस्तार करती है।

कर्नाटक गिग वर्कर्स विधेयक की समस्या:

- कर्नाटक ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के लिए कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2024 का मसौदा पेश किया।
- यह मसौदा 9 जुलाई को साझा किया गया।
- राजस्थान ने भी इसी प्रकार का कानून, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 बनाया है।

- दोनों कानून कल्याण बोर्ड मॉडल का उपयोग करते हैं, जो स्व-नियोजित अनौपचारिक श्रमिकों के लिए उपयुक्त है, लेकिन रोजगार संबंधों को संबोधित नहीं करता है, जो गिग श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है।
- गिग कार्यबल बढ़ रहा है, विशेष रूप से ऐप-कैब और खुदरा वितरण क्षेत्रों में, नीति आयोग के अनुमान के अनुसार यह 2030 तक 23.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा।
- सामान्यतः निराशाजनक रोजगार सृजन परिदृश्य के बीच गिग कार्य आजीविका प्रदान करता है।
- भारत में गिग श्रमिकों ने राजस्व बंटवारे, काम के घंटों और अन्य शर्तों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।
- मौजूदा श्रम कानून नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों पर आधारित हैं, जो गिग अर्थव्यवस्था में जटिल हैं या अनुपस्थित हैं।
- एग्रीगेटर्स स्वयं को प्रौद्योगिकी प्रदाता और गिग वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में देखते हैं।
- गिग श्रमिक एग्रीगेटर्स को नियोक्ता के रूप में देखते हैं, क्योंकि सेवा की शर्तें एग्रीगेटर्स द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- गिग श्रमिक कानूनी अधिकारों के रूप में उचित व्यवहार, बेहतर कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की मांग करते हैं।

ब्रिटेन का फैसला

- ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उबर एक नियोक्ता है, तथा वह उबर ड्राइवरों पर श्रम कानून लागू करता है।
- भारत में, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में अनौपचारिक स्व-नियोजित श्रमिकों के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन अन्य श्रम संहिताओं में नहीं।
- राजस्थान और कर्नाटक के कानून गिग कार्य में रोजगार संबंधों को परिभाषित नहीं करते हैं, बल्कि 'नियोक्ता' के स्थान पर 'एग्रीगेटर' शब्द का प्रयोग करते हैं।
- रोजगार संबंधों को मान्यता दिए बिना न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा, कार्य घंटे, अवकाश और सामूहिक सौदेबाजी संबंधी श्रम कानून लागू नहीं हो सकते।
- गिग श्रमिकों को न्यूनतम आय की गारंटी और विनियमित कार्य घंटों का अभाव होता है।
- एग्रीगेटर वास्तविक नियोक्ता होते हैं क्योंकि वे ही नियम व शर्तें निर्धारित करते हैं।
- कल्याण बोर्ड मॉडल कुछ योजनाएं तो प्रदान करता है, लेकिन भविष्य निधि, ग्रेच्युटी या मातृत्व लाभ जैसे पूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं प्रदान करता।
- ऐतिहासिक कल्याण बोर्ड मॉडल का क्रियान्वयन ख़राब तरीके से किया गया है।
- कर्नाटक विधेयक में न्यूनतम मजदूरी या कार्य घंटों का कोई उल्लेख नहीं है।
- धारा 16 में भुगतान कटौती पर चर्चा की गई है, लेकिन न्यूनतम आय या राजस्व बंटवारे पर नहीं।
- अन्य कानूनों की तरह कर्नाटक विधेयक भी रोजगार संबंधों को संबोधित करने में विफल रहा है, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना कठिन हो गया है।

3.2. सर्वेक्षण में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सीखने के साथ कौशल विकास को समन्वयित करने पर जोर दिया गया

- आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन से भारतीय युवाओं के लिए सीखने के परिणाम और रोजगार की संभावनाएं बेहतर होंगी।
- भारत के केवल 51% स्नातक ही वर्तमान में रोजगार योग्य हैं।
- भारत के कार्यबल की औसत आयु 28 वर्ष है, और शिक्षा को कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ना इस जनसांख्यिकी का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- एनईपी 2020 का लक्ष्य तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करना है, लेकिन कोविड-जनित सीखने की हानि को संबोधित करना अत्यावश्यक है।

- रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल विकास को सभी के लिए प्रासंगिक माना जाना चाहिए, न कि केवल पढ़ाई छोड़ने वालों या कम उपलब्धि प्राप्त करने वालों के लिए।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड के बाद से कक्षा के मानकों और सीखने के स्तर के बीच अंतर बढ़ गया है, तथा छात्रों के प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- उदाहरण के लिए, कक्षा 10 के अंकों में गणित में 13.4%, विज्ञान में 18.6% तथा सामाजिक विज्ञान में 9.1% की गिरावट आई, जबकि कक्षा 3 के अंकों में विभिन्न विषयों में लगभग 4% की गिरावट आई।
- 2023-24 में शिक्षा पर व्यय बजट अनुमान से 60,000 करोड़ रुपये कम होगा, जिससे ग्रामीण विकास और शिक्षा को सबसे अधिक नुकसान होगा।
- केन्द्र सरकार का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.8% रहा है, जिसमें पिछले वर्ष मामूली कमी आई थी।
- जुलाई 2024 तक, 2,037 उच्च शिक्षा संस्थानों ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) को अपना लिया है, और संस्थानों में गतिशीलता में सुधार के लिए 30.13 करोड़ स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी बनाई गई हैं।

3.3. गिग श्रमिकों का विनियमन:

A case for regulating gig-based work

Karnataka's draft Bill introduces provisions that mandate fair contracts and income security for platform workers. These provisions strengthen the position of workers who are at the same time not considered employees, nor do they enjoy the freedom and flexibility of being independent contractors

GS Paper III: Employment

ECONOMIC NOTES

Rakshita Swamy
Biju Mathew

The Karnataka government's intent to introduce a legislation for the welfare of gig workers is a welcome and necessary step.

It squarely addresses the three big myths propagated by the gig and platform industry. The first myth that aggregators sell to promote platform work is that they would have "no boss" and would be "partners" and "captains" – anything but workers. This drew in many people, particularly the young, to join platform-based gigs. However, it soon became clear that this was not the case. There was a big boss – the algorithm and a network of team managers deployed at the local level to enforce the algorithm.

Algorithms dictate the number of hours the worker needs to put in on weekends, the orders to be delivered, cancellations and rating scores that ought to be maintained in order for tasks to be continually allocated to the worker, and finally when a worker is deactivated or fired. Shaikh Salauddin from the Indian Federation of App-based Transport Workers put it succinctly when he said that "Gig workers spend hours trying to guess what the algorithm is doing and it feels like they are a rat in a maze". This is totally opposite to the idea of being one's own boss. A plain reading of the digitally generated terms and conditions that the worker has to invariably agree on to commence work dispels any notion of being an independent contractor. Every aspect of the work is monitored and dictated, with workers facing the consequences if they do not comply.

The Karnataka Bill recognises the pervasive role played by such algorithms and makes the aggregator responsible for sharing the parameters that are used by the algorithm to determine allocation of work, grounds for denial of work, the categorisation of workers and how

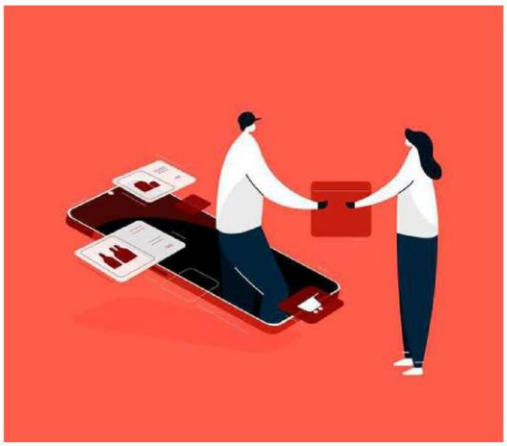

ISTOCKPHOTO

personal data of workers is being used to determine their ability to work and earn through the aggregator. The Bill breaks the algorithmic control the companies have and allows workers to take back control for at least some part of their work lives.

The myth of flexibility

The second myth that is perpetuated is that persons engaged in platform work enjoy flexible work arrangements. This assertion has enabled platforms to keep gig-based workers away from protections under labour laws. Multiple studies have shown how the term flexibility is abused in the industry. All flexibility in truth rests only with the employer and none with the worker. The payment structure consisting of a number of incentive schemes which enable workers to earn the minimum surplus required to cover costs, in effect, leaves no flexibility with the workers. For instance, workers have to comply with mandatory login hours to be eligible for incentives. If they log in after gaps of being 'inactive', they have to make peace with disadvantaged rate cards and incentive schemes. Karnataka's draft Bill introduces provisions that mandate fair contracts, income security and the right of platform workers to refuse work without being slapped with sanctions. The above provisions strengthen the position of these workers who are at the same time not considered employees, nor do they enjoy the freedom and flexibility of being independent contractors.

The third myth is that these are 'part time' workers, who engage in platform-based gig work for additional income. According to a study of the platform economy in India by PAIGHAM and the University of Pennsylvania, 96% of the cab drivers surveyed, secured 100% of their daily income from gigs. The corresponding figure for delivery workers was 90.7%. Average daily work hours for taxi drivers was in excess of 11 hours, and 10 hours for delivery workers. By making social security a mandatory requirement, the Karnataka Law takes a necessary step towards acknowledging this fact and makes room for an umbrella of schemes that can assist workers through events such as old age, death, health shocks etc.

India's stand

Even though the Government of India endorsed a progressive statement on the rights of platform workers at the G-20 last year, it's Code on Social Security, which is the only legislation that makes a passing reference to gig workers, has been detrimental as it delinks workers from minimum labour protections of wages, occupational safety and health. Significantly, it is the State Governments that are showing the way forward. Rajasthan is the first State to pass a legislation on the issue, closely followed by Karnataka. Jharkhand, Tamil Nadu, Haryana, Telangana are following suit.

In the political context of guarantees funded purely by the state exchequer, this law is an important development. It shows how social security for workers ought to also be financed from the market and that private actors should no longer be abdicated from their primary economic accountability towards workers. There are many things that could be improved in the Bill. These include the Bill's silence on critical issues such as minimum wage, occupational safety and health, working hours, and rights on collective bargaining. However, it is also true that this law allows workers to mobilise and assert for more.

Rakshita Swamy is Director, Social Accountability Forum for Action and Research and Biju Mathew is President, International Alliance of App Based Transport Workers.

THE GIST

The first myth that aggregators sell to entice people towards platform work is that they would have "no boss" and would be "partners" and "captains" — anything but workers.

The second myth that is perpetuated is that persons engaged in platform work enjoy flexible work arrangements. This assertion has enabled platforms to keep gig-based workers away from protections under labour laws.

The third myth is that these are 'part time' workers, who engage in platform-based gig work for additional income.

Text & Context

- Text & Context pages will not be available on July 24, 2024

4. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण:

4.1. फसल-उपरांत नुकसान को कम करने के लिए सही मार्ग का चयन

- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है, लेकिन कृषि निर्यात में 2.4% हिस्सेदारी के साथ यह आठवें स्थान पर है।

- निर्यात को प्रभावित करने वाले मुद्दों में कम उत्पादकता, खराब गुणवत्ता मानक और आपूर्ति श्रृंखला की अकुशलताएं शामिल हैं।
- भारत में वार्षिक कटाई के बाद होने वाली हानि लगभग ₹1,52,790 करोड़ है।
- बढ़ती खाद्य एवं पोषण मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है; फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान को कम करना महत्वपूर्ण है।
- अंडे, मछली, मांस (22%), फल (19%), और सब्जियां (18%) जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को सबसे अधिक नुकसान होता है।
- लगभग 19% नाशवान वस्तुएं निर्यात के दौरान नष्ट हो जाती हैं, विशेष रूप से आयातित देश के स्तर पर।
- हानि को कम करने के लिए प्रभावी भंडारण, परिवहन और विपणन आवश्यक हैं।
- किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति (डीएफआई) के अनुसार कृषि -लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना प्राथमिकता है।
- आपूर्ति श्रृंखला में प्रथम-मील परिवहन (खेत से मंडी तक), लंबी दूरी का परिवहन, तथा उपभोक्ताओं तक अंतिम-मील परिवहन शामिल है।
- एक बार कटाई के बाद जल्दी खराब होने वाली फसलों को समय की कमी का सामना करना पड़ता है।
- 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत (एसएमएफ) हैं, जो छोटे उत्पादन पैमाने और बाजार संपर्क से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें फसल के बाद नुकसान और आय में कमी का सामना करना पड़ता है।
- भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतों में अस्थिरता आंशिक रूप से शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों की आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण है।
- भारतीय रेलवे का राजस्व मुख्य रूप से माल परिवहन से आता है, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं, जो इसकी कमाई का 75% हिस्सा है।
- भारतीय खाद्य निगम अपने लगभग 90% खाद्यान्न परिवहन के लिए भारतीय रेलवे पर निर्भर है।
- लगभग 97% फलों और सब्जियों का परिवहन सड़क मार्ग से होता है।

रेलवे की पहल

- भारतीय रेलवे ने ट्रक-ऑन-ट्रेन सेवा के माध्यम से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए माल ढुलाई परिचालन में सुधार किया है, जिसके तहत ट्रकों को रेलवे वैगनों पर लादकर ले जाया जाता है।
- कोविड-19 के दौरान, बाजारों और उत्पादकों के बीच जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं और बीजों के परिवहन के लिए पार्सल विशेष ट्रेनें शुरू की गईं।
- किसान रेल अधिशेष नाशवान वस्तुओं (दूध, मांस, मछली) वाले क्षेत्रों को उपभोग वाले क्षेत्रों से जोड़ती है, जिससे फसल-पश्चात होने वाले नुकसान में कमी आती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
- महाराष्ट्र के नासिक में अंगूर उत्पादकों ने किसान रेल का उपयोग करके प्रति क्विंटल 5,000 रुपये कमाए।
- रेलवे की पहलों ने कृषि के क्षेत्र में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन किसानों में जागरूकता और रेलवे योजनाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है।
- चैम्पियंस 12.3 के मित्रों ने रेल द्वारा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के दौरान अनेक चुनौतियों की पहचान की।
- तापमान नियंत्रित परिवहन के लिए विशेष वैगनों तथा सुरक्षित माल संचालन के लिए रेल-साइड सुविधाओं में निवेश की आवश्यकता है।
- खाद्य पदार्थों के खराब होने और संदूषण के जोखिम को न्यूनतम करके खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने से घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों को लाभ होता है।
- डीएफआई समिति ने लोडिंग/अनलोडिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और स्टाफ की कमी को दूर करने की सिफारिश की है।

- फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए सड़क मार्ग की तुलना में रेलवे को प्राथमिकता देने से कुशल परिवहन का वादा किया जाता है।
- भारतीय रेलवे सड़क परिवहन की तुलना में माल यातायात के लिए 80% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है।
- विभिन्न परिवहन साधनों और भौगोलिक क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए एक प्रणाली-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- निजी क्षेत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से परिचालन दक्षता बढ़ा सकता है और रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकता है।
- 2024 के कृषि बजट का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे और मूल्यवर्धन सहायता के साथ खेत से बाजार तक के अंतर को पाटना है।
- रेलवे की पहल, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के कुशल परिवहन में सहायता करके तथा कटाई के बाद होने वाली हानि को न्यूनतम करके इन प्रयासों को पूरक बनाती है।

गोरखपुर में पहली बार
दैनिक करेंट अफेयर्स Offline (फेस टू फेस) Class
हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध
दैनिक प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
दैनिक मुख्य अभ्यास प्रश्न
शुल्क: 1500 रुपये प्रति माह
वन टू वन मेंटरिंग
Daily Class Notes
Address: पैडलीगंज रोड, राजबंशी अस्पताल के पास,
संपर्क नंबर: 9971932488

4.2. वनस्पति प्रोटीन:

Running on vegetable protein

Foxnuts are in demand as a 'super snack', with its prices soaring in domestic and international markets since 2019. In Bihar's Mithila region, which produces most of the country's crop, **A.M. Jigeesh** finds that farmers receive very little of the money earned from this health food pie, despite the intensive labour involved

Sravan Kumar Roy went from Bihar's Darbhanga to Tamil Nadu's Thanjavur to study food technology. Despite their seeming differences, the two places are tied together by water – Darbhanga has wetlands and numerous rivers and ponds; Thanjavur is on the banks of the Cauvery. Both are known for rich cultivation, a lot of it being rice.

At the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, where Roy did a BTech between 2009 and 2013, he was nicknamed 'Makhana Man'. "I introduced my teachers and batchmates to this 'wonder food'. Except for the four north Indian students on my campus, no one had heard about makhana. Everyone else only spoke about the cashew trees on campus," he recalls. Foxnuts were then eaten only in north India during Hindu fasts, along with sabudana (sago) and kuttu ka atta (buckwheat flour).

Today, Roy owns a business that retails from Darbhanga and online, producing 22 items from makhana, from the traditional kheer to the innovative dosa and idli powder, to cater to customers down south, and even a 100% makhana cookie for the urban health food market.

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) estimates that Bihar produces 10,000 tonnes of makhana per annum, about 90% of the country's total. India contributes to 80% of the world's demand. The prickly water lily, from which the seed is harvested, is spread across more than 15,000 hectares in Bihar, and traditionally grows wild.

About five lakh families, mostly from the Mallah community, are involved in its processing. Nine districts in the Mithila region now grow it for production: Darbhanga, Madhubani, Purnea, Katihar, Saharsa, Supaul, Araria, Kishanganj, and Sitamarhi.

Makhana, sold in the international wholesale market at about ₹8,000 per kg, up from ₹1,000 about 10 years ago, is in high demand as a source of vegetarian protein in a world burdened by 'meat guilt' from animal cruelty and methane-related temperature rises. Indian wholesale markets sold makhana at ₹250 per kg a decade ago, with prices now at ₹1,400. However, rates are cyclical, with price increases during festivals, when demand goes up.

Mukhiya, the master of makhana

The people who harvest the seeds though – traditionally boatmen and fisherfolk – say the government offers them little support, and they now want a minimum support price (MSP) to ensure that the crop is sustainable for cultivation.

The Bihar government runs the Makhana Development Scheme that gives a 75% subsidy on the Suvarna Vaidehi variety of seeds, calculated at ₹97,000 per hectare.

Also, makhana is a product approved under the Union government's One District One Product scheme, under which subsidies are provided to food processors for branding, marketing, and developing infrastructure.

> Workers who don't approach the plant carefully get wounded. It needs training to transplant and harvest, especially in big ponds. We have been doing this from childhood
>
> **VINOD MUKHIYA**
> Makhana farmer

Vinod Mukhiya, 42, is a landless farmer belonging to the Mallah community. He cultivates makhana across the five acres he has leased and partners with landowning farmers in about 20 acres. He also works as a farmhand, something he has done for the last 25 years.

When raised for cultivation, sowing is done in December and January, transplantation in February and March, and harvest between July and October. The wild variety too is harvested at the same time. "The seeds fall into water. We collect them from the bottom of ponds, grade them, and dry them in the shade. Women in our homes roast the seed and break the shell off. They take out the lava (the white food commonly seen) and sell it. Now, makhana has a market," he says.

Tall and lean, Mukhiya does not find it hard to handle the *Euryale ferox*, the lily's scientific term, named after the Greek goddess, Euryale, born of a sea goddess and god, with hair of snakes, protruding teeth, and tongue hanging out. The plant, with dark pink flowers, has thorns all over. Only trained workers like Mukhiya are able to approach it. Workers use countrymade boats to navigate the large leaves.

'Makhane ke patte se mooh pochke aao (Go wipe your face with makhana leaves)' is an old saying of the Mithila region used on someone to check their ego or loose talk. "Workers who don't approach the plant carefully get wounded. It needs training to transplant and harvest, especially in big ponds. We have been doing this from childhood," Mukhiya adds.

The Mallahs of Mithila are considered the original inhabitants of this region. Kamala, a Mallah woman, sells makhana at the Darbhanga market. She pops it at home and brings it here. "I have been doing this since childhood," she says. Women play an important role in increasing the earnings of a family. Farmers sell unprocessed, ungraded makhana seeds at ₹50-₹200 per kg. The moment the shell is removed, the price climbs to ₹400-₹800. For first-grade makhana lava, farmers can demand up to ₹1,100-₹1,250.

"We do not get enough support from the government," Mukhiya says, adding that cooperative societies, formed to help Mallahs cultivate

Deft hands: A worker separates makhana into different grades at a unit; (top left) FT-MBA Makhanawala founder Sravan Kumar Roy. A.M. JIGEESH

4.3. घरेलू व्यय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को लक्षित करता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न मिलने से घरेलू संसाधन अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के लिए मुक्त हो सकते हैं।
- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस): 2022-23 गैर-खाद्यान्न वस्तुओं पर व्यय पर पीडीएस के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डेटा प्रदान करेगा।
- HCES:2022-23 सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं पर डेटा एकत्र करता है।
- कार्यक्रम कवरेज के सर्वेक्षण अनुमान अक्सर समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों के कारण प्रशासनिक आंकड़ों से कम होते हैं।
- सर्वेक्षण डेटा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले परिवारों की विशेषताओं की जांच करने में मदद कर सकता है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय पर विस्तृत जानकारी एनएसएसओ द्वारा अलग से एकत्र की जाती है।
- एनएसएसओ ने मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) और 'आरोपण सहित एमपीसीई' की गणना करने के लिए चयनित निःशुल्क वस्तुओं का मूल्य आरोपित किया है।
- दोनों मीट्रिक्स विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के लिए एनएसएसओ रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं।

मूल्यों का आरोपण

- एनएसएसओ ने मुफ्त वस्तुओं के आरोपण के लिए मूल्यों के दो सेट सुझाए हैं: मॉडल इकाई मूल्य और 25वां प्रतिशतक इकाई मूल्य।
- आरोपण निःशुल्क वस्तुओं के लिए किया जाता है, सब्सिडी वाली वस्तुओं के लिए नहीं; नाममात्र मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा की गई खरीद के लिए कोई आरोपण नहीं किया जाता।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त खाद्यान्न मुख्य मुफ्त वस्तुएं हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में 94% और शहरी क्षेत्रों में 95% अनुमानित मूल्य खाद्य वस्तुओं से प्राप्त होता है।
- भोजन के लिए औसत अनुमानित मूल्य: ग्रामीण क्षेत्रों में ₹82 और शहरी क्षेत्रों में ₹59.
- निचले 5% में एम.पी.सी.ई.: ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1,373 तथा शहरी क्षेत्रों में ₹2,001.
- ग्रामीण क्षेत्रों में निचले 5% में से 20% लोग आरोपण के साथ अगले उच्चतर फ्रैक्टाइल वर्ग में चले जाते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में भी वृद्धि देखी गई; राज्यों में पैटर्न अलग-अलग है।
- शोधकर्ता औसत एमपीसीई को बढ़ाने के लिए पीडीएस खरीद के लिए मॉडल मूल्य का उपयोग कर सकते हैं।
- वस्तुगत सामाजिक हस्तांतरण से गरीब परिवारों के लिए उपभोग का मूल्य बढ़ जाता है।
- इस बात पर चर्चा की आवश्यकता है कि गरीबी का अनुमान व्यय पर आधारित किया जाए या मुफ्त वस्तुओं सहित कुल उपभोग मूल्य पर।
- वस्तुगत सामाजिक हस्तांतरण उपभोग या आय वितरण के निचले स्तर पर स्थित परिवारों की भलाई को प्रभावित करते हैं।

5. राजकोषीय नीति:

5.1. एक ऐसा बजट जो स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देता है:

- नई सरकार द्वारा 2024-25 के लिए अंतिम बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।
- यह मध्यम अवधि की वृद्धि, रोजगार के परिप्रेक्ष्य और नीति प्राथमिकताओं को रेखांकित करने का अवसर है।
- वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण, भारत को घरेलू विकास चालकों पर निर्भर रहना होगा।
- अल्पकालिक उद्देश्य: न्यूनतम 7% वृद्धि सुनिश्चित करना।

- मध्यम अवधि उद्देश्य: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को 7%-7.5% के बीच बनाए रखना।
- अगले 3-4 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे को वर्तमान स्तर से घटाकर 3% करने का लक्ष्य, जो एफआरबीएम के अनुरूप हो।
- विकास के साथ-साथ रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ।

निवेश और बचत की संभावनाएं

- 7%+ की वृद्धि दर को बनाये रखने के लिए 35% की वास्तविक निवेश दर की आवश्यकता है।
- 2022-23 के लिए वास्तविक निवेश दर (GFCF) सकल घरेलू उत्पाद का 33.3% थी, और 2023-24 के लिए यह 33.5% थी।
- सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) थोड़ा अधिक है।
- 7% से अधिक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए GFCF को लगभग 35% होना चाहिए, बशर्ते कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात 5 हो।
- 2022-23 के लिए बचत का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 30.2% (नाममात्र) और 32.8% (वास्तविक) था।
- 35% जीएफसीएफ तक पहुंचने के लिए बचत और निवेश दरों में मामूली वृद्धि की आवश्यकता है।
- 2022-23 में घरेलू वित्तीय बचत सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के 5.2% तक गिर गई, जिससे निवेश योग्य अधिशेष प्रभावित हुआ।
- निजी क्षेत्र के निवेश के लिए उचित दरें सुनिश्चित करने के लिए घरेलू वित्तीय बचत में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है।
- हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में शुद्ध निर्यात का योगदान नकारात्मक या कम रहा है: 2022-23 में 0.5% और 2023-24 में (-)2.0%।
- सेवा निर्यात, वस्तु निर्यात की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो 2023-24 में घट जाएगा।
- जब तक निर्यात मांग और निजी निवेश में वृद्धि नहीं होती, तब तक सरकारी निवेश मांग को विकास का समर्थन करना होगा।

बजटीय विकल्प

- उच्च कर और गैर-कर राजस्व के कारण केंद्र की राजस्व स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
- 2023-24 के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹34.65 लाख करोड़ था, जो संशोधित अनुमान से ₹27,581 करोड़ अधिक था।
- 2024-25 के लिए अपेक्षित नाममात्र जीडीपी वृद्धि 11% है, जिसमें 7% वास्तविक वृद्धि और 3.8% मुद्रास्फीति होगी।
- 1.1 की कर उछाल और 12.1% की जीटीआर वृद्धि के साथ, जीटीआर 38.8 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
- केंद्र का शुद्ध कर राजस्व 26.4 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
- आरबीआई के 2.11 लाख करोड़ रुपये के उच्च लाभांश के कारण गैर-कर राजस्व 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।
- आरबीआई के हस्तांतरण विस्तारकारी हैं और इनका मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ता है।
- राजस्व की बेहतर स्थिति से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 5.1% राजकोषीय घाटे के राजकोषीय समेकन लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- कुल व्यय जिसका वित्तपोषण किया जा सकता है वह 49 लाख करोड़ रुपये है।
- 2024-25 के लिए राजस्व व्यय वृद्धि 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 4.6% है, लेकिन उच्च सब्सिडी, स्वास्थ्य व्यय और मनरेगा आवंटन के लिए इसमें वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है।
- सामान्य मानसून से ग्रामीण आय में सुधार होने की उम्मीद है।
- राजस्व व्यय वृद्धि को 8% तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में अतिरिक्त 3 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

- निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार को समर्थन देने के लिए 2024-25 में पूंजीगत व्यय में 19.2% की वृद्धि के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनी हुई है।
- महत्वपूर्ण राजस्व हानि के बिना संभावित कर युक्तिकरण उपायों और रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए पीएलआई योजना के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

एफआरबीएम लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता

- बजट का लक्ष्य मूल्य और राजकोषीय स्थिरता सहित विकास को स्थिरता के साथ जोड़ना होना चाहिए।
- एफआरबीएम लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता अल्प से मध्यम अवधि में महत्वपूर्ण है।
- 2024-25 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के अनुपात में 5.1% तक कम करने में 3-4 साल लग सकते हैं।
- कम राजकोषीय घाटा और 11%-11.5% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि से ऋण से जीडीपी अनुपात और ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात कम हो जाएगा।
- इससे एक अच्छा चक्र निर्मित होता है, जिससे राजकोषीय घाटे में और कमी लाने में मदद मिलती है।

5.2. मोबाइल फोन, चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सीमा शुल्क घटाया गया

- मोबाइल फोन, चार्जर और कुछ घटकों पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की गई।
- प्रतिरोधकों के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर शुल्क समाप्त कर दिया गया (पहले यह 5% था)।
- मोबाइल फोन, चार्जर और पीसीबीए पर शुल्क 20% से घटाकर 15% कर दिया गया।
- ट्रांजिस्टरों में प्रयुक्त कनेक्टरों के इनपुट को शुल्क से छूट दी गई।
- दुर्लभ मृदा धातुओं, लिथियम, तांबा और कोबाल्ट पर शुल्क समाप्त कर दिया गया या कम कर दिया गया।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार उपकरणों के लिए पीसीबीए पर शुल्क 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया।
- पंकज मोहिन्द्रू ने बदलावों का स्वागत किया और बताया कि टैरिफ स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम अगले छह महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।

एंजल टैक्स (Angel Tax)

- एंजल टैक्स किसी स्टार्टअप के उचित बाजार मूल्य (अनुमानित मूल्य) और निवेशकों को शेयर जारी करने की कीमत के बीच के अंतर पर कर लगाता है।
- स्टार्ट अप्स के लिए एक महत्वपूर्ण बोझ हो सकता है , विशेष रूप से उनके शुरुआती चरणों में जब उनका उचित बाजार मूल्य उनके द्वारा प्राप्त निवेश से कम हो सकता है।

5.3. आदर्श कौशल ऋण योजना:

- कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उच्च कौशल पाठ्यक्रमों के लिए ऋण सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख कर दी है।
- पिछली **ऋण गारंटी निधि योजना में** कम धनराशि प्राप्त हुई थी, 31 मार्च तक केवल 10,077 उधारकर्ताओं को ₹115.75 करोड़ का ऋण दिया गया था।
- कम रुचि का कारण ऋण का छोटा आकार (₹1.5 लाख तक) था, जो बढ़ती पाठ्यक्रम लागत को कवर नहीं कर सकता था, तथा भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन (आईबीए) के सदस्य संस्थानों तक सीमित ऋण प्रदान करना था।
- नई योजना में ऋण नेटवर्क का विस्तार कर इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और लघु वित्त बैंकों को भी शामिल किया गया है, जिससे अधिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच और उच्च ऋण सीमा की पेशकश की गई है।

6. मिश्रित:

6.1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

- यह एक आर्थिक संकेतक है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, मुख्य रूप से **विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में विकास दर को मापता है** ।

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक समग्र संकेतक है जो किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्दिष्ट समयावधि में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।

अवयव

1. **विनिर्माण क्षेत्र:** इसमें विभिन्न वस्तुओं जैसे वस्त्र, रसायन, मशीनरी आदि का उत्पादन शामिल है।
2. **खनन क्षेत्र:** इसमें खनिजों, अयस्कों और प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण शामिल है।
3. **विद्युत क्षेत्र:** विद्युत के उत्पादन, संचरण और वितरण को मापता है।

गणना पद्धति

- **भारित सूचकांक:** प्रत्येक क्षेत्र (विनिर्माण, खनन, बिजली) को समग्र औद्योगिक उत्पादन में उसके योगदान के आधार पर भार दिया जाता है।
- **आधार वर्ष:** आईआईपी की गणना आमतौर पर आधार वर्ष के संदर्भ में की जाती है, जो एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर वर्तमान उत्पादन स्तर की तुलना की जाती है।
- **मासिक डेटा:** यह सरकारी एजेंसियों द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है और आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

6.2. विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

- यह एक आर्थिक संकेतक है जो किसी अर्थव्यवस्था के भीतर विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- पीएमआई डेटा विनिर्माण कंपनियों के क्रय प्रबंधकों का सर्वेक्षण करके संकलित किया जाता है, ताकि क्षेत्र में कारोबारी स्थितियों और गतिविधि के स्तर के बारे में उनकी धारणाओं का पता लगाया जा सके।
- पीएमआई विभिन्न प्रमुख घटकों जैसे नए ऑर्डर, उत्पादन स्तर, रोजगार, आपूर्तिकर्ता डिलीवरी और इन्वेंटरी पर आधारित है।
- भारत में, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) डेटा आईएचएस मार्किट द्वारा प्रदान किया जाता है, जो आर्थिक विश्लेषण और डेटा में विशेषज्ञता वाली एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान फर्म है।

6.3. सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)

जीएफसीएफ किसी देश द्वारा भौतिक परिसंपत्तियों, जैसे भवन, मशीनरी, उपकरण और बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश का कुल मूल्य है, जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में एक वर्ष से अधिक समय तक किया जाता है।

अवयव:

- भवन एवं संरचनाएं: आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों, सड़कों, पुलों एवं अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश।
- मशीनरी और उपकरण: औद्योगिक मशीनरी, उपकरण, परिवहन उपकरण और अन्य मशीनरी में निवेश।
- बौद्धिक संपदा उत्पाद: इसमें अनुसंधान एवं विकास, खनिज अन्वेषण, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस पर व्यय शामिल हैं।

6.4. सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

- सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) एक आर्थिक मीट्रिक है जो किसी विशिष्ट अवधि में अर्थव्यवस्था में कुल निवेश को मापता है।
- इसमें नई अचल संपत्तियों का निर्माण, इन्वेंट्री में निवेश, तथा बहुमूल्य धातुओं, कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं जैसे मूल्यवान वस्तुओं के निपटान को छोड़कर अधिग्रहण शामिल है।

- जीसीएफ किसी अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश के स्तर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो भविष्य में आर्थिक वृद्धि और विकास को गति दे सकता है।

6.5. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी):

- भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2011 में स्थापित।
- **राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड)** के लिए न्यूनतम 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल अनिवार्य किया गया।
- **लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को आयकर में छूट** प्रदान की जाती है ।
- इस नीति के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन संबंधी दिशानिर्देश राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसमें कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- **कारोबारी माहौल में सुधार:** इसमें विनियमनों को सुव्यवस्थित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल था।
- **कौशल विकास:** नीति में विनिर्माण क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया।
- **तकनीकी उन्नति:** एनएमपी ने विनिर्माण प्रक्रियाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित किया।
- **निवेश प्रोत्साहन:** नीति में विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए।

उद्देश्य:

- विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को वार्षिक 12-14% तक बढ़ाना ताकि इसे प्रमुख आर्थिक चालक बनाया जा सके।
- **2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ सृजित करना।**
- समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों के बीच कौशल विकसित करना।
- विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन और तकनीकी गहराई को बढ़ाना।
- सहायक नीतियों के माध्यम से भारतीय विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण, ऊर्जा दक्षता और संसाधन उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास सुनिश्चित करें।

मुख्य विशेषताएं और महत्व:

- **2022 तक विनिर्माण के सकल घरेलू उत्पाद योगदान को 16% से** बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य ।
- प्रोत्साहनों के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।
- युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना।
- प्रक्रियागत अनुपालन को आसान बनाने के लिए व्यावसायिक विनियमों का सरलीकरण।
- हरित प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास तंत्र को बढ़ावा देना।
- राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना।
- पूंजी अनुदान के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए समर्थन।
- इस नीति का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तन लाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

6.6. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- यह एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

- **भविष्य निधि:** यह एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत एक कोष में जमा करते हैं। ब्याज सहित संचित निधि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति, मृत्यु या त्यागपत्र पर देय होती है।
- **पेंशन योजना:** ईपीएफ योजना में एक पेंशन योजना भी शामिल है जो पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- **बीमा योजना:** ईपीएफओ रोजगार के दौरान मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा कवर भी प्रदान करता है। यह योजना नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।
- **जमा-लिंक्ड बीमा योजना** : यह योजना भविष्य निधि खाते में कर्मचारी की जमा राशि के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- **अन्य लाभ:** ईपीएफओ आवास ऋण, शिक्षा ऋण और चिकित्सा सहायता जैसे अन्य लाभ भी प्रदान करता है।

ईपीएफओ की मुख्य विशेषताएं:

- **अनिवार्य:** 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफओ के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- **अंशदान:** नियोक्ता और कर्मचारी दोनों भविष्य निधि में अंशदान करते हैं।
- कर लाभ: ईपीएफ में किया गया योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत कर कटौती के लिए पात्र है।
- **सरकारी विनियमन:** ईपीएफओ का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- **पारदर्शी एवं सुरक्षित:** ईपीएफओ कर्मचारी निधि के प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी एवं सुरक्षित प्रणाली संचालित करता है।

ईपीएफओ के लाभ:

- सेवानिवृत्ति सुरक्षा: सेवानिवृत्ति के दौरान एक स्थिर आय प्रवाह प्रदान करती है।
- वित्तीय सुरक्षा: मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
- कर बचत: योगदान कर कटौती के लिए पात्र हैं।
- सामाजिक सुरक्षा: कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने में मदद करता है।

6.7. संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर:

विशेषता	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
पंजीकरण	सरकार के साथ पंजीकृत	अपंजीकृत
श्रम कानून	श्रम कानूनों का अनुपालन करें	श्रम कानूनों का पालन न करना
रोज़गार	औपचारिक, अनुबंधों और परिभाषित भूमिकाओं के साथ	अनौपचारिक, प्रायः अस्थायी और असुरक्षित
कार्य के घंटे	निश्चित और संरचित	अनियमित एवं अप्रत्याशित
उत्पादकता	मशीनीकरण और कुशल कार्यबल के कारण उच्चतर	संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी के कारण कम
कर लगाना	आयकर एवं अन्य करों के अधीन	अक्सर कर के दायरे से बाहर काम करते हैं
सामाजिक सुरक्षा	कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, आदि) प्राप्त होते हैं।	श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीमित या कोई पहुंच नहीं है
स्थिरता	अधिक स्थिर, आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशीलता	आर्थिक मंदी और मौसमी उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:

1.1. वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो और ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ा:

- न्यूट्रिनो उपपरमाण्विक कण होते हैं जिनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, तथा वे अपनी गति के विपरीत दिशा में घूमते हैं।
- वे अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, फोटॉन के बाद दूसरे स्थान पर हैं, तथा पदार्थ में सबसे सामान्य कण हैं।
- न्यूट्रिनो तब बनते हैं जब म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन और टाउऑन जैसे लेप्टॉन पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। प्रत्येक प्रकार का लेप्टॉन एक विशिष्ट प्रकार का न्यूट्रिनो (म्यूऑन-न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन-न्यूट्रिनो, टाउ-न्यूट्रिनो) उत्पन्न करता है।
- न्यूट्रिनो शायद ही कभी पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं, जिससे उनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक म्यूऑन-न्यूट्रिनो एक परमाणु के नाभिक के साथ केवल एक लाख प्रयासों में एक बार ही बातचीत कर सकता है।
- न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए, वैज्ञानिक सटीक ट्रैकिंग क्षमताओं वाले बड़े डिटेक्टरों का उपयोग करते हैं ताकि परस्पर क्रिया की संभावना को अधिकतम किया जा सके।
- मिनेसोटा में NOvA प्रयोग एक न्यूट्रिनो किरण उत्पन्न करता है तथा उसे 800 किमी दूर स्थित एक बड़े डिटेक्टर की ओर निर्देशित करता है ।
- NOvA के नवीनतम परिणाम दर्शाते हैं कि इस सहयोग ने पिछले चार वर्षों की तुलना में डेटा की मात्रा को दोगुना कर दिया है, जिससे अधिक सटीक परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- नोवा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिनो के द्रव्यमान को समझना है, जो अन्य कणों के द्रव्यमान तंत्र से भिन्न हो सकते हैं।
- 11 जुलाई को यूरोप में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने पहली बार इलेक्ट्रॉन-न्यूट्रिनो का पता लगाने की सूचना दी, जिससे इस शोध में योगदान मिला।

मास का आश्चर्य

- 1987 में, भौतिकविदों ने 150,000 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न बाह्यग्रहीय न्यूट्रिनो का पता लगाया, जिससे न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई।
- इससे पहले, न्यूट्रिनो को फोटॉन की तरह द्रव्यमानहीन माना जाता था। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार, बड़े कण प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए यदि न्यूट्रिनो द्रव्यमानहीन होते, तो जब उनका स्पिन उनकी गति के साथ संरेखित होता, तो उन्हें दाएं हाथ का होना चाहिए।
- हालाँकि, दाएं हाथ के न्यूट्रिनो का कभी पता नहीं लगाया जा सका, जिससे यह विश्वास बना रहा कि न्यूट्रिनो द्रव्यमानहीन होते हैं।
- 1990 के दशक के आखिर में जापान और कनाडा के वैज्ञानिकों ने पाया कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान होता है। उन्होंने पाया कि न्यूट्रिनो यात्रा करते समय अपना प्रकार बदल सकते हैं, यह एक ऐसा गुण है जो द्रव्यमान रहित कणों में नहीं होता।
- कण भौतिकी का मानक मॉडल, जो कण व्यवहार का वर्णन करता है , ने विशाल न्यूट्रिनो की भविष्यवाणी नहीं की थी। उन्हें शामिल करने के लिए मॉडल में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है।
- भौतिकशास्त्री न्यूट्रिनो दोलन का अध्ययन करते हैं, जहाँ न्यूट्रिनो लंबी दूरी तय करते समय अपना प्रकार बदलते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य से आने वाले न्यूट्रिनो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन-न्यूट्रिनो होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर उन्हें म्यूऑन-न्यूट्रिनो के रूप में पहचाना जाता है।

- सैद्धांतिक मॉडल न्यूट्रिनो द्रव्यमान पदानुक्रम समस्या के लिए दो समाधान प्रस्तावित करते हैं: सामान्य और उलटे क्रम। सामान्य क्रम में, एक प्रकार का न्यूट्रिनो बहुत भारी होता है, और अन्य दो हल्के होते हैं। उलटे क्रम में, एक प्रकार हल्का होता है, और अन्य दो भारी होते हैं।
- NOvA से प्राप्त नया डेटा सामान्य क्रम का समर्थन करता है, लेकिन साक्ष्य अभी तक निर्णायक नहीं है।
- न्यूट्रिनो द्रव्यमान पदानुक्रम को समझने से हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में जानने में मदद मिलती है। न्यूट्रिनो सुपरनोवा जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं से जानकारी के प्रमुख वाहक हैं, जो एक संक्षिप्त विस्फोट में न्यूट्रिनो के रूप में अपनी 99% ऊर्जा छोड़ते हैं।
- इन न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ऐसे विस्फोटों से उत्पन्न प्रकाश या रेडियो तरंगें दूरी के साथ किस प्रकार फैलती हैं।

सर्वोत्तम सूचना वाहक

- न्यूट्रिनो अधिकांश पदार्थों से बिना किसी अंतःक्रिया के गुजर सकते हैं, जिससे वे विशाल दूरी तक सूचना संचारित करने के लिए उपयोगी होते हैं।
- विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग सामान्यतः संचार के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये कम प्रभावी होती हैं, जैसे पानी के भीतर, जहां कुछ आवृत्तियां समुद्री जल में प्रवेश नहीं कर सकतीं।
- न्यूट्रिनो अत्यंत सघन पदार्थों, जैसे कि 1,000 प्रकाश वर्ष बड़े सीसे, से होकर गुजर सकते हैं, अर्थात वे महासागरों से भी आसानी से गुजर सकते हैं।
- यदि वैज्ञानिक यह पता लगा सकें कि न्यूट्रिनो को कैसे प्रेषित और पता लगाया जाए, तो वे भविष्य में संचार के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्थान पर न्यूट्रिनो किरणों का उपयोग कर सकते हैं।
- कई देश न्यूट्रिनो अनुसंधान में निवेश कर रहे हैं ताकि उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। उल्लेखनीय प्रयोगों में शामिल हैं:
  - जापान में सुपर-के III
  - कनाडा में सुडबरी न्यूट्रिनो वेधशाला (एसएनओ+)
  - मिनीबून , माइक्रोबून और नोवा (अमेरिका में)
  - फ्रांस में डबल चूज़
  - चीन में जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला
  - स्विटजरलैंड में ओपेरा प्रयोग
  - अंटार्कटिका में आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला
- तमिलनाडु में प्रस्तावित भारत-आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला को विलंब और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

1.2. डायसन क्षेत्र: एक ऊर्जा भक्षक

- एक खगोलशास्त्री के रूप में, आप किसी तारे को असामान्य अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हुए देखते हैं।
- ज़ूम करके देखने पर आपको तारे के चारों ओर सौर पैनल दिखाई देंगे, जो सौर ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं - यह एक डायसन क्षेत्र है।
- इसका नाम भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसके अस्तित्व का सिद्धांत दिया था।
- डायसन ने प्रस्तावित किया कि उन्नत सभ्यताएं किसी तारे की समस्त ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ऐसे गोले का निर्माण कर सकती हैं।
- ये गोले अवरक्त विकिरण के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा उत्सर्जित करेंगे, जिसे खगोलविद उन्नत जीवन के संकेत के रूप में पहचान सकेंगे।
- सभी असामान्य अवरक्त उत्सर्जन डायसन गोले नहीं होते।

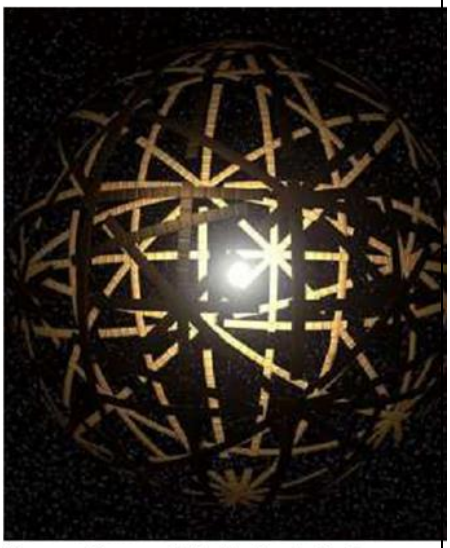

Freeman Dyson said that technologically advanced civilisations will harness the entire radiative power of a star.

- मई में, वैज्ञानिकों ने **1,000 प्रकाश वर्ष के भीतर 5 मिलियन तारों को स्कैन करके डायसन क्षेत्रों की खोज की** ।
- उन्होंने अस्पष्टीकृत अवरक्त विकिरण वाले सात तारे पाये।
- अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन इनमें से किसी एक तारे में डायसन क्षेत्र हो सकता है।

ADMISSION OPEN FOR FOUNDATION COURSE FOR IAS & PCS

OFFLINE CLASS (FACE TO FACE)

Recorded Video of the same offline class

Current Affairs Classes on daily basis

Comprehensive Study Material

Test Series for IAS/PCS Separately

One to One Mentoring with faculties

PatrioticIAS
IAS/PCS Wali Pathshala

PatrioticIAS
IAS/PCSwali Pathshala

1.3. इसरो की समस्या:

ISRO has a problem: many rockets, but too few satellites to launch

The Indian space programme used to follow a supply-driven model: ISRO would launch satellites and then look for customers for services provided by the satellites. This changed to a demand-driven model in 2019-2020, in which a satellite is built and launched only if there is already demand for it

GS Paper III: Science and Technology

Prad

In June, S. Somanath, Chairman of the Indian Space Research Organisation (ISRO) and Secretary of the Department of Space, said ISRO's launch vehicle capability was three-times the demand. Many experts in the spaceflight sector and beyond interpreted this to mean the space launch market was grim. Mr. Somanath also suggested strong demand was needed for launch vehicles from the domestic Indian market.

India currently has four launch vehicles: the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV), and the Launch Vehicle Mark-III (LVM-3). These rockets can launch satellites weighing up to four tonnes to the geosynchronous orbit. India also relies on foreign launch vehicles, like Europe's Ariane V and SpaceX's Falcon 9, when a satellite weighs more than four tonnes.

At present, the country operates a fleet of satellites with applications in communications, remote sensing, positioning, navigation and timing (PNT), meteorology, disaster management, space-based internet, scientific missions, and experimental missions. It also needs launch vehicles for space missions like Chandrayaan 3 and Aditya LI.

All this makes it look like there are more applications and satellites than there are launch vehicles – which is the opposite of what Mr. Somanath mentioned. Where then is the issue?

An LVM-3 launch vehicle lifts off from ISRO's Sriharikota spaceport carrying the Chandrayaan-3 mission to orbit. ISRO

Demand-driven model

The Indian space programme used to follow a supply-driven model: ISRO would build and launch satellites and then look for customers who needed the services provided by the satellites. When the Indian government reformed the space sector in 2019-2020, it changed this to a demand-driven model. Here, a satellite needs to be built and launched only if there is already demand for it. This may have led to the situation Mr. Somanath mentioned.

There is now a chicken and egg problem. The customer of the services provided by the satellite needs to be educated about the need for the service. The customer will then create a demand for a service that will need a satellite to be launched. This will provide the demand Mr. Somanath is asking for.

Consider the example of the internet. There needs to be a demand for space-based internet in a country already filled with affordable fibre and mobile-based internet services, so a company will launch a constellation of satellites into orbit to provide that service.

The question arises: Who will educate the customer, ISRO or the industry?

Without such educated customers, demand at the scale ISRO expects will not be created. The customers here are not only consumers of space-based internet. These are other companies, government institutions, defence enterprises, and ordinary people including farmers, bankers, etc. So the 'amount' of education required is very great.

The other area from which demand is likely to arise is human spaceflight. This includes human-rated launch vehicles that carry humans and supplies into orbit and to destinations like an orbiting space station or the moon. There could in future be demand for space tourism as well.

Launch capability limitations

India's launch vehicles are also not powerful enough to undertake certain missions, like Chandrayaan 4. China used its Long March 5 launch vehicle to launch its Chang'e 4 and Chang'e 5 missions in a single launch. India's LVM-3 has less than one-third of Long March 5's capability (28% to be more precise) and will need two LVM-3 launches to launch all the components of Chandrayaan 4.

ISRO will be upgrading the LVM-3 with a semi-cryogenic engine to boost its payload capacity to six tonnes to the geostationary transfer orbit (GTO). The organisation will also need a new launch vehicle – already dubbed the Next Generation Launch Vehicle (NGLV), a.k.a. Project Soorya – to carry 10 tonnes to GTO. But it has only submitted a funding proposal thus far for this project. Other variants of this launch vehicle are expected to raise this vehicle's lift capacity.

India will also need one more successful flight of the SSLV to be confident about its ability to launch smaller satellites. Smaller satellites are usually experimental and university-built. More success in this domain will encourage space companies to build larger satellites, eventually leading to a demand for launch vehicles.

Launch vehicle economics

All these launch vehicles will need satellites to launch. The heavier vehicles can fulfil some national goals like lunar exploration and a space station while ISRO can use the smaller satellites for technology and capability demonstration. However, the latter will constitute only a small number of launches.

> There is now a chicken and egg problem. The customer of the services provided by the satellite needs to be educated. The customer will then create a demand for a service that will need a satellite to be launched

Satellites have a defined mission life. As they get old, they will need to be replaced with newer satellites. This will also create a demand for launch vehicles. However, mission operators like their satellites to live longer and have been improving their lifetimes with software and hardware upgrades. This complicates estimates of the number and frequency of launch vehicles that will be needed.

Launch vehicles are improving as well. In a single launch, the PSLV can deliver multiple satellites in multiple orbits. Rocket stages are becoming reusable, which reduces the cost of building the rocket and increases profitability. ISRO has been building its Reusable Launch Vehicle and vertical landing technologies to make reusable landing stages. It is also making an effort to replace toxic fuels for rocket engines with green alternatives.

Private sector vs government

Mr. Somanath himself provided a solution for the problem he highlighted. He suggested we need an ecosystem that creates demand for various services, leading to a demand for data, leading to more sources of data (like satellites), culminating in a demand for launch vehicles. The richer the ecosystem, the greater the demand.

The Indian government wants the private sector to create demand among customers and to build and launch satellites. It wants them to look for services to offer customers in India and abroad. It also wants revenue by providing launch services of its own. Finally, the government wants to upskill workers and give them jobs.

However, private companies don't want the government to be in the launch business. Instead, they want the government to be their customer and to provide rule of law and reliable regulations.

This is because private players desire a reliable source of revenue, which the Indian government can be over a long period of time. There is thus talk of the government being an 'anchor customer' helping companies in their early days.

The roadmap here is for the government to exit the launch vehicle business at some point, leaving the companies with sufficient demand for launch vehicles. This is similar to the situation in the U.S., where arms of the U.S. government award contracts to SpaceX, Blue Origin, etc. to execute launches with their payloads.

Thus, the Indian government will absorb the cost of the transition from supply-driven to demand-driven building of satellites and launch vehicles. But it isn't yet educating its own Ministries and creating some of the anchor demand for satellites and launch vehicles.

(Pradeep Mohandas is a technical writer and space enthusiast in Pune.)

2. रोग और वायरस:

2.1. अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस

- फाउलेरी के कारण होता है। यह एक मुक्त-जीवित अमीबा है, जो झीलों, नदियों, गर्म झरनों और खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल जैसे गर्म मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है।
- जब दूषित पानी नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, आमतौर पर तैराकी या गोताखोरी जैसी गतिविधियों के दौरान, तो अमीबा मस्तिष्क तक पहुंच सकता है और मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन और विनाश का कारण बन सकता है।
- अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाते हैं और इसमें गंभीर सिरदर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम, दौरे और मतिभ्रम शामिल हो सकते हैं।
- संक्रमण तेजी से बढ़ता है और कुछ ही समय में कोमा और मृत्यु सहित गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है।

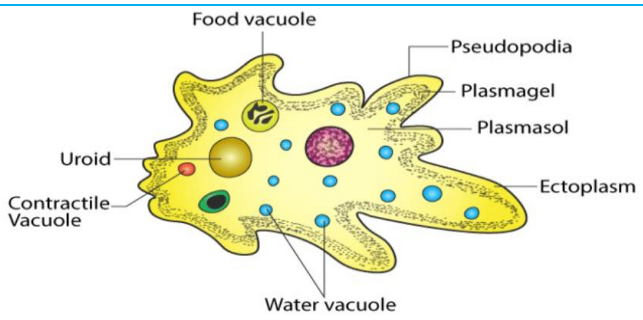

- अमीबा एककोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं जो **अमीबोजोआ संघ से संबंधित हैं** ।
- वे अपनी आकृति बदलने की क्षमता और छद्मपादों या "नकली पैरों" के विस्तार और वापसी के माध्यम से अपनी गति की विधि के लिए जाने जाते हैं।

2.2. जीका वायरस: निगरानी और वेक्टर नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता:

- जीका वायरस फिर से सामने आया है, महाराष्ट्र के पुणे में 15 मामले सामने आए हैं, जिनमें आठ गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, तथा कर्नाटक में एक मामला घातक है।
- कर्नाटक में जीका से पीड़ित 74 वर्षीय एक मरीज की मृत्यु हो गई है; स्वास्थ्य अधिकारी इस मौत के लिए अन्य कारणों को जिम्मेदार मान रहे हैं, तथा एक अन्य संदिग्ध मामले की जांच चल रही है।
- पुणे नगर निगम और कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने घरों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करने तथा वेक्टर नियंत्रण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए परामर्श जारी किया है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने राज्यों को जीका परीक्षण बढ़ाने की सलाह दी है, विशेष रूप से चिकनगुनिया और डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीजों के लिए।
- मानसून के दौरान मच्छर नियंत्रण उपायों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आदर्श प्रजनन स्थितियों के कारण जीका और डेंगू संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
- जीका वायरस मच्छर जनित है, जो मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाते हैं, तथा मुख्य रूप से दिन के समय काटते हैं।
- जीका यौन संक्रमण, माता से भ्रूण में तथा रक्त आधान के माध्यम से भी फैल सकता है।
- अधिकांश संक्रमित लोगों में जीका संक्रमण के लक्षण आमतौर पर हल्के या अनुपस्थित होते हैं, जिनमें चकत्ते, बुखार, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, तथा 2-7 दिनों तक रहने वाला सिरदर्द शामिल है।

इसका निदान कैसे किया जाता है?

- जीका वायरस का संदेह लक्षणों या प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा के आधार पर होता है; निदान के लिए प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता होती है।

- मार्च 2023 तक अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों की कमी के कारण भारत को जीका के निदान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) जैसी प्रयोगशालाओं से परीक्षण के परिणाम आने में देरी हो रही है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के कारण माइक्रोसेफेली और अन्य जन्मजात विकृतियां, समय से पहले जन्म और गर्भपात हो सकता है, जिससे संक्रमित माताओं से जन्मे 5-15% शिशु प्रभावित होते हैं।
- जीका संक्रमण वयस्कों और बच्चों में **गुइलेन-बैरे सिंड्रोम** , न्यूरोपैथी और मायलाइटिस से भी जुड़ा हुआ है।
- वर्तमान में, जीका वायरस की रोकथाम या उपचार के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है; टीके के लिए अनुसंधान दुनिया भर में चल रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है, तथा भारत बायोटेक और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा आशाजनक अध्ययन किए जा रहे हैं।

2.3. दुनिया भर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं:

क्या शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन विश्व में डेंगू के प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं?

- भारत में डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है, विशेषकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में।
- 30 अप्रैल तक भारत में 19,447 मामले और 16 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें केरल और तमिलनाडु सबसे आगे हैं।
- कर्नाटक में 10 जुलाई तक 2,503 से बढ़कर 7,840 मामले हो गए तथा सात मौतें हुईं, अकेले उसी दिन 293 नए मामले सामने आए।
- वैश्विक स्तर पर, 2024 में 7.6 मिलियन से अधिक डेंगू के मामले सामने आएंगे, जिनमें 3.4 मिलियन पुष्ट मामले, 16,000 से अधिक गंभीर मामले और 3,000 से अधिक मौतें शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 90 देशों में सक्रिय डेंगू संक्रमण की रिपोर्ट दी है, तथा कहा है कि मानसून का मौसम मच्छरों के प्रजनन और जीवित रहने में सहायक होता है।
- शहरीकरण और जनसंख्या का स्थानांतरण डेंगू के बढ़ते मामलों में योगदान देता है।
- डेंगू 100 से अधिक देशों में स्थानिक रोग है, जिसमें अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं, तथा वैश्विक स्तर पर इसका लगभग 70% हिस्सा यहीं है।
- डेंगू यूरोप, पूर्वी भूमध्य सागर और दक्षिण अमेरिका के नए क्षेत्रों में फैल रहा है।
- डेंगू संक्रमित एडीज़ मच्छरों, मुख्यतः एडीज़ एजिप्टी, के काटने से फैलता है।
- लक्षणों में सिरदर्द, रेट्रो-ऑर्बिटल दर्द, मायाल्जिया, आर्थ्राल्जिया, दाने और रक्तस्राव संबंधी लक्षण शामिल हैं।
- गंभीर डेंगू से सदमा, गंभीर रक्तस्राव या अंग क्षति हो सकती है।
- जिन लोगों में चेतावनी के कोई संकेत या जटिलताएं नहीं हैं, उनके लिए उपचार लक्षणात्मक और सहायक है।

डेंगू में उभरते पैटर्न क्या हैं?

- शोधकर्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डेंगू के उभरते स्वरूपों पर नजर रखते हैं।
- डब्ल्यूएचओ ने डेंगू के खतरे को बढ़ाने वाले कारकों का हवाला दिया है: एडीज एजिप्टी का बदलता वितरण, शहरीकरण, मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन।
- डेंगू जैसी बीमारी की पहली महामारी 1780 में मद्रास में दर्ज की गई थी।
- भारत में डेंगू वायरस की पहचान 1945 में हुई थी; इसका पहला साक्ष्य 1956 में वेल्लोर जिले में मिला।
- शहरीकरण, यात्रा और जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू फैलता है।
- तमिलनाडु में हर पांच साल में डेंगू का प्रकोप होता है, आखिरी बार 2017 में डेंगू का प्रकोप हुआ था।
- प्रत्येक पांच वर्ष में होने वाले मौसमी परिवर्तन का कारण संभवतः संवेदनशील आबादी का निर्माण होता है।
- तमिलनाडु में आने वाले महीनों में और अधिक मामले सामने आने की आशंका है।
- निगरानी, तत्काल प्रतिक्रिया, सामुदायिक सशक्तिकरण और शिक्षा आवश्यक हैं।

2.4. चांदीपुरा वायरस: गुजरात में चार बच्चों की मौत:

- साबरकांठा जिले में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस संक्रमण से चार बच्चों की मौत हो गई तथा दो का इलाज चल रहा है।
- दोनों बच्चों का जिला सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
- उपचाराधीन बच्चों के नमूने पुष्टि के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए हैं।
- चांदीपुरा वायरस दुर्लभ और संभावित रूप से घातक है, जो बुखार, फ्लू जैसे लक्षण और तीव्र इंसेफेलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) पैदा करता है।

Chandipura virus: four children die in Gujarat

GS Paper III: Basic science

AHMEDABAD

Four children died and two are under treatment for suspected infection by Chandipura virus, which causes encephalitis, in Sabarkantha district of Gujarat. The two children are being treated at the civil hospital in the district.

The authorities have sent the samples of the children who are undergoing the treatment, to the National Institute of Virology for confirmation. Chandipura virus is a rare and potentially deadly pathogen that causes fever, flu-like symptoms, and acute encephalitis (inflammation of the brain).

2.5. निपाह वायरस:

- निपाह वायरस (NiV) एक जूनोटिक वायरस है (यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है) और यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच भी फैल सकता है।
- मनुष्यों में निपाह वायरस का संक्रमण अनेक प्रकार के नैदानिक लक्षण उत्पन्न करता है, जिनमें स्पर्शोन्मुख संक्रमण (सबक्लीनिकल) से लेकर तीव्र श्वसन संक्रमण और घातक इंसेफेलाइटिस तक शामिल हैं।
- अनुमानित मृत्यु दर 40% से 75% है। महामारी विज्ञान निगरानी और नैदानिक प्रबंधन के लिए स्थानीय क्षमताओं के आधार पर यह दर प्रकोप के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
- निपाह वायरस पशुओं (जैसे चमगादड़ या सूअर) या दूषित खाद्य पदार्थों से मनुष्यों में फैल सकता है, तथा यह सीधे मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है।
- टेरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान हैं।
- **कोई उपचार या टीका उपलब्ध नहीं** है । मनुष्यों के लिए प्राथमिक उपचार सहायक देखभाल है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्राथमिकता वाले रोगों की अनुसंधान एवं विकास ब्लूप्रिंट सूची की 2018 की वार्षिक समीक्षा से संकेत मिलता है कि निपाह वायरस के लिए त्वरित अनुसंधान एवं विकास की तत्काल आवश्यकता है।

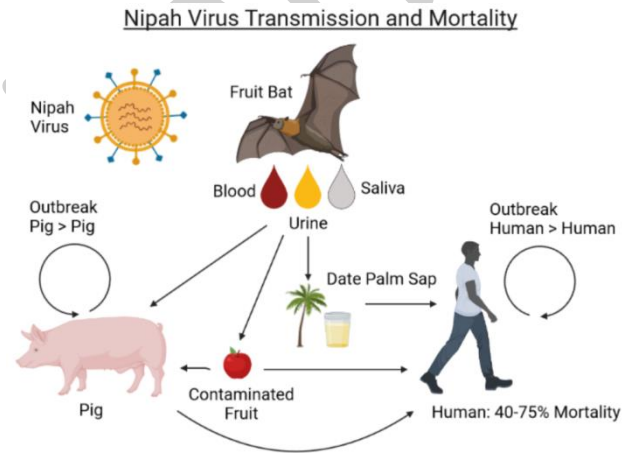

अवलोकन:

• संक्रमित लोगों में, यह लक्षणविहीन (सबक्लीनिकल) संक्रमण से लेकर तीव्र श्वसन रोग और घातक इंसेफेलाइटिस तक अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है।

• यह वायरस सूअर जैसे पशुओं में भी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

• यद्यपि निपाह वायरस ने एशिया में केवल कुछ ही प्रकोप पैदा किए हैं, लेकिन यह कई प्रकार के पशुओं को संक्रमित करता है तथा लोगों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है, जिससे यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है।

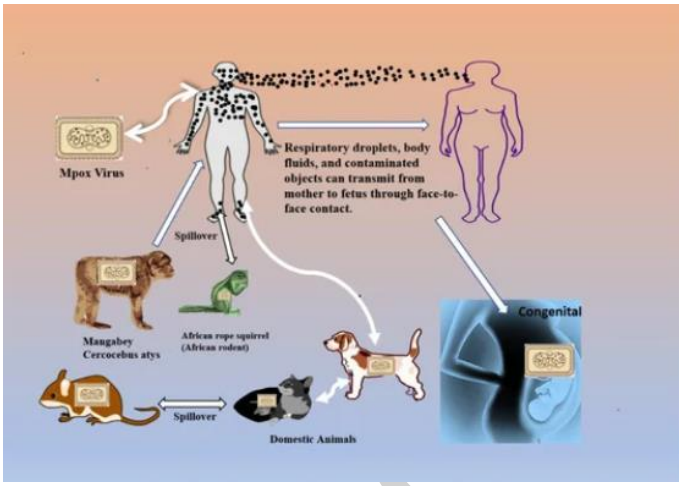

2.6. कांगो में विस्थापित शिविरों में एमपॉक्स वैरिएंट के पहुंचने से बच्चों की जान को खतरा

- सात वर्षीय ग्रेस काबूओ के शरीर पर एमपॉक्स फुंसियों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वह वायरस से ठीक हो चुकी है।
- ग्रेस की मां को यह पता नहीं है कि उन्हें यह संक्रमण कैसे हुआ, जो कि एमपॉक्स के एक नए, अधिक संक्रामक प्रकार के कारण होता है।
- स्थानीय डॉक्टरों ने कांगो के गोमा के निकट एक अस्पताल में पिछले चार सप्ताह में बच्चों और किशोरों में एमपॉक्स के 130 संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट दी है।
- इनमें से आधे मामले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में हैं।
- एमपॉक्स निकट संपर्क से फैलता है और आमतौर पर हल्के लक्षण पैदा करता है, लेकिन यह गंभीर या घातक हो सकता है।
- कांगो में वर्तमान प्रकोप के कारण 2023 के प्रारम्भ से अब तक लगभग 27,000 मामले सामने आए हैं तथा 1,100 से अधिक मौतें हुई हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे हैं।
- इस प्रकोप की शुरुआत क्लेड I से हुई थी और अब यह अधिक आसानी से फैलने वाले क्लेड Ib द्वारा प्रेरित है।
- क्लेड IIb, एक अन्य एमपॉक्स वैरिएंट, 2022 में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बन सकता है, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
- कांगो में एमपॉक्स के लिए टीके और विशिष्ट उपचारों का अभाव है, जो नैदानिक परीक्षणों से बाहर हैं। कलंक, विनियामक मुद्दों और खसरा और हैजा जैसे अन्य प्रकोपों के कारण स्थिति जटिल है।
- कांगो ने दो एमपॉक्स टीकों को मंजूरी दे दी है, लेकिन वित्तपोषण और नियामक बाधाएं महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।

3. मिश्रित:

3.1. तीन कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई (24 जुलाई)

- तीन कैंसर उपचार दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है: **ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन , ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब।**
- मेडिकल एक्स-रे मशीनों के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल बजट 89,287 करोड़ रुपये है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान में 79,221 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन अभी भी वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22 तक के 2% के निशान से नीचे है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय का आवंटन ₹90,958.63 करोड़ है, जो पिछले वर्ष ₹80,517.62 करोड़ था।
- आयुष मंत्रालय का आवंटन ₹3,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,712.49 करोड़ कर दिया गया।
- अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के साथ **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का** संचालन किया जाएगा।
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सदस्यों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर सकल घरेलू उत्पाद व्यय को 2.5% तक बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने, चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने, अप्रत्यक्ष कराधान को संबोधित करने और जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने की मांगें पूरी नहीं हुई हैं।

3.2. क्या पायथन प्रोटीन का विकल्प हो सकता है?

मध्य थाईलैंड में हजारों अजगरों को उनकी खाल के लिए पाला जाता है, जिसका उपयोग बेल्ट और हैंडबैग जैसी उच्च श्रेणी की फैशन वस्तुओं में किया जाता है।

A python at Closed Cycle Breeding International, a snake breeding farm in Nam Phi, in Thailand's northern Uttaradit province. The farm provides snake skins for the fashion market. AFP

- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मांस मांग और पर्यावरणीय कारणों से अजगर का मांस उनकी खाल से अधिक मूल्यवान हो सकता है।
- अजगर उच्च तापमान और सूखे को सहन कर सकते हैं, तेजी से प्रजनन कर सकते हैं, तथा न्यूनतम भोजन उपभोग में तेजी से बढ़ सकते हैं।
- शोध से पता चलता है कि अजगर पालन वैश्विक खाद्य असुरक्षा के लिए एक स्थायी प्रतिक्रिया हो सकती है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि अजगर बिना भोजन या पानी के भी लम्बे समय तक जीवित रह सकते हैं।
- अजगर के मांस की बनावट चिकन के समान होती है, इसमें संतृप्त वसा कम होती है, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक लोकप्रियता नहीं मिली है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गोमांस जैसे चरने वाले पशुओं के मांस का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- पौधे-आधारित आहार की वकालत के बावजूद, वैश्विक मांस की मांग बढ़ने का अनुमान है।
- प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, जिसके कारण कीड़ों और प्रयोगशाला में विकसित मांस जैसे वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों की खोज को बढ़ावा मिल रहा है।

3.3. एक ही कान कैसे बड़बड़ाहट को पहचान लेता है और बहरा कर देने वाले संगीत को सहन कर लेता है

हमारे श्रवण तंत्र के केंद्र में कोक्लीया के भीतर जटिल बाल कोशिकाएँ होती हैं। प्रत्येक कोक्लीया में लगभग 16,000 संवेदी कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में बालों जैसे उभारों का एक समूह होता है जिसे स्टीरियोसिलिया कहा जाता है। ये स्टीरियोसिलिया, सबसे छोटे से सबसे लंबे तक सीढ़ी की तरह व्यवस्थित होते हैं, सुनने के लिए महत्वपूर्ण हैं

- मानव श्रवण प्रणाली अत्यंत बहुमुखी है, जो धीमी फुसफुसाहट को सुनने और तेज आवाज को सहने में सक्षम है।
- हालिया शोध से पता चला है कि हमारे कान विभिन्न ध्वनि वातावरणों के साथ उसी तरह से अनुकूलित हो जाते हैं, जिस तरह से पुतलियाँ प्रकाश के साथ समायोजित होती हैं।
- कोक्लीअ के भीतर स्थित बाल कोशिकाएं हमारी श्रवण क्षमता के लिए केन्द्रीय होती हैं, जिनमें लगभग 16,000 संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो स्टीरियोसिलिया से सुसज्जित होती हैं।

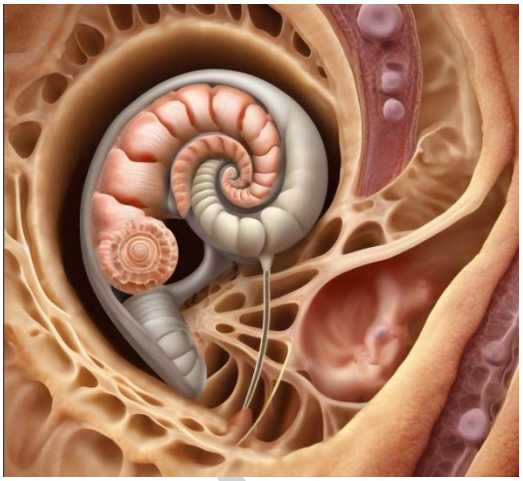

- स्टीरियोसिलिया बाल जैसे उभार होते हैं जो टिप लिंक द्वारा जुड़े होते हैं, जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ध्वनि तरंगें आंतरिक कान के तरल पदार्थ में कंपन पैदा करती हैं, स्टीरियोसिलिया को मोड़ती हैं और टिप लिंक को खींचती हैं, जिससे आयन चैनल खुल जाते हैं जो विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं।
- तंत्रिका कोशिकाएं इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजती हैं, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में समझा जाता है, जो माइक्रोफोन के कार्य जैसा होता है।

एक यांत्रिक सर्किट ब्रेकर

- मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति और 5-120 डेसिबल (डीबी) की तीव्रता वाली ध्वनि अनुभव करते हैं।
- श्रवण प्रणाली में टिप लिंक पर 10-100 पिकोन्यूटन (पीएन) का बल लगाती हैं ।
- टिप लिंक में प्रोटीन कैडहेरिन-23 (CDH23) और प्रोटोकैडहेरिन-15 (PCDH15) होते हैं, जो ध्वनि संचरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- तेज आवाज से ये टिप लिंक टूट सकती हैं, जो बाल कोशिकाओं की क्षति को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र है।
- बाल कोशिकाओं के विपरीत, टिप लिंक पुनर्जीवित हो सकते हैं, जिससे सुनने की क्षमता सुरक्षित रहती है।
- टिप लिंक स्वाभाविक रूप से अलग हो जाते हैं और पुनः जुड़ जाते हैं, जिनका औसत जीवनकाल लगभग 31.8 सेकंड होता है।
- तेज आवाज के संपर्क में आने के बाद अस्थायी श्रवण हानि, एक साथ कई टिप लिंक कॉम्प्लेक्स के टूटने के कारण होती है।
- ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ने के साथ टिप लिंक का जीवनकाल घट जाता है।
- भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने उन तंत्रों का अध्ययन किया, जो टिप लिंक्स को विभिन्न ध्वनि बलों को झेलने में सक्षम बनाते हैं, तथा श्रवण शक्ति को सुरक्षित रखते हैं।

परीक्षण युक्ति लिंक

- शोधकर्ताओं ने टिप लिंक कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करने के लिए परमाणु बल माइक्रोस्कोप (एएफएम) का उपयोग किया।
- टिप लिंक विभिन्न स्तरों पर लागू बल के प्रति तीन अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं।
- कम बल के परिणामस्वरूप टिप लिंक का जीवनकाल लंबा हो जाता है, जबकि अधिक बल के परिणामस्वरूप उनका जीवनकाल कम हो जाता है।

- pN और 70 pN के बीच के मध्य-सीमा बल टिप लिंक के जीवनकाल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।
- pN से अधिक प्रबल बल टिप लिंक को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिससे श्रवण प्रणाली तीव्र ध्वनियों से सुरक्षित रहती है।
- टिप लिंक बल संवेदक के रूप में कार्य करते हैं, जो ध्वनि संचरण को बाधित कर बाल कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं।
- कान में लगे टिप-लिंक ध्वनि से आने वाले यांत्रिक संकेतों के संवेदनशील डिटेक्टर के रूप में कार्य करते हैं।
- वे इन संकेतों को विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हम धीमी आवाजें भी सुन पाते हैं।
- तेज आवाज के प्रत्युत्तर में, टिप-लिंक बल फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, आयन चैनलों को सक्रिय करने के लिए कम बल प्रेषित करते हैं तथा मध्यवर्ती बलों को अवरुद्ध करते हैं।
- अत्यधिक उच्च बल पर, श्रवण प्रणाली को क्षति से बचाने के लिए टिप-लिंक अलग हो जाते हैं।
- टिप-लिंक कॉम्प्लेक्स के भाग पीसीडीएच15 प्रोटीन में उत्परिवर्तन, विभिन्न बल स्तरों के प्रति इसकी प्रतिक्रिया में परिवर्तन करके वंशानुगत बहरापन पैदा कर सकता है।
- सामान्य टिप-लिंक्स बल श्रेणियों में तीन प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें श्रवण के लिए महत्वपूर्ण मध्य-श्रेणी व्यवहार भी शामिल है।
- टिप-लिंक्स को समझने से तेज आवाज से होने वाली श्रवण हानि से बचाव के लिए नवीन रणनीतियां विकसित हो सकती हैं, जिससे कई प्रभावित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- इस शोध में वैज्ञानिकों की एक टीम शामिल थी और इसे नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया था।

3.4. खनिज सुरक्षा भागीदारी

- एमएसपी वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए 14 देशों और यूरोपीय संघ का सहयोग है।
- सितंबर 2023 तक एमएसपी में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल थे।
- भारत जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान एमएसपी में शामिल हो गया।

3.5. महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में भारत की प्रगति:

How is India's hunt for critical minerals going?

Why are lithium, copper, cobalt, graphite and others essential for the economy's green transition? In which States have reserves been found? Why have there been hiccups in the auction process? What lies ahead? Which country dominates global supplies?

GS Paper III: Resources

The story so far:

In late June, the Centre declared the winning bidders for mining rights in six blocks of critical minerals, including graphite, phosphorite and lithium, for which India largely relies on imports. These are the first private players awarded such rights under the revamped Mines and Minerals law.

Why are critical minerals important?

Minerals such as copper, lithium, nickel, cobalt are known as critical minerals, as they along with some rare earth elements, are essential for the world's ongoing efforts to switch to greener and cleaner energy. As per the International Energy Agency (IEA), lithium demand rose by 30% in 2023, followed by nickel, cobalt, graphite and rare earth elements which saw an 8% to 15% growth, with the aggregate value of such minerals pegged at $325 billion. In its Global Critical Minerals Outlook 2024 report, the agency has flagged that the world's goal to limit global warming to 1.5 degrees Celsius in the net zero emissions scenario, would translate into very rapid growth in demand for these minerals. By 2040, the demand for copper is expected to rise 50%, double for nickel, cobalt and rare earth elements, quadruple for graphite and eightfold for lithium, which is crucial for batteries. The development of sustainable supply chains for such minerals is, therefore, an unavoidable task. In India, the lack of ready reserves of critical minerals has resulted in 100% import dependence for minerals like lithium, cobalt, and nickel. Late last month, Union Mines Minister G. Kishan Reddy highlighted that 95% of India's copper requirements are met through imports. China is a key supplier or processor of many of these items.

India has natural reserves of some of these minerals, but they haven't been explored or tapped fully

Big discovery: The lithium stones found in Reasi, Jammu in 2023. PTI

What is being done to spur production?

While India has natural reserves of some of these minerals, they haven't been explored or tapped fully. For instance, India holds 11% of the world's deposits of ilmenite, the main source of titanium dioxide used in many applications, but still imports a billion dollars of titanium dioxide a year, former Mines Secretary Vivek Bharadwaj once pointed out. Then there is the "lucky" discovery of lithium reserves in the Union Territory of Jammu and Kashmir (J&K) while the Geological Survey of India (GSI) was exploring the State's terrain for limestone, which triggered hope of some self-sufficiency in the mineral. Announced as the first discovery of lithium in the country last February, these reserves were pegged at 5.9 million tonnes, enthusing the government to expedite its tapping.

Acknowledging that reliance on a few nations for the ores and processing of these minerals could pose significant vulnerabilities for Indian supply chains, the central government amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 in August 2023 to enable it to grant mining concessions for 24 critical and strategic minerals. By November, the first auctions of 20 critical mineral blocks, with the lithium block identified in J&K's Reasi district on the list, were launched, followed by two more tranches with 18 more blocks offered this February and March. However, investor interest has been tepid – the auction of most of the first 20 blocks was scrapped for lack of adequate bidders. After a delayed process, the Mines Ministry on June 24, announced six winners from the maiden auction tranche for three blocks in Odisha, and one each in Tamil Nadu, U.P. and Chhattisgarh. The outcomes of the second and third round of auctions are still awaited, while the Ministry has initiated a fourth tranche, which includes 10 blocks that are being offered for the second time.

Why are some blocks not finding takers?

Among the first attempt blocks offered in the latest auction, two phosphorite blocks along with a glauconite block are in Chhattisgarh, while two blocks each are up for grabs in U.P. (phosphorite and rare earth elements), Karnataka (phosphate and nickel), and Rajasthan (potash and halite). A graphite block is being auctioned in Jharkhand and Arunachal Pradesh, with five additional blocks of graphite, tungsten and vanadium offered in the northeastern State for the second time. The 'second attempt' blocks also include a tungsten reserve in Tamil Nadu's Madurai district, a cobalt and manganese block in Karnataka's Shimoga, and a chromium and nickel block in Sindhudurg, Maharashtra.

As per industry experts, the reasons for low interest among miners for some of these blocks include the lack of adequate data on the potential reserves buried within them. Technology challenges also affect outcomes. For instance, the lithium block in J&K has clay deposits, and the technology for the mineral's extraction from clay remains untested globally, pointed out Girishkumar Kadam, senior vice-president and group head for corporate sector ratings at ICRA.

When is domestic production likely to begin?

Given the preliminary stage of exploration for most of the domestic blocks being auctioned, their commercialisation and associated benefits are unlikely to fully accrue in the current decade ending 2030, ICRA said. "India's manufacturing is thus likely to remain exposed to potential future supply shocks of these minerals till then," it concluded. Apart from spurring exploration and attracting more miners, the Centre is looking to acquire overseas assets from key resource-rich regions as a parallel measure to bolster mineral security. The first such mine, for lithium brine, was acquired in Argentina this year by Khanij Bidesh India Limited, a joint venture of NALCO, Hindustan Copper, and Mineral Exploration Company. While it scouts for more assets, India has also joined the U.S.-led Mineral Security Partnership, a block consisting of large buyers and sellers of critical minerals.

3.6. पुनः संयोजक डीएनए (आरडीएनए) प्रौद्योगिकी:

- पुनः संयोजक डीएनए (आरडीएनए) प्रौद्योगिकी एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग विभिन्न स्रोतों से आनुवंशिक सामग्री को एक साथ लाने के लिए किया जाता है, जिससे ऐसे अनुक्रम बनते हैं जो अन्यथा जीनोम में नहीं पाए जाते।
- इस तकनीक में विभिन्न जीवों के डीएनए को सम्मिलित किया जाता है और यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग की आधारशिला है।

आरडीएनए प्रौद्योगिकी में चरण

- **आनुवंशिक सामग्री (डीएनए) का पृथक्करण** : यह प्रक्रिया दाता जीव से डीएनए के निष्कर्षण से शुरू होती है।
- **विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटना** : प्रतिबंधन एंजाइम, जिन्हें आणविक कैंची के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग विशिष्ट अनुक्रमों पर डीएनए को काटने के लिए किया जाता है।

- **डीएनए टुकड़ों का बंधन** : दाता और वेक्टर (एक डीएनए अणु जो विदेशी आनुवंशिक सामग्री को किसी अन्य कोशिका में ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है) से डीएनए टुकड़ों को डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग करके एक साथ बांधा या चिपकाया जाता है।
- **मेज़बान जीव में प्रवेश** : पुनः संयोजक डीएनए को फिर मेज़बान कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। आम मेज़बानों में बैक्टीरिया, खमीर और स्तनधारी कोशिकाएँ शामिल हैं।
- **चयन और जांच** : जिन मेजबान कोशिकाओं ने पुनः संयोजक डीएनए को सफलतापूर्वक शामिल कर लिया है, उनका चयन एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे मार्करों का उपयोग करके किया जाता है।
- **जीन की अभिव्यक्ति** : मेजबान कोशिकाएं जीन को व्यक्त करती हैं, जिससे वांछित प्रोटीन या गुण का उत्पादन होता है।

3.7. ग्राफीन एक सरल आश्चर्य:

Graphene: a simple wonder

GS Paper III: S&T

Karthik Vinod

When the same element is able to exist in different forms, the forms are called allotropes. Graphene, thus, is an allotrope of carbon, along with diamond and graphite. It consists of a single layer of carbon atoms that are linked to each other in a honeycomb pattern.

Graphene is among the most versatile materials known to humankind. As a nanomaterial, it is stronger than diamond, more conductive than silver, more elastic than rubber, and lighter than aluminium. Many people called it a "wonder material".

It is simple to make graphene: use scotch tape to peel away the lead of a pencil for a while. Under a microscope, you should be able to see graphene residue left on the tape.

However, scientists use more sophisticated techniques in laboratories, like chemical vapour deposition, to deposit graphene in order to make stronger car tires or when making chips to replace those made of silicon in smartphones. When graphene is mixed with concrete, the latter becomes 25% stronger and less carbon-intensive. Graphene also develops some unusual properties in a twisted bilayer form. In 2019, for example, physicists found that when one sheet of graphene is placed above another and rotated by 1.1 degrees relative to the bottom layer, the stack becomes a superconductor at low temperature.

(Karthik Vinod is interning with The Hindu.*)*

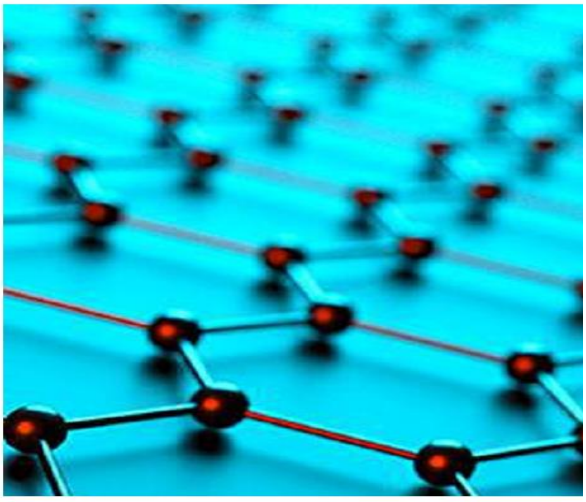

Graphene is among the most versatile materials known to humankind. As a nanomaterial, it is stronger than diamond, more conductive than silver, more elastic than rubber, and lighter than aluminium. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

For feedback and suggestions for 'Science', please write to **science@thehindu.co.in** with the subject 'Daily page'

3.8. पुनर्योजी ब्रेकिंग:

In an electric vehicle, what is regenerative braking?

Regenerative braking is a system designed to convert the kinetic energy of the wheels to a form that can be stored and used for other purposes. Here the motor operates as a generator, turning mechanical energy back to electrical energy

GS Paper III: S&T
Vasudevan Mukunth

The impulse to be sustainable – driven by the incessant pressure to lower our emissions – often manifests as lowering consumption and increasing reuse alongside reforms like tweaking consumer behaviour. Electric vehicles are the site of many of these changes, aided by state-led incentives and subsidies. Regenerative braking is an important mechanism in these vehicles that increases their energy use efficiency.

What is braking?

Braking is the mechanism by which an automotive vehicle in motion slows down. A vehicle moving faster has more kinetic energy than a vehicle moving slower, so the process of braking removes (mostly) kinetic energy from the vehicle. The law of energy conservation means this removed energy has to go somewhere.

For example, the disc brake is one type of mechanical brake: it works by pressing brake pads against a disc attached to spinning wheels, and uses friction to convert some of the wheels' kinetic energy into heat. This is why the discs of disc brakes have holes cut into them, to dissipate heat better.

Another type is the induction brake, often used in trains: a magnet induces circular electric currents in a spinning wheel (made of a conducting material, like metal). These currents produce their own magnetic field, which opposes that of the external magnet. The opposition acts like a drag on the wheel and forces it to slow down. In terms of energy: the metal resists the flow of the circular currents and dissipates heat.

What is regenerative braking?

Regenerative braking is a brake system designed to convert the kinetic energy of the wheels to a form that can be stored and used for other purposes. As such, it creates a process in which at least part of the energy delivered to the vehicle's wheels can be recovered in a situation when the vehicle doesn't need it.

Regenerative braking is one type of dynamic braking. In an electric vehicle, of the types becoming common on Indian roads, a battery onboard the vehicle draws electric power from the grid and stores it. When the vehicle moves, the battery powers an electric motor that propels the vehicle, converting electrical to mechanical energy. This motor is called the traction motor.

During regenerative braking, the motor operates as a generator, turning mechanical energy back to electrical energy. In the vehicle, this means an electric current will be produced as the vehicle brakes, which is stored separately in a battery. In some other vehicles, especially trains, the current is fed back into the traction motor. The other type of dynamic braking is rheostatic braking, where the current is sent to an array of resistors that dissipate the electrical energy as heat. It is often necessary for a vehicle to have both regenerative and rheostatic braking in case the electrical energy recovered can't be stored or used right away.

How does motor become a generator?

A motor has two essential parts: a rotor (the thing that rotates) and a stator (the thing that's stationary). In a rudimentary design, the stator consists of permanent magnets or electromagnets while the rotor consists of current-carrying wires coiled around in loops. The stator surrounds the rotor.

When a charged particle, like an electron, moves inside a magnetic field, the field exerts a force on the particle called the Lorentz force. Whether the force will push or pull the wire in which the electron is moving depends on the direction of the electric current.

This is when the coiling helps. The current at the coil's two ends moves in opposite directions, so the magnetic fields imposed by the stator will push on one end of the coil and pull on the other. And these opposing forces will continue to act on the two sides of the rotor until the voltage across the wire is constant. Thus, a motor converts electrical energy to rotary motion.

In a generator, mechanical energy from an external source can be fed to the rotor to induce a current in the stator. Simply speaking, by switching the traction motor between these two configurations, an electric (or hybrid) vehicle can implement regenerative braking.

Does regenerative braking have downsides?

While it is a simple energy recovery mechanism, regenerative braking has some downsides. For example, it alone often doesn't suffice to bring an electric vehicle to a halt.

It has to be used together with a conventional system that dissipates some of the kinetic energy as heat.

Such a system is also required to prevent vehicles from backsliding downhill, which many regenerative brakes won't prevent.

Another example is that the amount of energy a regenerative brake can recover drops as the vehicle's velocity drops as well. This said, a regenerative brake can be beneficial for an electric vehicle's energy-use efficiency in stop-start traffic.

Are there other ways to recover energy?

The design of a regenerative brake depends on the energy form to which the mechanical energy from the wheels is to be converted. An electric vehicle funnels it into a generator and obtains a current, which is stored in a battery or a supercapacitor. Similarly, the mechanical energy can be used to increase the angular momentum of a rotating flywheel. Flywheels are especially useful because they can receive energy much faster than other such systems.

For every unit increase in speed, they also store exponentially more energy. Engineers have been able to build flywheels with carbon-composites that, in a vacuum, can spin at up to 50,000 rpm. The flywheel can be linked to a reciprocating engine to manage or augment its output, like in Formula One racing, or to a gyroscope to help submarines and satellites navigate.

Recovered kinetic energy can also be fed to a pump that compresses air, which can be useful to start internal combustion engines.

The mechanics of brake energy generation

Regenerative braking is a type of dynamic braking. Here the motor operates as a generator, turning mechanical energy back to electrical energy. In the vehicle, this means an electric current will be produced as the vehicle brakes, which is stored in a battery

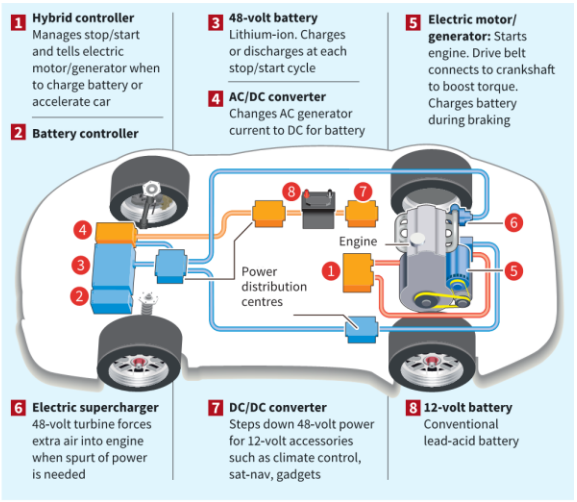

Sources: Delph Automotive, Ricardo, European Commission © GRAPHIC NEWS

3.9. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम):

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को मंजूरी दी।
- **कुल लागत : 2023-24 से 2030-31 तक 6003.65 करोड़ रुपये।**
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित।

- 2023-2031 तक क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यूटी) में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
- अमेरिका, ऑस्ट्रिया, **फिनलैंड** , फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला सातवां देश बन गया है।
- **उद्देश्य:**
  - सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक प्रौद्योगिकी जैसे प्लेटफार्मों पर **8 वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट** के साथ मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना ।
  - भारत में 2000 किलोमीटर की दूरी तक भू-स्टेशनों के बीच उपग्रह-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार।
  - अन्य देशों के साथ लंबी दूरी का सुरक्षित क्वांटम संचार।
  - 2000 किमी से अधिक अन्तर-शहर क्वांटम कुंजी वितरण।
  - क्वांटम मेमोरी के साथ बहु-नोड क्वांटम नेटवर्क।
  - परमाणु प्रणालियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर और सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु घड़ियों का विकास करना।
  - क्वांटम उपकरणों के लिए सुपरकंडक्टर, नवीन अर्धचालक संरचनाओं और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसे क्वांटम सामग्रियों के डिजाइन और संश्लेषण का समर्थन करना।
  - क्वांटम संचार, संवेदन और मेट्रोलॉजिकल अनुप्रयोगों के लिए एकल फोटॉन स्रोत/डिटेक्टर और उलझे हुए फोटॉन स्रोत विकसित करना।
- **मिशन कार्यान्वयन:**

  शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में चार विषयगत हब (टी-हब) स्थापित करना:
  - क्वांटम कम्प्यूटिंग
  - क्वांटम संचार
  - क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
  - क्वांटम सामग्री और उपकरण
- **फोकस** : बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन और अपने अधिदेशित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- **क्वांटम प्रौद्योगिकी:**
  - के सिद्धांतों से संबंधित क्षेत्र **, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करता है** ।
- **लाभ:**

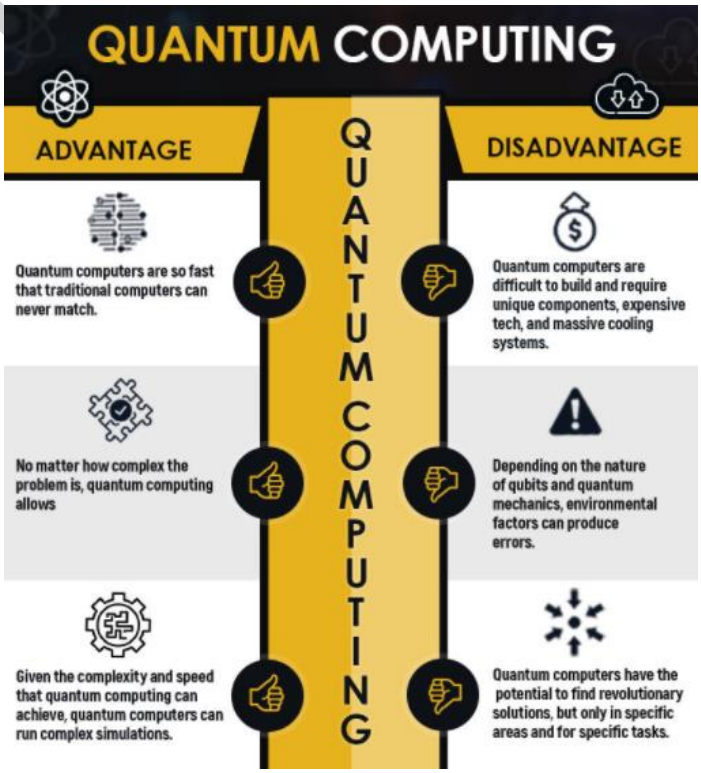

- **बढ़ी हुई कंप्यूटिंग शक्ति:** क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेज़ हैं।
- **बेहतर सुरक्षा:** क्वांटम एन्क्रिप्शन पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित है।
- **तीव्र संचार:** क्वांटम नेटवर्क सूचना को तीव्र और अधिक सुरक्षित तरीके से संचारित कर सकते हैं।
- **उन्नत एआई:** क्वांटम मशीन लर्निंग अधिक कुशल एआई प्रशिक्षण को सक्षम कर सकती है।
- **बेहतर संवेदन और माप:** क्वांटम सेंसर अत्यंत सूक्ष्म पर्यावरणीय परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं।

- **नुकसान:**
  - **महँगा:** विशेष उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होती है।
  - **सीमित अनुप्रयोग:** वर्तमान में क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटिंग और संचार जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उपयोगी।
  - **पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता:** तापमान परिवर्तन और चुंबकीय क्षेत्र जैसे हस्तक्षेप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील ।
  - **सीमित नियंत्रण:** क्वांटम प्रणालियों को नियंत्रित करना और उनमें हेरफेर करना कठिन है; क्वांटम एआई के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

रीढ़ की हड्डी या कशेरुका दण्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, अकशेरुकी और कशेरुकी प्रजातियाँ प्राणी जगत में दो प्रमुख विभाजनों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अकशेरुकी :

- **परिभाषा** : अकशेरुकी वे जानवर हैं जिनके पास रीढ़ या कशेरुका स्तंभ नहीं होता है। वे जानवरों की अधिकांश प्रजातियों का निर्माण करते हैं, जो सभी ज्ञात पशु प्रजातियों का लगभग 97% हिस्सा हैं।
- **उदाहरण** : अकशेरुकी में विविध समूह शामिल हैं जैसे कि कीड़े, अरचिन्ड, मोलस्क , इकाइनोडर्म, एनेलिड्स, निडेरियन, आदि।

कशेरुकी :

- **परिभाषा** : कशेरुकी वे प्राणी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुका दण्ड होता है जो अलग-अलग कशेरुकाओं से बना होता है।

उदाहरण : कशेरुकियों में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं।

3.10. ग्रामीण मोबाइल कनेक्टिविटी:

भले ही सेलुलर नेटवर्क सर्वव्यापी प्रतीत होते हैं, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी तैनाती और उपयोग में काफी भिन्नता है। नवीनतम दूरसंचार सदस्यता डेटा के अनुसार, देश में शहरी टेली-घनत्व 127% है जबकि ग्रामीण टेली-घनत्व 58% है।

- मोबाइल डिवाइस संचार, वित्तीय लेनदेन और इंटरनेट तक पहुंच के लिए दैनिक जीवन का अभिन्न अंग हैं।
- इन उपकरणों के लिए कनेक्टिविटी सेलुलर (मोबाइल) वायरलेस नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती है।
- 5G जैसे सेलुलर नेटवर्क में संचार लिंक द्वारा जुड़े नेटवर्क उपकरण शामिल होते हैं।
- ये नेटवर्क उपकरणों और इंटरनेट जैसे अन्य नेटवर्कों के बीच डेटा के आवागमन को सुगम बनाते हैं।
- सेलुलर नेटवर्क को दो उप-नेटवर्कों में विभाजित किया जाता है: एक्सेस नेटवर्क (एएन) और कोर नेटवर्क (सीएन)।

एक्सेस और कोर नेटवर्क क्या हैं?

एक्सेस नेटवर्क (एएन):

- इसमें सीमित कवरेज क्षेत्र में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले बेस स्टेशन शामिल हैं।
- बेस स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें प्रायः शीर्ष पर एंटीना लगे टावरों के रूप में देखा जाता है।

कोर नेटवर्क (सीएन):

- इसमें इंटरनेट जैसे अन्य नेटवर्क से कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने वाले उपकरण शामिल हैं।
- यह केन्द्रीकृत रूप से संचालित होता है तथा बेस स्टेशनों के साथ सह-स्थित नहीं होता है।
- बैकहॉल नामक ऑप्टिकल फाइबर लिंक के माध्यम से बेस स्टेशनों से जुड़ा हुआ।

डेटा प्रवाह:

- मोबाइल उपकरणों से डेटा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेस स्टेशनों और सीएन दोनों से होकर गुजरता है।
- यहां तक कि एक ही बेस स्टेशन से जुड़े नजदीकी उपयोगकर्ताओं को भी डेटा को केंद्रीय CN से होकर गुजरने की आवश्यकता होती है।

गतिशीलता समर्थन:

- सेलुलर नेटवर्क के भीतर उपयोगकर्ता की गतिशीलता को समर्थन देने के लिए CN महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण कनेक्टिविटी में क्या बाधा है?

- भारत में शहरी क्षेत्रों में (127%) दूरसंचार घनत्व अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में (58%) दूरसंचार घनत्व अधिक है, जो डिजिटल विभाजन को दर्शाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों को मोबाइल सेवाओं की सामर्थ्य, कम जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक दूरस्थता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- फाइबर अवसंरचना का विस्तार करना महंगा और कठिन है, जैसे कि हिमालय जैसे दूरदराज के क्षेत्रों के गांवों तक पहुंचना।
- वर्तमान सेलुलर नेटवर्क, जैसे 5G, मुख्य रूप से विकसित देशों में शहरी परिवेश के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उच्च डेटा दरों और कम विलंबता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- बड़े ग्रामीण क्षेत्रों को कुशलतापूर्वक कवर करने तथा इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सेलुलर नेटवर्क को अनुकूलित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है।

IEEE 2061-2024 मानक क्या है?

- आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर अभय करंदीकर के नेतृत्व में अनुसंधान किफायती ग्रामीण कनेक्टिविटी पर केंद्रित है।
- उनके कार्य ने IEEE-2061 मानक में योगदान दिया, जिसे 6 जून को IEEE द्वारा अनुमोदित किया गया, जो ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहुंच के लिए वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर को परिभाषित करता है।
- IEEE-2061 नेटवर्क में सेलुलर नेटवर्क के समान कोर नेटवर्क (CN) और एक्सेस नेटवर्क (AN) दोनों घटक शामिल हैं।
- 5G नेटवर्क के विपरीत, IEEE-2061 का AN विषम है, जो बड़े कवरेज के लिए मैक्रो-बीएस और गांवों के भीतर छोटे कवरेज क्षेत्रों के लिए वाई-फाई को जोड़ता है।
- IEEE-2061 में उपकरण, एकीकृत AN नियंत्रण कार्यक्षमता द्वारा सुगमतापूर्वक, सेवा में बाधा डाले बिना, वाई-फाई और मैक्रो-बीएस कनेक्टिविटी के बीच स्विच कर सकते हैं।
- यह नेटवर्क 4G, 5G, 6G, वाई-फाई और पुराने नेटवर्क जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों के सह-अस्तित्व का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अपने एकीकृत नियंत्रण सुविधाओं के साथ कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं को रोकना है।

मिडिल-माइल नेटवर्क क्या है?

- फाइबर लिंक उपलब्ध नहीं हैं, वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मल्टी-हॉप वायरलेस मिडिल-माइल नेटवर्क का प्रस्ताव करता है।
- यह मध्य-मील नेटवर्क लम्बी दूरी पर लागत प्रभावी है, जिसमें उपग्रहों या लम्बी दूरी के वाई-फाई जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
- 4G/5G नेटवर्क के विपरीत, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कोर नेटवर्क (CN) पर निर्भर करती है, IEEE-2061 एक्सेस नेटवर्क (AN) से इंटरनेट तक सीधे और वैकल्पिक पथ की अनुमति देता है।
- IEEE-2061 में AN, CN को दरकिनार करते हुए, सीधे नेटवर्क के भीतर आस-पास के उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को संभाल सकता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद है।
- प्रोफेसर करंदीकर के नेतृत्व में आईआईटी बॉम्बे में विकसित IEEE-2061, IEEE 1930.1-2022 के बाद दूसरा मानक है, जिसका उद्देश्य किफायती ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करना और मोबाइल नेटवर्क स्केलेबिलिटी को नया रूप देना है।

पर्यावरण

1. राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य

1.1. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (पीएनपी)

- स्थान: जिले: पथानामथिट्टा और इडुक्की, केरल, भारत
- प्रकार: संरक्षित क्षेत्र, हाथी और बाघ रिजर्व
- क्षेत्रफल: 925 वर्ग किमी (357 वर्ग मील), जिसमें से 305 वर्ग किमी (118 वर्ग मील) को 1982 में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया
- प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र: पेरियार और पंबा नदियाँ

भूगोल:

- स्थान: तमिलनाडु सीमा के पास, दक्षिण पश्चिमी घाट की कार्डामम पहाड़ियाँ और पंडालम पहाड़ियाँ।
- ऊंचाई: 100 मीटर से लेकर 2,000 मीटर तक (कोट्टामाला चोटी, 2,019 मीटर)।
- जलाशय: पेरियार झील (31 वर्ग किमी), **मुल्लापेरियार बांध द्वारा निर्मित** (1895)

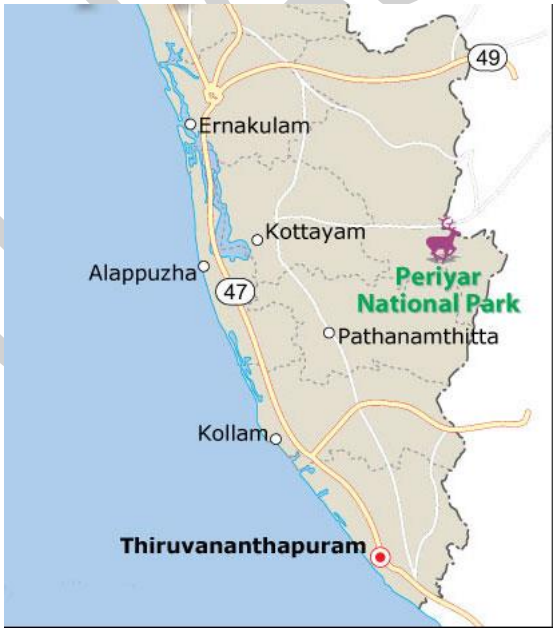

वनस्पति:

- वन प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध-सदाबहार, नम पर्णपाती, पर्वतीय घास के मैदान, सवाना, नीलगिरी के पेड़, आर्द्रभूमि, झील और नदी पारिस्थितिकी तंत्र
- वनस्पति विविधता: घास: 171 प्रजातियाँ और ऑर्किड: 140 प्रजातियाँ
- **उल्लेखनीय वनस्पति:** सागौन, शीशम, टर्मिनलिया, चंदन, आम, जामुन, इमली, बरगद, पवित्र अंजीर, कीनो वृक्ष, बांस, डायोस्पायरोस बौर्डिलोनी , होपिया पार्विफ्लोरा, डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, सेमेकार्पस ट्रावनकोरिकस , नागेया वॉलिचियाना (दक्षिण भारतीय शंकुधारी वृक्ष)
- **स्थानिक वनस्पति:** हैबेनेरिया पेरियारेंसिस , साइज़ीगियम पेरियारेन्से
- **औषधीय पौधा:** ग्लोरियोसा लिली
- आसपास के क्षेत्र: चाय, इलायची और कॉफी के बागान

जीव-जंतु:

- **प्रमुख प्रजातियाँ:** बंगाल टाइगर (2017 में 40 गिने गए), एशियाई हाथी, सफेद बाघ, गौर, सांभर, जंगली सुअर, भारतीय विशाल गिलहरी, त्रावणकोर उड़ने वाली गिलहरी, जंगली बिल्ली, ढोल, सुस्त भालू,

नीलगिरि तहर , शेर-पूंछ वाला मकाक, नीलगिरि लंगूर, सलीम अली का फल चमगादड़, धारीदार गर्दन वाला नेवला, नीलगिरि मार्टन

- **स्थानिक पक्षी:** मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरि वुड पिजन, ब्लू-विंग्ड पैराकीट, नीलगिरि फ्लाईकैचर, क्रिमसन-बैक्ड सनबर्ड, व्हाइट-बेलिड रेडस्टार्ट, ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क
- **नव दर्ज प्रजातियां (2016):** यूरेशियन वुडकॉक, स्टेपी गल, ग्रे-नेक्ड बंटिंग, पैडीफील्ड वार्बलर
- **सरीसृप:** 45 प्रजातियाँ
- **साँप:** 30 प्रजातियाँ (किंग कोबरा, मालाबार पिट वाइपर, धारीदार कोरल साँप सहित)
- **छिपकलियाँ:** 13 प्रजातियाँ

1.2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व

- इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया तथा 2006 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।

महत्व:

- **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** : काजीरंगा को उसके अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण और जैव विविधता के लिए 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- **जैव विविधता हॉटस्पॉट** : यह अपनी समृद्ध जैव विविधता, विशेष रूप से भारतीय एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए प्रसिद्ध है।

वनस्पति और जीव:

- **भारतीय एक सींग वाला गैंडा** : काजीरंगा विश्व में भारतीय एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है।
- **बाघ** : यहां बंगाल बाघों की महत्वपूर्ण आबादी है, और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाना बाघ संरक्षण के लिए इसके महत्व को दर्शाता है।
- **हाथी** : पार्क में बड़ी संख्या में हाथी हैं।
- **अन्य स्तनधारी** : अन्य उल्लेखनीय स्तनधारियों में भारतीय जंगली भैंसा, दलदली हिरण, तथा हिरण और प्राइमेट की विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं।
- **पक्षी** : काजीरंगा पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी पक्षी रहते हैं, जिनमें महान भारतीय हॉर्नबिल और चील, सारस और बगुले की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं।

1.3. बन्नी घास के मैदान:

मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य अगले आयात के लिए पसंदीदा स्थान है, वहीं गुजरात में बन्नी को भी भारत में आने वाली कुछ बड़ी बिल्लियों को रखने के लिए तैयार किया जा रहा है।

- **को प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में गुजरात के बन्नी में** एक नए चीता प्रजनन और संरक्षण **केंद्र में भेजा जा सकता है** ।
- मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य वर्तमान में अगले चीता बैच के लिए पसंदीदा स्थान है।
- गुजरात सरकार बन्नी में उपयुक्त बाड़े बनाने पर काम कर रही है, जो छह महीने में बनकर तैयार हो सकते हैं।
- **कच्छ में विशाल घास के मैदान बन्नी में** पर्याप्त जगह है लेकिन चीतों के लिए पर्याप्त शिकार नहीं है।
- भारत में चीतों का मुख्य शिकार चीतल है, जिसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए उसे बन्नी में लाना आवश्यक हो सकता है।
- मध्य **प्रदेश वन विभाग कुनो में चीतों का प्रबंधन करता है** , जहां सितंबर 2022 से लाए गए 20 चीतों में से 13 जीवित हैं, साथ ही 13 शावक भी हैं।
- शिकार की कमी के कारण **कुनो की क्षमता 21 वयस्क चीतों तक सीमित है।**
- भारत एक स्थायी प्रजनन आबादी स्थापित करने के लिए अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 से 12 वयस्क चीतों का आयात करने की योजना बना रहा है।
- बन्नी तेंदुओं की अनुपस्थिति के कारण आकर्षक है, जिससे दीर्घकाल तक चीतों की बड़ी आबादी को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- उम्मीद है कि कुनो के सभी चीतों को अक्टूबर में जंगल में छोड़ दिया जाएगा, तथा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से आने वाले अगले समूह के लिए तैयारी भी उसके बाद की जाएगी।

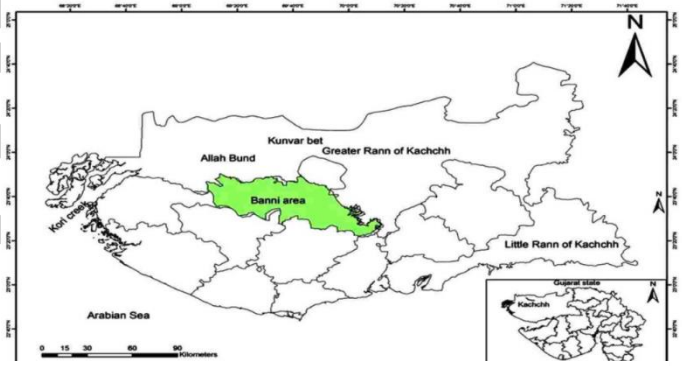

2. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:

2.1. उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य

Emission targets likely to be set for polluting industries soon

Jacob Koshy
NEW DELHI

Finance Minister Nirmala Sitharaman's Budget speech has, for the first time, signalled that polluting industries such as iron, steel, and aluminium will have to conform to emission targets.

"A road map for moving the 'hard to abate' industries from 'energy efficiency' targets to 'emission targets' will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current 'Perform, Achieve, and Trade' mode to 'Indian Carbon Market' mode will be put in place," Ms. Sitharaman said in her address.

To be held accountable: Smoke rises from a coal-powered steel plant at Hehal village near Ranchi in Jharkhand. FILE PHOTO

While emission norms have usually applied to large industries, the Budget suggests a tightening of norms for even small and micro-scale industries. "An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase," Ms. Sitharaman said.

These directives come in the backdrop of the proposed India Carbon Market that has been in the works for a few years. A carbon market or an emission trading scheme works as a trading platform where carbon credits, created as a consequence of preventing carbon emissions, can be bought and sold on negotiated prices on a portal. The system only works if an industry is required to curb annual emissions, failing which they may be fined. Currently, industry in Indian has no curbs on emissions in lieu of carbon credits but are incentivised to achieve energy efficiency targets via a scheme called Perform, Achieve, Trade that has been operational since 2015.

2.2. राजस्थान की जनजातियों द्वारा अपनाए गए टिकाऊ समाधानों ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर अपनी छाप छोड़ी

- राजस्थान के स्वदेशी आदिवासी समुदायों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) में वैश्विक चुनौतियों के लिए अपने समाधान प्रस्तुत किए।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) द्वारा आयोजित इस फोरम में 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने तथा विभिन्न संकटों के बीच गरीबी दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- विशेषज्ञों ने जैव विविधता और टिकाऊ प्रथाओं में योगदान के लिए स्वदेशी समुदायों को मान्यता देने के महत्व पर प्रकाश डाला।
- स्वदेशी समाधान सतत विकास के संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और इन्हें वैश्विक रणनीति चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए।
- दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय आजीविका के मुद्दों पर काम करने वाले समूह, वाग्धारा ने **स्वदेशी बीज किस्मों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 90 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए।**
- इन आयोजनों में आदिवासी किसानों ने अपनी खेती में देशी बीजों को बचाने और उनका उपयोग करने की शपथ ली।
- इन पारंपरिक प्रथाओं ने आदिवासी **समुदायों को बाजार पर कम निर्भर रहने और** कोविड-19 महामारी सहित कठिन समय को सहन करने में मदद की।
- इन प्रथाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, साथ ही गरीबी, असमानता और भेद्यता को भी दूर करना है।
- यह दृष्टिकोण "स्वराज" के सिद्धांत पर आधारित है, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और व्यापक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित है।

2.3. सीपीसीबी प्लास्टिक अपशिष्ट व्यापार व्यवस्था में उल्लंघन की जांच करने की योजना बना रहा है

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने लगभग 800 प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं का राष्ट्रीय ऑडिट शुरू किया है, क्योंकि उसे पता चला है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में चार कंपनियों ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) कार्यक्रम के तहत लगभग 600,000 फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं।
- ईपीआर योजना के तहत व्यवसायों को पिछले दो वर्षों में पैकेजिंग में उपयोग किए गए प्लास्टिक के एक निश्चित प्रतिशत को पुनःचक्रित करना आवश्यक है।
- सीपीसीबी ने अपने ऑनलाइन पोर्टल से ईपीआर क्रेडिट चोरी होने के संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच जारी है।
- सीपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्रों का मुद्दा नई योजना के साथ शुरुआती चुनौतियों और रीसाइकिलर्स के बीच स्पष्टता की कमी के कारण था।
- सीपीसीबी ईपीआर फाइलिंग पर बारीकी से नजर रख रहा है और धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाएगा।

- अक्टूबर में शुरू हुई जांच में ईपीआर-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

क्या आप जानते हैं?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी।

2.4. दिल्ली में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या कानून हैं?

- 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021' (आईएसएफआर) के अनुसार, दिल्ली में 195 वर्ग किलोमीटर के साथ प्रमुख महानगरों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद मुंबई (110.77 वर्ग किलोमीटर) और बेंगलुरु (89.02 वर्ग किलोमीटर) का स्थान है। दिल्ली का वन क्षेत्र इसके क्षेत्रफल का 13.15% है, और वृक्ष क्षेत्र 147 वर्ग किलोमीटर (9.91%) है।
- शहरी विकास के बावजूद, दिल्ली का समग्र हरित आवरण (वन और वृक्ष आवरण) 2001 में 151 वर्ग किमी (10.2%) से बढ़कर 2021 में 342 वर्ग किमी (23.6%) हो गया है।
- दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (DPTA), 1994, दिल्ली में वृक्षों को ऐसी गतिविधियों से बचाता है जो उनके विकास को नुकसान पहुंचाती हैं। अधिनियम की धारा 8 'वृक्ष अधिकारी' की अनुमति के बिना किसी भी वृक्ष या वन उपज को हटाने पर रोक लगाती है। इसका उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की कैद, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- अधिनियम में एक 'वृक्ष प्राधिकरण' की भी स्थापना की गई है, जो वृक्षों की गणना, नर्सरियों के प्रबंधन और निर्माण प्रस्तावों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- दिल्ली की वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 के अनुसार, काटे जाने वाले 80% पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। हालाँकि, एक हलफनामे से पता चला है कि प्रत्यारोपित पेड़ों में से केवल 33.33% ही जीवित बचे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट डीडीए के उपाध्यक्ष के खिलाफ़ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में सड़क विस्तार के लिए लगभग 1,100 पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप लगाया गया है। डीडीए ने अदालत की अनुमति लेने से पहले ही पेड़ों की कटाई शुरू कर दी और बाद में अनुमति के लिए आवेदन करके अदालत को गुमराह किया।
- अदालत ने डीडीए के काम पर रोक लगा दी है और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) को पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है।
- भीषण गर्मी के बीच, दिल्ली में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से मुश्किलें और बढ़ेंगी। शहरी वन उत्सर्जन को कम करने, प्रदूषकों को छानने और छाया और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से तापमान को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

- वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए डीपीटीए के तहत जुर्माना ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 करने का सुझाव दिया गया है।

2.5. पांच वर्षीय जलवायु एजेंडा का स्वरूप (05 जुलाई)

- नई सरकार की जलवायु संबंधी कार्रवाई का प्रभाव प्रत्येक मंत्रालय और क्षेत्र पर पड़ेगा।
- लिए गए निर्णय भारत के सतत आर्थिक पथ और वैश्विक जलवायु चर्चाओं में उसकी स्थिति को प्रभावित करेंगे।
- पिछले दशक में भारत ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति और नेतृत्व दर्शाया है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी वैश्विक संस्थाओं की स्थापना की है।
- भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में वृद्धि जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- शुद्ध-शून्य लक्ष्य पूर्ण उत्सर्जन कटौती के महत्व पर जोर देता है।
- घरेलू आर्थिक नीतियां स्थिरता पर अधिकाधिक केन्द्रित हो रही हैं।
- भारतीय उत्सर्जन कार्बन व्यापार योजना दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण है।
- सरकार को सतत विकास में तेजी लाने और जलवायु नेतृत्व को आर्थिक विकास के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।
- भारत का दृष्टिकोण अपनी जलवायु पहलों में 'अधिक ऊँचा उठना, अधिक व्यापक बनना, अधिक गहराई तक पहुँचना' होना चाहिए।

भारत के लिए एक योजना पत्रक

- 'ऊंचे स्तर पर जाना' भारत के वैश्विक जलवायु नेतृत्व से संबंधित है।
- भारत 2028 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर सकता है।
- ऐसे आयोजनों की मेजबानी के लिए प्रारंभिक योजना और प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है।
- भारत को तेल और गैस निवेश को कम करने तथा विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त सुरक्षित करने के लिए प्रमुख प्रतिबद्धताओं का लक्ष्य रखना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समानता को बढ़ावा देना तथा जलवायु वित्त में नेतृत्व सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- 'व्यापक स्तर पर जाना' का अर्थ है विद्युत क्षेत्र से परे क्षेत्रीय उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को अपनाना और उनका संप्रेषण करना।
- विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति जारी रहनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य को निजी गतिशीलता जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- शून्य-कार्बन वाहनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गतिशीलता को बढ़ावा मिल सकता है, स्वच्छ ऊर्जा में रोजगार सृजित हो सकते हैं, तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

- विश्वसनीय नीतिगत लक्ष्य प्रासंगिक उद्योगों और हितधारकों में कार्रवाई को प्रेरित करते हैं।
- अगले वर्ष प्रस्तुत होने वाली 2035 की एनडीसी भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों का विस्तार कर सकती है।

राज्य स्तरीय योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं

- 'गहराई से जाना' उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई और लचीलेपन पर जोर देता है।
- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) नेट-शून्य योजनाओं में राज्यों का समर्थन करती है।
- सीईईडब्ल्यू ने नेट-जीरो संक्रमण योजनाओं के लिए तमिलनाडु और बिहार के साथ सहयोग किया।
- सरकार को जलवायु संबंधी कार्यों के लिए केन्द्र-राज्य समन्वय समूह बनाना चाहिए।
- सोलहवें वित्त आयोग के माध्यम से राज्य स्तरीय जलवायु कार्यों को प्रोत्साहित करना।
- नीति निर्माण में वैज्ञानिक मॉडलिंग के एकीकरण को बढ़ावा देना।
- राज्य स्तर पर एकीकृत डेटा मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) की सुविधा प्रदान करना।
- समन्वय से राज्य स्तरीय कार्यवाहियों को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि केन्द्रीकृत किया जाना चाहिए।
- केंद्र को राज्य स्तरीय जलवायु प्रतिक्रियाओं के लिए सक्रिय सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए।
- नई सरकार को भारत के वैश्विक जलवायु नेतृत्व को बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए।
- केवल वार्षिक ही नहीं, बल्कि अगले चार से पांच वर्षों के लिए योजना बनाएं।
- भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थान प्राप्त है और अब उसे जलवायु नेतृत्व का प्रदर्शन करना होगा।

2.6. दिल्ली में वृक्षारोपण योजना का मुद्दा:

The issue with tree planting schemes

GS Paper III: Environment

The exploitation of forest resources due to uncontrolled and unsustainable practices has degraded forest landscapes. The World Bank estimates that the world has lost about 10 million square kilometres of forests since the start of the 20th century. The emphasis on forest restoration approaches to bring such degraded ecosystems back to their earlier state was the main purpose of declaring the decade of 2021-2030 as a Decade of Ecosystem Restoration by the United Nations. This targeted the restoration of 350 million hectares of degraded land to generate $9 trillion in ecosystem services and sequester an additional 13 gigatons-26 gigatons of greenhouse gases from the atmosphere.

As one of the proven methods to support and sustain biodiversity, tree planting is an undisputed, most appealing and popular approach, and with spectacular potential, to address climate-related crises and other environmental challenges. This includes biological carbon sequestration as a mechanism to store and remove carbon dioxide from the atmosphere. This is one reason to consider a mass-scale drive of tree planting as a silver bullet to tackle the challenges of climate change globally, by governmental and non-governmental organisations including individuals. Keeping this indispensable role of trees in maintaining the ecological balance, the then Indian Agriculture Minister, K.M. Munshi, launched the *Van Mahotsava* ('festival of trees') programme in July 1950. Since then, India has been religiously celebrating this programme of tree planting, annually, in the first week of July. To some extent, these efforts have been successful not only in motivating people but also in bringing tangible results that include improving the forest area.

Fancy drives, catchy slogans

In recent years there has been a spurt in tree planting in the name of special drives by various agencies, including governments, which is a welcome sign for environmental conservation.

Mohan Chandra Pargaien

a former Indian Forest Service officer, Hyderabad, Telangana

In tackling the many problems, adequate finances, active community participation and technical considerations need to be prioritised

With catchy slogans, glamorous drives and headline-grabbing campaigns, these programmes of tree planting, both globally and at a national level, have attracted huge media attention and the involvement of people including various organisations to fulfil their objectives. Be it a single day of a planting drive in various Indian States, the "One Trillion Project" of the World Economic Forum, the "Great Green Wall of China", the "10 Billion Tree Tsunami" of Pakistan or the "Bonn Challenge" to restore 150 million hectares of degraded and deforested landscapes by 2020 and 350 million hectares by 2030, many of these drives may seem welcome. But they have been criticised for limited community participation, a lack of adequate post-planting measures and for promoting monoculture, thereby proving less effective for carbon sequestration and biodiversity development.

The problem with such drives

The neglect of ecology and locality with little involvement of people in various tree planting programmes has been a major concern of environmentalists and scientists in recent years. In a study led by Joseph Veldman it was found that except for deforested areas, tree planting in certain locations such as grasslands and animal habitat destroys plant and animal habitats and can damage ecosystems, increase wildfire intensity and exacerbate global warming. Similarly, William Bond and colleagues, in their study, expressed scepticism in considering grasslands as deforested and degraded lands for selecting them for tree planting by rehabilitation; these lands are highly productive and biodiverse, supporting many livestock and people.

Planting saplings alone does not fulfil the multifarious expectations unless we have provision for adequate post-planting measures and monitoring of tree growth – which we hardly find in the majority of tree-planting drives, more specifically in those programmes which are not supported by the government. Contrary to popular belief, tree planting only is not a cost-effective climate solution when compared to another more rewarding approach of restoration and other alternative low-cost approach such as tree islands which involves planting in small patches or islands.

India's challenges

In 2023, in a joint address with United States President Joe Biden, the Prime Minister, Narendra Modi, said at the White House that 'India is the only G20 country that has fulfilled its commitments under the Paris Agreement'. And in a written reply in the Rajya Sabha, in February 2024, the Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Ashwini Kumar Choubey, said that 'India has achieved an additional carbon sink of 1.97 billion tonnes of CO_2 equivalent'. In India, nearly 10 million hectares of its forests are under encroachment, nearly 27.5 crore of people are dependent on forests for subsistence and nearly 5.7 million hectares of forest land have been lost for non-forestry purposes since Independence. These are challenges that pose problems for India's initiatives to restore 26 million hectares of degraded forests by 2030 and to improve forest cover using steps that include tree planting.

India's remarkable policy changes, in recent times, to tackle the challenges of forestry and restoration approaches are also being affected by these inherent problems. In the background of the criticism of mass planting drives, we need to introspect these strategies, giving much required space to adequate finances, active community participation and technical considerations. These have not been given priority. Along with public awareness campaigns, social media, and incentivised community participation, such reoriented innervations and strategies can help to bring changes in the ecological systems of our forests, and with increasing numbers, also help to create resilient forests that have diverse capacities and capabilities.

The views expressed are personal

3. समाचार में प्रजातियां:

3.1. दुनिया की सबसे दुर्लभ व्हेल संभवतः न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर बहकर आई है।

- **कुदाल-दांतेदार व्हेल** अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं, उनका कोई जीवित दृश्य दर्ज नहीं किया गया है तथा उनकी जनसंख्या, आहार या आवास के बारे में बहुत कम जानकारी है।
- हाल ही में, न्यूजीलैंड के ओटागो बीच पर फंसी एक व्हेल को कुदाल-दांतेदार व्हेल माना गया है, जिसकी पहचान उसकी शारीरिक विशेषताओं से की गई है।
- यह खोज वैज्ञानिकों को कुदाल-दांतेदार व्हेल के नमूने का विच्छेदन और अध्ययन करने का पहला अवसर प्रदान कर सकती है, जिससे संभवतः इसके जीव विज्ञान और आवास के बारे में नई जानकारियां सामने आ सकती हैं।
- न्यूजीलैंड में पहले पाए गए नमूनों को डीएनए परीक्षण से पहले दफना दिया गया था, जिससे विस्तृत अध्ययन में बाधा उत्पन्न हुई।
- व्हेल को परीक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, तथा अनुसंधान में स्थानीय माओरी जनजातियों को भी शामिल करने की योजना है।
- न्यूजीलैंड के मूल निवासी व्हेल को ताओंगा या पवित्र खजाना मानते हैं।
- दक्षिणी प्रशांत महासागर उनका संदिग्ध निवास स्थान है, लेकिन उनकी गहरी गोताखोरी के कारण सटीक स्थान का पता लगाना कठिन है ।
- व्हेल की पहचान की पुष्टि के लिए आनुवंशिक परीक्षण में कई महीने लग सकते हैं।
- शोधकर्ता इन दुर्लभ स्तनधारियों की दुर्लभता और गहरे समुद्र में रहने की आदतों के कारण इनके अध्ययन में कठिनाई पर जोर देते हैं।

3.2. ओलिव रिडले समुद्री कछुआ

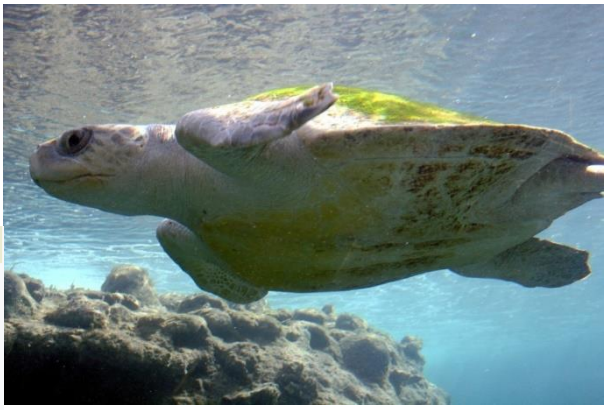

- ऑलिव रिडले समुद्री कछुए (लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया) को प्रशांत रिडले समुद्री कछुए के नाम से भी जाना जाता है।
- यह चेलोनीडी परिवार से संबंधित है।

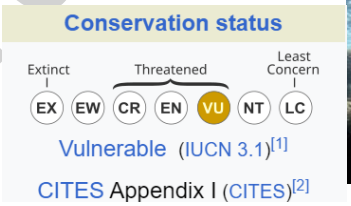

- यह विश्व की **दूसरी सबसे छोटी और सबसे प्रचुर समुद्री कछुआ प्रजाति है।**
- यह गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है, मुख्यतः प्रशांत और हिंद महासागर में, तथा अटलांटिक महासागर में भी।

Patriotic IAS

- अद्वितीय समन्वित सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है , जहां हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एकत्र होती हैं।

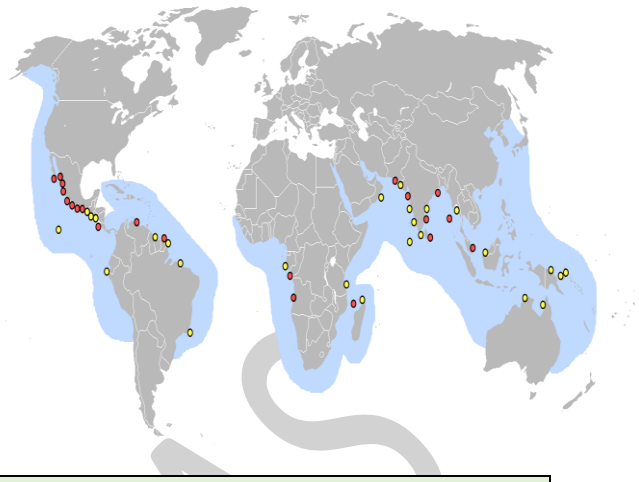

GS Paper III: Environment

New species of dogfish shark discovered in Kerala harbour

Scientists from the Zoological Survey of India have discovered a new species of deep-water dogfish shark, *Squalus hima*, from the Sakthikulangara fishing harbour in Kerala. Squalus is a genus of dogfish sharks in the family Squalidae, commonly known as spurdogs, and are characterised by smooth dorsal fin spines. The discovery, made by a team of scientists led by scientist Bineesh K. K, was published in the journal *Records of the Zoological Survey of India*. The shark species from the genus *Squalus* and Centrophorus are often exploited for their liver oil which is in high demand in pharmaceutical industry, Dr. Bineesh said.

3.3. डॉगफ़िश शार्क:

3.4. घड़ियाल:

भारत में घड़ियाल पाए जाने वाले कुछ प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं:

- चम्बल नदी (राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश)
- राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश)
- कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)
- सोन नदी (मध्य प्रदेश)
- गंडक नदी (बिहार, उत्तर प्रदेश)

घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस): अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त।

मगर मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस): IUCN- संकटग्रस्त।

खारे पानी का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस): IUCN- कम चिंता

4. जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षण संगठन/संस्थान:

4.1. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) भारत का एक प्रमुख संगठन है जो देश में जीवों की खोज, अनुसंधान और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। 1 जुलाई, 1916 को स्थापित, ZSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

जेडएसआई के मुख्य उद्देश्य:

1. **सर्वेक्षण और अन्वेषण** : भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पशु समूहों का सर्वेक्षण और अध्ययन करना।
2. **अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण** : प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण और अनुसंधान प्रकाशनों के माध्यम से जानकारी का प्रसार।
3. **संरक्षण** : लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण में सहायता करना।
4. **पहचान और परामर्श** : जीवों के लिए पहचान सेवाएं प्रदान करना और अन्य विभागों, संगठनों और शोधकर्ताओं को सलाहकार सहायता प्रदान करना।
5. **संग्रह और संग्रहालय** : भारतीय जीव-जंतुओं के विस्तृत दस्तावेजीकरण के साथ प्राणि संग्रह और संग्रहालयों का रखरखाव करना।
6. **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण** : कार्मिकों को वर्गीकरण विज्ञान एवं जीव-जंतु वर्गीकरण में प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्रभागों

ज़ेडएसआई में देश भर में फैले कई प्रभाग और क्षेत्रीय केंद्र शामिल हैं , जैसे:

- कीट विज्ञान प्रभाग
- समुद्री जीवविज्ञान प्रभाग
- मीठे पानी जीवविज्ञान प्रभाग
- स्तनपायी एवं पक्षीविज्ञान प्रभाग
- वन्यजीव अनुभाग

इनमें से प्रत्येक प्रभाग प्राणिविज्ञान अनुसंधान और वन्यजीव संरक्षण के विशिष्ट पहलुओं को संभालता है।

प्रकाशन और योगदान

- जेडएसआई के पास प्राणीशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशनों, मोनोग्राफ और पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है।
- इनमें "भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अभिलेख" और "भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संस्मरण" आदि शामिल हैं।

4.2. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सौर ऊर्जा संपन्न देशों का गठबंधन है।

- **गठन और उद्देश्य:**
    1. आईएसए को 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) के 21वें सत्र के दौरान **भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा लॉन्च किया गया था।**

2. इसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक ऊर्जा पहुंच, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है।

- **सदस्यता और संरचना:**
  1. आईएसए की सदस्यता पूर्णतः या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों ("सनशाइन देश") के लिए खुली है।
  2. [2024] तक, आई.एस.ए. के 121 सदस्य देश हैं और आई.एस.ए. फ्रेमवर्क समझौते पर 85 हस्ताक्षरकर्ता हैं।
- **लक्ष्य एवं उद्देश्य:**
  1. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा संपन्न देशों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
  2. सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना।
  3. सौर परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, तथा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

4.3. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई):

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है, जो जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों की लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित है।

- **गठन और उद्देश्य:**
  - सीडीआरआई को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क शहर, यूएसए) में लॉन्च किया गया था।
  - इसका प्राथमिक लक्ष्य ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक पहल के माध्यम से देशों को जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों के प्रति अपने बुनियादी ढांचे को अधिक लचीला बनाने में सहायता करना है।
- **सदस्यता और संरचना:**
  - सीडीआरआई एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में रुचि रखने वाले सभी देशों और हितधारकों के लिए खुला है।
  - यह सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और शिक्षाविदों के लिए लचीलापन निर्माण प्रयासों पर सहयोग करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।

4.4. हरित विकास संधि:

- हरित विकास समझौता, 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल थी। इसका उद्देश्य सतत विकास की दिशा में विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटना था।
- **संसाधन दक्षता और सतत उपभोग:** यह समझौता ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा देने पर जोर देता है जो संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करती है और "सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों" की वकालत करती है।
- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** एक मुख्य पहलू अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्वच्छ, किफायती और समावेशी बदलाव हासिल करना है। इस संक्रमण को लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुनियादी ढांचे का विकास स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हो।
- **आपदा लचीलापन:** यह समझौता प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण के महत्व को स्वीकार करता है। यह फोकस क्षेत्र G20 के भीतर आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की स्थापना के भारत के प्रयासों के अनुरूप है।

4.5. वैश्विक जैवईंधन गठबंधन:

- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए)। भारत द्वारा 2023 में जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान शुरू किया गया यह गठबंधन दुनिया भर में जैव ईंधन अपनाने में तेजी लाने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- **जैव ईंधन के उपयोग में तेज़ी लाना:** GBA का मुख्य उद्देश्य जैव ईंधन की वैश्विक स्वीकृति और उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें टिकाऊ जैव ईंधन पर विशेष जोर दिया गया है। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ संरेखित है।
- **राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों का समर्थन:** गठबंधन मानता है कि विभिन्न देशों में जैव ईंधन विकास के अलग-अलग स्तर हैं। जीबीए सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने जैव ईंधन कार्यक्रमों को स्थापित करने या मजबूत करने में सहायता मिलती है।
- **ज्ञान साझाकरण मंच:** यह गठबंधन जैव ईंधन पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह सदस्य देशों के बीच जैव ईंधन प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतिगत ढाँचों और प्रगति को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **मानकीकरण और विनियमन:** GBA जैव ईंधन के लिए स्पष्ट और सुसंगत मानकों के महत्व को पहचानता है। इसमें जैव ईंधन उत्पादन, व्यापार और स्थिरता प्रथाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विनियमनों की दिशा में काम करना शामिल है। यह जिम्मेदार जैव ईंधन विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **सहयोग, दोहराव नहीं:** गठबंधन स्वच्छ ऊर्जा और जैव ऊर्जा क्षेत्रों में मौजूदा पहलों के साथ सहयोग करने का प्रयास करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रयास सुव्यवस्थित हों और काम का दोहराव न हो।

4.6. रूस में निर्मित दो स्टील्थ फ्रिगेट जल्द ही वितरित किए जाएंगे

- भारतीय नौसेना के लिए **तुशील और तमाल नामक दो स्टील्थ फ्रिगेट** जल्द ही रूस से प्राप्त होने वाले हैं।

- निर्माण और वितरण में देरी कोविड-19, यूक्रेन में युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण हुई।
- **तुषिल स्वीकृति के लिए तैयार है और इसकी डिलीवरी सितम्बर तक होनी तय है** , तथा कमीशनिंग क्रू पहले से ही रूस में है।
- दूसरा फ्रिगेट, तमाल, फरवरी 2025 तक वितरित होने की उम्मीद है।
- भारत और रूस ने 2016 में चार स्टील्थ फ्रिगेट के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से दो सीधे आयात किए जाएंगे और दो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा बनाए जाएंगे।
- रूस से सीधे आयातित दो फ्रिगेटों के लिए 1 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए।
- अन्य दो फ्रिगेटों के स्थानीय स्तर पर निर्माण के लिए सामग्री, डिजाइन और विशेषज्ञ सहायता हेतु रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
- सभी फ्रिगेट यूक्रेन के ज़ोर्या- मशप्रोएक्ट के इंजन द्वारा संचालित होते हैं।
- जीएसएल को पहला स्थानीय रूप से निर्मित फ्रिगेट 2026 में तथा दूसरा उसके छह महीने बाद वितरित करना है।
- जीएसएल में निर्माण कार्य जारी है तथा अगले कुछ महीनों में पहले जहाज का जलावतरण होने की उम्मीद है।
- भारतीय नौसेना वर्तमान में छह ऐसे फ्रिगेट संचालित करती है, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 4,000 टन है।

स्टेल्थ फ्रिगेट

- स्टेल्थ फ्रिगेट एक प्रकार का नौसैनिक युद्धपोत है जो उन्नत स्टेल्थ प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होता है, ताकि दुश्मन के रडार और अन्य पहचान प्रणालियों द्वारा इसकी पहचान न्यूनतम हो सके।
- यह स्टेल्थ प्रौद्योगिकी फ्रिगेट को शत्रुओं द्वारा पता लगाए जाने, ट्रैक किए जाने, निशाना बनाए जाने और उलझे जाने की कम संभावना के साथ संचालित करने की अनुमति देती है।

प्रमुख विशेषताऐं:

1. **रडार क्रॉस-सेक्शन में कमी:**
   - पतवार और अधिसंरचना को राडार तरंगों को विक्षेपित करने और अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे जहाज के राडार क्रॉस-सेक्शन में काफी कमी आती है।
   - इससे राडार सिग्नल परावर्तन न्यूनतम हो जाता है, जिससे दुश्मन के राडार स्क्रीन पर जहाज कम दिखाई देता है।
2. **कम उत्सर्जन और हस्ताक्षर प्रबंधन:**
   - विद्युत चुम्बकीय उत्सर्जन (जैसे, रडार, रेडियो, संचार प्रणाली) को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकियों से लैस।
   - शत्रु सेंसरों द्वारा पता लगाने की क्षमता को कम करने के लिए उत्सर्जन को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है।

3. **निम्न इन्फ्रारेड और थर्मल हस्ताक्षर:**
    - डिजाइन और सामग्री जहाज के इन्फ्रारेड और थर्मल हस्ताक्षरों को कम कर देते हैं, जिससे यह इन्फ्रारेड और ताप-खोज सेंसरों के लिए कम दृश्यमान हो जाता है।
4. **ध्वनिक हस्ताक्षर न्यूनीकरण:**
    - मशीनरी और प्रणोदन प्रणालियों से शोर को कम करने के लिए ध्वनि-अवशोषित सामग्री और तकनीकों का उपयोग करता है।
    - पानी के अंदर दुश्मन की सोनार प्रणालियों द्वारा पता लगाने की क्षमता कम हो जाती है।

उपयोग:

- **पनडुब्बी रोधी युद्ध**
- **वायु-विरोधी युद्ध**
- **समुद्री गश्त**
- **निगरानी**
- **अनुरक्षण मिशन**

स्टेल्थ विशेषताएं आधुनिक नौसैनिक युद्ध में फ्रिगेट की उत्तरजीविता और प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं, क्योंकि इससे पता लगाने और संलग्न करने की दूरी कम हो जाती है।

परियोजना 17ए

- प्रोजेक्ट 17 अल्फा (पी-17ए) भारतीय नौसेना की एक पहल है, जिसका उद्देश्य उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं, उन्नत हथियारों, सेंसरों और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से युक्त स्टेल्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का निर्माण करना है।

1. **उत्पत्ति और उद्देश्य:**
    - भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक क्लास) फ्रिगेट्स के अनुवर्ती के रूप में लॉन्च किया गया।
    - इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट की श्रृंखला का निर्माण करना है।
2. **निर्माण:**
    - फ्रिगेट का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा किया जा रहा है।
    - एमडीएल द्वारा चार जहाज तथा जीआरएसई द्वारा तीन जहाज निर्माणाधीन हैं।
3. **समयरेखा:**
    - पहले पांच जहाज 2019-2022 के बीच लॉन्च किए गए।
    - पहला जहाज, **आईएनएस नीलगिरि** , 2019 में लॉन्च किया गया था।
    - दूसरा जहाज, **आईएनएस उदयगिरि** , मई 2022 में लॉन्च किया जाएगा।
4. **डिज़ाइन और स्वदेशी भागीदारी:**

- भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (डब्ल्यूडीबी) द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया।

उपकरणों और प्रणालियों के लिए लगभग 75% ऑर्डर स्वदेशी फर्मों से हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप हैं।

4.7. आईएनएस टेग (एफ45):

- भारतीय नौसेना के लिए निर्मित चौथा **तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है।**
- रूस के कलिनिन्ग्राद स्थित यन्तर शिपयार्ड द्वारा किया गया है ।
- 27 अप्रैल 2012 को नौसेना सेवा में कमीशन किया गया।
- यह तलवार श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है, जो रूस द्वारा निर्मित संशोधित क्रिवाक III श्रेणी के फ्रिगेट हैं।
- कम रडार क्रॉस सेक्शन सुनिश्चित करने के लिए स्टील्थ प्रौद्योगिकियों और विशेष पतवार डिजाइन का उपयोग किया जाता है।
- जहाज पर लगे अधिकांश उपकरण रूस निर्मित हैं, लेकिन भारतीय मूल की भी काफी संख्या में प्रणालियां इसमें शामिल की गई हैं।
- तेग और पहले के तलवार श्रेणी के जहाजों के बीच मुख्य अंतर:
    - क्लब-एन मिसाइलों के स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग।
    - प्रारंभिक जहाजों में कश्तान के स्थान पर AK-630 का प्रयोग।
    - तलवार श्रेणी के फ्रिगेटों के पहले बैच के अनुवर्ती ऑर्डर के रूप में रूस में निर्मित तीन फ्रिगेटों में से पहला।

4.8. डीआरडीओ ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया

- **स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर** का प्रोटोटाइप व्यापक परीक्षण के लिए तैयार है।
- इस टैंक का अनावरण शनिवार को किया गया और इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जिसमें प्रमुख इंटीग्रेटर लार्सन एंड टूब्रो है।
- वर्तमान में यह **कमिंस इंजन द्वारा संचालित है** , लेकिन डीआरडीओ एक नया घरेलू इंजन विकसित करने पर काम कर रहा है।
- तेजी से विकसित किए गए इस विमान को न्यूनतम सैन्य सहायता के साथ उत्तरी सीमा पर अत्यधिक मौसम और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- पहले प्रोटोटाइप को फैक्ट्री स्वीकृति मिल गई है और आगे के परीक्षण के लिए उपयोगकर्ताओं को सौंपे जाने से पहले इसे आंतरिक क्षेत्र परीक्षणों से गुजरना होगा।
- अगले छह महीनों में टैंक का परीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में किया जाएगा, जिनमें गर्मी, सर्दी और उच्च ऊंचाई शामिल हैं।
- उम्मीद है कि अगस्त 2025 तक इसे उपयोगकर्ता परीक्षण के लिए सेना को सौंप दिया जाएगा।

- प्रारंभ में, इस टैंक के लिए जर्मन इंजन को सर्वोत्तम माना गया था, लेकिन निर्यात मंजूरी में देरी के कारण कमिंस इंजन का उपयोग किया गया, जिसे भारत में ही असेंबल किया जाएगा।
- **अर्जुन एमके1ए** मुख्य युद्धक टैंक के लिए एक नया 1,400-एचपी इंजन भी विकसित कर रहा है ।
- अप्रैल 2021 में, सेना ने 25 टन से कम वजन वाले 350 हल्के टैंकों की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध जारी किया, जिसमें रसद, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग सहायता, रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल थीं।

4.9. भारत अगस्त में अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास 'तरंग शक्ति' आयोजित करने के लिए तैयार

- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) अगस्त में अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, तरंग शक्ति-2024, आयोजित करेगी।
- इसमें 10 देशों के भाग लेने की उम्मीद है, तथा कुछ अन्य देश इसका निरीक्षण भी करेंगे।
- भारतीय वायुसेना का लक्ष्य अमेरिकी वायुसेना द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्राप्त अनुभव का लाभ उठाना है।
- भारतीय वायुसेना के साथ नियमित संपर्क और अंतरसंचालनीयता रखने वाले मित्र देशों को आमंत्रित किया जाएगा।
- तरंग शक्ति को शुरू में 2023 के अंत में आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया।
- अब यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- **दो चरण** होंगे :
  - **प्रथम चरण** : अगस्त के प्रथम दो सप्ताह में दक्षिणी भारत।
  - **दूसरा चरण** : पश्चिमी क्षेत्र अगस्त के अंत से सितम्बर के मध्य तक।
- कुछ देश दोनों चरणों में भाग लेंगे, जबकि अन्य केवल एक चरण में ही शामिल होंगे।
- भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।
- जर्मनी लड़ाकू जेट और A-400M परिवहन विमान तैनात करेगा।
- ए-400एम का प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि यह मध्यम परिवहन विमान के लिए भारतीय वायुसेना की खुली निविदा का दावेदार है।

अमेरिकी घटना

- अमेरिकी वायु सेना (यूएसएएफ) द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास 4 से 14 जून तक अलास्का के एयेल्सन वायु सेना बेस पर आयोजित किया गया।
- यह 2024 में रेड फ्लैग का दूसरा संस्करण था; यह अभ्यास यूएसएएफ द्वारा वर्ष में चार बार आयोजित किया जाता है।
- इस संस्करण में भारत, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी की वायु सेनाएं शामिल थीं।

आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

1. ऑपरेशन सर्प विनाश (सर्प विनाशक)

- जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के पुंछ-सुरनकोट क्षेत्र में आतंकवादियों के ठिकानों से उन्हें खदेड़ने के लिए चलाया गया एक बड़े पैमाने का सैन्य अभियान था।
- **ऑपरेशन का नाम** : सर्प विनाश (सर्प विनाशक)
- **स्थान** : हिलकाका पुंछ- पीर पंजाल रेंज का सुरनकोट क्षेत्र , जम्मू और कश्मीर
- **अवधि** : अप्रैल-मई 2003
- **सम्मिलित सेनाएँ:** भारतीय सेना, जिसमें पैराशूट रेजिमेंट जैसे विशेष बल शामिल हैं
- **उद्देश्य:** क्षेत्र में आतंकवादियों को उनके ठिकानों से बाहर निकालना
- **परिणाम :** लश्कर -ए-तैयबा , हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी, अल-बद्र और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के 64 आतंकवादी मारे गए।
- **महत्व** : जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के इतिहास में आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए छिपने के सबसे बड़े तंत्र की खोज की गई, जो पीर पंजाल क्षेत्र में 150 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

2. इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली

- इनर लाइन परमिट (आईएलपी) भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति देता है।
- इन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है।

उद्देश्य:

- भारत की सीमाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में आवागमन को विनियमित करना।
- इन क्षेत्रों की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरण की रक्षा करना।
- अवैध आव्रजन और उन गतिविधियों को रोकना जो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

संवैधानिक संदर्भ:

- भारतीय नागरिक किसी भी राज्य में रहने और काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
- आईएलपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और देश की "आंतरिक रेखा" के बीच के क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति देता है।
- ऐसी चिंताएं हैं कि आईएलपी मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 19, 21) का उल्लंघन करता है और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकता है।

आईएलपी की आवश्यकता वाले राज्य:

- **अरुणाचल प्रदेश:**
  - अरुणाचल प्रदेश सरकार के सचिव (राजनीतिक) द्वारा जारी किया गया।
  - असम या नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमाओं पर आवश्यक।
  - अस्थायी आईएलपी 15 दिनों के लिए वैध (बढ़ाया जा सकता है); रोजगार आईएलपी एक वर्ष के लिए वैध।
  - आगमन पर परमिट लागू करने की योजना।
- **मिजोरम:**
  - मिजोरम सरकार द्वारा जारी किया गया।
  - अंतरराज्यीय सीमाओं पर आवश्यक।
  - अस्थायी आईएलपी 15 दिनों के लिए वैध (30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है); नियमित आईएलपी 6 महीने के लिए वैध (दो बार नवीकरण योग्य)।
  - आइजोल के लेंगपुई हवाई अड्डे पर आगमन पर इसे प्राप्त किया जा सकता है ।
- **नागालैंड:**
  - नागालैंड सरकार द्वारा जारी किया गया।
  - यह उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो नागालैंड के मूल निवासी नहीं हैं।

- **मणिपुर:**
  - मणिपुर सरकार द्वारा जारी किया गया।
  - 11 दिसंबर 2019 को आईएलपी व्यवस्था बढ़ा दी गई।
  - अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद आईएलपी लागू करने वाला चौथा राज्य।
- **लक्षद्वीप:**
  - लक्षद्वीप सरकार द्वारा जारी किया गया।
  - द्वीप क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य।
  - सख्त नियमों और विनियमों के कारण इसे प्राप्त करना कठिन है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- आईएलपी संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
- यह सीमित अवधि के लिए अनुमति प्रदान करता है, आमतौर पर **15 से 30 दिन** , जिसे बढ़ाया जा सकता है।
- आईएलपी प्रणाली को विनियमित पहुंच की आवश्यकता और निवासियों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

3. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002

- भारत ने अपना कानून बनाने के लिए FATF की सिफारिशों का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप **2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) बना।**
- पीएमएलए का लक्ष्य मुख्य रूप से मादक पदार्थों से प्राप्त धन का शोधन करना था, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और एफएटीएफ की सिफारिशों पर केन्द्रित था।
- इस **अधिनियम में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लिखित अपराध शामिल थे।**
- पीएमएलए **समय के साथ संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ, तथा इसका मूल उद्देश्य मादक पदार्थों के धन शोधन से अलग हो गया।**
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का लक्ष्य "अपराध आय" का शोधन करना है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन भी शामिल है।
- अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ बाद में धन शोधन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी इस कानून के अंतर्गत जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि, **अब पीएमएलए की अनुसूची में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो इसके मूल उद्देश्य से परे है, तथा इसमें मादक पदार्थों के धन शोधन से असंबंधित अपराध भी शामिल हैं।**
- अपने विस्तारित दायरे के बावजूद, पीएमएलए का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ व्यापार से अवैध धन के शोधन से उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरे को संबोधित करना है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता हो सकता है।

पीएमएलए का अधिनियमन

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने की अनुमति देता है** ।
- **अनुच्छेद 253 ऐसे कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के विषय-वस्तु तक सीमित करता है, जैसा कि संविधान की संघ सूची की मद 13 में निर्दिष्ट है।**
- मूलत:, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार, पीएमएलए का ध्यान मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित धन शोधन से निपटने पर केन्द्रित था।
- हालांकि, पीएमएलए में संशोधन से इसका दायरा बढ़ गया है, जिसमें नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से परे अपराध भी शामिल हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सूचीबद्ध या विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराध।
- उदाहरण के लिए, **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों में भ्रष्टाचार को दूर करना है, को 2009 में पीएमएलए की अनुसूची में जोड़ा गया था।**
- **पीएमएलए के तहत, आरोपी व्यक्तियों को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वे निर्दोष साबित न हो जाएं, जो एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है।**
- **पीएमएलए में जमानत प्रावधानों के कारण आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत प्राप्त करना कठिन हो जाता है, क्योंकि न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकते हैं जब उन्हें आरोपी की निर्दोषता का विश्वास हो, जिसके कारण आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।**

जमानत का प्रावधान

- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के जमानत प्रावधान का वर्तमान भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ है।
- **इसे शुरू में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने असंवैधानिक माना था। निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018) में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।**
- **खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा । विजय मदनलाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2022)।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रावधान उचित है तथा पीएमएलए अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य धन शोधन से निपटना तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाना है।
- अधिनियम के मूल उद्देश्य के बावजूद, इसमें कम गंभीर अपराधों को भी शामिल किया गया है, तथा इस निर्णय पर विधायी नीति के दायरे में विचार किया गया है।
- **1978 में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा** प्रतिपादित दृष्टिकोण से अलग है।
- न्यायमूर्ति अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और जमानत के निर्णयों के संबंध में न्यायिक शक्ति का सावधानीपूर्वक और न्यायिक प्रयोग करने का आग्रह किया।
- खानविलकर तक जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय के रुख का विकास एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है।

4. अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)

सीसीटीएनएस का प्राथमिक उद्देश्य पुलिस स्टेशन पर तथा पुलिस स्टेशन और अन्य संगठनों, जिनमें पुलिस स्टेशन, जिला और राज्य पुलिस मुख्यालय, न्यायालय और जेल शामिल हैं, के बीच डेटा और सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, स्थानांतरण और साझाकरण को सुविधाजनक बनाना है।

अवयव:

- **राष्ट्रीय डाटाबेस:** अपराध और आपराधिक आंकड़ों का एक केंद्रीय भंडार, जिसे देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
- **राज्य डेटाबेस:** राज्य स्तर पर बनाए गए डेटाबेस को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाता है।
- **पुलिस स्टेशन प्रणाली:** अपराध और आपराधिक डेटा को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए पुलिस स्टेशनों पर डिजिटल प्रणाली लागू की गई।

5. भारत को एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है:

- नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है।
- आगे आने वाले प्रमुख निर्णयों में एक और विमानवाहक पोत का निर्माण करना, थिएटरीकरण को लागू करना , तथा अमेरिका के साथ संबंधों का प्रबंधन और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।
- सरकार के पास एक विकल्प है: या तो वह ये निर्णय ले या इन्हें स्थगित करती रहे।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है, जिसमें मुद्दों को टुकड़ों में सुलझाने के बजाय मूलभूत सिद्धांतों से शुरुआत की जानी चाहिए।
- निर्णय लेने में समन्वय स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) प्रस्तावित की गई है।
- कई शक्तिशाली देशों के विपरीत, भारत में वर्तमान में औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव है।
- एनएसएस के बिना, सैन्य क्षमताओं और प्राथमिकताओं पर निर्णय अक्सर विवादास्पद होते हैं और उनमें व्यवस्थित पुनर्मूल्यांकन का अभाव होता है।
- रणनीतिक दृष्टि आमतौर पर कुछ शीर्ष नेताओं के बीच केंद्रित होती है, जो पारदर्शिता और व्यापक योजना बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

कई रणनीतिक जोखिम

- भारत अनेक रणनीतिक जोखिमों का सामना कर रहा है जिनके लिए सक्रिय, समन्वित नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।
- जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए दीर्घकालिक योजना और कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- चीन के समक्ष बहुआयामी चुनौतियां हैं, जिनमें नौसैनिक विस्तार, दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि शामिल है।
- यूक्रेन और गाजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से नई प्रौद्योगिकियां और युद्ध रणनीतियां सामने आती हैं, जो भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।
- भारत को इन जोखिमों का आकलन करने, उनके प्रभावों को समझने तथा उन्हें कम करने के लिए प्रभावी योजना बनाने हेतु एक व्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता है।

शक्ति विस्तार हेतु एक खाका

- भारत को अनेक सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें चीन का नौसैनिक विस्तार और वैश्विक सुरक्षा रुझान भी शामिल हैं।
- वर्तमान में व्यापक मूल्यांकन और योजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) का अभाव है।
- एनएसएस खतरों, अवसरों और वैश्विक प्रवृत्तियों की गहन समीक्षा करने पर बल देगा।
- यह दीर्घकालिक योजना और संसाधन आवंटन के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करेगा।
- एनएसएस के बिना, दीर्घकालिक खतरों की उपेक्षा किए जाने का खतरा बना रहता है, जब तक कि वे गंभीर संकट न बन जाएं।
- सैन्य क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों में निवेश को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने में मदद करता है।
- एनएसएस भारत के रणनीतिक इरादों को मित्र देशों और विरोधियों दोनों के लिए स्पष्ट करेगा, जैसे कि हिंद महासागर में सुरक्षा भूमिकाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता।
- यह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के लिए भारत की नीतियों को परिभाषित करेगा, साझा हितों को रेखांकित करेगा तथा सहयोग के लिए अपेक्षाएं निर्धारित करेगा।
- यह रक्षा, विदेश, गृह और खुफिया एजेंसियों सहित सरकारी विभागों के प्रयासों के समन्वय के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।
- एक व्यापक रणनीतिक अधिदेश के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच संचालन को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए सेना के भीतर संरेखण को बढ़ाता है।

जवाबदेही का मुद्दा

- एनएसएस एक जवाबदेही उपकरण के रूप में काम करेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि नौकरशाही राजनीतिक नेतृत्व के इरादों का पालन करे।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के संबंध में सरकारी नीतियों को संसद और जनता के लिए पारदर्शी बनाना है।
- एक अच्छी तरह से तैयार किया गया एनएसएस एक सार्वजनिक दस्तावेज होना चाहिए जिसे प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाए ताकि सरकारी प्रयासों में समन्वय स्थापित हो सके तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक इरादों का संकेत मिल सके।
- यद्यपि एनएसएस सभी सरकारी विवादों का समाधान नहीं करता, फिर भी उसे समझौतों और अवसर लागतों पर प्रकाश डालना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास के लिए तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वैश्विक नेता बनने की भारत की आकांक्षाओं के लिए आवश्यक बौद्धिक ढांचा प्रदान करता है।

6. क्या अग्निपथ योजना का पुनर्गठन किया जाएगा?

- हाल के आम चुनाव के बाद अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।
- एनडीए के सहयोगी दलों जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी ने अग्निपथ योजना पर चिंता जताई ।
- उन्होंने चर्चा का आह्वान किया है और बदलाव की मांग की है।
- सरकार अग्निपथ योजना पर चर्चा करने तथा चल रही चर्चाओं के आधार पर इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है।

अग्निपथ योजना क्या है ?

- **अग्निपथ योजना अवलोकन:**
  - सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती को प्रतिस्थापित करने के लिए 14 जून 2022 को इसकी घोषणा की गई।
  - आरंभ में चार वर्षों के लिए अग्निवीरों के रूप में सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों की भर्ती की जाती है ।
  - 25% तक अग्निवीर, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नियमित रैंक में परिवर्तित हो सकते हैं।
- **भर्ती विवरण:**
  - भर्ती के लिए आयु सीमा: 17.5 से 21 वर्ष।
  - 2026 तक कुल प्रवेश सीमा 1.75 लाख रखी गई।
  - सेना: प्रतिवर्ष 40,000 अग्निवीर ।
  - नौसेना और वायु सेना: प्रत्येक को प्रतिवर्ष 3,000 अग्निवीर ।
- **अग्निवीरों के लिए लाभ :**
  - कक्षा 12 प्रमाण पत्र या स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का अवसर।
  - अपने कार्यकाल के दौरान अन्य कौशल प्रमाणन के लिए पात्र।
  - चार वर्ष पूरे होने पर एकमुश्त राशि प्राप्त होती है, लेकिन पेंशन के लिए पात्र नहीं होते।
- **उद्देश्य और प्रभाव:**
  - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे एक परिवर्तनकारी पहल मानते हैं।
  - इसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप सशस्त्र बलों की औसत आयु को घटाकर 26 वर्ष करना है।
  - इस बात पर जोर दिया गया कि अग्निवीर नागरिक जीवन में वापस लौटने पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे।

चिंताएं क्या हैं?

Commissioned Ranks

General	Admiral	Air Chief Marshal
Lieutenant General	Vice Admiral	Air Marshal
Major General	Rear Admiral	Air Vice Marshal
Brigadier	Commodore	Air Commodore
Colonel	Captain	Group Captain
Lieutenant Colonel	Commander	Wing Commander
Major	Lieutenant Commander	Squadron Leader
Captain	Lieutenant	Flight Lieutenant
Lieutenant	Sub Lieutenant	Flying Officer

- सशस्त्र बलों, विशेषकर थलसेना को गैर-अधिकारी पदों पर कार्मिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई, जिससे कार्मिकों की कमी हो गई।
- प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 सैनिक सेना से सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि केवल 40,000 नए सैनिक ही भर्ती किए जाते हैं, जिससे कमी और बढ़ जाती है।
- अग्निपथ योजना का उद्देश्य अग्निवीरों को चार वर्ष की अवधि के लिए भर्ती करना है, जिसमें से 25% को नियमित सैनिक का दर्जा दिया जाएगा।
- इस योजना को राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इसमें संशोधन या इसे समाप्त करने की मांग की गई है।
- इस योजना की छोटी अवधि और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं।
- इन चिंताओं के समाधान के लिए संभावित संशोधनों के संबंध में एनडीए गठबंधन के भीतर चर्चा जारी है ।

वर्तमान स्थिति क्या है?

- रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के नेतृत्व में, कार्यान्वयन के दो वर्षों के बाद अग्निपथ योजना की समीक्षा कर रहा है।
- योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा आवश्यक समायोजनों की पहचान करने के लिए सशस्त्र बलों से फीडबैक मांगा गया है।
- सिफारिशों में प्रवेश संख्या में वृद्धि करना तथा स्थायी भर्ती को संभवतः 25% से बढ़ाकर 50% करना शामिल है।
- तकनीकी रूप से अधिक योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए तकनीकी मार्ग से प्रवेश के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- नौसेना और वायु सेना ने अपनी प्रतिक्रिया संकलित कर डीएमए को सौंप दी है, जबकि सेना अभी भी अपनी प्रतिक्रिया संकलित करने की प्रक्रिया में है।
- एक बार सभी फीडबैक संकलित हो जाने के बाद, डीएमए सिफारिशों को समेकित करेगा और उन्हें विचार के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजेगा।

क्या आप जानते हैं?

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) एक विशेष बल है जिसे भारत-चीन सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

गठन और भूमिका:

- **स्थापना:** 24 अक्टूबर 1962
- **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय
- **प्राथमिक भूमिका:** लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा पर गश्त और रखवाली करना।

अतिरिक्त भूमिकाएँ:

- **आंतरिक सुरक्षा:** आईटीबीपी आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों में भी योगदान देता है, निम्नलिखित के लिए तैनात किया जाता है:
  - नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान ।
  - हिमालय में प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों का जवाब देना।
  - वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा प्रदान करना।
- **विशिष्ट कौशल:** आईटीबीपी कर्मियों को चुनौतीपूर्ण हिमालयी इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पर्वतारोहण, स्कीइंग, जंगल युद्ध और सीमा प्रबंधन तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है।

7. छत्तीसगढ़ में माओवादी:

In 2024, Maoists suffer severe setbacks in Chhattisgarh

GS Paper III: Internal Security

The insurgency is at its peak in districts with poor development indicators

DATA POINT

Nitika Francis

As of July 9, 162 Maoist deaths were reported in India in 2024. Of these, 141 deaths were reported from Chhattisgarh alone. This is among the highest number of casualties suffered by the extremists in the largely tribal State since the formation of the Communist Party of India (Maoist) in 2004.

The Maoist deaths in 2024 are the highest since 2009, when 154 insurgents were killed. That was also the year when the Indian government banned the group and launched a military offensive code-named 'Operation Green Hunt', involving the Central Reserve Police Force's CoBRA force and the Chhattisgarh police in "search and comb" operations. Notably, the current spike in the number of deaths of left-wing extremists has taken place after the Bharatiya Janata Party returned to power in the State in December 2023.

Chart 1 shows year-wise deaths of left-wing extremists in Chhattisgarh. Apart from 2009 and 2024, the Maoists also suffered high death tolls in 2016 and 2018.

While the Maoists have suffered more casualties in recent years, the deaths of security force personnel have come down. **Chart 2** shows the number of deaths of civilians, security forces, and Maoists over the years. In 2024, 14 security force personnel died in the insurgency. The highest death toll of security forces (198) was recorded in 2007. Of them, 55 were police personnel who were killed in a massive offensive launched by the Maoists on a police base camp in Bastar.

The number of civilian deaths during the insurgency has also been at its lowest since 2014, when 23 people were killed in Maoist attacks. The highest number of civilian deaths (184) were reported in 2006, largely in landmine attacks on vehicles or when they were caught in the crossfire between the Maoists and security forces.

The highest number of clashes between the Maoists and security forces this year took place in Bijapur district, south Chhattisgarh, resulting in 74 Maoist deaths.

Bijapur and neighbouring Sukma district are home to 20 camps set up by the Border Security Force (BSF). Due to the intensity of operations in this district, 33 Maoists surrendered in May.

The BSF and the District Reserve Guard of Kanker district led a joint operation in April which resulted in the deaths of 29 Maoists, including that of their top commander, Shankar Rao. This year, 35 Maoist deaths have been recorded in Kanker.

In Dantewada, where pitched battles between the insurgents and security forces over the years led to an average 52 deaths of Maoists between 2005 and 2008, 15 Maoists were killed in 2024. This is despite the fact that more than 15 villages in the district were declared 'Maoist-free' in 2021.

Table 3 shows the district-wise average of Maoist deaths every four years from 2001 to 2024.

A district-wise look at development and welfare indicators in Chhattisgarh **(Table 4)** and a comparison with Table 3 shows that the intensity of the insurgency is highest in districts which were relatively lacking in areas such as sanitation and literacy. This could either mean that the Maoists chose to move in these districts, seeking to tap into the discontent with the Indian state, or that these districts lag in development indicators because of the insurgency.

Districts such as Dantewada, Bijapur, Sukma, Bastar, and Kanker are also the most forested areas in the State, which makes security operations difficult. Notwithstanding the setbacks in recent months, the Maoists retain their ability to mount surprise attacks on security forces, which suggests that the insurgency is not over in the State.

Left-wing extremism in retreat

The charts are based on data sourced from the South Asia Terrorism Portal

Chart 1: The chart shows the number of Maoist deaths in Chhattisgarh

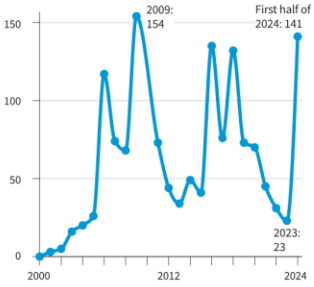

Chart 2: The chart shows the number of deaths of civilians, security forces, and Maoists over the years

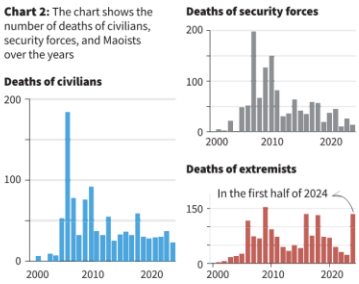

Table 3: The district-wise average number of deaths in incidents related to LWE every four years. Based on this table, Dantewada, Bijapur, Sukma, Bastar, Narayanpur, Kanker, Rajnandangaon and Surguja can be identified as districts that were recently or historically affected by LWE

Districts in Chhattisgarh	2001-04	2005-08	2009-12	2013-16	2017-20	2021-24
Dantewada	31	52	40	11	12	17
Bijapur	5	22	26	28	23	30
Sukma	0	0	4	35	36	20
Bastar	37	8	4	8	4	1
Narayanpur	0	4	6	8	8	14
Kanker	1	7	7	5	7	12
Rajnandangaon	3	1	6	2	7	2
Surguja	16	4	0	0	0	0
Kondagaon	0	0	1	3	1	2
Balrampur	4	1	0	0	0	0
Raipur	3	0	2	0	0	0
Dhamtari	0	0	2	0	2	1
Gariaband	0	0	2	0	0	1
Mohalamanpur	0	0	0	0	0	1
Raigarh	0	0	0	0	0	0
Durg	0	0	0	0	0	0
Kabirdham	0	0	0	0	0	0
Jashpur	0	0	0	0	0	0
Bilaspur	0	0	0	0	0	0
Balod	0	0	0	0	0	0
Janjgir-Champa	0	0	0	0	0	0
Korba	0	0	0	0	0	0
Mahasamund	0	0	0	0	0	0

The district names in table 3 and table 4 may differ as the sources and reference years are different

Table 4: A district-wise look at development and welfare indicators in Chhattisgarh . A comparison with Table 3 reveals that the intensity of the insurgency is the highest among districts which were relatively lacking in areas such as sanitation, literacy, and which recorded stunting

Districts in Chhattisgarh	Affected/ Limited (ltd.) impact due to LWE	Population using an improved sanitation facility (%)	Women with >9 years of schooling (%)	Children under 5 years who are stunted (%)
Bijapur	Affected	30.6	24.2	53.8
Bastar	Affected	61	25.3	48.1
Dantewada	Affected	60.5	24.2	45.6
Narayanpur	Affected	52.8	26.5	43.7
Sukma	Affected	35.5	15.9	41.8
Baloda Bazar	Ltd. impact	78.9	38.7	40.9
Raigarh	Ltd. impact	66.3	38.3	39.1
Durg	Ltd. impact	89.5	52.7	38.9
Bemetara	Ltd. impact	80.5	33	38.4
Kabeerdham	Ltd. impact	80.3	32.6	37.9
Kondagaon	Affected	79.5	24.7	37.6
Mahasamund	Ltd. impact	84.2	31.2	36.8
Jashpur	Ltd. impact	72.8	34.9	35.8
Balrampur	Ltd. impact	57.3	32.2	35.1
Korba	Ltd. impact	73.3	37.1	34.7
Balod	Ltd. impact	83.8	46.3	33.6
Janjgir-Champa	Ltd. impact	78.8	37.3	32.5
Raipur	Ltd. impact	84	40.1	32.2
Koriya	Affected	73.3	37	32.1
Dhamtari	Ltd. impact	89.8	40.9	30.5
Mungeli	Ltd. impact	80.7	32.2	30.1
Surguja	Affected	75.8	37.7	29.4
Gariyaband	Ltd. impact	81	27.8	28.9
Rajnandgaon	Affected	79.2	38.9	27.6
Surajpur	Affected	75.4	30.7	27.6
Bilaspur	Ltd. impact	80.5	37.4	25.7
Kanker	Affected	80.5	40.3	24.8

In all the three indicators, the districts with the lowest scores are highlighted. Affected districts fare poorly across all three indicators

8. जम्मू में उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है? (14 जुलाई)

क्या जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ दो दशकों तक शांत रहने के बाद राजौरी-पुंछ-कठुआ सेक्टर में स्थानांतरित हो रही हैं? नए रुझान के क्या कारण हैं? इस सेक्टर की निगरानी करने में क्या चुनौतियाँ हैं? क्या अधिक सैनिकों की आवश्यकता है? ज़मीन पर स्थिति क्या है?

- 8 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किये गए हमले में पांच सैन्य जवान शहीद हो गये तथा पांच घायल हो गये।
- यह घटना हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा है; 9 जून से अब तक जम्मू संभाग में पांच आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आठ सुरक्षाकर्मी और 10 नागरिक मारे गए हैं।
- एक पैटर्न जम्मू क्षेत्र में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का संकेत देता है, जिसमें चिनाब घाटी (डोडा, किश्तवाड़, रामबन , कठुआ, उधमपुर, रियासी) और पीर पंजाल के दक्षिण (राजौरी, पुंछ) शामिल हैं।
- जम्मू क्षेत्र दो दशकों से ऐसी घटनाओं से काफी हद तक मुक्त रहा है, लेकिन 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के प्रारंभ में यह उग्रवाद का केंद्र था।
- 2021 से अब तक जम्मू में 31 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 47 सुरक्षा बल, 19 नागरिक और 48 आतंकवादी मारे गए हैं।
- इसी अवधि में कश्मीर घाटी में 263 आतंकवादी घटनाएं हुईं, जिनमें 68 सुरक्षा बल, 75 नागरिक और 417 कथित आतंकवादी मारे गए।

- घाटी की तुलना में जम्मू में कम घटनाएं होने के बावजूद, तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों पर हमलों की बढ़ती आवृत्ति और प्रकृति चिंताजनक है।

इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

- 2020 के गलवान संघर्ष के बाद, कई सैन्य कर्मियों को जम्मू से चीन सीमा पर तैनात किया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई और भेद्यता बढ़ गई।
- सुरक्षा विशेषज्ञों का सुझाव है कि विरोधी भारत के साथ पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) दोनों सीमाओं पर टकराव चाहते हैं।
- कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाए जाने के कारण अपेक्षाकृत कम सुरक्षा वाले जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं।
- अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सरकार ने कश्मीर में पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं होने, कोई हड़ताल नहीं होने और पर्यटन में उछाल आने के साथ सफलता का दावा किया था। जम्मू में आतंकवाद इस कथन को तोड़ता है।
- अनुमान है कि लगभग 20-25 आतंकवादी पाकिस्तान से घुसपैठ कर चुके हैं, तथा उनकी गतिविधियां सीमा से 40-50 किमी. दूर देखी गई हैं।
- दो आतंकवादी समूह संभवतः सक्रिय हैं: एक पुंछ-राजौरी क्षेत्र में तथा दूसरा कठुआ-डोडा- बसंतगढ़ क्षेत्र में।
- कठिन भूभाग, जंगली इलाके, खराब सड़कें और खराब मोबाइल कनेक्टिविटी चुनौतियां पेश करती हैं।
- नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दुर्गम भूभागों और जंगली क्षेत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के संवेदनशील क्षेत्रों से घुसपैठ हो सकती है।
- कठुआ में 8 जुलाई को घात लगाकर किया गया हमला दो दशक पहले आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने घुसपैठ मार्ग पर हुआ था, जो अब पुनर्जीवित हो गया है।

आतंकवादियों को स्थानीय समर्थन के बारे में क्या कहना है?

- 19 जून को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाकम दीन को रियासी में 9 जून को तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को कथित रूप से शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया , जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।
- आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर समर्थन मिलने के साक्ष्य अनिर्णायक हैं।
- सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास में पीढ़ीगत अंतर है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना कठिन हो जाता है।
- जनवरी 2023 में डांगरी में हुए हमले के बाद दिसंबर 2022 से ग्राम रक्षा गार्ड/समितियों (वीडीजी) को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसमें सात हिंदू मारे गए थे।
- ऐसा अनुमान है कि पुंछ, राजौरी, सांबा, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में नागरिकों के पास लगभग 30,000 हथियार हैं, जो 1995 से वितरित किये गये हैं।
- सदस्यों द्वारा अपराध किये जाने के आरोपों के कारण वी.डी.जी. को बंद कर दिया गया।
- 2003 में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सर्प विनाश में पुंछ सेक्टर में 60 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे।
- हाल के हमलों में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।
- 21 दिसंबर, 2023 को पुंछ-राजौरी में सेना के वाहनों पर हुए हमले का मामला अभी तक सुलझा नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी-फासीस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) ने ली थी।
- पीएएफएफ ने अक्टूबर 2021 के हमले की भी जिम्मेदारी ली थी जिसमें नौ सैनिक मारे गए थे।
- अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं तथा सुरक्षा खामियों को दूर किया जा रहा है।

ETHICS

1. डीप स्टेट और विकीलीक्स:

WikiLeaks: the enemy of the deep state

WikiLeaks' fortunes have been inextricably tied with the travails of its co-founder Julian Assange, who after a decade-long legal battle with the U.S., has finally been let free

GS Paper IV: International Ethics

Srinivasan Ramani

"Julian Assange is free," WikiLeaks announced in a statement on X. "He left Belmarsh maximum security prison [in the U.K.] on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there", it further read. The co-founder of the whistleblowing website, WikiLeaks, has agreed to plead guilty to one count of conspiracy to obtain and disclose classified U.S. national defence documents, thus ending his long battle against extradition to the U.S. He was flown out of the U.K. to attend the court hearing at Saipan, a U.S. Pacific territory, after which he will return to Australia.

Mr. Assange is wanted in the U.S. for criminal charges, including breaking the Espionage Act for WikiLeaks' actions of leaking thousands of secret U.S. files in 2010. He was looking at a punishment ranging up to 175 years in prison for violations of the Espionage Act.

Mr. Assange's journey to freedom wasn't easy, and he had come dangerously close to extradition. On June 17, 2022, then U.K. Home Secretary Priti Patel had signed an extradition order for Mr. Assange to the U.S. (which he was able to later appeal). On the same day, the Assange Defense Committee, a U.S.-based coalition of media rights and human rights groups, released a statement through its co-chairs, which include the renowned linguist and public intellectual Noam Chomsky and former U.S. military analyst and whistleblower Daniel Ellsberg, that said the decision "was a sad day for western democracy". It added: "U.S. government argues that its venerated Constitution does not protect journalism the government dislikes and that publishing truthful information in public interest is a subversive, criminal act. This argument is a threat not only to journalism, but to democracy itself."

These were strong words in favour of a man who has been held in the U.K.'s Belmarsh prison ever since the Ecuador Embassy revoked his asylum and citizenship after he stayed for seven years on its premises in London. Mr. Assange initially underwent imprisonment for bail violations during his stay in the Ecuador Embassy and got a reprieve from a U.K district judge, Vanessa Baraitser, in January 2021, when she ruled that he could not be extradited to the U.S. because of concerns about his mental health and the possibility of suicide in a U.S prison with strict incarceration conditions.

U.S. prosecutors later filed an appeal, and the British High Court, this time in December 2021, ruled in favour of the U.S. following the Joe Biden administration's assurances on the terms of Mr. Assange's possible incarceration – that it would not hold him at the highest security prison facility (ADX Florence in Colorado, which houses terrorists, drug traffickers, and high-profile criminals) and that if he were convicted, he could serve his sentence in his native Australia if he requested it. Mr. Assange moved the British Supreme Court against the verdict, but on March 14, the Court refused permission to appeal.

Mr. Assange's travails have mirrored those of the WikiLeaks organisation itself.

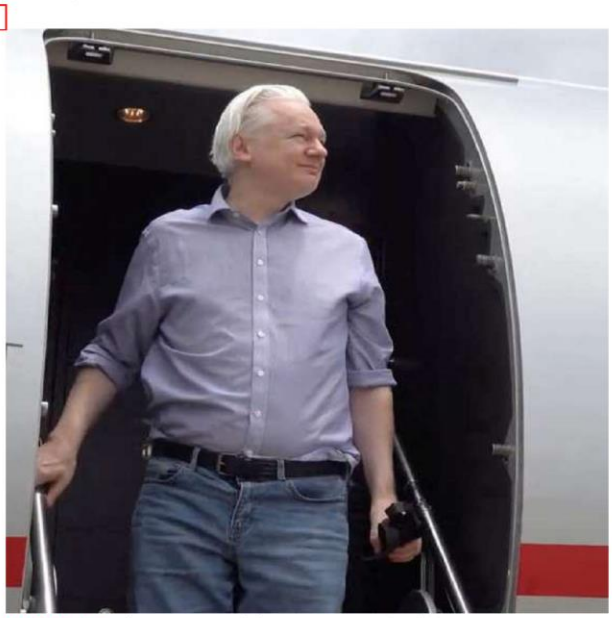

Freedom at last: Julian Assange at Bangkok Don Mueang International Airport, on June 25. REUTERS

In February 2022, on WikiLeaks' website, the submission system for files (by whistleblowers, 'hacktivists', etc.) and its email server went completely offline, months after the organisation's secure chat services had stopped working in October 2021. This was no surprise.

The organisation has been inevitably linked to its co-founder, who still remains a director. Ever since his incarceration, the release of whistleblower documents have only been few and far between and much less in consequence compared to what the organisation managed to achieve between 2010 and 2019.

Origins and impact

WikiLeaks' journey began in 2006 when the website was first established and its domain name registered by Mr. Assange. While initially the website began as a disclosure portal on the lines of the Wikipedia model, with anonymous submissions being put up and edited by volunteers, it soon became a repository of anonymously sourced material. News and classified information could be uploaded on it using the anonymity software Tor, which protects the uploader's identity from being eavesdropped on any network and even by WikiLeaks itself.

Internal dissension and wrangling between WikiLeaks employees had resulted in problems with the submission system, which resulted in its suspension in 2010, but WikiLeaks relaunched the site in 2015.

One of the earliest revelations by Wikileaks was on how the U.S. government had been deploying practices at the Guantanamo Bay facility holding terror suspects, that were in violation of the Geneva Convention protocols.

Some of the most consequential leaks during the period when the site's anonymised submission system still remained active included the millions of classified files from the U.S. Defence Department on the Iraq and the Afghan invasions, besides lakhs of State Department communiques – both were released by former U.S. soldier Chelsea (then Bradley) Manning. These leaks began with a 39-minute video released on April 5, 2010 that showed gun-sight footage of two U.S. AH-64 Apache helicopters in action during the Iraqi insurgency against the U.S. occupation in 2007. The video showed the helicopter crew firing indiscriminately and killing civilians and two *Reuters* war correspondents. For nearly three years, *Reuters* had sought access to this video via the U.S. Freedom of Information Act, but had failed.

WikiLeaks promptly released the war logs, which were published by a host of media organisations and exposed human rights abuses by occupation forces, besides the increased fatality counts in Iraq. The war logs' release was followed by the publication of several news stories, including by *The Hindu*, based on thousands of leaked diplomatic cables that were also released by Ms. Manning, leading to significant public exposure of the ways, lifestyles and attitudes of the elite in various countries.

The WikiLeaks model – using cryptographic tools to protect sources and allowing for anonymous "leaks" of sensitive information (that could also be in public interest) to be published – suddenly brought forth a new model of extensive investigative journalism into areas that were relatively shielded from the public eye, such as the functioning of the deep state in democratic societies and the operation of power agencies in autocracies.

While initially the cables were released to five newspapers that undertook the exercise of redacting sensitive information before reporting on them and published them over a year from late 2010 to 2011, the leak of the encryption key of the full cache of files (of what was then termed "Cablegate"), resulted in the release of unredacted material, an action that was condemned by many media outlets.

The lack of an anonymised submission system between 2010 and 2015 did not deter it from publishing other files that were obtained from other hackers such as the Stratfor email leaks. Later, WikiLeaks also published then presidential candidate (and former Secretary of State) Hillary Clinton's aide John Podesta's emails before the 2016 presidential elections. This action invited severe critique of WikiLeaks from activists and media personnel, who likened these leaks to an effort to intervene in the 2016 elections with Mr. Assange having been quoted as saying he wanted to "harm" Hillary Clinton's chances of winning the presidency and accusing WikiLeaks of obtaining this information from Russian intelligence agency hackers, something Wikileaks denied.

Later, it emerged that someone from WikiLeaks had conversed with Clinton's presidential opponent, Donald Trump's son, Donald Trump Jr., seeking to promote the leaks and even asking for favours for Mr. Assange in Twitter DM conversations.

Probe in the U.S.

Wikileaks' releases, meanwhile, resulted in reprisals from the U.S. government. The Barack Obama administration began investigation of the Manning leaks, and Ms. Manning was convicted by court martial in July 2013 for violating the Espionage Act and underwent rigorous imprisonment before her sentence was commuted in January 2017 by the President. However, the administration concluded that it would not pursue criminal charges against Mr. Assange and WikiLeaks. The U.S. Justice Department under former President Donald Trump, however, charged Mr. Assange with collaborating in a conspiracy with Ms. Manning to crack a password on a Defense Department network to publish classified documents and communications on WikiLeaks in a sealed indictment in April 2017. These charges were unsealed in 2019.

Later, the Trump administration further charged Mr. Assange with violating the Espionage Act of 1917 – he was indicted on 17 new charges related to the Act at the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia. In June 2020, the charges were further expanded for conspiracy with hacker groups. The Biden administration had made no attempt to reverse these charges. Until now.

In April, Mr. Biden said that he was considering a request from Australia to drop its prosecution of Mr. Assange, indicating a change in policy. And now the U.S. with the plea deal has agreed to drop all other charges, except one, against the whistleblower.

Mr. Assange's legal case sets a precedent for the future of investigative journalism of the kind that WikiLeaks represents and also serves as a litmus test for free expression laws that allow for unhindered journalism in countries like the U.S.. While the organisation is now a shell of what it was a decade ago, its ability to harness the act of whistleblowing to shine a light on the inner workings of those in power transformed investigative journalism, even as its decisions to intervene in the U.S. polity complicated its legacy.

The copy, published on June 19, 2022, has been updated.

2. उल्लेखनीय उदाहरण: क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन के जीवन से सीखें:

- **क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन (सीटीके)** जवाहरलाल नेहरू के **गरीबी और असमानता को समाप्त करने के दृष्टिकोण से प्रेरित थे** ।
- सी.टी.के. ने गरीबी को समझने और उसका समाधान करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया , तथा अपनी यात्रा हाई स्कूल के बाद शुरू की।
- 1950 के दशक में, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में व्याख्याता के रूप में, उन्होंने आर्थिक सिद्धांत और वास्तविक जीवन के मुद्दों के बीच एक खाई महसूस की।
- इस अंतर को पाटने के लिए उन्होंने 1958 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला लिया।
- स्टैनफोर्ड में, सी.टी.के. ने नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र को चुनौती दी और गैर-श्रम संसाधनों के वितरण पर ध्यान केंद्रित करके भारत की अर्थव्यवस्था की एक वैकल्पिक समझ विकसित की।
- वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने के लिए वापस आये, जहाँ उन्होंने भारतीय आर्थिक समस्याओं पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया।
- सीटीके के पाठ्यक्रम ने छात्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक सिद्धांत को लागू करना सिखाया, जिससे उन्हें आर्थिक मुद्दों की व्यापक समझ बनाने में मदद मिली।
- 1968 से 1978 तक, सी.टी.के. मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षण और अनुसंधान दोनों में सक्रिय रहे।
- इस दौरान, उन्होंने भारतीय आर्थिक संकट (1968), भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण (1969), और गरीबी, योजना और सामाजिक परिवर्तन (1978) जैसी प्रभावशाली कृतियाँ प्रकाशित कीं।
- 1974 में, सी.टी.के. ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रस्ताव रखा, जिससे वे ऐसी नीतियों के शुरुआती समर्थकों में से एक बन गये।
- 1978 में, सी.टी.के. ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज छोड़ दिया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (एमआईडीएस) के संस्थापक निदेशक बन गए।
- उनके नेतृत्व में, एमआईडीएस तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए एक अग्रणी केंद्र बन गया।
- उन्होंने डायनेमिक्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन (1979) और इकोनॉमिक चेंज इन तमिलनाडु (जोसेफ जेम्स के साथ, 1979) जैसी पुस्तकें लिखीं।
- एमआईडीएस से सेवानिवृत्त होने के बाद, सीटीके ने राष्ट्रीय प्रोफेसर और राष्ट्रीय फेलो के रूप में कार्य किया और ऑन मार्केट्स इन इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी (1993) और रीथिंकिंग इकोनॉमिक्स: रिफ्लेक्शंस बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी (1996) जैसी पुस्तकें लिखीं।
- अपने बाद के वर्षों में, उन्होंने वेल्थ एंड इलफेयर : एन एक्सपीडिशन इनटू रियल लाइफ इकोनॉमिक्स (2012) और इकोनॉमिक्स ऑफ रियल-लाइफ: ए न्यू एक्सपोज़िशन (2018) प्रकाशित की, और फ्रंटलाइन पत्रिका के लिए पुस्तक समीक्षाएँ लिखीं।
- सी.टी.के. गरीबी को समझने और उसका समाधान करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है तथा न्यायपूर्ण समाज की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करता है।

क्या आप जानते हैं?

गहन अवस्था:

- डीप स्टेट का मतलब सरकार के भीतर गुप्त नेटवर्क से है जो निर्वाचित नेताओं से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। यह नकारात्मक अर्थों से जुड़ा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग: डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व काल के दौरान, "डीप स्टेट" शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से उन जड़ जमाए हुए नौकरशाहों और सिविल सेवकों के लिए किया जाता था, जो प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते थे, तथा संस्थागत आदेशों और कांग्रेस के नियमों का पालन करते थे।
- उत्पत्ति: शब्द "डीप स्टेट" की उत्पत्ति तुर्की के " डेरिन " शब्द से हुई है देवलेट ," तुर्की में सैन्य अधिकारियों और नागरिक सहयोगियों से बना एक गुप्त नेटवर्क है, जिसका ऐतिहासिक उद्देश्य अतातुर्क युग से धर्मनिरपेक्ष शासन को बनाए रखना है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: तुर्की में डीप स्टेट का संबंध कथित तौर पर शीत युद्ध युग के ग्लैडियो से था संगठन, तुर्की की राजनीति को नाटो के साथ जुड़ने और सोवियत साम्यवाद का विरोध करने के लिए प्रभावित कर रहा था।
- षड्यंत्र सिद्धांत: इसके व्यापक उपयोग के बावजूद, इस अवधारणा में ठोस सबूत और आधिकारिक परिभाषा का अभाव है। यह मानता है कि अनिर्वाचित अधिकारी, नौकरशाह और सैन्य नेता निर्वाचित सरकारों से स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हैं।

पीसीएस विशेष (PCS SPECIAL)

1. मैसूर की कैप्टन सुप्रीता सियाचिन में पहली महिला अधिकारी

- मैसूर की कैप्टन सुप्रीता सीटी, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी हैं।
- भारतीय सेना ने उनकी उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया पर उनका जश्न मनाया तथा उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प को उजागर किया।
- कैप्टन सुप्रीथा 2021 में लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुईं।
- चेन्नई में प्रशिक्षण के बाद उन्हें आर्मी एयर डिफेंस में तैनात किया गया।

2. कीर्ति चक्र: भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार

- कीर्ति चक्र एक प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य सम्मान है जो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो प्रत्यक्ष युद्ध से इतर परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस, आत्म-बलिदान या वीरता का प्रदर्शन करते हैं।
- यह शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जो **अशोक चक्र से नीचे और शौर्य चक्र से ऊपर है** ।
- **उत्पत्ति और स्थापना**
- कीर्ति चक्र को मूलतः 4 जनवरी, 1952 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा "अशोक चक्र, श्रेणी II" के रूप में स्थापित किया गया था, जो 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी हुआ।
- बाद में 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर "कीर्ति चक्र" कर दिया गया।

3. लाल सागर में बचाव कार्य के लिए भारतीय जहाज चालक दल को 'असाधारण बहादुरी' पुरस्कार मिला:

- तेल टैंकर 'मार्लिन लुआंडा' पर सवार कैप्टन अविलाश रावत और उनके चालक दल ने समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए IMO 2024 पुरस्कार जीता।
- उन्हें लाल सागर में एक बचाव अभियान के दौरान उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया, जहां उनके जहाज पर ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों द्वारा दागी गई जहाज-रोधी मिसाइल से हमला हुआ था।
- भारी क्षति और आग लगने के खतरे के बावजूद, कैप्टन रावत ने चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नौवहन क्षमता बनाए रखने के लिए अग्निशमन प्रयासों का समन्वय किया।
- चालक दल ने आग पर काबू पाने के लिए स्थिर फोम मॉनीटर और पोर्टेबल होज़ का इस्तेमाल किया, तथा फोम की आपूर्ति समाप्त होने के बाद अंततः समुद्री जल से आग पर काबू पाया।
- कैप्टन बृजेश नांबियार और आईएनएस विशाखापत्तनम के चालक दल को संकट की स्थिति के दौरान उनके सहयोग के लिए प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

4. 1,930 कंटेनर लेकर सैन फर्नांडो केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला जहाज बन गया:

- चीन के ज़ियामेन बंदरगाह से माल लेकर पहला जहाज विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा, जो भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।
- मार्शल द्वीप समूह द्वारा ध्वजांकित और एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाला कंटेनर जहाज सैन फर्नांडो, मैर्स्क (एपी मोलर ग्रुप) द्वारा किराए पर लिया गया था और इसका प्रबंधन बर्नहार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट, सिंगापुर द्वारा किया गया था।
- अडानी पोर्ट के पायलट सुबह करीब 7:45 बजे जहाज पर चढ़े, जब वह विझिनजाम के बर्थ के पास पहुंचा ।
- जहाज को चार टगों का उपयोग करके बोयड चैनल से होते हुए ब्रेकवाटर क्षेत्र में ले जाया गया।
- जहाज को बर्थ तक ले जाने में टगों ने सहायता की , तथा धनुष थ्रस्टरों और जहाज के मुख्य इंजन की शक्ति का उपयोग करके इसे संरेखित किया।
- 1,930 कंटेनरों को उतारने का काम दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू होना था

जल सलामी

- विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने पर जहाज को जल सलामी दी गई ।
- केरल सरकार द्वारा आयोजित आधिकारिक स्वागत समारोह के बाद यह शुक्रवार को कोलंबो के लिए रवाना होगी।
- मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य अधिकारी स्वागत समारोह में भाग लेंगे।
- अडानी समूह के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत 7,700 करोड़ रुपये की लागत वाली विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना 5 दिसंबर 2015 को शुरू हुई।
- मूल रूप से 2019 में चालू होने के लिए निर्धारित इस बंदरगाह को देरी का सामना करना पड़ा और कई समय सीमाएं चूक गईं।

- बंदरगाह का परीक्षण 12 जुलाई को शुरू होने वाला है, तथा संशोधित कमीशनिंग अब दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित है।

5. केरल में जन्मे सोजन जोसेफ ने ब्रिटिश संसद सीट जीती:

- ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी को भारी जीत मिली।
- एशफोर्ड से ब्रिटिश संसद के लिए सोजन जोसेफ के निर्वाचित होने पर कोट्टायम के ओनमथुरुथ गांव में जश्न मनाया गया ।
- सोजन जोसेफ की जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि एशफोर्ड में 139 वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी का प्रभुत्व रहा है।
- उन्होंने एशफोर्ड में छह उम्मीदवारों को हराया, जहां लगभग 74,000 मतदाता हैं।
- उनका परिवार अपने पैतृक घर पर जश्न मना रहा है।
- उनके बहनोई जोसेफ पलाथथिंकल ने अपनी खुशी व्यक्त की।
- पेशे से नर्स सोजन जोसेफ 2001 में ब्रिटेन आ गईं और एशफोर्ड स्थित विलियम हार्वे अस्पताल में काम करती हैं।

6. चीनी चंद्र जांच चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से से पहले नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटी:

- **चीन का चांग'ए 6** यान चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया।
- यह यान उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया में उतरा, जो चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
- झांग केजियान ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मिशन को पूर्णतः सफल घोषित किया।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नमूनों में 2.5 मिलियन वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टानें तथा चंद्रमा के सुदूर भाग से प्राप्त अन्य सामग्रियां शामिल होंगी।
- चंद्रमा का दूर वाला भाग, जो बाह्य अंतरिक्ष की ओर है, पृथ्वी से दिखाई देने वाले निकट वाले भाग से भिन्न है, जिसमें पहाड़ियां और प्रभाव क्रेटर हैं।
- यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन बेसिन में उतरा, जो 4 अरब वर्ष से अधिक पुराना एक बड़ा गड्ढा है।
- एकत्र किए गए नमूनों से चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास, समय के साथ विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं और ज्वालामुखीय गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है।

अपनी तरह का पहला

- चीनी चांग'ए 6 मिशन चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने एकत्र करने वाला पहला मिशन है, जो चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- अमेरिका और सोवियत संघ के पिछले मिशनों का ध्यान चंद्रमा के निकटवर्ती भाग से नमूने एकत्र करने पर केंद्रित था।
- चीन का चंद्र कार्यक्रम अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, विशेष रूप से अमेरिका, जापान, भारत और अन्य देशों के साथ।
- चीन ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है और अपनी व्यापक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के तहत वह वहां नियमित रूप से अपने चालक दल भेजता रहता है।
- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चांग'ई टीम को बधाई दी तथा इसे अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में अग्रणी शक्ति बनने के चीन के प्रयासों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

7. इलैयाराजा एल्बम दिव्या पसुराम रिहा

- कृष्ण गण सभा में "दिव्य पशुराम " नामक एल्बम का विमोचन किया गया।
- इस एल्बम में इलैयाराजा के संगीत पर आधारित नालयिरा दिव्य प्रबंधम के पसुराम शामिल हैं ।
- मर्कुरी फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया.
- नालयिरा दिव्य प्रबंधम में 12 अलवरों द्वारा लिखे गए 4,000 छंद शामिल हैं ।
- एल्बम में शामिल करने के लिए आठ पसुराम का चयन किया गया।
- इलैयाराजा ने कहा कि थिरुवसागम के बाद , उनसे नालयिरा दिव्य प्रबंधम के लिए संगीत तैयार करने की मांग थी ।
- उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए समय सही है।
- पल्लंडु " का प्रदर्शन किया गया पल्लंडु ."
- इलैयाराजा ने एल्बम की पहली प्रति श्री त्रिदंडी को भेंट की श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्ना जीयर स्वामी।

8. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे

- लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है।
- वह वर्तमान में उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं।
- वर्तमान थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून 2024 को पदमुक्त होंगे।

- लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून, 2024 की दोपहर से सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे।
- यह घोषणा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा देर शाम जारी एक बयान में की गई।
- जनरल मनोज पांडे, जो मूलतः 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, को एक महीने का सेवा विस्तार दिया गया।
- इस विस्तार के कारण सैन्य समुदाय में सेवा प्रमुखों की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत से विचलन और संभावित अधिक्रमण के बारे में अटकलें लगने लगीं।
- 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को इन्फैंट्री (जम्मू और कश्मीर राइफल्स) में कमीशन दिया गया था।
- लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट और 26 सेक्टर असम राइफल्स ब्रिगेड का नेतृत्व करने सहित विभिन्न कमांड भूमिकाएँ निभाई हैं।
- लेफ्टिनेंट-जनरल के रूप में, उन्होंने 2022 से 2024 तक महानिदेशक, इन्फैंट्री और बाद में जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान के रूप में कार्य किया।
- लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी वर्तमान में उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं और 30 जून 2024 को सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे।

9. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: योग की शक्ति का जश्न

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह योग अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक वैश्विक कार्यक्रम है।
- **स्थापना:** 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित
- **संस्करण:** 10 वां
- **2024 का थीम:** "स्वयं और समाज के लिए योग।"
- **महत्व:** इसका उद्देश्य दुनिया भर में योग अभ्यास के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को बढ़ावा देना है।

योग क्या है?

- योग एक प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी।

इसमें सम्मिलित हैं:

- **शारीरिक मुद्राएं (आसन):** शक्ति, लचीलापन और संतुलन में सुधार करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- **श्वास व्यायाम (प्राणायाम):** फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएं और श्वास पर नियंत्रण रखें।
- **ध्यान (ध्यान):** विश्राम, एकाग्रता और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है।

जुलाई 2024

मासिक करंट अफेयर्स

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं (IAS/PCS) के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन

PATRIOTIC IAS

PAIDLEYGANJ ROAD, KV Tower, GORAKHPUR

9971932488

गोरखपुर में पहली बार

दैनिक करेंट अफेयर्स Offline (फेस टू फेस) Class

हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध

दैनिक प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

दैनिक मुख्य अभ्यास प्रश्न

शुल्क: 1500 रुपये प्रति माह

वन टू वन मेंटरिंग

Daily Class Notes

Address: पैडलीगंज रोड, राजबंशी अस्पताल के पास,

संपर्क नंबर: 9971932488